(1)

# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक —2 नवम् विधान सभा के दूसरे सत्र का सप्तम् दिवस संख्या—5

सोमवार,

2 जुलाई, 1990

विधान सभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

**तारांकित प्रश्न**

**श्री अध्यक्ष** : श्री जितेन्द्र सिंह।

**जैसलमेर में भू-जल की सम्भावना**

**99. श्री जितेन्द्र सिंह** (जैसलमेर) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर से 11 कि.मी. दूर रामगढ़ मार्ग पर भू-जल के नये भण्डार का पता चला है तथा इसे आर्टिजन वैल का नाम दिया गया है ?

(2) क्या राज्य सरकार उक्त स्थान पर नल कूप खुदवाने का विचार रखती है। यदि हां, तो कब तक ?

**ऊर्जा मंत्री** (श्रीमती सुमित्रा सिंह) : (1) जी हां। जैसलमेर रामगढ़ मार्ग पर हाल ही में बनाये गये हैण्ड पम्पों (नलकूपों) में भू-जल का स्तर लगभग जमीन की सतह तक पाया गया है। ऐसी स्थिति के कुओं को "आर्टिजन वैल" न कह कर "कनफाइण्ड कन्डीशन" कहा जाता है।

(2) इस क्षेत्र का अभी विस्तृत अध्ययन किया जाएगा उसके बाद ही नलकूप खुदवाने के बारे में निर्णय लिया जा सकेगा।

**श्री जितेन्द्र सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया ने अभी जो उत्तर दिया है उसके संबंध में मैं तीन मूलभूत प्रश्न पूछना चाहूंगा। एक तो कनफाइण्ड कण्डीशन की परिभाषा क्या है ? दूसरा, जैसलमेर रामगढ़ मार्ग पर ऐसे कितने हैण्ड पम्प खोदे गये जहां भू-जल का स्तर बिल्कुल जमीन के लेवल पर आ गया ? तीसरा, जैसलमेर जिले में भू-जल का विस्तृत सर्वेक्षण कब करवाया गया और उसकी व्यापक रिपोर्ट सरकार के पास उपलब्ध है या नहीं ?

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : मैं माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहूंगी कि पहला प्रश्न उन्होंने पूछा कि कनफाइण्ड वैल

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

कण्डीशन की परिभाषा क्या है। यह कनफाइण्ड कण्डीशन उसे कहा जाता है कि नीचे भी चट्टान हो और ऊपर भी पानी न हो लेकिन बीच की एक सतह ऐसी हो जिसमें पानी हो उसे कनफाइण्ड कण्डीशन वैल कहा जाता है। जहां एक पर्टिकूलर पाइंट से ऊपर जमीन के ऊपर जहां पानी नहीं है वहां पानी तक पहुँचेगे फिर उससे पानी आएगा उसे कनफाइण्ड कण्डीशन कहा जाएगा। उसके नीचे जाएंगे तो फिर चट्टान है पानी नहीं है वह कनफाइण्ड कण्डीशंन वैल कहा जाएगा। दूसरा, उन्होंने पूछा कि कुल कितने कुऐ हैं। ऐसे 6 हैण्ड पम्प खोदे गये हैं जिनके अन्दर काफी पानी है और जमीन की सतह के 2–3 फीट नीचे तक इन हैण्ड पम्प्स का जल स्तर है। तीसरा, पूछा विस्तृत सर्वे कब किया गया है। विस्तृत सर्वे इस हिसाब से कि जमीन के किस स्तर तक पानी है इस हिसाब से विस्तृत सर्वे किया जाना बाकी है और वह पानी जब प्रश्न पूछा है, 6 हैण्ड पम्प ऐसे मिले हैं जिनमें जमीन के स्तर तक पानी आ गया है तो अब विस्तृत सर्वे करवाया जाएगा।

**श्री जितेन्द्र सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि जैसलमेर जिले में भू-जल का विस्तृत सर्वे करना अति आवश्यक है क्योंकि कनफाइण्ड कण्डीशन में भू-जल का पानी उपलब्ध है। मेरी जानकारी के अनुसार अगर उस पानी का पूर्ण रूप से दोहन किया जाय तो भी करीब-करीब 30 वर्ष तक उस पानी का लाभ सिंचाई और पेयजल हेतु लिया जा सकता है। इसलिए जैसलमेर जिले के भू-जल का सर्वेक्षण विस्तृत और व्यापक तौर पर सरकार को कराना आवश्यक है। इस जिले में अगर भू-जल की प्रचुर मात्रा उपलब्ध हो जाती है तो जिले की कायापलट हो जाएगी। दूसरा, इस जिले में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां भू-जल का स्तर जमीन तक न होकर 30, 40, 50 फीट तक भी पाया गया है और वहां अब कृषि की प्रगति हुई है, मेरा आप से निवेनन है कि आप उसका व्यापक सर्वेक्षण करवायें, सरकार के पास सर्वेक्षण हेतु आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध हैं और उससे अगर हम को पूरी जानकारी उपलब्ध हो जाती है तो निश्चित रूप से इस जिले की कायापलट हो जाएगी। मेरा आपसे निवेदन है कि आप शीघ्रातिशीघ्र इसका विस्तृत सर्वेक्षण करवावें।

**श्री अध्यक्ष** : नगर से आने वाले माननीय सदस्य।

**श्री सम्पत सिंह** (नगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से मंत्री जी से इतना और जानना चाहूंगा कि क्या सरकार के पास डार्क जोन जैसी कोई सर्वे रिपोर्ट है और अगर इस तरह की रिपोर्ट बनी है तो उसका प्रान्त के स्तर पर क्या मापदण्ड है और क्या दुबारा से सर्वे करवाने का सरकार का कोई विचार है? दूसरा, जो पाताल तोड़ कुओं के नाम से जहां-जहां पर प्रान्त में बोरिंग किया गया है उनमें कितने सफल हुए और कितने असफल हुए?

**श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय

# Page No. 3



(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले के पश्चिमी सीमा पर उत्तर से पश्चिम और दक्षिण तक के बोर्डर के पास-पास पानी मीठा और अधिक मात्रा में है ? क्या यह सही है कि बोर्डर के पास-पास बोर्डर के पिल्लर से लगा कर जैसलमेर की तरफ 20 कि.मी. की पट्टी है जिसमें बहुत ही मीठा और अधिक पानी है। क्या सरकार ने इसकी जांच कराई है या कराने की इरादा रखती है ?

**श्री अध्यक्ष**: माननीय परसादीलाल जी।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : अध्यक्ष महोदय, इतने सारे प्रश्नों से मैं कन्फ्यूज हो जाऊंगी।

**श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से यह जानना चाहूंगा कि भू जल का अंतिम बार सर्वे कब करवाया गया ? भू-जल का सर्वे करवा कर ट्यूब वैल राजस्थान में कई जिलों में लगाए गये हैं उनका उपयोग नहीं हो रहा है आज। क्या उनके उपयोग के लिए आप पी.एच.ई.डी. को उन ट्यूब वैलों को देने का इरादा रखते हैं ? जब बीसों सालों से यह पड़े हैं तो क्यों नहीं पी. एच. ई. डी. को दे देते जिससे लोगों को पानी तो मिले। ऐसे कितने ट्यूब वैल राजस्थान में हैं जो आपके विभाग द्वारा सर्वे करवा कर गांवों में छोड़ रखा है, उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, उनकी कितनी संख्या है और क्या उनको पी. एच. ई. डी. को देने का इरादा रखते हैं ?

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** :-लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वह तो सारे राजस्थान का पूछा है, इससे सम्बन्धित नहीं है। मुझे तो केवल जैसलमेर के बारे में पूछा गया है इसलिए कितने ट्यूब वैल हैं, कितने हैण्ड पम्प खराब हैं, कितने एबन्डन घोषित किये जा चुके हैं यह तो अभी मैं बताने की स्थिति में नहीं हूं। क्योंकि ऐसे ट्यूब वैल की मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है यह प्रश्न इससे सम्बन्धित भी नहीं है।

**श्री परसादीलाल मीणा** : आपके काम में नहीं आ रहे हैं तो पी. एच. ई. डी. को दे दिये जाय।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, यह इससे सम्बन्धित नहीं है, विराजिए आप।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : सर्वे के लिए जो ट्यूब वैल खोदे गये हैं, यह बात सही है कि वह काम में नहीं आ रहे हैं परन्तु उनके बारे में निर्णय लिया जाना शेष है कि जब खोदे गये हैं, पैसा खर्च हो गया है, उनमें पानी है तो उनका उपयोग किया जाय यह आवश्यक है। इसके बारे में आगे हम विचार करके कुछ निर्णय लिया जाएगा, और शीघ्र ही निर्णय लेंगे यह मैं आपको आश्वासन दे सकती हूं। माननीय सदस्यों ने और जो प्रश्न पूछे, करीब-करीब मैंने अपने प्रश्न के जबाव में बता दिया कि जैसलमेर के काफी हिस्से का सर्वेक्षण किया जा चुका है फिर भी अभी काफी

# Page No. 4

(५)



(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

हिस्से का किया जाना शेष है। पहले जब सर्वेक्षण किया गया था उसके दौरान यह पाया गया कि वहां पानी खारा था, पीने लायक नहीं था लेकिन अब जो 6 हैण्ड पम्प खोदे गये हैं उनमें काफी पानी है, जमीन की सतह तक पानी है बल्कि एक हैण्ड पम्प तो ऐसा है जिसमें पानी ऊपर तक बहता है वह आर्टिजन वैल कहलाता है, जिसका मतलब पानी नीचे से आकर जमीन तक बहता रहे, ऐसा जालौर में भी है जिसमें जमीन की सरफेस तक पानी बहता है। तो अभी तो जैसलमेर के कुछ क्षेत्रों का सर्वे किया जाना बाकी है, काफी तो किया जा चुका है लेकिन कुछ बाकी है। उसके पहले कुछ कहा जाना सम्भव नहीं है लेकिन जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य का यह कहना बिल्कुल सही है कि जैसलमेर में पानी नीचे है और उसका दोहन किया जाय तो वहां की कायापलट हो सकती है यह बिल्कुल सही बात है।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट, निर्भयलाल जी।

**श्री सम्पतसिंह** : और जिनकी किस्म डार्क-जोन से बंधी है ?

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : डार्क-जोन का मतलब यह है कि अब इतने कुएं खोद दिये गये हैं कि उनके पास और ज्यादा कुएं खोदे जाएंगे तो हो सकता है कि कुछ दिनों बाद वहां पीने के पानी की दिक्कत आये। वैसे डार्क जोन का इससे सम्बन्ध नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : **श्री निर्भय लाल**, प्रश्न संख्या 100.

**अनूपगढ़ एवं पूगल शाखाओं पर पन बिजली घर**

100. **श्री निर्भय लाल** (रूपवास) एवं **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इंदिरा गांधी नहर की अनुपगढ़ व पूगल शाखाओं पर पन बिजली घर का निर्माण कराया जाना स्वीकृत है ? यदि हां, तो उपरोक्त दोनों बिजली घरों की उत्पादन क्षमता क्या होगी तथा वर्तमान में उपरोक्त कार्यों की क्या प्रगति है ?

(2) क्या नहर की अन्य शाखाओं से भी पन बिजली उत्पादन की योजना है ? यदि हां, तो किन-किन शाखाओं पर, नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त नहर की मूल योजना में करीब-करीब सभी शाखाओं पर पन बिजली घर प्रस्तावित थे ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में वर्तमान में क्या स्थिति है ?

**श्री अध्यक्ष** : माननीय मंत्री जी।

**ऊर्जा मंत्री (श्रीमती सुमित्रा सिंह)** : (1) जी हां, इन्दिरा गांधी नहर की अनुपगढ़ शाखा पर दो विद्युत गृहों का निर्माण किया जा चुका है। विद्युत गृह प्रथम की क्षमता 3 × 1.5 मेगावाट तथा विद्युत गृह द्वितीय की क्षमता 3 × 15 मेगावाट है। तद्नुसार अनुपगढ़ लघु पन विद्युत गृह उत्पादन योजना में बनाये गये दोनों विद्युत गृहों की कुल क्षमता 9.0 मेगावाट है।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

पूगल शाखा पर भी दो लघु पन विद्युत–गृह लगाये जाने की योजना स्वीकृत है। विद्युत गृह प्रथम की क्षमता 1 × 1.5 मेगावाट तथा विद्युतगृह द्वितीय की क्षमता 1 × 0.05 मेगावाट है। विद्युत–गृह प्रथम की हाइडल चेनल निर्माणाधीन है। आवासी गृहों का निर्माण कर लिया गया है। उत्पादन संयंत्र के अधिकांश भाग आ चुके हैं।

विद्युत गृह द्वितीय का पावर हाउस भवन व हाइडल चैनल निर्माणाधीन है। ओफटेक स्ट्रक्चर तथा आवासीय गृहों का निर्माण हो चुका है। उत्पादन संयंत्र के अधिकांश भाग आ चुके हैं।

(1) जी हां, इन्दिरा गांधी नहर की अन्य शाखाओं/डिस्ट्रीब्यूटरियों पर निम्नलिखित लघु/सूक्ष्म पन विद्युत उत्पादन योजनाएं स्वीकृत हैं :—

(क) सूरतगढ़
(2 × 2.0 मेगावाट)

(ख) चारणवाला
(1 × 1.2 मेगावाट) संशोधित क्षमता

(ग) बिसलपुर :

विद्युतगृह (प्रथम)
(1 × 0.535 मेगावाट)

विद्युतगृह (द्वितीय)
(1 × 0.165 मेगावाट)

विद्युतगृह (तृतीय)
(1 × 0.210 मेगावाट)

(घ) नाचना
(1 × 0.175 मेगावाट)

(ङ) जालूवाला
(1 × 0.09 मेगावाट)

(च) खारा
(1×0.125 मेगावाट)

(छ) फूलासर
(1×0.280 मेगावाट)

(3) इन्दिरा गांधी नहर की मूल योजना सिंचाई की थी तथा सिंचाई विभाग से सम्बन्धित है। विद्युत मण्डल द्वारा इस नहर की विभिन्न शाखाओं/वितरिकाओं पर उपलब्ध पोटेंशियल हाईडल साइटों का सर्वेक्षण किया गया तथा पन विद्युत गृहों की योजनाओं की स्वीकृति हो चुकी हैं। वर्तमान में किसी नयी योजना के सर्वेक्षण/अनुसन्धान की कार्यवाही नहीं की जा रही है।

**श्री निर्मयलाल** : उक्त बिजली घरों को कब तक चलाया जावेगा ?

**श्री अध्यक्ष** : माननीय मंत्रीजी।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : इनमें से अनूपगढ़ का ताप विद्युतगृह प्रथम और विद्युतगृह द्वितीय तो मार्च, 91 में शुरू हो जायेंगे। विद्युतगृह द्वितीय का कार्य 1991-92 में पूरा होने की सम्भावना

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

है । पूंगल विद्युत गृह द्वितीय का पावर हाउस भवन व हाइड्रो चैनल निर्माणाधीन है इसलिए उसका काम भी, उम्मीद कर रहे हैं कि 1990—91 की समाप्ति तक पूरा हो जायेगा अर्थात् मार्च, 1991 तक वह भी पूरा होने की सम्भावना है। सूरतगढ़ तथा चारणवाला ब्रांच पर स्वीकृत पन बिजलीघरों की योजनाओं पर भी कार्य प्रोग्रेस में है तथा बिसलपुर विद्युत गृह प्रथम को कन्सलटेन्सी बाबत कार्यवाही की जा रही है, उसका काम अभी शुरू नहीं हुआ है । लेकिन फिलहाल में आपसे निवेदन कर दूं कि यह जो पन योजनाएं हैं और छोटी-छोटी इन ब्रांचों पर जो विद्युत गृह प्रथम और द्वितीय लगाये हैं, यह पहली बिरसलपुर ब्रांच तक तो ठीक है। इसके बाद जहां माइक्रो विद्युत गृह आ गये हैं, उनके बारे में अभी फिलहाल रि-कन्सीडरेशन किया जा रहा है कि आया उन पर काम शुरू भी किया जाय या नहीं ? इसलिए जो हमारी छोटी इका. ईयां हैं उन पर तो काम हो रहा है लेकिन जो माइक्रो हमारी यूनिट्स हैं उनका काम अभी शुरू नहीं किया है । उन पर रीकन्सीडरेशन हो रहा है कि उनको शुरू भी किया जाय या नहीं ?

**श्री अध्यक्ष** : माननीय चुन्नीलाल इन्दलिया ।

**श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** : अध्यक्ष महोदय, यह आपने योजनाएं बताई, मंत्री महोदय यह कब से, किस तारीख से स्वीकृत हुई, कितने वर्ष पहले ? और उनको आप कब तक चालू करायेंगे ? इतने लम्बे समय तक इस तरह की योजनाएं बाकी रहना क्या उचित है ? इनको आप कब तक चालू करायेंगे और जो बीच में आपने छोटी योजनाएं बताई कि विचाराधीन हैं, अध्यक्ष महोदय, लम्बे समय पहले इनको स्वीकृत हो चुकी हैं और सम्बन्धित विभाग को धनराशि भी आवंटित कर दी गई है और फिर भी आप यह कह रहे हैं कि स्कीम अभी तक विचाराधीन है, तो मेरे ख्याल से दुर्भाग्य है कि इतना लम्बा-चौड़ा बजट देने के बाद भी आप इन पर पुनर्विचार करेंगे। क्या मंत्री महोदय, इन छोटी-छोटी योजनाओं को चालू कराने का का इरादा रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक ।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : माननीय सदस्य, मैं अपने आपको थोड़ा संशोधित कर लेती हूं । अनूपगढ़ ब्रांच पर जो लघु विद्युत पन योजना है वह तो आलरेडी कमीशन हो चुकी है। सूरतगढ़ बांच फरवरी, 91 के अन्दर कमीशन हो चुकी है ।

**श्री हेतराम बेनीवाल** (संगरिया) : उसका बिजली उत्पादन शुरू हो चुका है ?

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : हां जी, कमीशन हो चुका है अनूपगढ़ ब्रांच का ।

**श्री हेतराम बेनीवाल** : अनूपगढ़ ब्रांच पर बिजली उत्पादन किस तारीख से शुरू हुआ है ?

# Page No. 7



**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : अनूपगढ़ की लघु पन विद्युत उत्पादन योजना कमीशन हो चुकी है....

**श्री हेतराम बेनीवाल** : किस तारीख से बिजली उत्पादन शुरू हुआ है, यह बतायें जरा।

**श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** : आपको सम्बन्धित अधिकारियों ने गलत जवाब है, आपको गुमराह किया है....

**श्री हेतराम बेनीवाल** : उनसे पूछ लीजिए दुबारा।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप पूरा जवाब सुन लीजिए, पूरा उत्तर सुन लीजिए।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : जवाब तो अधिकारी ही देंगे।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय मंत्रीजी।

**श्री हेतराम बेनीवाल** : मंत्री महोदय यह बतायें कि कमीशन हो चुका है या शुरू हो चुका, आप इन दोनों में से कौन-सी बात कहना चाहती हैं ?

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : कमीशन हो हो चुका है।

**श्री हेतराम बेनीवाल** : शुरू नहीं हुआ ?

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : कमीशन का मतलब यही होता है, कमीशन का मतलब शुरू होना है....

**श्री हेतराम बेनीवाल** : बिजली उत्पादन शुरू नहीं हुआ, आपका कहना यह है ?

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : कमीशन होने का मतलब यही है कि वहां पर बिजली शुरू हो चुकी है।

**श्री हेतराम बेनीवाल** : कमीशन होने का मतलब बिजली शुरू होना है तो बतायें कि कहां हो रही है बिजली ?

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : कमीशन का मतलब यही होता है। मेरे को जानकारी यही दी गई है कि कमीशन हो चुका है।

**श्री हेतराम बेनीवाल** : अनूपगढ़ के माननीय सदस्य बैठे हैं, हम गंगानगर जिले के बैठे हैं, बतायें कि कहां पर बिजली शुरू हो रही है और कहीं लग रही है बिजली ?

**श्री अध्यक्ष** : आप पूरा जवाब तो सुन लीजिए। अभी वह जवाब दे रही हैं। माननीय सदस्य, एक मिनट।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : मुझे तो जो भी जानकारी दी गई है......

**श्री अध्यक्ष** : माननीय मंत्रीजी, एक मिनट। प्रश्नकाल का मतलब यही है कि सरकार से सूचनाएं प्राप्त करें। आपकी जानकारी देना लाजिमी नहीं है। उसकी जरूरत नहीं है बजाय इसके कि आप सरकार से...

**श्री हेतराम बेनीवाल** : अध्यक्ष महोदय, सूचनाएं सही तो होनी चाहिए।

**श्री अध्यक्ष** : अब यदि सही है या गलत है उसका निर्णय करने के लिए दूसरी प्रक्रिया है नियमों में, यहां डिबेट से नहीं होगा उस पर निर्णय, उसके लिए प्रक्रियाएं और हैं, उसका फॉलो करिए, हां मंत्री महोदय।

**श्री हेतराम बेनीवाल** : मंत्री महोदय, अपनी बात को स्पष्ट कहिये।

**श्री अध्यक्ष** : जैसा वह कह सकती हैं, वह रही हैं।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : देखिये, मुझे ऐसी जानकारी दी गई है कि अनूपगढ़ पन विद्युत उत्पादन योजना कमीशन हो चुकी है लेकिन कमीशन होकर के, हो सकता है जैसा कि आप कह रहे हैं, आज बन्द पड़ी हो। लेकिन यह आलरेडी कमीशन हो चुकी है इसलिए हो सकता है बिजली उत्पादन हुआ, हो सकता है आज किसी वजह से, खराबी के कारण, टेक्नीकल खराबी के कारण....

**श्री हेतराम बेनीवाल** : अध्यक्ष महोदय, हमें आप समझा दीजिए। कमीशन हो चुकी, फिर बन्द हो चुकी....

**श्री अध्यक्ष** : वह समझा रही हैं, आप बैठिये तो सही। उनके पास इन्फोर्मेशन आ रही है। आप सुनिये ना।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : सुनिये आप। कमीशन हो चुकी थी लेकिन टेक्नीकल खराबी होने के वजह से इस समय बन्द पड़ी है।

**श्री लालचन्द डूडी** (भादरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि यह कब कमीशन हुई, कब इसका काम शुरू हुआ और कितने दिन तक बन्द रही और दुबारा कब शुरू हुई? हुई या नहीं हुई? और वह टेक्नीकल खामी क्या थी और वह बन्द रहने में रोजाना की कितनी आमदनी का घाटा हुआ, वह भी आप बता दें।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : मैं आपसे निवेदन कर रही हूं, कमीशन हो गई थी, तकनीकी खराबी की वजह से आज के दिन बन्द पड़ी है। आप लोग यह सब बात कहते हैं कि कब शुरू हुई, कब बन्द हुई, क्यों हुई, क्या तकनीकी खराबी पाई गई, तो विस्तृत तौर से इसकी जांच कराकर फिर मैं आपको जानकारी दे दूंगी।

**श्री लालचन्द डूडी** : अध्यक्ष महोदय, उसकी जानकारी दीजिए निश्चित तौर पर और डिपार्टमेंट ने सही जानकारी नहीं दी है और मैं मंत्रीजी को आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि डिपार्टमेंट की इतनी लापरवाही को आप किस तरह से बर्दाश्त करेंगी? इन दोनों के बन्द रहने का कारण, एक का तो यह है कि एक का कपलिंग सेट टूट गया जिसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा एक लाख रुपया है और उसको टूटे हुए दो साल हो गए। वह एक लाख का सेट लाकर नहीं दिया गया। इसकी वजह से कितने हजार रुपये का रोजाना का घाटा पड़ रहा है? दूसरे के काम न करने का कारण यह है कि कम्पनी वालों ने यह कहा कि नहर का जो पानी

# Page No. 9

(9)



(श्री लालचन्द डूडी)

आता है उसमें सिल्ट आती है जिसकी वजह से हमारी मशीन काम नहीं कर पा रही है। आप हमें, दूसरा ट्यूब वैल खोद दीजिए ताकि ट्यूब वैल के पानी से हम चलायें। इस बात के झगड़े में इनके दो साल निकल गये। एक का बीच में न चलने का कारण यह है कि उसका एक बियरिंग खराब हो गया, टूट गया। यह बाल बियरिंग लाने में इनको दो साल लग गये। इनकी लापरवाही के कारण सरकार को कितने रुपये रोज का, कितने रुपये महीने का घाटा हुआ? मैं मंत्रीजी से उम्मीद करूंगा कि इस तरह की लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ आप कठोर कार्यवाही करें।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय श्री चुन्नीलाल इन्दलिया, आप प्रश्न पूछ रहे हैं?

**श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** : प्रश्न तो सारे पूछ लिए लेकिन खेद इस बात का है कि मंत्री महोदय ने जिस तरह का जवाब दिया, जिन लोगों ने उनको दिया, उन पर आप भरोसा मत करिये। हम भी आपके आदमी हैं, तथ्य जो आपको हम दे रहे हैं वह हम हकीकत बता रहे है। हम भी आपके वर्कर हैं और अच्छे वर्कर हैं। यह सही स्थिति बता रहे हैं। दो-दो साल से अध्यक्ष महोदय, लाखों का प्लांट बन्द पड़ा है, योजनायें ठप्प पड़ी हैं, मंत्री बड़ी से, +++ गलत जवाब भेज देते हैं....

**श्री अध्यक्ष** : आप सवाल पूछिए।

**श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** : आप उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेंगी? अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि क्या मंत्री महोदय गलत जवाब देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेंगी, उनको सजा देंगी?

**श्री हेतराम बेनीवाल** : मेरा एक सवाल है, मंत्री महोदय ने एक चारणवाला पूंगल के बारे में कहा तो मैं यह अर्ज करना चाहूंगा—उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि चारणवाला और पूंगल कब शुरू हो जायेगी? मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि यह चर्चा सिर्फ यहां ही नहीं है हमारे बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी चर्चा की है और उसमें भी उन्होंने विवरण दिया है कि बजट वाली बात सही है या आपकी वाली बात सही है। क्योंकि आपने तो बहुत साल बाद की बात की है। दूसरा यह कि जो आप कह रही हैं कि खराब हो गया मैं आपकी जानकारी के लिए कह दूं बिरदवाली में हमारा 11 करोड़ का प्लाण्ट है। 11 करोड़ का पावर हाऊस पूरा का पूरा खड्डे में चला गया, बरबाद हो गया। 11 करोड़ रुपया हमारी सरकार का बरबाद हो गया इन्जीनियर्स की तकनीकी गलती के कारण तो जो हमारे पावर हाऊस बन रहे हैं, जो तकनीकी रूप से जिस तरह से बन रहे हैं उसके बारे में हमारी सरकार को सोचना चाहिए। यह नहीं कि हम अधिकारियों

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री हेतराम बेनीवाल)

पर छोड़ दें और जवाब भी वह कहें वैसा दे दें। वह एक बार शुरू हुआ, कमीशन हुआ फिर टेक्नीकली खराब हो गया ...

**श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** : इसके बाद टूटने के नाम पर 2 लाख रुपये लेकर बैठे हैं।

**श्री अध्यक्ष** : जांच करा लेंगे मंत्री महोदय।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : मैं माननीय सदस्यों को यह जानकारी देना चाहूंगी कि अभी जैसा संगरिया से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे–आपने चारणवाला के बारे में पूछा था वह तो काम शुरू ही नहीं हुआ उसको तो री-कन्सीडरेशन में छोड़ रखा है।

**श्री हेतराम बेनीवाल** : मैं मुख्य मंत्री जी स्पीच पढ़ रहा हूं। सूरतगढ़, मांगरोल बांयी मुख्य नहर, पूंगल तथा चारणवाली लघु पन बिजली योजनाओं को इस वर्ष पूरा कर विद्युत उत्पादन चालू कर दिया जावेगा और इससे लगभग 12 मेगावाट उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। अध्यक्ष महोदय यह 1990–91 बजट है जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पेश किया है।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : बिराजें आप ठीक फर्मा रहे हैं। चारणवाला ब्रांच में चारणवाला लघु और चारणवाला माइक्रो दो यूनिट हैं। माइक्रो तो वह होती है जो डेढ़ यूनिट से कम होती है उस पर री-कन्सीडरेशन हो रहा है। लघु पन है चारणवाला ब्रांच में वह यदि 90-91 के अन्दर कमीशन करेंगे। मैंने 90 नही बताया, मार्च 91 बताया है। 90 में करते तो सही बात बता देती।

**श्री हेतराम बेनीवाल** : मैं मुख्य मंत्री जी की स्पीच पढ़ रहा हूं दोनों में से कौनसी सही है ?

**श्री अध्यक्ष** : वह स्पीच मार्च, 91 तक जायेगी। फाइनेन्शियल ईयर मार्च 91 तक है।

**श्री हेतराम बेनीवाल** : आप शुरू करने की बात कह रही हैं।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : मैंने कमीशन करने की बात कही है। आपने इण्टरप्रेट कर लिया मुझे 2 मार्च, 91 में कमीशन कर लेंगे।

**श्री अध्यक्ष** : मंत्री महोदय, आप जांच करवा लीजिए।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : जांच करवा लूंगी, जानकारी ले लूंगी, पूरी।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट, श्री सालिगराम, श्री गोविन्द सिंह गूजर।

### राज्य पथ परिवहन निगम की आय

101. **श्री सालिगराम** (बयाना) एवं **श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री सालिगराम)

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में प्रति बस से प्रति दिन औसत आमदनी खर्च निकाल कर कितनी है ?

(2) निगम में अनुबन्धित प्रति बस की औसत आमदनी निगम का खर्च निकाल कर प्रतिदिन कितनी है ?

(3) निगम की बसों व निगम में अनुबन्धित बसों की आय में अन्तर के क्या कारण हैं ?

**यातायात मंत्री** (डॉ. चन्द्रभान) : (1) वर्ष 1989—90 में संचालन आय में प्रतिदिन प्रति बस 97.52 रुपये का नुकसान हो रहा है। वर्ष 90–91 में अप्रेल व मई के आंकड़ों के अनुसार 7.26 रु. का प्रतिदिन प्रति बस का नुकसान रहा है।

(2) वर्ष 1989—90 में प्रति अनुबन्धित बस की औसत आय निगम का खर्च निकाल कर 136/– रुपये प्रति बस थी और वर्ष 90–91 में 317 रुपये प्रति बस है।

(3) निगम की बसों तथा अनुबन्धित बसों की प्रतिदिन की आय में अन्तर के निम्न कारण हैं :-

(अ) निगम की बसें प्रतिदिन सभी प्रकार के मार्गों पर औसतन 281 कि.मी. चलती हैं। अनुबन्धित बसें लम्बे रास्तों पर औसतन 378 कि. मी. प्रतिदिन चलती हैं। जिसके फलस्वरूप अनुबन्धित बसों को अच्छा यात्री भार मिलता है। निगम की बसों का सभी प्रकार के मार्गों पर चलने से औसतन कम यात्री भार मिलता है।

(ब) अनुबन्धित बसें प्रायः द्रुतगामी सेवायें प्रदान करती हैं जिसमें किराया साधारण वाहनों के किराये से अधिक होता है।

**श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय जी से पूछना चाहता हूं कि जो आंकड़े आपने बसों के दिये हैं उन आंकड़ों में आप स्वयं इस बात को मान रहे हैं कि जो हमारे निगम की बसें हैं उनसे और जो प्राइवेट बसेज आपने अनुबन्धित कर रखी हैं उनकी आमदनी में काफी अन्तर है और जो फिगर्स आपने दिए हैं, 89—90 में निगम की बसों से 97.52 रुपया प्रति बस की हानि हमें है, मैं समझता हूं कि निगम के इतिहास में 64--65 से जबसे निगम बना है तब से सर्वाधिक है। इसको आप खुद देख लें और इस प्रकार से जब बाद में 7.26 रु. का आंकड़ा दिया है, वह आपको मिस लीड करने के लिए दिया है। दो महीने ऐसे होते है, अप्रेल, मई के जो आपके पीक सीजन के होते हैं और 12 महीने का ऐवरेज निकालेंगे तो लगभग इससे ज्यादा आयेगा। इसलिए आप मिस लीड न हों।

दूसरा आपने जो कारण बताया है प्रश्न के तीसरे भाग में वह भी मिस लीड है, मेरे पास आपकी जो बुकलेट है उसमें सब बसों का औसत दिया गया है उसमें आपके पास अनुबन्धित बसें 56 हैं। 89—90 में 86 बसें अनुबन्धित थी। आज की तारीख

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

में 53–56 हैं इससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है जबकि आपकी तीन हजार बसें चल रही हैं। आपने बताया औसत 281 किलोमीटर निगम का है जबकि एवरेज है 89–90 का 149 किलोमीटर। मेरी समझ में नहीं आ रहा है 281 का फीगर किस आधार पर निकाला गया है और यह क्यों निकाला गया है? अगर आप इसके विगत में जायेंगे तो आप इस बात को देखेंगे कि निगम के अधिकारी और निगम के कर्मचारी है, वह इस बात की कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की कि हमारे यहां कोई बहुत बड़ा अन्तर इन अनुबन्धित बसों और हमारी बसों में नहीं है। जबकि वास्तविकता यह है कि बहुत बड़ा अन्तर है और इसी तरह जो दूसरा आपने कारण दिया कि हमारी जो द्रुतगामी बसें हैं वह तो अनुबन्धित बसें हैं और निगम की बसें हैं वह सिर्फ छोटे मार्गों पर इधर-उधर चलती हैं। लेकिन आपको खुद को तजुर्बा होगा कि जितनी भी इन्टर स्टेट बसें हैं वह आपकी निगम की चलती है। इनमें कभी मंत्री महोदय आप भी गये हों, भोपाल हो, चण्डीगढ़ हो चाहे और कोई दूसरे प्रदेश की राजधानी हो। 8 सौ किलोमीटर की आपकी बसें चल रही हैं।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : यह क्या पूछ रहे हैं?

**श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** : मैं आपसे पूछ रहा हूं वह आपके बस की बात नहीं है।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : आपके बस की बिल्कुल नहीं है, आप घबरा गये उत्तर से ही।

**श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** : यह कोई +++ सवाल नहीं है।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : यह कोई +++ सवाल नहीं है, यह सवाल प्रश्नों का है। आप उत्तर देखते ही घबरा गये। कम से कम यह बात बताओ, आप मंत्री रहे हो, कि आप पूछना क्या चाहते हो?

**श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** : मैं जो पूछना चाह रहा हूं वह मंत्रीजी समझ रहे हैं और मैं समझ रहा हूं।

**एक माननीय सदस्य** : पहले यातायात मंत्री रामकिशन जी थे न इसलिए गड़बड़ थी अब ठीक हो जायेगा।

**श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** : आप ठीक कर लें, मैं तो उसके लिए कुछ नहीं कहता। मंत्री महोदय, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, आरोप नहीं लगा रहा हूं। मंत्री महोदय को यह बताना चाह रहा हूं कि निगम में घाटा हो रहा है। आज आप कह रहे हैं कि 7 करोड़ और कुछ का घाटा है। थोड़े दिनों के बाद आपके अधिकारी यह सारे आंकड़े देकर मिसलीड करके यह कहेंगे कि आप किराया और बढ़ाओ और किराया बढ़ाने की जब बात आयेगी..........

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री सम्पत सिंह (नगर) : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि दो दाढ़ी वाले आपस में न मालूम क्या बतिया रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : देखिये, उत्तर सफेद और काली का है। मंत्री महोदय, जवाब देंगे अब।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मैं एक बात और पूछ लूं, साहब। यह आपने 281 किलोमीटर का जो औसत निकाला है, मेरे लिहाज से यह गलत है। यह आपकी जो किताब है इसी में 149 दिया हुआ है। इसके लिए मैं आपसे एक बात अवश्य कहना चाहूंगा ......

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अभी मंत्री नहीं हैं। भूले नहीं आप ?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : आप क्या चाहती है, सुमित्राजी ?

श्री अध्यक्ष : वह आपका वहम बनाये रखना चाहते हैं।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : ठीक है, बड़ी मेहरबानी। मैं अध्यक्ष महोदय, यह कहना चाह रहा था कि अगर इन्हीं आंकड़ों के ऊपर आपने विश्वास कर लिया तो मैं समझूंगा कि आप जो तरक्की करना चाहते हैं, जो परिवर्तन लाना चाहते हैं और आम जनता के लिए जो फायदा देना चाहते है उन फायदों से आप महरूम रह जायेंगे। इस निगम में घाटे का सबसे मोटा कारण वहां के ओवरहैड चार्जेज का अनाप-शनाप होना है। आपको शायद ध्यान होगा, पांच जिप्सी खरीदी गयी हैं, पांच जिप्सी। एक-एक आगार में एक-एक जिप्सी। उन पर 25 लाख रुपए हर महीने का खर्चा। वहां के चेयरमेन साहब और एम. डी. साहब को जो वाहन सुविधाएं दे रखी हैं उनका खर्चा। एक नया सिस्टम इण्ट्रोड्यूज किया है कि चैकिंग एक ही स्थल पर होगी। अब जो कण्डक्टर है उसको 100 रुपए देकर आपने पूरी छूट दे दी कि वह चाहे जो कुछ कर सकता है। यह सब मोटे-मोटे कारण हैं, मैं इन सब कारणों को छुपाकर आपको जिस तरह से फीड किया जा रहा है, समझता हूं कि आप इन बातों में न आकर एक बात का ध्यान रखेंगे कि किराया मेहरबानी करके इनके कहने से न बढ़ायें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मैंने जो सवाल पूछे हैं....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये आप।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : रिपीट कर दूं मैं ?

श्री अध्यक्ष : हां, बिराजिये मंत्री महोदय। मंत्री महोदय, आप बिराजिये और आपने जो सजेशन दिये हैं उनको नोट कर लीजिए और उसके मुताबिक उस लाइट में काम करिये। नैक्स्ट क्वश्चन।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मैंने सवाल पूछा है।

# Page No. 14

(14)



**श्री अध्यक्ष** : आपने जो बयान दिया है वह उन्होंने नोट कर लिया।

**श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** : नहीं, मैं बयान नहीं दे रहा हूं, मैं सवाल पूछ रहा रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष** : आप सवाल पूछ रहे हैं कि अपनी तरफ से इन्फार्मेशन दे रहे हैं ?

**श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** : सवाल पूछ रहा हूं, साहब।

**श्री अध्यक्ष** : आपने सुझाव दिए हैं, उन्होंने नोट कर लिये।

**श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** : सवाल पूछ रहा हूं और उसका एक्सप्लेनेटरी....

**श्री अध्यक्ष** : आपने दो बातें कही हैं कि किराया बढ़ाने से पहले फिगर्स की जांच कर लें कि वह गलत फिगर्स दे रहे हैं आपको। जांच कर लेंगे वह। आगे आपने उनको सलाह दी है कि जो भी कदम उठाना हो, सोच-समझकर उठायें। सोच-समझकर उठा लेंगे। क्या जवाब देंगे वह ?

**श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** : अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि आप भी मेरे सवाल को नहीं समझ सके। मैं सवाल सीधा पूछ लेता हूं।

क्या यह सच है कि 97.52 रु. प्रति दिन का जो नुकसान हो रहा है, वह अभी तक निगम के इतिहास में सबसे अधिक है ? मेरा दूसरा प्रश्न, मंत्री महोदय, यह है कि आपने निगम की बसों का 281 किलोमीटर का जो औसत दिया है, यह गलत है जबकि 149 किलोमीटर का है। क्या यह सही है, मंत्री महोदय, कि जो अनुबन्धित बसें हैं उनकी संख्या घट गयी है ? 1989-90 में यह संख्या 86 थी, जिसमें आप बता रहे हैं कि द्रुतगामी सेवाओं में चलती हैं इसलिए इनको ज्यादा लाभ होता है। केवल 45 बसें लम्बी दूरी की हैं और 41 बसें साधारण चल रही हैं, इसलिए यह जो "ब" का "व" है यह भी गलत है।

**श्री अध्यक्ष** : बिराजिये, माननीय मंत्रीजी, यह तीन इनके पाइण्टेड क्वश्चन हैं, जवाब दे दीजिए।

**डा. चन्द्रभान** : माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल यह उठाया है माननीय सदस्य ने, कि अनुबन्धित बसें राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लिए ज्यादा अनुकूल रहेंगी और निगम की जो बसें हैं इनसे हानि होती है। 97 रुपए 52 पैसे पिछले साल रही हैं, वह मैंने आपको जवाब दिया हैं। इस वर्ष 7 रुपए 26 पैसे, दो महीने का आंकड़ा है अप्रेल और मई। मैं यह मान सकता हूं कि पीक सीजन है .......

**श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** : आप मिसलीड़ मत होओ, यह दो महीने का पीक पीरियड है।

**डा. चन्द्रभान** : मैं मानता हूं इसको कि यह पीक सीजन है, लेकिन आगे के सीजन का भी आप इन्तजार कीजिए। यह निगम की उपलब्धि है। इसी के साथ मैंने

(डा. चन्द्र भान)

आपको कहा कि द्रुतगामी बसों का किराया ज्यादा होता है और ज्यादातर बसें जो अनुबन्धित लेते हैं, द्रुतगामी ही चलती हैं। यह 10 पर्सेन्ट बसें है और 90 पर्सेन्ट साधारण होती हैं। निगम की बसों का तो एवरेज आता है। घाटे की एक वजह यह है कि निगम के वाहनों में 33 पर्सेन्ट वाहन सात वर्ष से अधिक पुराने हैं। इनके रख-रखाव, संधारण व संचालन पर अधिक खर्चा आता है। अनुबन्धित वाहन दो या तीन वर्ष पुराने होते हैं, सात वर्ष में अधिक पुराने अनुबन्धित वाहन होते नहीं हैं। इसलिए नेचुरल है कि उनकी मेंन्टिनेन्स कास्ट कम आती है। हमारे पास ज्यादा स्टाफ है, सरप्लस स्टाफ है। उसको हम कम करते जा रहे हैं। 2500 के आसपास ज्यादा कर्मचारी हैं, वह भी पुरानी सरकार की मेहरबानी है। कैसे उनको सस्पेण्ड किया, टर्मिनेट किया और वह फिर से कोर्ट के आदेश लेकर आ गये। आदेश लेकर आने के बाद हमको उनको 11 और 12 करोड़ के पास रुपया देना पड़ा।

एक बात और कहना चाहूंगा कि राजस्थान गरीब प्रदेश है इसलिए पुरानी बसों से भी काम चलाना पड़ता है। लेकिन हम निगम की बसों की संख्या बढ़ा रहे हैं अनुबन्धित बसों की संख्या बढ़ा रहे है। इसके लिए सरकार एक योजना बना रही है। मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि फिलहाल 52 बसें हमारे पास अनुबन्धित हैं और इन बसों की संख्या हम बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए आपको शायद जानकारी होगी कि हम लोगों ने अलग से किराये की दरें फिक्स की हैं। इसी बारे में कहना चाहूंगा कि 1982 से 1985 मॉडल की बसों का किराया जो दो रुपए बीस पैसे प्रति किलोमीटर था, उसको हम दो रुपए पचहत्तर पैसे कर रहे हैं। पहले 350 किलोमीटर की दूरी थी, अब 300 किलोमीटर की दूरी तय की है क्योंकि पुरानी बसें ब्रेकडाउन हो जाती हैं। इसी तरह 1986 से 1989 के बीच के मॉडल की बसों का किराया दो रुपए चालीस पैसे पर किलोमीटर था, 1985 से 1989 के माडल की बसों का किराया दो रुपए पिच्यासी पैसे प्रति किलोमीटर देने के लिए निगम तैयार है। एडवरटाइजमेंट इसके लिए कर दिया गया है। 1988-89 के माडल की बसें जो देना चाहते हैं, उनके लिए हमने दो रुपए पिचानवे पैसे और दो रुपए पचहत्तर पैसे प्रति किलोमीटर और 300 और 350 किलोमीटर तय कर दिया है। 1990 की माडल बसों के लिए हमने तीन रुपए कर दिया है और 300 किलोमीटर चलें और दो रुपए अस्सी पैसे 350 किलोमीटर तक। डीलक्स और वीडियो कोचेज के बारे में भी सरकार विचार कर रही है।

निगम की बसों और अनुबन्धित बसों के बारे में एक बात और कहना चाहूंगा कि निगम की एक बस 8.7 लोगों को रोजगार देती है, जो कि अनुबन्धित बसें नहीं देती हैं अनुबन्धित बसों पर पांच रुपये एक पैसे का खर्चा आता है और उनकी आय है पांच रुपए सैंतीस पैसे। इसके लिए भी कहना चाहूंगा कि अनुबन्धित वाहनों के स्वामी हमें किराया देते हैं और

(डा. चन्द्रभान)

सरकार को विशेष पथ कर का उन्हें भुगतान करना पड़ता है। निगम वाहन संचालन से सम्बन्धित कर्मचारियों को वेतन देता हैं, भत्ते देता है, उसका भार उठाता है। वाहन स्वामी को केवल वाहन स्वामी को केवल वाहन का पथ कर, चालक व्यय और वाहन के संधारण का व्यय वहन करना पड़ता है। मतलब, इससे ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। यह भी सरकार की नीति के तहत हैं।

आपने एक सवाल और उठाया कि यह 281 किलोमीटर का आपका एवरेज सही नहीं है। पिछले साल निगम की बसें एक साल में 29 करोड़ किलोमीटर चली हैं और बसें थीं 305. अब आप ही इसका एवरेज निकाल लें।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय विश्नोई जी।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** (फलौदी) : आपने घाटे के कई अन्य कारण बताये, लेकिन मैं समझता हूं कि घाटे का सबसे बड़ा कारण यह है कि आपकी रेवेन्यू का लीकेज है। इसका उदाहरण एक ही ले लीजिए, चालीस या पचास सीट की बस है, लेकिन सभी माननीय सदस्य जानते है कि वे ओवरलोडेड चलती हैं। कण्डक्टर आपको जो हिसाब देता है वह सीट तक का ही देता है या ओवरलोडेड का भी हिसाब देता है ?

**डा. चन्द्रभान** : मैं इससे सहमत हूं कि निगम में लीकेज है। लेकिन लीकेज रोके जाने के लिए चैकिंग प्रणाली है उसको हमने प्रभावी बनाया है और यही वजह है कि निगम में प्रतिवर्ष जो घाटा 97.52 पैसे था यह अब 7.26 पैसा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस तरह से निगम की कार्य प्रणाली में सुधार किया जायगा और इस साल के अन्त में जो 97.52 पैसे का घाटा है उसको कम करके छोड़ेंगे यह सरकार की इच्छा शक्ति है।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : यह कण्डेक्टर्स जो हिसाब देते हैं, जैसे 50 सीट की बस है वह 50 का ही हिसाब देते हैं या उसमें 60 यात्री बैठते हैं तो उसका भी हिसाब देते हैं ?

**डा. चन्द्रभान** : देखिये गाड़ी में जो भी बैठते हैं, यह मैं मानता हूं कि जैसे पीक सीजन की जो आपने चर्चा की, निगम के पास वाहनों की संख्या कम है हमने 400 नई बसों का प्रयोजन रखा है। निगम की बसेज जो ओवरलोड चलती हैं जितनी सवारियां बैठती है उनके हिसाब से ही कण्डेक्टर्स को हिसाब देना होता है चाहे वह 60 हो चाहे 70 हो या चाहे 50 हो सभी का हिसाब देना पड़ता है।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट।

श्री हरीश झामनानी।

**अजमेर में इलेक्ट्रोनिक्स आधारित उद्योग**

102. **श्री हरीश झामनानी** (अजमेर पश्चिम) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हरीश भामनानी)

(1) क्या सरकार अजमेर में साक्षरता के प्रतिशत को देखते हुए इलेक्ट्रोनिक्स पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने का विचार कर रही है ?

(2) क्या राज सीको द्वारा अजमेर में कच्चा माल उद्योगों हेतु पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? पर्याप्त माल कब उपलब्ध कराया जायेगा ?

(3) क्या राज सीको द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे कच्चे माल के रख-रखाव हेतु शेड अजमेर में उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो कब बनाया जायेगा ?

**उद्योग मंत्री** (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (1) राज्य में इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में साक्षरता के प्रतिशत को आधार नहीं माना गया है। जो भी व्यक्ति इस उद्योग की स्थापना हेतु आवेदन करता है, योजना पूर्ण पाये जाने पर उद्योग स्थापना हेतु आवश्यक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) यह सही है कि अजमेर जिले की लघु उद्योग इकाइयों को कच्चा माल राज्य के अन्य जिलों में स्थित इकाइयों की तरह ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता है।

इसका कारण यह है कि जो कच्चा माल राजसिको द्वारा वितरित किया जाता है उसकी कुल उपलब्धता ही पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में कुल उपलब्ध कच्चे माल को प्रत्येक जिले की आवश्यकता के अनुपात में बांट कर प्रत्येक जिले को कच्चा माल उपलब्ध करवाया जाता है। जब तक कि देश में कच्चे माल की उपलब्धता वास्तविक आवश्यकता से कम रहेगी तब तक राजस्थान को भी कच्चा माल राज्य की आवश्यकता अनुसार प्राप्त होना सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति में यह कहना कठिन है कि अजमेर जिले को कब तक कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाया जा सकेगा ? निगम का हर सम्भव प्रयास यही रहता है कि उपरोक्त मजबूरियों में अधिक से अधिक कच्चा माल प्राप्त किया जाय और जो भी माल हमें दिया जाये इसे प्राप्त किया जाय लैप्स नहीं होने दिया जाय। इस प्रकार निगम शत प्रतिशत कच्चे माल को प्राप्त कर वितरण कर रहा है।

(3) वर्तमान में निगम का अजमेर आगार जिला सैनिक बोर्ड से किराये पर लिए गये स्थान पर चलाया जा रहा है। शेड के न होने से कोई कठिनाई विशेष का अनुभव नहीं किया जा रहा है। जब भी कोई समस्या होगी तो शेड का निर्माण करवा लिया जावेगा।

**श्री हरीश भामनानी** : क्या यह सही है कि अजमेर जिले में पिछले काफी समय से वर्षा का अभाव है और वर्षा के अभाव के कारण पानी की कमी है और पानी की कमी के कारण से वहां पर वॉटर बेस इण्डस्ट्रीज लग नहीं पायी है और वर्तमान में इण्डस्ट्रीज है वह भी चल नहीं पा रही है इस कारण से राजस्थान में अजमेर जिले को साक्षरता के आधार पर नये बजट में

(श्री हरीश झामनानी)

अजमेर जिले को सम्पूर्ण साक्षर जिला बनाये जाने की जो योजना हैं उसके आधार पर अजमेर जिले को सारे राजस्थान में इलेक्ट्रोनिक उद्योग नगर बनाने की दृष्टि से राज्य सरकार इस प्रकार का सर्वे करवाने की योजना रखती है ?

**श्री कृष्ण कुमार गोयल** : अध्यक्ष जी, जैसा मैंने कहा कि केवल साक्षरता का कोई आधार नहीं है जो भी व्यक्ति इलेक्ट्रोनिक आधार पर अजमेर के अन्दर उद्योग लगाना चाहता हैं उसे पूर्ण रूप से सहयोग दिया जाता है। इसलिए माननीय सदस्य का यह कहना कि किसी भी प्रकार का उसके अन्दर''' '''

**श्री अध्यक्ष** : नहीं, वह यह चाहते हैं कि साक्षरता के आधार पर कोई विशेष ध्यान देंगे क्या ? यह पूछ रहे हैं।

**श्री कृष्ण कुमार गोयल** : ऐसा है जैसा कि अभी बजट के अन्दर इलेक्ट्रोनिक के आधार पर आधारित कारखानों को प्रोत्साहित करने के लिए कई इन्सेन्टिव्ज सेल्स टैक्स के आधार पर दिये गये हैं और जो नयी योजना बन रही है उस योजना के आधार पर भी इलेक्ट्रोनिक के आधार पर कारखाने राजस्थान में अधिक से अधिक आयें यह प्रयत्न किया जा रहा हैं। मैं माननीय सदस्य को यह कहना चाहूंगा कि अजमेर के अन्दर जितने भी उद्योगपति अगर इन कारखानों को लगाना चाहते हैं तो उनको सहयोग दिया जायेगा लेकिन मैं माननीय सदस्य की सूचना के लिए कहना चाहूंगा कि अभी तक अजमेर में इलेक्ट्रोनिक उद्योग लगाने के लिए केवल 21 प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत हुये थे जिनमें से 20 को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और एक पेंडिग है वह जून माह में ही मिली है उसमें कमी है, उस कमी को पूरा करवाया जा रहा है तो मैं समझता हूं कि अजमेर के अन्दर इलेक्ट्रोनिक उद्योग लगाये जाने के लिए किसी प्रकार की रोड़ा या बाधा नहीं है, किसी प्रकार की रोड़ा या बाधा दी गयी हैं वह ठीक नहीं है, अधिक से अधिक उद्योग अजमेर आयें, यह सच है कि अजमेर में पानी की कमी है और इसीलिए हम चाहते है कि इलेक्ट्रोनिक के आधार पर जितने उद्योग अजमेर में अधिक से अधिक आयें हम उनको पूरा सहयोग देंगे, प्रोत्साहन देंगे। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : वह तो कहा ना दे रहे हैं, किसी को रोका नहीं है, सब को दे देंगे।

**श्री हरीश झामनानी** : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और है।

दूसरा प्रश्न यह है कि कच्चे माल के सम्बन्ध में एक तरफ उत्तर यह है कि माल की उपलब्धता न होने के कारण माल कम वितरित होता है और दूसरा नीचे लिखा है कि इस प्रकार का शत प्रतिशत कच्चा माल प्राप्त कर वितरण किया जाता है। मेरा यह कहना है कि उद्योगों में क्षमता को निर्धारित करके, उनकी केपेसिटी असेसमेण्ट करके जो माल देने के लिए

(श्री हरीश भामनानी)

राज्य सरकार नीति निर्धारित करती है वह शत प्रतिशत न देकर केवल 12 प्रतिशत माल उद्योगों को दिया जाता है। क्या यह सही है ?

**श्री कृष्ण कुमार गोयल** : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह कहना बिलकुल सच है कि जितनी आवश्यकता है और जितनी राजस्थान में अपने उद्योगों की केपेसिटी है उसको देखते हुए माल का आवंटन बहुत कम है लेकिन यह भ्रान्ति माननीय सदस्य की किसी प्रकार का प्रश्न के उत्तर में विरोधाभास है वह ठीक नहीं है। जितना अलाटमेण्ट हमको विभिन्न एजेन्सियों से, सेन्ट्रल गवर्नमेण्ट से होता है वह शतप्रतिशत प्राप्त किया जाता है, कोई माल लेप्स नहीं हुआ और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कच्चा माल उपलब्धता के आधार पर देश के अन्दर है वह अधिक से अधिक राजस्थान को मिले, उसका हम प्रयास कर रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट। माननीय श्री रामेश्वर प्रसाद जी गुर्जर। (व्यवधान)

आप बिराजें। आपको बहुत मौका मिल गया।

**श्री हरीश भामनानी** : अन्तिम एक सवाल और ले रहा हूं।

क्या यह सही है कि कच्चा माल जो केवल 12 प्रतिशत दिया जाता है उसके साथ उद्योगों को माल लेने के लिए जो उनकी केपेसिटी है, असेसमेण्ट पास बुक में नहीं लिखा हुआ है, माल जो उनके काम में नहीं आता है क्योंकि वह बाजार भाव से कुछ सस्ता मिल रहा है इसलिए कलम्ब करके दूसरे माल को उनके साथ जोड़ दिया जाता है, जो उस उद्योग के काम नहीं आता है, क्या यह सत्य है ?

**श्री कृष्ण कुमार गोयल** : अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई जानकारी मेरे ध्यान में नहीं है लेकिन अगर माननीय सदस्य इस प्रकार की जानकारी बतायेंगे तो मैं इनकी जानकारी करवा लूंगा।

**श्री अध्यक्ष** : आप इनको जानकारी दे देना।

नेक्स्ट। माननीय श्री रामेश्वर प्रसाद जी गुर्जर।

### रामगढ़ बांध जयपुर को पर्यटक स्थल बनाना

103. **श्री रामेश्वर प्रसाद गुर्जर** (जमवारामगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रामगढ़ बांध, जयपुर को पर्यटक स्थल हेतु विकसित करने की दृष्टि से इस बांध पर विभागीय विश्राम गृह निर्माण की क्या कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(2) विभाग की ओर से उक्त बांध पर क्या-क्या नये कार्य करवाये जाने प्रस्तावित है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त बांध

(श्री रामेश्वर प्रसाद गुर्जर)

के पेटे में मिट्टी भरी हुई है ? यदि हां, तो कितने फीट ?

(4) क्या राज्य सरकार बांध में भरी हुई मिट्टी को खुदवाने का विचार रखती है ?

**राज्य मंत्री, सिचाई** (श्री जीवराज कटारा) : (1) जी नहीं।

(2) कोई नहीं।

(3) जी हां, मोरी के समीप लगभग चौदह फीट छः इंच मिट्टी जमा है।

(4) जी नही।

**श्री रामेश्वर प्रसाद गुर्जर** : माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड दो में जवाब मिला है कोई नहीं। मेरा निवेदन यह था, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जयपुर के पास में इतना महत्वपूर्ण बांध है जयपुर में पिकनिक की दृष्टि से या सिचाई की दृष्टि से दौसा तक खेती होती थी, स्टेटे टाइम में जयपुर को पूरा पानी मिलता था। उसमें इन सिंचाई विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से आज जो 14 फीट की मोरी के समीप मिट्टी बतायी है यह 25–30 फीट पानी का पेटा मिट्टी से भरा हुआ है। इतनी लम्बी चौड़ी सिंचाई और पर्याप्त पानी की क्षमता के बांध को आंख मून्दकर जवाब दिया जा रहा है कि इसका आगे कोई प्लान नहीं है, वर्क नहीं है। तो मै आपसे यह पूछना चाहता हूं कि इतने महत्वपूर्ण बांध के बारे में सरकार कुछ आगे कार्य करना चाहती है, विचार रखती है या नहीं ?

**श्री अध्यक्ष** माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

आप पूछिये।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सभी को विदित है कि एशियाड से जुड़ने के बाद इस बांध पर देशी और विदेशी नागरिक काफी बड़ी संख्या में पर्यटन के लिये जाते हैं उनके टहरने का, जल पान आदि के लिये जो यहां पर एक मात्र सरकारी रेस्टोरेन्ट था वह भी शिफ्ट कर लिया गया है। मैं समझती हूं कि इसमें कोई आवश्यकता नहीं है बिल्कुल यह आपके दिमाक जैसी कोई बात नहीं आयी तो आप इस सदन को आश्वस्त करें, आप योजना बनायें या प्रभावशाली रूप से इसको डवलप किया जा सके और वहां जाने वाले लोगों को कुछ सुख-सुविधा उपलब्ध करवाये ताकि लोग वहां जायें, रूचि लें और वहाँ के लोगों को उसका लाभ मिले। माननीय मंत्री महोदय उत्तर दें।

**श्री विजयसिंह झाला** (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह तालाब अब हमारे पास नहीं है, यह जो बांध है वह अब पी. एच. ई. डी. के पास है, पी. एच. ई. डी. इसका सारा पानी ले रहा है और वह कोई पैसा दे तो हम इसकी मरम्मत करवा सकते हैं अन्यथा मरम्मत भी नहीं करवा सकते हैं तो अब वह तालाब हमारे पास नहीं है। (व्यवधान)

# Page No. 21

(21)



**श्री अध्यक्ष** : लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य। आप बिराजें।

**श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है, जब सिंचाई के लिए इस बांध का उपयोग नहीं हो रहा है, जब पर्यटन विभाग इसको लेना चाहता है, पी.एच.ई.डी. विभाग लेना चाहता है तो सिंचाई विभाग इसका रख-रखाव क्यों कर रहा है ? क्यों नहीं दूसरे डिपार्टमेंट जैसे पर्यटन हो, पी. एच. ई. डी. हो, उनको दे दिया जाये। क्योंकि प्लान का पैसा तो सिंचाई विभाग में जयपुर का आता है। करोड़ों रुपये इस सिंचाई के नाम पर खर्च हो जाते हैं और सिंचाई एक बीघा जमीन की भी नहीं होती है।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय मंत्रीजी।

**श्री विजयसिंह झाला** : अध्यक्ष महोदय, 19/7/71 को यह सारा पानी पी. एच. ई. डी. के लिये रिजर्व करने का आदेश हो चुका था और 1983-84 में कुछ पानी सिंचाई के लिये दिया गया था वह रिजर्व पानी भी हम से लेलिया गया। उसके बाद यह हमारे पास में नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : आप जिन मंत्रीजी को पूछ रहे हैं उनके पास में यह विभाग रहा ही नहीं है।

**श्री रामेश्वर प्रसाद गुर्जर** : अध्यक्ष महोदय, 1984 के बाद सिंचाई हेतु वसूल किया गया है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : क्या आप रुपया खर्च कर रहे हैं ?

**श्री विजयसिंह झाला** : बजट में कोई प्रावधान नहीं है और नही यह हमारे पास है। (व्यवधान)

**श्री महावीरप्रसाद जैन** : अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें एक स्पेशिफिक सवाल है........

**श्री अध्यक्ष** : इनके पास है ही नहीं.... श्री नवनीत लाल नीनामा। (व्यवधान)

माननीय सदस्य, जब यह कह रहे हैं कि बांध का पानी पी. एच. ई. डी. को दे दिया है। उनके पास है ही नहीं।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : मंत्री महोदय की यह बात सही है कि जलदाय विभाग के पास चला गया हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि जलदाय विभाग अपना पूरा दायित्व सम्भाल नहीं रहा। दस आदमी अभी भी चोरी करके सिंचाई कर रहे हैं। यह तो तीन विभाग पर्यटन, सिंचाई और जलदाय के पास है। तीनों ही अपना उत्तरायित्व वहन नहीं कर रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष** : अब आप जलदाय विभाग से पूछिये। श्री नवनीत नीनामा (व्यवधान)

**श्री रामनारायण वर्मा** : क्या यह बाँध सिंचाई विभाग अपनी प्रोपर्टी नहीं मानता है, अपने उसमें नहीं मानता है ? क्या इसको ट्रांसफर कर दिया ? क्या सिंचाई विभाग के अधिनस्थ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं .........

**श्री अध्यक्ष** : अब आप विराजिये । श्री नवनीत लाल नीनामा ।

**सामाजिक वानिकी योजना की समीक्षा**

104. **श्री नवनीत लाल नीनामा** (घाटोल) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पौधा रोपण के सम्बन्ध में सामाजिक वानिकी योजना में अनेक खामियां हैं जिस कारण काफी व्यय उपरान्त भी जीवित पौधों का प्रतिशत कम रहता है और निरर्थक व्यय होता है ?

(2) यदि हां, तो ऐसी स्थिति में क्या सरकार इसकी समीक्षा कर इसमें सुधार करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या, और नहीं, तो क्यों ?

**वन मंत्री** (श्रीमती मदन कौर) : (1) जी नहीं । सामाजिक वानिकी योजना में कोई विशेष खामियां नहीं हैं । योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों की क्रियान्विति सफलता पूर्वक की जा रही है । परन्तु कुछ कार्यक्रम जैसे कृषि वानिकी हाऊस होल्ड फार्म फोरेस्ट्री आदि में वांछित सफलता प्राप्त नहीं हुई है । इन कार्यक्रमों में मूल्यांकन पश्चात सुधार लाने के प्रयत्न निरन्तर किये जा रहे हैं । अतः योजना में किये गये व्यय को निरर्थक नहीं माना जा सकता है ।

(2) जी हां । मूल्यांकन की प्रकोष्ठ की सुझाव समीक्षा कर विभाग द्वारा वृक्षारोपण क्षेत्र में सुधार हेतु समय समय पर कार्यवाही की जाती रही है । विभाग के मूल्यांकन प्रकोष्ठ द्वारा मूल्यांकन किये जाने के अलावा प्रत्येक वर्ष विश्व बैंक एवं यू. एस. ए. आई. डी. के तकनीकी सलाहकार समय समय पर सामाजिक वानिकी योजना के विभिन्न कार्यों की समीक्षा करते हैं एवं इस योजना को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये भी सुझाव राज्य तथा केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करते हैं ।

**श्री नवनीत लाल नीनामा** : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि प्रश्न एक में जो उत्तर दिया है कि सामाजिक वानिकी योजना में किसी प्रकार की खामी नहीं है । क्या यह उत्तर सही है ? यदि हां तो किस प्रकार ? इसी में नम्बर दो, क्या यह सही है कि पौधरोपण कार्यक्रम योजना चालू है व जंगल की बरबादी भी बराबर चालू है ? यदि हां, तो क्या राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा नीति परिक्षण करा पौध रोपण लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस प्रकार और नहीं, तो क्यों ?

**श्रीमती मदन कौर** : अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने अपने उत्तर के भाग एक में निवेदन किया है कि इस सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत जो कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं उनमें वांछित सफलता नहीं मिल पाई और इसीलिए कृषि वानिकी योजना और हाऊस होल्ड फार्म फोरेस्ट्री की प्राथमिकता अब काफी नीचे आ गई है । इसके अलावा भी जो वृक्षारोपण के कार्यक्रम सड़क के किनारे नहरों के किनारे चलाये

( श्रीमती मदन कौर )

जा रहे हैं वह भी काफी मंहगे हैं। इसलिये समीक्षा करने के बाद इन तीन कार्यक्रमों के ऊपर पुनर्विचार चल रहा है और इसमें सुधार की गुंजाइश है और सुधार किये जायेंगे।

**श्री नवनीत लाल नीनामा** : अध्यक्ष जी, नम्बर तीन में यह है कि क्या राज्य व केन्द्र सरकार माह अप्रेल व मई में पुरानी झाड़ियों के ठूंठ की कटिंग करा जंगल बढोतरी पर विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार? नम्बर चार; क्या राज्य सरकार वनों के कटाव, ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

**श्रीमती मदन कौर** : माननीय अध्यक्ष जी, वन विभाग में ठेकेदारी प्रथा को तो समाप्त कर दिया गया है पहले से। इसके अलावा जो माननीय सदस्य ने सवाल पूछा तो जो परिभाषित वन हैं उनको ठीक करने के लिये तो काफी अच्छे वृक्षारोपण हुये हैं और जिन विभिन्न मूल्यांकन करने वाली संस्थाओं ने नतीजे दिये है उसमें भी 65 प्रतिशत तक सफलता मिली है। बांस के मामले में तो मैं अपनी खुद की जानकारी के आधार पर निवेदन करना चाहती हूं बहुत ही अच्छे इसके नतीजे निकले हैं। जहां ठूंठ तैयार किया गया या नये पौधे लगाये गये उनके नतीजे भी बहुत अच्छे सामने आये हैं।

**श्री अध्यक्ष** : नैक्स्ट। श्री चम्पालाल जी बांठिया।

**श्री नवनीत लाल नीनामा** : अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है पूरे दक्षिणी राजस्थान के जंगल समाप्त कर दिए गए।

**श्री अध्यक्ष** : अब आप बैठिये। एक सवाल और हो जायेगा। आप बिराजिये।

**श्री नवनीत लाल नीनामा** : वन मंत्री महोदया मेरा यह निवेदन है कि दक्षिणी राजस्थान में करोड़ों रुपया कई वर्षों से खर्च किया जा रहा है और जंगल दिनों-दिन बरबाद होता जा रहा है। अब मेरा यह निवेदन है कि दक्षिणी राजस्थान में जो सागवान के पेड़ हैं, जो लगाने की योजना सरकार की है वह गलत है। अप्रेल और मई के महिने में पुरानी झाड़ियों का कटाव करके, जंगल की बढ़ोतरी करके, यह मेरा सुझाव है कि जंगल की बढ़ोतरी हो।

**श्री अध्यक्ष** : मंत्री जी, सुझाव नोट करें। अब आप मंत्री जी को सुझाव दे देना।

**श्री नवनीत लाल नीनामा** : मेरा सुझाव है कि इस दक्षिणी राजस्थान की जो पहाड़ियां नंगी हो गई हैं उनको हरी-भरी बनाने के लिये सरकार विशेष विचार करे। यह मेरा केन्द्र और राज्य सरकार से सुझाव है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री चम्पालाल जी बांठिया।

## बाल पोषाहार केन्द्रों में अनियमिततायें

105. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) :

(1) क्या राज्य सरकार की जानकारी में है कि बाल पोषाहार केन्द्रों का संचालन ज्यादातर राज्य कर्मचारी, पंच, सरपंच अथवा विभाग के कर्मचारियों की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है और विभाग में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार वर्तमान में प्रचलित इस व्यवस्था को समाप्त कर गुजरात राज्य में प्रचलित योजना अनुसार आरम्भ करने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि पूर्व सरकार ने गुजरात राज्य जैसी योजना प्रचलित करने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो इसे कब तक प्रारम्भ करने का विचार है ? क्या यह भी सही है कि पूर्व सरकार ने कोई योजना प्रचलित करने का वचन सदन में दिया था ? यदि हां, तो यह योजना सरकार अब कब प्रारम्भ कर देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग** (श्री रामेश्वर दयाल यादव) :

(1) जी नहीं । बाल पोषाहार केन्द्र का संचालन करने के लिये निर्धारित नियमों के अनुसार योग्यता रखने वाली महिलाओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति दी जाती है । भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा उचित स्तर से जांच कराने की कार्यवाही की जाती है ।

(2) जी नहीं ।

(3) इस प्रकार का आश्वासन विधान सभा सचिवालय से नहीं मिला है । प्रश्न नहीं उठता । जी हां । इस प्रणाली का परीक्षण कर उचित निर्णय लिया जायेगा ।

**श्री चम्पालाल बांठिया** : अध्यक्ष महोदय जी, मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिये हैं उनसे सदन किसी तरह से सन्तुष्ट नहीं है । इस विषय पर पहले भी अनेक बार यहां पर चर्चा हो चुकी है और मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि इस मामले में भंयकर भ्रष्टाचार है । मेरे क्षेत्र में तो खास तौर से मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जितने विभाग के कर्मचारी हैं या पटवारी हैं, सरपंच हैं, पंच हैं या वहां पर ग्राम सेवक है उनकी पत्नियां ही इसके अन्दर खास तौर से लगी हुई हैं । आज जरूरतमंद आदमी और योग्य आदमी की पत्नि को या महिला को किसी प्रकार से वहां पर काम नहीं दिया जाता है और सारा का सारा माल लगभग बाजार में बिकता है । सब की सब आंगनबाड़ियों में फर्जीवाड़ा चल रहा है । और यह मामला स्पष्ट रूप से आया है ।

मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि कितने मामले आपके सामने भ्रष्टाचार के आये और उनके अन्दर आपने क्या निर्णय लिया ? कितने लोगों को आपने सजा दिलवाई ? क्या किसी मामले के अन्दर एफ. आई. आर में लाज की गई है ?

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि गुजरात राज्य के अन्दर इस योजना को बहुत ही अच्छे प्रकार से चलाया जा रहा है । पहले भी यह बात सदन में आयी है कि कुछ निजी संस्थाएं जो अपनी ओर से कुछ पैसा

(श्री चम्पालाल बांठिया)

और मिलाकर के इस काम को बहुत ही व्यवस्थित ढंग से उन गांवों के अन्दर यह पोषाहार की योजना चल रही है। क्या राज्य सरकार घबराती है? अन्य राज्यों की तरह अपने राज्य के अन्दर भी इस प्रकार की कोई योजना प्रारम्भ करने का विचार रखती है? तीसरा मेरा प्रस्ताव है कि....

**श्री अध्यक्ष** : बैठिये। समय समाप्त हो रहा है।

**श्री चम्पालाल बांठिया** : राशन कार्ड बनाने के लिए पिछली सरकार ने यहां पर स्वीकार किया था कि बहुत जल्दी राशन कार्ड के हिसाब से कार्ड दिये जायेंगे ताकि महिलाओं को और उन बच्चों को यह मालूम हो सके कि हमारा राशन कार्ड कहां गया? हमारी खुराक कहां गयी? इस प्रकार की व्यवस्था सरकार ने अभी तक क्यों नहीं की, क्या कारण है?

**श्री रामेश्वर दयाल यादव** : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया वह ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का पद जिस पर उनकी नियुक्ति की जाती उसकी एक समिति गठित हो रखी है। जिसमें बाल विकास परियोजना अधिकारी विकास अधिकारी, प्राथमिक चिकित्सा के प्रभारी अधिकारी, तीन अधिकारियों की कमेटी है वह उसका चयन करती है किसी पंच, सरपंच या कर्मचारी या और कोई जन प्रतिनिधि की तकनीकी की कोई यह डिस क्वालिफिकेशन नहीं है कि उसका उसमें चयन नहीं हो सकता। जहां तक महिला पर्यवेक्षक की नियुक्ति का प्रश्न है उसमें क्वालिफिकेशन स्नातक, गृह विज्ञान, पोषाहार, समाज शास्त्र, सामाजिक कार्य है। नियुक्ति के लिए एक कमेटी का गठन किया हुआ है। क्षेत्रीय उप निदेशक बाल विकास निदेशालय का प्रतिनिधि, वरिष्ठ बाल परियोजना अधिकारी, जहां तक भ्रष्टाचार का प्रश्न है उसमें मैं कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार की जो शिकायतें आई हैं, सरकार ने उनकी जांच करवायी है। कुल 430 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें से नियम 16 के तहत जो विचाराधीन है वह 38 है, निस्तारित 4 और 34 पेण्डिग है। 4 जो निस्तारित की गयी उनमें तीन को दण्डित किया गया एक निर्दोष पाया गया। नियम 17 के तहत विचाराधीन जांच हमारे पास 131 है। निस्तारित 85 है और पेण्डिग 46 है। 85 के अन्दर 61 को दण्डित किया गया 24 निर्दोष पाये गये। जहां तक माननीय सदस्य ने कहा कि पिछले विधान सभा के अन्दर इस तरह का आश्वासन दिया, मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि 30 मार्च 1989 को जो आश्वासन दिया हैं। चौहटन से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया था राशन कार्ड बनाने का। मैं विश्वास दिलाता हूं कि राशन कार्ड बना दिये जायेंगे ताकि इससे असुविधा भी नहीं हो और हमें पता भी लगता रहे कि कितनी सामग्री कितनों को मिली। माननीय अध्यक्ष महोदय, 30 मार्च 1989 के बारे में पिछली सरकार ने न तो इसमें कोई परीक्षण किया न कोई निर्णय किया। अब इस आश्वासन का हम परीक्षण कर रहे हैं। व्यवहारिक पाया जाने पर

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

सरकार उचित निर्णयलेगी।

**श्री चम्पालाल बांठिया** : अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और सारे राजस्थान में भयंकर रूप से घपला हो रहा है। इस पैसे का बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : आप बैठिये ना। माननीय मन्त्री गुजरात का जो पैटर्न है उस पर भी विचार करिये। नैक्स्ट।

**श्री चम्पालाल बांठिया** : कार्ड सिस्टम चालू करने में क्या आपत्ति है साहब? कार्ड हो जायेगा तो हर एक मांग कर सकता है, देख तो सकता है।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न काल समाप्त होता है।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिए परि–शिष्ट 1 देखें।)

## अतारांकित प्रश्नोत्तर

### बूंदी जिले के ग्रामों में पेयजल व्यवस्था

125. **श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)** : क्या जन–स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि बूंदी जिले के ग्राम बलवन में पेयजल की भारी समस्या है, जिसके बारे में निरन्तर निवेदन के बाद भी कार्यवाही नहीं की गई है?

(2) क्या सरकार अब बलवन ग्राम में पेयजल व्यवस्था हेतु ट्यूबवैल खुदा कर पम्प एण्ड टैंक व्यवस्था चालू करने की व्यवस्था करेगी?

**उत्तर**

(1) ग्राम बलवन में पूर्व में स्वीकृत हैण्डपम्प योजना के अन्तर्गत लगाये गये चार हैण्डपम्पों में दो हैण्डपम्प सूख गये परन्तु एक नया हैण्डपम्प लगाया जाकर वर्तमान में 3 हैण्डपम्प चालू हैं।

(2) वर्तमान में ऐसे प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

### ग्रामीण क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट पर व्यय

126. **श्री रामनारायण बैरवा (निवाई)**: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के तहत स्ट्रीट लाइट लगाने का भी प्रावधान रखा जाता है?

(2) क्या यह सही है कि कुछ विद्युतिकृत ग्रामों में ग्राम पंचायतों द्वारा स्ट्रीट लाइट पर बल्ब लगाये गये हैं, परन्तु ग्राम पंचायतों के आय के साधन न होने व भुगतान न होने के कारण अधिकतर ग्रामों में स्ट्रीट माइट के विद्युत कनेक्शन काट दिए गए हैं?

(3) क्या सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करने का इरादा रखती हैं कि ग्रामों में स्ट्रीट लाइट का व्यय सरकार

(श्री राम नारायण बैरवा)

अपने राजकोष से करे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हाँ, ग्रामीण विद्युतिकरण योजनाओं के अंतर्गत कुछ श्रेणी की स्कीमों में स्ट्रीट लाइट हेतु एल.टी. लाइनें खेंचने का प्रावधान रखा जाता है। लेकिन इनमें विद्युत सम्बन्ध गांव का विद्युतिकरण होने के पश्चात सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा आवेदन करने व अन्य नियमानुसार औपचारिकताएँ पूर्ण करने के बाद देने का प्रावधान है।

(2) जी हाँ, यह सही है कि कुछ विद्युतिकृत ग्रामों में ग्राम पंचायतों द्वारा स्ट्रीट लाइट पर बल्ब लगाये गये हैं, परन्तु विद्युत उपभोग की राशि का भुगतान न होने के कारण ग्रामों में स्ट्रीट लाइट के विद्युत कनेक्शन नियमानुसार काटे गये हैं।

(3) जी नहीं। फिलहाल विद्युत उपभोग का खर्च सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा ही वहन करने की व्यवस्था है।

**पंचायत समिति टोडाभीम एवं नादोती में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र**

127. **श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे –

(1) पंचायत समिति टोडाभीम एवं नादोती में कुल कितने प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र क्रियाशील हैं ? केन्द्र का नाम, शिक्षक का नाम तथा लाभान्वित व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उन केन्द्रों पर गत 5 वर्षों में अब तक कितनी-कितनी राशि व्यय हुई है ? केन्द्र की मदवार व्यय राशि की पृथक पृथक सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति टोडाभीम में 300 और पंचायत समिति नादोती में 60 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चल रहे हैं। दोनों पंचायत समितियों के केन्द्र के नाम, अनुदेशक का नाम, लाभान्वित व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) पंचायत समिति टोडाभीम में फरवरी, 1990 से ही केन्द्र प्रारम्भ हुए हैं। पंचायत समिति नादोती में वर्ष 1987 से आरम्भ हुए हैं। वर्ष 1987, 88 व 89 का मदवार व्यय विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है।)

**बाड़मेर एवं जैसलमेर में पशुओं हेतु पेयजल**

128. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर व जैसलमेर की पेयजल योजना में पशुओं के पीने के पानी की व्यवस्था का कोई प्राव-

(श्री अमीन खां)

धान नहीं है ? यदि हां, तो सरकार भविष्य में पशुओं के पीने के पानी की क्या व्यवस्था करने पर विचार कर रही है ?

उत्तर

बाड़मेर व जैसलमेर जिले की समस्त पेयजल योजनाओं से वर्तमान में पशुओं के पीने के लिए पानी की मात्रा का प्रावधान है।

**चूरू में अतिरिक्त विद्युत उपखण्ड कार्यालय**

129. **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) विद्युत विभाग में नियमानुसार कितने उपभोक्ता पर एक उपखण्ड कार्यालय स्थापित किया जाता है ? चूरू तहसील में कितने उपभोक्ता हैं ? क्या उपभोक्ता की संख्या के आधार पर सरकार चूरू उपखण्ड में एक अतिरिक्त उपखण्ड कार्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक उक्त कार्यालय खोल दिया जायेगा ?

(2) चूरू तहसील में कितने राजस्व गांव व ढाणिया ऐसी हैं जहां विद्युतिकरण अब तक नहीं हुआ है तथा भविष्य में शेष का कब तक विद्युतिकरण कर दिया जायेगा ?

(3) क्या यह सही है कि चूरू तहसील के करनपुरा गाँव में 33/11 के. वी. ग्रिड सब-स्टेशन पिछले दो वर्ष से स्वीकृत होने के बाद भी उसका निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ हो जावेगा ?

(4) विद्युत विभाग को हरिजन बस्तियों के विद्युतिकरण हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा विगत 5 वर्षों में कितनी राशि प्रतिवर्ष स्वीकृत की गई ? जिलेवार, वर्षवार आवंटित राशि के आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(5) पंचायत समिति चूरू के कितने गांवों में हरिजन बस्तियों में विद्युतिकरण होना शेष है तथा कब तक विद्युतिकरण हो जावेगा ?

उत्तर

(1) विद्युत मण्डल द्वारा 1969 में जारी ओ. एण्ड एम. पैटर्न के अनुसार अन्य शर्तों के साथ 5,000 से 12,000 उपभोक्ता होने पर एक वितरण उपखण्ड स्थापित किया जाता है। वितरण उपखण्ड स्थापित करने के प्रस्तावों पर विचार करते समय मानदण्डों के साथ-साथ प्रशासनिक सुविधा, भविष्य में कार्यभार का विस्तार, सम्भावित राजस्व में बढ़ोत्तरी, वित्तीय भार एवं मण्डल की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाता है। इस वर्ष मार्च में चूरू उपखण्ड में विभिन्न श्रेणी के 15395 उपभोक्ता थे। चूरू तहसील में अतिरिक्त उपखण्ड कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) चूरू तहसील में कुल 91 ग्राम हैं। जिनमें से माह मार्च, 1990 तक 88 ग्रामों का विद्युतिकरण किया जा चुका है। शेष 3 अस्वीकृत ग्रामों के विद्युतिकरण के बारे में अभी निश्चित रूप के कुछ कह पाना सम्भव नहीं है। जनगणना पुस्तिका में ढ़ाणियों का कोई अलग से उल्लेख नहीं होता है, लेकिन किसी भी विद्युतिकृत ग्राम की ढ़ाणियों में विद्युत सम्बन्ध देना होता है तो अलग से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वो गांव के साथ ही विद्युतिकृत समझी जाती हैं।

(3) जी हां, चूरू तहसील के करनपुरा गाँव में 33/11 के.वी. का सब-स्टेशन वर्ष 1988-89 में स्वीकृत किया गया था, लेकिन वित्तीय साधनों के सीमित होने के कारण कार्य नहीं किया जा सका। इसके निर्माण का कार्य योजना में उपलब्ध प्रावधान के अनुसार वार्षिक कार्यक्रम में सम्मिलित किये जाने पर सम्भव हो सकेगा। अतः अभी निश्चित समयावधि बताना सम्भव नहीं है।

(4) हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा विगत 5 वर्षों में विद्युत मण्डल को कोई राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है।

(5) चूरू तहसील की निम्न 6 स्वीकृत हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया जाना शेष है जिनका विद्युतीकरण वर्ष 1990-91 में पूर्ण करने की योजना है—

1. हरिजन बस्ती बालासर तबरान
2. हरिजन बस्ती रानासर
3. हरिजन बस्ती वार्ड नं. 1 चूरू
4. हरिजन बस्ती वार्ड नं. 8 चूरू
5. हरिजन बस्ती वार्ड नं. 9 चूरू
6. हरिजन बस्ती ढाढर।

**भीलवाड़ा आगार की रात्रिकालीन बस सेवा**

130. **श्री रतनलाल जाट** (सराडा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि भीलवाडा आगार से संचालित होने वाली बसें शिड्यूल के अनुसार नहीं चल रही हैं यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार का भीलवाड़ा से देवगढ़ बस पुनः आरम्भ किये जाने व करेड़ा से गंगापुर, आसीन्द से विजयनगर, भीलवाड़ा से जयपुर वाया कोटड़ी प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ?

(3) क्या सरकार भीलवाड़ा आगार से बन्द हुई बसों को शिड्यूल के आधार पर चलवाने का विचार रखती है ?

(4) क्या राज्य सरकार भीलवाड़ा से सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद, रात्रिकालीन बस सेवायें संचालित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

( ) जी नहीं। केवल दो अनुसूचित सेवायें (भीलवाड़ा–गंगापुर एवं भीलवाड़ा-कांकरोली) पर्याप्त यात्री भार की अनुपलब्धता के कारण बन्द की गई है। शेष 63 अनुसूचित सेवाओं का संचालन यथावत किया जा रहा है।

(2) जी नहीं। यह मार्ग अराष्ट्रीयकृत है। साधनों के अभाव में अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर बस सेवा चालू करना सम्भव नहीं है।

(3) भीलवाड़ा से गंगापुर एवं कांक–रोली के लिए, उपलब्ध यात्रीभार के अनुसार वर्तमान में 18 द्रुतगामी एवं 22 साधारण बस सेवायें संचालित हैं, जो पर्याप्त हैं।

(4) जी नहीं। यह अन्तर्राज्यीय मार्ग वे। भीलवाड़ा से सूरत, बड़ौदा, अरमदाबाद रात्रिकालीन बस सेवायें संचालित करने का निगम का अभी कोई विचार नहीं है।

रानीवाड़ा-रेवदर सड़क मार्ग

131. **श्री रतना राम चौधरी** (रानीवाड़ा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) क्या यह सही है कि रानीवाड़ा वाया जाखड़ी, रतनपुन, धानोल, बड़गांव, निम्बज, हणादरा, रेवदर मार्ग पर आवा–गमन में बेहद असुविधा होती है। यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

(2) क्या उक्त मार्ग पर बस संचालन हेतु अनुज्ञा-पत्र चाहे गये ? यदि हाँ, तो क्या अनुज्ञा-पत्र प्रदान कर दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों व अत्र कब तक व्यवस्था कर दी जायेगी ?

(3) क्या यह सही है कि पूर्व में उक्त मार्ग हेतु जो अनुज्ञा–पत्र दिया गया वह रानीवाड़ा से धानोल तक का ही था ? क्या उक्त मार्ग को अब निम्बज तक बढ़ा दिया गया है ? यदि हां, तो कब और कितने किलोमीटर ? क्या बढ़ाये गये मार्ग पर बसें निम्बज तक नियमित चलती हैं ? क्या उक्त मार्ग में वृद्धि नियमान्तर्गत हैं ? यदि हां, तो किस प्रकार से ?

उत्तर

(1) वस्तुत: यह मार्ग चाटवाड़ा से थानोल वाया लाखावास, राणीदर, मन्डा, रानीवाड़ा खुर्द, रानीवाड़ा कला, जाखड़ी थानोल है। वर्तमान में इस मार्ग पर तीन वापसी सेवायें संचालित हैं। मार्ग के यात्रियों को आवागमन की असुविधा नहीं है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में अनुज्ञा-पत्र के कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।

(3) जी नहीं, सर्वप्रथम जो अनुज्ञा-पत्र जारी किये गये थे वह चाटवाड़ा से थानोल वाया जाखड़ी, रानीवाड़ाकला रानीवाड़ाखुर्द मेडा लखारवास मार्ग के लिए दिये गये थे। इस मार्ग का तीन विभिन्न चरणों में वृद्धिकरण करने के उपरान्त इसे बलवन्तपुरा

(यातायात मंत्री)

तक बढ़ा दिया गया है। निम्बज तक की दूरी का वृद्धिकरण तो पूर्व में ही दिनांक 18–3–89 को किया जा चुका था। निम्बज तक वृद्धिकृत किये गये मार्गों की दूरी 29 किलोमीटर है। मार्ग की बसें निम्बाडा तक नियमित चलती हैं। मार्ग के वृद्धिकरण की कार्यवाही मोटर वाहन अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत की गई है। अतः वृद्धिकरण नियमान्तर्गत है।

**अजमेर जिले में पोषाहार केन्द्र**

132. **श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) अजमेर जिले में पोषाहार कार्यक्रम के कितने केन्द्र हैं और उनका संचालन कौन कर रहे हैं तथा यह केन्द्र किस स्थान पर स्थित है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन पोषाहार केन्द्रों पर क्या-क्या सामग्री वितरित की जाती है व उसका सत्यापन तथा निगरानी की क्या व्यवस्था है ?

**उत्तर**

(1) अजमेर जिले 80 में पोषाहार केन्द्र ब्यावर, केकड़ी, नसीराबाद, पुष्कर, किशनगढ़ एवं विजयनगर में चल रहे हैं। इन केन्द्रों का संचालन जन विकास परिषद केकड़ी, भूतपूर्व सैनिक कृषि सहकारी समिति, नसीराबाद, डॉ. श्यामा बाग हास्पिटल, पुष्कर, लायन्स क्लब, किशनगढ़, मानव विकास समाज, विजयनगर द्वारा किया जा रहा है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इसके अतिरिक्त अजमेर शहर में 100 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है जिनका संचालन विभाग द्वारा किया-जा रहा है जिसकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) पोषाहार केन्द्र पर गेहूँ का दलिया दाल, पाम ऑयल, गुड़ नमक से तैयार पोषाहार सामग्री का वितरण किया जाता है। इनका सत्यापन व निगरानी पोषाहार निरीक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी, अजमेर एवं क्षेत्रीय उपनिदेशक (बाल विकास), भीलवाड़ा द्वारा किया जाता है। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार के रूप में मुरमुरे व पंजीरी का वितरण किया जाता है। इनका सत्यापन तथा निगरानी महिला पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी, अजमेर एवं क्षेत्रीय उप निदेशक (बाल विकास), भीलवाड़ा द्वारा किया जाता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

**प्रशासनिक मामलों में महिलाओं की भागीदारी**

133. **श्री राजेन्द्र पारीक** (सीकर) **श्री गोविन्द सिंह गूर्जर** (नसीरावाद): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) महिला विकास कार्यक्रम में प्रशासनिक मामलों में महिलाओं की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की गई हैं ?

(श्री राजेन्द्र पारीक)

(2) क्या हैण्ड-पम्पों के रख-रखाव, उचित मूल्य की वस्तुओं का वितरण, बैंकों में खाते खोलने, ऋण व पेन्शन आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने आदि विषयों में कोई महिलाओं की भागीदारी हेतु उक्त कार्यक्रम में कोई निर्देश राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हैं ? यदि हां; तो प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या इस कार्यक्रम को पी. डी. व इडारा (IDAR ) में समन्वय की समस्या को हल करने की कोशिश की गई है ? यदि हां, तो कितनी सफलता के साथ ?

उत्तर

(1) महिला विकास से सम्बन्धित समस्त प्रशासनिक निर्णय अभिकरण की गवर्निंग कौंसिल द्वारा लिए जाते हैं जिसमें जिला कलेक्टर अध्यक्ष है. परियोजना निदेशक सदस्य सचिव, जिला इदारा की प्रतिनिधि, 3 प्रचेता, एक साथिन, जिले की तीन महिला सामाजिक कार्यकर्ता महिला सदस्य होते हैं । समस्त प्रशासनिक निर्णय में उपरोक्तानुसार समस्त सदस्यों की भागीदारी होती है । यदि महिलाओं के शोषण एवं अत्याचार के मामले सामने आते हैं तो जिला प्रशासन एवं पुलिस की मदद ली जाती है ।

(2) जी नहीं, इस तरह के कोई निर्देश राज्य सरकार ने नहीं दिये हैं अपितु महिला विकास कार्यक्रम के मासिक प्रगति प्रतिवेदन में 19 बिन्दु चिन्हित किये गये हैं इसे सिर्फ परियोजना निदेशकों की रिपोर्टिंग संबंधित सुविधा के लिए किया गया है । इसके अलावा भी महिला विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्य गतिविधियां की जाती हैं ।

(3) जी हां, इस कार्यक्रम में पी. डी. एवं इडारा में समन्वय स्थापित करने की कोशिशें की गई हैं । दोनों इकाइयों का एक साथ क्षेत्रीय भ्रमण कार्यक्रम बनाया जाता है व बैठकें की जाती हैं तथा दोनों से संयुक्त प्रतिवेदन लिया जाता है । यह कोशिश काफी हद तक सफल रही है ।

**विधान सभा क्षेत्र अटरू में अवैध खनन**

134. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) विधान सभा क्षेत्र अटरू के बडौरा, चैनपुरिया, निमोदा में जंगलात की भूमि पर अवैध खनन हो रहा है ?

(2) यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिए क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। अटरू विधान सभा क्षेत्र के बडौरा में जंगलात की भूमि पर अवैध खनन हो रहा है । चैनपुरिया व निमोदा में कोई अवैध खनन नहीं है ।

(2) अवैध खनन कर्ताओं के विरुद्ध नियमानुसार केस पंजीकृत कर दिया अदालत में कार्यवाही जेरकार है । इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में स्टाफ में पर्याप्त वृद्धि की गई है तथा उडन दस्ते को इस क्षेत्र में गश्त कर अवैध खनन रोकने के निर्देश दिये गये हैं ।

**राज्य में वन विकास कार्य का मूल्यांकन**

135. **श्री सालिगराम** (बयाना) एवं **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 5-6-90 को "विश्व पर्यावरण दिवस" पर केन्द्रीय वन राज्य मंत्री एवं राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि राजस्थान में वन विभाग द्वारा व्यय की गई राशि के मुकाबले में वन विकास कार्य नगण्य रहा है ?

(2) क्या सरकार गत 10 वर्षों के वन विकास कार्यों का मूल्यांकन आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के क्षेत्र निरीक्षकों से करवा कर वन विकास कार्यों में बरती गई लापरवाही, अपव्ययता, वन विनाश के लिए दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) जी नहीं।

(2) सन् 1979 से पूर्व विभाग के कार्यों का मूल्यांकन आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के क्षेत्रीय निरीक्षकों द्वारा करवाया जाता था परन्तु 1979 के पश्चात विभाग में मूल्यांकन इकाई की स्थापना हो जाने से वृहद स्तर पर विकास कार्यों का मूल्यांकन कार्य इस इकाई द्वारा करवा कर इसमें सुधार लाने के प्रयास किये जाते हैं।

मूल्यांकन की वास्तविक भूमिका सकारात्मक है एवं मूल्यांकन के पश्चात वृक्षारोपण कार्यों में जो कमी पायी जाती है तो उसे भविष्य में सुधारने के लिए आवश्यक प्रयास किया जाता है। फिर भी यदि किसी व्यक्ति विशेष की लापरवाही का उदाहरण सामने आता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है।

**धार्मिक स्थलों के समीप शराब की दुकानें**

136. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले में सार्वजनिक स्थानों व बस्तियों में तथा धार्मिक स्थल, स्कूल के आस-पास शराब की दुकानें खुली हैं ? यदि हां, तो क्या इनको अनुज्ञा प्रदान की गई है ?

(2) यदि नहीं, तो क्या अनधिकृत दुकानदारों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त स्थानों पर लगी इन दुकानों को हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) कोटा जिले में सार्वजनिक

(आबकारी मंत्री)

स्थानों, बस्तियों तथा देवस्थान विभाग में पंजीकृत धार्मिक स्थलों एवं स्कूलों के आस पास शराब की दुकान चलाने का अनुज्ञा-पत्र जारी नहीं किया गया है।

(2) कोटा जिले में अनाधिकृत शराब की दुकान चलाने की कोई जानकारी विभाग के पास नहीं है। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

**निर्यात परामर्श डिविजन**

137. **श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान लघु उद्योग निगम के अन्तर्गत स्थापित निर्यात परामर्श डिविजन ने अपने स्थापना काल से अब तक कितने हैन्ड-आउट्स निकाले, कितनी कार्यशालाएं आयोजित कीं, कितने प्रोडक्ट्स के लिये कितना डेस्क रिसर्च किया व राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात डाटा प्रकोष्ठ द्वारा कितना परीक्षण किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सैल की वित्तीय व्यवस्था हेतु पर्याप्त धन की उपलब्धि की क्या योजना है ?

**उत्तर**

(1) राजस्थान लघु उद्योग निगम के अन्तर्गत स्थापित निर्यात परामर्श डिविजन ने अपने स्थापना वर्ष 1984-85 से अब तक निम्न प्रयास किये हैं :—

(अ) निर्यात प्रोत्साहन के लिए निम्न प्रकाशन (हैन्ड-आउट्स) निगम द्वारा निकाले गये : –

1. गेटिंग स्टार्ट इन एक्सपोर्ट

2. एक्सपोर्ट इन्सेंटिव्ज

3. प्रोसीजर्स डोक्यूमेन्टेशन एण्ड आर्गेनाइजेशन फ्रेम वर्क फोर एक्सपोर्ट प्रमोशन।

(ब) निर्यात प्रोत्साहन हेतु निगम द्वारा निम्न सर्वेक्षण किये गये :—

1. एक्सपोर्ट पोटेन्शियल आफ मिनरल्स फ्राम राजस्थान।

2. एक्सपोर्ट पोटेन्शियल आफ एग्रो-बेस्ट आईटम्स।

3. डेस्क रिसर्च रिपोर्ट आफ इंजीनियरिंग गुड्स प्रोवाइडेड बाई एस. एस. आई. यूनिट।

4. डाइरेक्शन आफ एक्पोर्टस् आफ हैण्डीक्राफ्ट्स एण्ड जैम एण्ड ज्वेलरी फ्राम इण्डिया एण्ड राजस्थान।

(स) निर्यातकों को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न परिषदों के साथ कार्यशालाओं का भी निगम द्वारा आयोजन किया जाता है जिसके माध्यम से निर्यातकों द्वारा उठाई गई समस्याओं पर सम्बन्धित अधिकारियों से विचार-विमर्श कर उचित निर्णय की

(उद्योग मंत्री)

सिफारिश की जाती है। निगम द्वारा आयोजित कार्यशालायें निम्न प्रकार हैं :-

1. उद्योग भवन परिसर में एक कार्यशाला का आयोजन 17 नवम्बर 1984 को किया गया।

2. एक दिवसीय कार्यशाला सिरस्का टाइगर डेन, अलवर में दिनांक 12-7-85 को आयोजित की गई।

3. निगम एवं (एफ. आई. ई, ओ.) फियो, नई दिल्ली के सौजन्य से दिनांक 9-3-89 को जय महल पैलेस होटल, जयपुर में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

4. निगम एवं टी. डी. ए. नई दिल्ली के सौजन्य से दिनांक 14-9-1989 को जय महल पैलेस, जयपुर में एक कार्यशाला आयोजित की गई।

(द) इसके अलावा निर्यातकों को बढ़ावा देने हेतु निगम द्वारा समय-समय पर राज्य स्तरीय पुरस्कारों का भी वितरण किया जाता है।

(2) निर्यात परामर्श डिविजन की स्थापना निगम द्वारा वर्ष 1984-85 में की गई। इस सैल पर वर्ष 87-88 तक जो भी व्यय हुआ वह निगम द्वारा ही वहन किया गया। तत्पश्चात् वर्ष 1988-89 में इस सैल पर हुआ व्यय राज्य सरकार से रु. 3.10 लाख अनुदान राशि के प्राप्त हुए। वर्ष 1989-90 में इस सैल के व्यय के लिए राज्य सरकार से रु. 3 40 लाख की राशि प्राप्त हुई, जो इस सैल पर व्यय हो चुकी है।

### साक्षरता परियोजनायें

138. **श्री राजेन्द्र पारीक** (सीकर) : एवं **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) विभाग में साक्षरता की कौन-सी परियोजनाएं चल रही हैं ?

(2) प्रत्येक योजना के क्या वर्षवार लक्ष्य थे ? उसमें क्या उपलब्धि रही ?

(3) क्या यह सही है कि साक्षरता परियोजनाएं लक्ष्य-प्राप्त करने में विफल रही हैं व निरक्षरता का प्रतिशत बढ़ा है ? यदि नहीं, तो विगत 5 वर्षों के आंकड़े सदन की मेज पर रखें ?

(4) यदि हां, तो विभाग इस असन्तुलन को समाप्त करने हेतु क्या प्रयास कर रहा है ?

### उत्तर

(1) औपचारिक शिक्षण संस्थाओं के अतिरिक्त विभाग में साक्षरता हेतु निम्नलिखित विशिष्ट परियोजनायें चल रही हैं :—

1. राज्य प्रौढ़ शिक्षा परियोजनायें।

(शिक्षा मंत्र

2. ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनायें।

3. स्वैच्छिक संस्थाओं की परियोजनायें।

4. सीमान्त क्षेत्रीय शिक्षा विकास परियोजनायें।

(2) औपचारिक/अनौपचारिक शिक्षण संस्थाओं में 53.29 लाख नामांकन लक्ष्य तथा उसके विरुद्ध उपलब्धि 52.97 लाख रही। प्रत्येक परियोजना में वर्षवार लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं व उपलब्धियां प्राप्त की जाती हैं वर्ष 1989–90 में प्रत्येक परियोजनाओं में नामांकन उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं :—

| परियोजनायें | लक्ष्य (प्रौढ़) | उपलब्धि (प्रौढ़) |
|---|---|---|
| 1. राज्य प्रौढ़ शिक्षा परियोजनायें | 102000 | 103660 |
| 2. ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनायें | 288000 | 290525 |
| 3. सीमांत क्षेत्रीय विकास परियोजनायें | 27000 | 26678 |
| 4. स्वैच्छिक संस्थाओं की परियोजना | 217200 | 115441 |

(3) जी नहीं। निरक्षरता प्रतिशत का घाटा है। साक्षरता/निरक्षरता प्रतिशत के आंकड़े वर्षवार एकत्र नहीं किये जाते हैं यह आंकडे जनगणना द्वारा प्रत्येक दस वर्ष बाद प्राप्त होते हैं।

(4) उपलब्धियों में गुणात्मक व संख्यात्मक प्रगति हेतु विभाग सतत प्रयत्नशील है।

**नोनेरा बिरोदा लघुपन विद्युत गृह**

139. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही हैं कि कोटा जिले की पीपल्दा तहसील में नोनेरा तथा बिरोदा के पास लघुपन विद्युत गृह निर्माण किये जाने की विपुल सम्भावना है ?

(2) यदि हां, तो क्या उक्त स्थानों का सर्वे हुआ है ? यदि हां, तो उस पर आगे कार्यवाही नहीं किये जाने का क्या कारण है ?

(3) क्या सरकार जनहित में उक्त स्थानों का पुनः सर्वे कराकर लघुपन विद्युत गृह निर्माण किये जाने की व्यवस्था करेगी ?

# Page No. 37

(37)



**उत्तर**

(1) जी नहीं।

(2) उक्त स्थानों पर पन विद्युत गृह बनाये जाने की सम्भावनाओं का पता लगाने हेतु पूर्व में प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया गया था, जिसके अनुसार इन स्थानों पर तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टिकोण से पन विद्युत गृह लगाया जाना उपयुक्त नहीं पाया गया। अतः इस हेतु आगे कार्यवाही नहीं की गई।

(3) पूर्व में की गई सर्वे के पश्चात् स्थिति में परिवर्तन होने पर ही पुनः सर्वेक्षण की कार्यवाही हेतु विचार किया जा सकता है।

**लालसोट के ग्रामों का विद्युतीकरण**

140. **परसादीलाल मीणा** (लालसोट): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले में कितने ग्रामों का विद्युतिकरण किया जा चुका है तथा कितने गांवों का विद्युतिकरण किया जाना शेष है? कृपया विद्युतिकरण से वंचित गांवों की सूची पंचायत समिति वार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जयपुर जिले में सबसे कम गांवों का विद्युतीकरण पंचायत समिति लालसोट में हुआ है? यदि हां, तो क्यों? पंचायत समितिवार विद्युतिकृत गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समिति लालसोट के सभी गांवों को विद्युतीकृत करने की योजना की स्कीकृत ग्रामीण विद्युत निगम से मिल गयी है? यदि हां, तो स्वीकृत गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) पंचायत समिति, लालसोट के शेष सभी गांवों को विद्युतिकृत करने की स्वीकृति कब तक जारी कर दी जावेगी?

**उत्तर**

(1) जयपुर जिले में माह मार्च, 1990 तक 2330 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। 480 ग्रामों का विद्युतिकरण किया जाना शेष है। विद्युतिकरण से वंचित ग्रामों की पंचायत समितिवार सूची "अ" संलग्न है।

(2) जी हां। यह पंचायत समिति जिले की दूसरी सबसे अधिक ग्रामों वाली पंचायत समिति है, जिसमें मार्च, 1990 तक 155 ग्राम विद्युतिकृत हो चुके हैं। क्षेत्र में उपयुक्त विद्युत प्रणाली (ट्रान्समीशन सिस्टम) न होने के कारण ग्रामीण विद्युतिकरण निगम की योजना स्वीकृत होने के उपरान्त भी विद्युतीकरण द्रुतगति से नहीं हो पाया। जिले में पंचायत समितिवार विद्युतिकृत ग्रामों की संख्या निम्न प्रकार है :—

# Page No. 38

(38)



(ऊर्जा मंत्री)

| क्र. सं. पंचायत समिति का नाम | मार्च 1990 तक विद्युतिकृत ग्राम |
|---|---|
| 1. बैराठ | 82 |
| 2. शाहपुरा | 64 |
| 3. गोविन्दगढ़ | 84 |
| 4. आमेर | 186 |
| 5. जोबनेर | 119 |
| 6. झोटवाड़ा | 100 |
| 7. जमवारामगढ़ | 204 |
| 8. बांदीकुई | 166 |
| 9. दूदू | 143 |
| 10. सांगानेर | 203 |
| 11. बस्सी | 164 |
| 12. दौसा | 177 |
| 13. सिकराय | 92 |
| 14. फागी | 104 |
| 14. चाकसू | 193 |
| 16. लालसोट | 155 |
| 17. कोटपूतली | 94 |
| योग | 2330 |

(3) जी नहीं। मार्च, 1990 तक पंचायत समिति लालसोट के 79 ग्राम विद्युतिकरण हेतु स्वीकृत होने शेष हैं।

(4) निश्चित समयावधि बता पाना फिलहाल संभव नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें।)

**वन्य जीव संभाग, उदयपुर में वन रक्षकों की नियुक्ति**

141. **श्री सालिग राम** (बयाना) एवं **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले के वन्य जीव सम्भाग में वन रक्षकों की फरवरी, 1990, में नियुक्तियां की गई हैं जो नियम विरुद्ध हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

(2) क्या इन नियुक्तियों में कुछ व्यक्तियों की अनुशंसा जयपुर स्थित विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा की गई थी ?

(3) क्या अन्य स्थानों पर भी ऐसी अवैध नियुक्तियों के मामले सरकार के ध्यान में आये हैं ?

(4) क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक नहीं, तो क्यों ?

(5) उक्त अधिकारी इस सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही अथवा जांच को प्रभावित नहीं करें, इस हेतु सरकार क्या प्रभावी व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

**उत्तर**

(1) जी नहीं। प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

259

(वन मंत्री)

(2) जी नहीं।

(3) जब भी अनियमित नियुक्तियों के प्रकरण सरकार के ध्यान में आये हैं, तब दोषी लोक सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती रही है।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) जी नहीं।

**नसीराबाद में पम्प एण्ड टैंक योजना**

**142. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर,** (नसीराबाद) : क्या जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में कितने गांव पंप एण्ड टैंक स्कीम से जुड़े हुये हैं?

(2) उक्त क्षेत्र में कितने गांवों को पंप एंड टैंक स्कीम से जोड़ने की स्वीकृति उपरांत कार्य चालू है?

(3) यह कार्य कब तक पूर्ण हो जाने की आशा है?

(4) क्या उक्त क्षेत्र में कुछ गांव ऐसे हैं जहां का पानी खारा होने से पीने योग्य नहीं हैं, यदि हां, तो इन गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने की सरकार की क्या योजना है?

**उत्तर**

(1) संदर्भित क्षेत्र में निम्न 8 गांव पम्प एण्ड टैंक योजनाओं से लाभान्वित हैं—

1. जाटिया 2. तिहारी 3. कानपुरा 4 भवानी खेड़ा 5. बाधसुरी 6. बुबानियर 7. देरनांद्रला 8. देराठ।

(2) उक्त क्षेत्र में निम्न 10 स्वीकृत योजनाओं का कार्य प्रगति पर है :—

1. भिड़वासा 2. दांता 3. बीर 4. मकरेड़ा 5. भूडोल 6. बिरकीचयावास 7. बलवन्ता 8. दिलवाड़ा 9. नारेली 10. न्यारा।

(3) ग्राम भडवासा, मकरेड़ा बिरकीचयावास का कार्य एक माह में पूर्ण होने की सम्भावना है। ग्राम दांता, बीर, भूडोल हेतु योजनाओं के कार्य दो माह में पूर्ण होने की सम्भावना है। इन योजनाओं पर आंशिक रूप से जल संस्थर प्रदाय प्रारम्भ कर दिया गया है।

ग्राम बलवन्ता, दिलवाड़ा, नारेली एवं न्यारा में अभी जल स्रोतों के विकास सम्बन्धी कार्य प्रगति पर है। सफल जल स्रोतों के निर्माण के पश्चात् ही कार्यों के पूर्ण होने के समय का अनुमान लगाया जा सकेगा।

(4) उक्त क्षेत्र में हनुतिया, रामपुरा, जसवन्तपुरा व लोहरवाड़ा में उपलब्ध पानी खारा है। इन गांवों को बीसलपुर योजना से ही जोड़ने पर लाभान्वित हो सकते हैं।

# Page No. 40



**मासी बांध फीडर योजना, निवाई**

143. **श्री रामनारायण बैरवा** (निवाई) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या तहसील निवाई, जिला टोंक में मासी बांध फीडर योजना स्वीकृत हो गई है ? यदि हां, तो इस योजना से निवाई तहसील में किस-किस ग्राम पंचायतों को पीने का पानी उपलब्ध होगा और कब तक ?

(2) क्या निवाई कस्बे में पीने के पानी का अभाव है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उक्त कस्बे को मासी बांध से पीने का पानी उपलब्ध करवाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) मासी फीडर से निवाई शहर व 4 ग्रामों हेतु 73.17 लाख रु. की क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना स्वीकृत कर दी गई है। इस योजना से निवाई शहर के साथ निम्नलिखित ग्रामों को लाभान्वित किया जाना सम्मिलित है :—

| क्र. सं. | ग्राम का नाम | कोड सं. | ग्राम/पंचायत/समिति |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | हिंगोनिया | 99 | खण्ड देवल |
| 2. | रामपुरा | 90 | वनस्थली |
| 3. | सूरजपुरा | 91 | वनस्थली |
| 4. | वनस्थली | 86 | वनस्थली |

योजना का पूर्ण क्रियान्वयन धन उपलब्धता के अनुसार हो सकेगा।

(2) निवाई कस्बे को वर्तमान में 26 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से जल वितरण किया जा रहा है योजना के पुर्नगठन की स्वीकृति जारी की जा चुकी है, जिसमें मासी फीडर उन्नति प्रस्तावित है।

**जलदाय विभाग के अधिशाषी अभियन्ता (अलवर) का टेलीफोन व्यय**

144. **श्री जीतमल जैन** (अलवर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत पांच वर्षों में अधिशाषी अभियन्ता जलदाय विभाग अलवर के कार्यालय व निवास का टेलीफोन खर्च कितना हुआ ? निवास व कार्यालय के बिलों का अलग-अलग विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मद पर कितने खर्च का प्रावधान किया गया था एवं वास्तविक खर्च कितना हुआ ?

**उत्तर**

(1) सन्दर्भित अधिकारी के कार्यालय एवं निवास के टेलीफोन पर व्यय निम्नानुसार :—

# Page No. 41



( जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री )

| क्र. सं. | वर्ष | टेलिफोन पर वर्षवार व्यय | | लाखों में |
|---|---|---|---|---|
| | | निवास | कार्यालय | कुल |
| 1. | 85-86 | 0.16 | 0.23 | 0.39 |
| 2. | 86-87 | 0.19 | 0.27 | 0.46 |
| 3. | 87-88 | 0.27 | 0.37 | 0.64 |
| 4. | 88-89 | 0.40 | 0.48 | 0.88 |
| 5. | 89-90 | 0.37 | 0.50 | 0.87 |
| | योग:- | 1.39 | 1.85 | 3.24 |

(2) टेलीफोन पर व्यय का आवंटन कार्यालय व्यय मद में सम्मिलित होता है। पिछले पांच वर्षों में कार्यालय व्यय मद में कुल आवंटन 7.5 लाख रुपये था। जिसके विरूद्ध 8.16 लाख रुपये का व्यय हुआ। इसमें 3.24 लाख रुपये के टेलिफोन का व्यय सम्मिलित है।

**जोधपूर में भू खण्ड पर अतिक्रमण**

145. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर): क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर, के भवन की उत्तर फाटक के बिल्कुल सम्मुख 1,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का व्यवसायिक भू-खण्ड जिसका अनुमानित बाजार मूल्य रुपये बीस लाख होता है, एक व्यक्ति ने इस भू-खण्ड पर अवैधानिक कब्जा कर, अपने मोटर मरम्मत का कारखाना चला रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त भू-खण्ड जोधपुर नगर के परकोटे के बाहर स्थित होने के फलस्वरूप, नगर सुधार न्यास, जोधपुर के अधिकार क्षेत्र में आता है ?

(3) यदि हां तो उपरोक्त कब्जा कब तक हटा दिया जायेगा एवं सम्बन्धित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

**उत्तर**

(1) जी हां। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के भवन फाटक के बिल्कुल सामने 945.76 वर्गमीटर क्षेत्रफल का व्य-

( नगरीय विकास मंत्री)

वसायिक भू-खण्ड जिसका अनुमानित बाजार मूल्य 20 लाख रुपये होता है। एक व्यक्ति द्वारा इस भू-खण्ड पर अवैधानिक कब्जा कर अपनी मोटर मरम्मत का रखाना चला रहा है।

(2) जी हां। उपरोक्त भूखण्ड जोधपुर नगर परकोटे के बाहर स्थित होने के फलस्वरूप नगर सुधार न्यास, जोधपुर के क्षेत्र में आता है।

(3) उपरोक्त मामला बद्रीनारायण बनाम नगरपरिषद एवं नगर सुधार न्यास जोधपुर तथा रामदयाल के नाम से मुन्सिफ न्यायालय में लम्बित है। नगर सुधार न्यास द्वारा श्री रामदयाल के विरूद्ध धारा 203 नगर परिषद अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

**नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा जमा राशि**

146. **श्री जीतमल जैन** (अलवर) : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगर विकास न्यास अलवर द्वारा प्रस्तावित आवासीय योजनायें मालवीय नगर, हसन खां मेवाती नगर, रणजीत नगर, विजय नगर एवं भगतसिंह कालोनी (भिवाड़ी) में पानी की पाइप लाइन बिछाने एवं विद्युतिकरण करने हेतु कितनी कितनी राशि कब-कब जलदाय विभाग एवं राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को जमा कराई गई ? प्रत्येक योजना अनुसार पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विभागों को जमा कराई गई धनराशि के विरूद्ध किस-किस योजना में क्या-क्या कार्य करवा दिये गये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा प्रस्तावित मालवीय नगर, हसन खां मेवाली नगर, रणजीतसिंह नगर विजय नगर एवं भगतसिंह कोलोनी (भिवाडी) में पाइप लाइन बिछाने एव विद्युतिकरण हेतु जलदाय विभाग एवं विद्युत मण्डल को राशि निम्न तिथियों को निम्न प्रकार जमा कराई गई है।

**1– जलदाय विभाग, अलवर**

| नाम योजना<br>1 | राशि भेजने की तिथि<br>2 | राशि<br>3 |
|---|---|---|
| (अ)–मालवीय नगर | 7-3-89 | 3,00,000 |
| (ब)–हसन खां मेवाती नगर | 7-3-89 | 3,00,000 |

# Page No. 43

(43)



(नगरीय विकास मंत्री)

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| (स)-रणजीतसिंह नगर | 7-3-89 | 3,00000 |
| (द)-विजय नगर | 7-3-89 | 3,00,000 |
| (य)-भगतसिंह योजना (भिवाडी) | 7-3-89 | 3,00,000 एवं |
| | 21-7-89 | 18,07,000 |
| | | योग:-33,07,000 |
| **विद्युत मन्डल, अलवर** | | |
| (अ) मालवीय नगर | 1-6-89 | 589,432 |
| (ब) हसंन खां मेवाती नगर | 22-6-89 | 15,08,200 |
| हसंन खां मेवाती नगर | 19-7-89 | 2,13,522 |
| | | योग:- 17,21,730 |
| (स)-रणजीतसिंह नगर | 7-6-89 | 6,17,411 |
| (द)-विजय नगर | 22-5-89 | 11,94,463 |
| (ग)-भगतसिंह योजना भिवाडी | 5-6-89 | 5,00,000 |
| | 22-7-89 | 13,70,388 |
| | | योग 18,70,388 |
| | | कुल योग:-59,93,424 |

(नगरीय विकास मंत्री)

(2) योजना वार सूचना निम्न प्रकार है :-

(अ)-न्यास की मालवीय नगर योजना में जलदाय विभाग द्वारा अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया है एवं विद्युत मण्डल द्वारा अभी तक मात्र, 9 खम्बे बिजली के लगाये गये हैं।

(ब)-हसन खां मेवाती नगर योजना मे जलदाय विधाग द्वारा दो ट्यूबवैल खोदे गये हैं एवं विद्युत मण्डल द्वारा अभी तक कोई काम नहीं किया गया हैं।

(स)-रणजीत नगर योजना में जलदाय एवं विद्युत मण्डल द्वारा अभी तक कोई कार्य नहीं कराया गया है।

(द)-विजय नगर योजना में जलदाय व विद्युत मण्डल द्वारा अभीतक कोई कार्य नहीं कराया गया। विद्युत मण्डल द्वारा बिजली के खम्बे मौके पर पहुँचाये जा चुके हैं।

(य)-भगतसिंह कालोनी (भिवाडी) में जलदाय विभाग द्वारा 2 ट्यूबवैल खोदे गये हैं एवं विद्युत मण्डल द्वारा केवल मात्र खम्बे योजना स्थल पर डाले गये हैं परन्तु उन्हें अभि तक लगाया नहीं गया है। नगर विकास न्यास अलवर में मार्च 1990 से अधिक्षक अभियन्ता, सहायक अभियन्ता कनिष्ट अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांन्त्रिकी के पद सृजितकर अधिकारियों का पद स्थापन किया जा चुका है तथा जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग में जमा करायी राशि वापस लेकर नगर विकास न्यास, अलवर में पदस्थापित इन अधिकारियों के स्तर पर ही जलदाय सम्बन्धी कार्य कराया जायेगा।

**नगर विकास न्यास अलवर का वाहन व्यय**

147. **श्री जीतमल जैन** (अलवर) : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) 1 अप्रेल, 1989 से 31 मार्च, 1990 तक नगर विकास न्यास, अलवर में उपयोग में आ रही गाड़ियों पर कितना पैट्रोल, डीजल खर्च हुआ ? वाहनवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त व्यय बजट प्रावधानों 1989-90 से अधिक था ?

(3) यदि हां, तो कितना ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) यदि गाड़ियों का दुरुपयोग हुआ हैं तो सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

**उत्तर**

(1) अप्रेल, 1989 से 31 मार्च, 1990 तक नगर विकास न्यास में उपयोग में आ रही गाड़ियों पर वाहनवार पैट्रोल, डीजल पर निम्न व्यय हुआ है।

(नगरीय विकास मंत्री

| वाहन संख्या | पेट्रोल/डीजल पर व्यय |
|---|---|
| आर. एस. ए. 9999 कार | 30,666,66 |
| आर. आर. ए. 6323 कार | 11,001,13 |
| आर. एस. ए. 3887 कार | 27,134,46 |
| आर. आर. ए. 5249 मेटाडोर | 2,971,70 |
| आर. आर. ए. 6322 जिप्सी | 17,905,14 |
| आर. एस. ए. 9738 जीप | 10,377,45 |
| आर. जे. ए. 5783 जीप | 5,225,55 |
| डीजल रोलर 21055 रोलर | 3,767,05 |
| | 1,09,049,14 |

(2) वर्ष 1989-90 के बजट में वाहनों पर डीजल व पेट्रोल के मद में 90,000/- रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया था जिससे राज्य सरकार द्वारा संशोधित कर 1,09,100/- रुपये की स्वीकृत प्रदान की जा चुकी है।

(3) मूल बजट में 90 हजार रुपयों का प्रावधान था, जिसके विरुद्ध 1,09,049.14 रुपये का व्यय हुआ है तथा संशोधित बजट में 1,09,100/- रुपये की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

(4) वाहन न्यास कार्यों के उपयोग में ही आए है। वाहनों के दुरुपयोग की कोई सूचना नहीं है।

**नगर परिषद, उदयपुर के सफाई कर्मी**

148. **श्री शिव किशोर सनाढ्य (उदयपुर)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर नगर परिषद् में सफाई कर्मचारियों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं और उसमें से कितने पद रिक्त पड़े हैं ? रिक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे ?

(2) क्या यह सही है कि उदयपुर नगर परिषद् द्वारा संचालित जगदीश चौक सार्वजनिक पुस्तकालय परिसर में ही वहां के पुस्तकालयाध्यक्ष रह रहे हैं ? यदि हां, तो किन नियमों के तहत ? क्या यह सही है कि उक्त पुस्तकालयाध्यक्ष ने नगर में ऋण लेकर स्वयं का मकान बना रखा है ?

(3) क्या यह सही है कि जगदीश चौक पुस्तकालय, उदयपुर को लेकर नागरिकों ने भ्रष्टाचार, अनियमितताएं और ऐसे ही अन्य आरोप वहां के पुस्तकालयाध्यक्ष पर

(श्री शिव किशोर सनाढ्य)

लगा रखे हैं ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही हुई है ?

(4) क्या यह सही है कि उदयपुर शहर में सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं होने के संबंध में नागरिकों द्वारा अनेक ज्ञापन नगर परिषद् और राज्य सरकार को प्रेषित किये गये हैं यदि हां, तो तत्संदर्भ में क्या कार्यवाही हुई ?

(5) क्या यह सही है कि उदयपुर शहर में बड़ा बाजार की ओर से आने वाला गन्दे पानी का नाला मोची बाड़े से आगे दो हिस्सों में बंट जाता है और उसके कारण भाईवाड़ा, तीज का चौक, देहली गेट आदि में गंदगी और गन्दा पानी फैल जाता है ? यदि हां, तो इसकी सफाई तथा नाले के पुन. निर्माण की क्या समुचित व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

**उत्तर**

(1) उदयपुर नगर परिषद् में 970 पद सफाई कर्मचारियों के स्वीकृत हैं। इसमें से 43 पद वर्ष 90-91 के बजट में कम कर दिये गये हैं। शेष 25 कर्मचारी दैनिक वेतन पर कार्यरत है।

(2) जी हां, पूर्व नगरपरिषद् अध्यक्ष ने अपने आदेश दि. 30–3–64 द्वारा इन्हें पुस्तकालय की सुरक्षा की दृष्टि से पुस्तकालय परिसर में रहने की स्वीकृति प्रदान की थी। इस मकान का राज्य सरकार के नियमानुसार किराया वसूल किया जा रहा है। उक्त पुस्तकालयाध्यक्ष ने ऋण लेकर नगर में स्वयं का मकान बना रखा है।

(3) इस बारे में लोकायुक्त कार्यालय जयपुर व अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उदयपुर द्वारा जांच की गई थी। यह सूचना स्वयं पुस्तकालयाध्यक्ष ने दी है। नगर परिषद में नियमों के अनुसार कोई जांच विचाराधीन नहीं है। लोकायुक्त में यदि कोई कार्यवाही चल रही है तो उसकी जानकारी कर कार्यवाही की जावेगी।

(4) नगर परिषद को नागरिकों द्वारा दिये गये ज्ञापनों पर कार्यवाही की जाकर सफाई करवा दी गई है।

(5) जी हां। यह सही है कि नाले का पानी सवेरे के समय फैल जाता है। नाले के निर्माण हेतु परिषद द्वारा टेण्डर आमंत्रित कर लिये गये है। नियमानुसार टेण्डर स्वीकृत होने पर कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। दैनिक सफाई की व्यवस्था की जा रही है।

## अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रदत्त सुविधायें

149. श्री **शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के समान पेंशन ग्रेच्युटी एवं अन्य सुविधाएं दिये जाने के संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अपील

(श्री शिव किशोर सनाढ्य)

को वापस लेकर कर्मचारियों को उक्त सुविधाएं देने पर विचार कर रही है। यदि हां, तो इस पर कब तक अमल संभव होगा ?

(2) क्या अनुदान प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों को राज्य में भिन्न-भिन्न प्रतिशत से अनुदान की कटौती का लाभ दिया जा रहा है यदि हां, तो क्या इसे समान करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

(3) क्या अनुदान प्राप्त संस्थाओं पर केन्द्रीय भविष्य निधि अधिनियम लागू होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके अन्तर्गत देय लाभ संस्थाओं के कर्मचारियों को देने पर कोई विचार कर रही है ?

(4) प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा वर्ष 1989–90 को अनुदान प्रार्थना-पत्रों के अंतिमिकरण में शिक्षा उपनिदेशक एवं जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा की गई अनुशंसाओं के विरुद्ध कितने संस्थाओं के अनुदान में से कितने रुपयों की कटौतियां की हैं।

(5) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में इस समय अनुदान प्राप्त संस्थाओं से कितने प्रकरण विचाराधीन है ? इनमें से एक वर्ष से अधिक पुराने प्रकरण कितने हैं ? इन्हें कब तक निपटा दिया जायेगा ?

**उत्तर**

(1) उच्च न्यायालय के निर्देशों के विरुद्ध सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अपील याचिका विधाराधीन है जिसका निर्णय होने पर तदनुसार कार्यवाही की जावेगी।

(2) अनुदान नियम 1963 के परिशिष्ट 6 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार विद्यालय स्तर के कर्मचारियों से $6\frac{1}{4}$ प्रतिशत तथा महाविद्यालय स्तर पर 8 प्रतिशत की दर से भविष्य निधि अंशदान की कटौती की जा रही है।

(3) जी नहीं।

(4) वर्ष 1989–90 के अनुदान प्रार्थना पत्रों का अभी अंतिमीकरण नहीं हुआ है।

(5) केवल बोनस व महंगाई भत्ते के 392 प्रकरण विचाराधीन है। एक वर्ष से पुराना कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

**ग्राम मकरा एवं बुकड़ी (बाड़मेर) में पेयजल व्यवस्था**

150. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले के ग्राम मगरा-जोरानाड़ा व बुकड़ी की जनता को पेयजल की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो सरकार वहां की जनता के लिये पानी की क्या व्यवस्था कर रही है ?

**उत्तर**

(1) नवसृजित राजस्व ग्राम मगरा तुरबी-हरसान क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना से लाभान्वित हैं।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

नव सृजित राजस्व ग्राम जोरानाड़ा 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित नलकूप से जुड़ा हुआ है। नलकूप अस्थाई रूप से बन्द है जिसे चालू किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। ग्राम बुकड़ी क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना साऊथ-गिराब से लाभान्वित है।

## कृषि जिन्सों पर चुंगी वसूली

151. **श्री दिलसुख राय** (फतेहपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे। —

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिकाओं एवं नगर परिषदों के पास कृषि जिन्सों के वजन माप का कोई साधन नहीं है और अनुमान के आधार पर किसानों से चूंगी वसूली करली जाती है।

(2) क्या सरकार उक्त व्यवस्था को उचित मानती है? यदि नहीं, तो हरियाणा सरकार की तरह इसमें परिवर्तन करने का विचार रखती है?

### उत्तर

(1) यह सही है कि जहां वजन मापक यंत्रों की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां कृषि जिन्सों का वजन नगों के अनुसार जैसे बोरी, कट्टा आदि की संख्या अथवा बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी आदि की भराव क्षमता के अनुसार आंका जाकर निर्धारित किया जाता है।

(2) वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है। हरियाणा सरकार की प्रणाली पर विचार कर लिया जावेगा।

## परिवहन कार्यालय कोटा के परिवहन एजेन्ट्स

152. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में एजेन्ट प्रथा को मान्यता दे रखी है? यदि हां, तो कोटा जिले में किस-किस एजेन्ट को?

(2) क्या राज्य सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त करने की दृष्टि से इस प्रथा को समाप्त करने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक?

### उत्तर

(1) परिवहन कार्यालयों में ऐजेण्ट्स की संस्था परम्परागत रूप से वर्ष 1951 से कार्यरत है। ऐजेण्ट्स प्रथा को व्यवस्थित करने हेतु परिवहन विभाग द्वारा वर्ष 1975 में प्रशासनिक नियम बनाये गये एवं इन नियमों के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में कार्यरत तत्कालीन ऐजेन्ट्स को अस्थाई रूप से एक वर्ष की अवधि के लिए लाईसेन्स जारी किये गये। कालान्तर में इन लाईसेन्सेज का नवीनीकरण भी किया गया था किन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11-7-85 को लाईसेन्सधारी ऐजेण्ट्स के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति को ऐजेन्ट के रूप में कार्य करने की अनुमति न दिये जाने पर

(यातायात मंत्री)

रोक लगा दी। वर्ष 1986 में परिवहन विभाग द्वारा ऐजेन्ट्स के सम्बन्ध में पुनः संशोधित नियम जारी किये गये किन्तु इन नियमों की क्रियान्विति भी माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 11-7-85 के अनुसार नहीं की जा सकी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19-2-87 को एक अन्य स्थगन आदेश जारी कर बिना लाईसेन्स प्राप्त ऐजेन्ट्स को भी ट्रान्सपोर्ट ऐजेन्ट का कार्य करने की अनुमति प्रदान कर दी गयी। वर्तमान स्थिति यह है कि परिवहन कार्यालयों में कोई भी ऐजेन्ट वैद्य लाईसेन्स प्राप्त नहीं है किन्तु उच्च न्यायालय के उक्त स्थगन आदेशों के अनुसार कोई भी व्यक्ति ट्रान्सपोर्ट ऐजेन्ट के रूप में कार्य कर सकता है। कोटा जिले में 17 व्यक्तियों को ट्रान्सपोर्ट ऐजेन्ट्स के रूप में कार्य करने हेतु पूर्व में अस्थाई लाईसेन्स दिये गये थे, जिनकी सूची संलग्न है।

(2) परिवहन विभाग में विभिन्न कार्यों हेतु आने वाले व्यक्ति अधिकतर कानूनी प्रावधानों से अनभिज्ञ होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने कार्य कराने हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। नये मोटर गाड़ी अधिनियम, 1988 व उसके अन्तर्गत बने नियमों में ट्रान्सपोर्ट ऐजेन्ट्स को लाईसेन्स देने का कोई प्रावधान नहीं है। विभाग द्वारा यह प्रयास अवश्य किया जाता है कि जिला कार्यालयों में सीधे सम्पर्क करने वाले व्यक्तियों के कार्य यथा समय सम्पादित किये जाएं एवं एजेण्ट प्रथा को समाप्त करने के मामले पर सरकार विचार कर रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें।)

**रूपायन शिक्षण संस्थान बोरून्दा के कर्मचारी**

153. **श्री मिश्रीलाल चौधरी**(बिलाडा): क्या महाविद्यालय शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रूपायन संस्थान बोरून्दा के कर्मचारियों को छंटनी द्वारा निकाला गया था? यदि हां, तो क्या छंटनी से पूर्व राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त संस्थान के सचिव की नियुक्ति कब व किस रीति से की जायेगी? क्या यह भी सही है कि उक्त संस्थान में व्याप्त भ्रष्टाचार आदि की जांच जोधपुर जन सतर्कता समिति द्वारा की जा रही है? यदि हां, तो जांच कब पूरी हो जायेगी।

**उत्तर**

(1) जी हां। रूपायन संस्थान बोरून्दा (जोधपुर) के 5 कनिष्ठतम कर्मचारियों को संस्था की निष्पादक परिषद के निर्णय दिनांक 1-10-89 के अनुसार कार्य-भार में कमी होने के कारण सेवा मुक्त किया गया है। इसके लिए अनुदान नियम, 1963 के अनुसार राज्य सरकार से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने की बाध्यता नहीं है।

(2) वर्तमान में संस्था में सचिव का पद रिक्त नहीं होने से फिलहाल नई

(शिक्षा मंत्री)

नियुक्ति करने का कोई प्रश्न नहीं है। उक्त संस्थान में भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायत की जांच हेतु जोधपुर जन सतर्कता समिति, जोधपुर द्वारा उप निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर को निर्देशित कर दिया गया है। जांच शीघ्र ही पूर्ण हो जाने की आशा है।

**बांसवाड़ा जिले के विभिन्न मार्गों पर बस सेवा**

154. **श्री बहादुर सिंह** (दानपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार अबातुरा से बांसवाड़ा तक रोडवेज की बसें शुरू करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि, तो क्यों ?

(2) क्या बांसवाड़ा से अन्य मार्गों पर बसें बन्द कर दी गयी हैं ? यदि हां, तो क्यों ? उन्हें पुनः कब तक शुरू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या बांसवाड़ा बस स्टेन्ड पर सफाई की व्यवस्था व पानी समुचित है ? यदि नहीं, तो सरकार इसके लिए क्या सुधार कर रही है ?

(4) क्या बांसवाड़ा से से जयपुर व जयपुर से बांसवाड़ा पुरानी व जीर्ण शीर्ण बसें चल रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनके स्थान पर नयी बसें लगाने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) बांसवाड़ा से कुशलगढ़ व कुशलगढ़ से बांसवाड़ा कितनी बसें चलती हैं ? क्या यात्रियों की दृष्टि से सरकार की बसों को बढ़ोतरी करने की मन्शा है यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) जी नहीं। यह मार्ग अराष्ट्रीयकृत है, जिस पर प्रति 30 मिनट के अन्तराल पर निजी वाहनें संचालित हैं।

(2) जी हां। केवल 3 मार्गों पर बसें बन्द की गई है। इनमें से एक कुशलगढ़ से गलिया कोटा वाया कालिंजरा बागीडोरा मार्ग अराष्ट्रीयकृत है। शेष दो मार्गों बांसवाड़ा-बढ़ी वाया रोहिडा एवं बांसवाड़ा आसपुरा वाया साबला-नान्दली पर दो-दो परिचक्र कम आय है कारण बन्द किये गये हैं। इन मार्गों पर उपलब्ध यात्री भार के अनुरूप यात्रियों की सुविधार्थ पर्याप्त बस सेवाएं संचालित है।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं।

(5) बांसवाड़ा से कुशलगढ़ एवं कुशलगढ़ से बांसवाड़ा मार्ग पर 21-21 परिचक्र दैनिक संचालित हैं। उपलब्ध यात्रीभार को देखते हुए यह पर्याप्त है।

**पंचायत समिति, सुवाणा (भीलवाड़ा) के औषधालय**

155. **श्री देवेन्द्र सिंह** (बनेड़ा) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री देवेन्द्र सिंह)

(1) वर्ष 1989–90 में सुवाणा पंचायत समिति जिला भीलवाड़ा में कितने होम्योपैथिक एवं आयुर्वेदिक औषधालय स्वीकृत किये गये ?

(2) क्या स्वीकृत सभी औषधालयों का कार्य चालू हो गया है ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा इन स्वीकृत औषधालयों में से कुछ के आदेश निरस्त कर दूसरी जगह खोलने के आदेश प्रदान किये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) वर्ष 1989–90 में सुवाणा पंचायत समिति जिला भीलवाड़ा में निम्न दो नवीन औषधालय स्वीकृत किये गये थे :—

| क. सं. | नाम | चिकित्सा पद्धति |
|---|---|---|
| 1. | सियार | होम्योपैथिक |
| 2. | कोचरिया | आयुर्वेदिक |

(2) सियार के होम्योपैथिक औषधालय को आयुर्वेदिक औषधालय में परिवर्तित किया जाकर बापूनगर, भीलवाड़ा में खोले जाने तथा आयुर्वेदिक औषधालय, कोचरिया के स्थान पर आमली पुरावतका में खोले जाने के आदेश जनहित को दृष्टि में रख कर दिये गये हैं। बापूनगर, भीलवाड़ा औषधालय दिनांक 13–6–90 एवं आमली पुरावतका औषधालय दिनांक 31–5–90 से कार्यशील हो गये है।

(3) जी नहीं।

**आयुर्वेद विभाग में रिक्त पद**

156. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आयुर्वेद विभाग में वर्तमान में कितने पद चिकित्सक, कम्पाउन्डर्स, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं परिचारक के रिक्त हैं ?

(2) उक्त पदों को भरने हेतु कब तक एवं क्या प्रक्रिया अपनाई जायेगी

(3) क्या यह सही है कि कि सीकर एवं बाड़मेर जिले में वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों/परिचारकों के पद काफी समय से रिक्त चल रहे हैं यदि हां, तो इन्हें कब तक भर दिया जावेगा तथा इस हेतु क्या प्रक्रिया निर्धारित की जायेगी !

**उत्तर**

(1) विभागान्तर्गत चिकित्सकों, नर्स/कम्पाउण्डर्स एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों/परिचारकों के पद निम्नानुसार रिक्त हैं—

आयुर्वेद चिकित्सक—325
होम्यो. चिकित्सक—22
यूनानी चिकित्सक—2
नर्स/कम्पाउण्डर्स—67
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/
परिचायक—426

(2) चिकित्सकों के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा तदर्थ नियुक्तियां दी जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(आयुर्वेद राज्य मंत्री)

नर्स/कम्पाउण्डर के 41 पद अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए आरक्षित हैं जिसके लिए विज्ञापन दिनांक 18-4-90 द्वारा प्रार्थना पत्र आमन्त्रित किये गए थे। केवल 17 आवेदकों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं और नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है। शेष 25 पदों को भरने हेतु 1989-90 में चयन नियमों के अन्तर्गत बनाई गई आशार्थियों की वरीयता सूची के आधार पर नियुक्तियां शीघ्र दी जावेगी।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/परिचारक की नियुक्ति पर राज्य सरकार के आदेश संख्या प. 9 (1) वित्त—1/आ. व्य./90 दिनांक 6-6-90 द्वारा प्रतिबन्ध लगा हुआ है परन्तु राज्य सरकार के आदेश संख्या प.9 (1) वित्त01/आ. व्यय/90 दिनांक 24-2-90 के अनुसार जिला कलक्टर द्वारा किये गए अधिशेष कर्मचारियों की सूची में से ऐसी नियुक्तियां की जा सकेगी। जिला कलक्टर से ऐसे अधिशेष कर्मचारियों की सूचियां मंगाने का कार्य विभाग के जिला आयुर्वेद अधिकारी के स्तर पर किया जा रही है।

(3) जी हां। जिला सीकर में 16 तथा जिला बाड़मेर में 15 पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों/परिचारिकों के रिक्त हैं। इन पदों को भरने की कार्यवाही प्रश्न के भाग संख्या 2 की प्रक्रिया अन्तर्गत की जा रही है।

**नगरपालिका लाखेरी, केशवराय पाटन व कापरेन की आय**

157. **श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन) एवं **श्री श्रीकिशन सोनगरा** (अजमेर पूर्व): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) बून्दी जिले की लाखेरी, केशव-राय पाटन एवं कापरेन नगरपालिकाओं में वर्ष (1987-88, 1988-89 एवं 1989-90) में वर्षवार कितनी आय चुंगी से एवं राज्य-सरकार के अनुदान से हुई ?

(2) उक्त तीनों नगरपालिकाओं में पिछले तीन वर्षों से कौन-कौन से वार्डों में क्या-क्या कार्य कितनी-कितनी राशि के करवाये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) नगरपालिका कापरेन द्वारा वार्ड नं. 1 व 2 पर पिछले आठ वर्षों से कितनी राशि कब-कब व किन मदों में व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त वार्डों में इस वर्ष क्या कोई निर्माण कार्य चलाये जाने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक एवं कौनसा कार्य कितनी राशि के प्रावधान द्वारा ?

**उत्तर**

(1) बून्दी जिले की लाखेरी, केशव-राय पाटन एवं कापरेन नगरपालिकाओं में 1987-88, 1988-89 एवं 89-90 में चुंगी की वर्षवार आय एवं राज्य सरकार द्वारा दिये गये अनुदान का विवरण संलग्न है।

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

(2) उक्त तीनों नगरपालिकाओं में पिछले तीन वर्षों में जिन-जिन वार्डों में जो-जो कार्य करवाये गये हैं एवं व्यय की की गई राशि की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) नगरपालिका कापरेन द्वारा वार्ड नं. 1 एवं 2 में पिछले आठ वर्षों के दौरान जिन कार्यों पर जितनी राशि व्यय की गई है, उसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) जी हां, इस वर्ड वार्ड नं. 2 में नाली निर्माण का कार्य प्रगति पर है। अब तक 450 फुट नाली बन चुकी है। इन वार्डों के लिए लगभग 70,000 रुपये का एस्टीमेंट तैयार किया गया है तथा यह कार्य पालिका की आर्थिक स्थिति के अनुसार किया जायेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है।)

**विधान सभा क्षेत्र सिवाना में पेयजल आपूर्ति**

158. **श्री हुकमाराम मेघवाल** (सिवाना) एवं **श्री मनोहर सिंह इन्दा** (शेरगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) सिवाना विधान सभा क्षेत्र में कितने गांवों में पेयजल योजनाओं के तहत पानी के कनेक्शन दिये जा चुके हैं व कितने शेष है? शेष गांवों में कब तक पानी के कनेक्शन दे दिये जायेंगे? विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र के किन-किन गांवों में नये वाटर सप्लायर्स स्वीकृत किये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों? सूची सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) सन्दर्भित क्षेत्र के कुल 132 ग्रामों में से 12 ग्रामों में जल सम्बन्ध दिये जा चुके हैं। विवरण संलग्न है। शेष ग्रामों को नार्म्स के अधीन श्रेणी में आने पर तथा वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर जल सम्बन्ध दिये जा सकेंगे।

(2) वाटर सप्लायर्स नाम से विभाग में कोई आइटम नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

**सीकर जिले में विचाराधीन कृषि कनेक्शन्स**

159. **श्री दिलसुख राय** (फतेहपुर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि सीकर जिले में किसानों के कुए के बिजली कनेक्शन के फार्म आठ-आठ साल से पेंडिंग पड़े हैं? यदि हां, तो क्यों व अब कब तक कुओं पर बिजली कनेक्शन दे दिये जायेंगे?

(2) क्या सरकार आवेदन फार्म प्राप्त होने के पश्चात् एक वर्ष की अवधि में कुए को बिजली कनेक्शन मिल जाये ऐसी व्यवस्था करने अथवा नियम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। आवेदन अधिक और लक्ष्य कम होने के कारण आवेदन पत्र पेंडिंग हैं। ऐसी स्थिति में कनेक्शन दिये जाने के लिए समयावधि बताना सम्भव नहीं है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में लम्बित कृषि कुओं के आवेदकों की संख्या, विद्युत उपलब्धि व योजना में सीमित प्रावधान के परिपेक्ष्य में निर्धारित किये जाने वाले वार्षिक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए एक वर्ष की अवधि में सारे कुओं को बिजली कनेक्शन देना सम्भव नहीं है।

**जयपुर जिले में पेयजल संकट**

160. **श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

जयपुर जिले में पेयजल संकट के तत्काल समाधान हेतु जिले की विभिन्न पंचायत समितियों में कितने-कितने हैण्ड-पम्प एवं अन्य योजनाएं मार्च, 1990 से अब तक स्वीकृत की गई हैं? पंचायत समिति वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सूचना प्रपत्र (क) में संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

**स्टोर कीपर का दीर्घकालीन पद-स्थापन**

161. **श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन) एवं **श्री श्रीकिशन सोनगरा** (अजमेर पूर्व) **श्री हुमाराम मेघवाल** (सिवाना) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) बून्दी जिले के अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय में स्टोर कीपर के पद पर पदस्थापित व्यक्ति कब से इस पद पर कार्यरत है?

(2) क्या यह सही है कि स्टोर कीपर के पद पर पदस्थापन की समयावधि के सम्बन्ध में नियम या मापदण्ड निर्धारित है? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें

(3) क्या उक्त पद पर एक ही व्यक्ति का लम्बे समय तक पदस्थापन से नियमों की अवहेलना एवं भ्रष्टाचार होने की पूरी सम्भावना रहती है?

उत्तर

(1) बून्दी खण्ड सिंचाई विभाग के अधीन स्टोर कीपर के पद पर पदस्थापित व्यक्ति मई, 1981 से कार्यरत है।

(2) जी नहीं, स्टोर कीपर के पद पर पदस्थापन समयावधि के लिए कोई नियम या मापदण्ड निर्धारित नहीं है।

(3) यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है।

**स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था**

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) श्री ईश्वरलाल सैनी एवं श्री प्रद्युम्नसिंह, विधान सभा की ओर से जयपुर कोतवाली में एक व्यक्ति की जेब कटने पर पुलिस द्वारा श्री लालाराम के नाम के एक लड़के कि मृत्यु हो जाने पर दोषियों को बचाने एवं बेगुनाहों को फंसाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामनारायण वर्मा, एवं श्री सुरेन्द्र व्यास, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम खजूरी, तहसील नैनवां, जिला बून्दी में अकाल के कारण भूख से एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री जुबेर खां, श्री रामस्वरूप मीणा, श्री प्रकाशचन्द बैरवा, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान विश्व विद्यालय, जयपुर में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

(4) श्री सुरेन्द्र व्यास, सदस्य, विधान सभा की ओर से नई तबादला नीति पर विचार करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से अविलम्ब जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

**प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव**

(1) श्री प्रभूलाल पटेल, सदस्य, विधान सभा की ओर से सपोटरा विधान सभा क्षेत्र की पेयजल की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

(2) श्री बालचन्द्र आर्यवीर, सदस्य, विधान सभा की ओर से झालावाड़ जिले में कानून एवं व्यवस्था की बिगड़ी हुई स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री मदन दिलावर, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा जिले में असामाजिक तत्वों द्वारा वातावरण बिगाड़ने के सम्बन्ध में।

(4) श्री नाथूराम अहारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से डूंगरपुर जिले के गांवों में अकाल राहत कार्य नहीं खोले जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई माधोपुर जिले के विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में विद्युत की समस्या के बारे में।

(6) श्री सांवरलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से कृषि विश्वविद्यालय के पतन को रूकवाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्ताव को पढ़ने की अनुमति हैं।

**श्री प्रभूलाल पटेल।**

**स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा**

**श्री जुबेर खां (रामगढ़) :** अध्यक्ष महोदय, मार्केट में कापियां और पेपर बिक रहे हैं। इतना संवेदनशील मामला है कि

(श्री जुबेर खां)

इस पर तुरन्त सदन में चर्चा की जानी चाहिए। (व्यवधान)

**श्री हेतराम बेनीवाल** : अध्यक्ष महोदय, आपने चार दिन पहले सदन में यह घोषणा की थी कि तीन दिन में जवाब आ जायेगा अभी तक उसका जवाब नहीं आया। मेरा स्थगन प्रस्ताव था साम्प्रदायिक दंगों का उसमें भी आपने घोषणा की थी कि राज्य सरकार तीन दिन में इसका जवाब देगी और यही पुलिस कस्टडी में मृत्यु के बारे में इन तीनों का जवाब तीन दिन के बजाय आज पांचवां दिन है परन्तु जवाब राज्य सरकार की तरफ से अभी तक नहीं आया।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय में पर्चे आउट होने के बारे में

**श्रीमती सुमित्रासिंह** : माननीय मुख्य मंत्री जी सदन को आश्वस्त किया था कि इसकी जांच वह सी. आई. डी. से करवा रहे हैं। सात दिन के अन्दर जांच रिपोर्ट आ जायेगी।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : अध्यक्ष महोदय, आसन की तरफ से यह व्यवस्था की गयी थी कि इसके विषय में जानकारी प्राप्त की जायेंगी। इस बात को आज पूरे पांच दिन हो गये हैं। इसी प्रकार से केन्द्रिय सहकारी भूमि विकास बैंकों के अन्दर प्रशासक नियुक्त किये, बजट के अन्दर भाषण गलत पढ़ा गया। उस वक्त भी मुख्य मंत्री जी को रोका गया तो उन्होंने भी उस बात पर ध्यान दिया और आपने भी व्यवस्था दी कि बाद में जवाब दिलाया जायेगा यह आज तक व्यवस्था नहीं हुई। आज तबादलों के बारे में यहां जानकारी प्राप्त की जा रही है। नई तबादला नीति घोषित की गयी और अखबारों के अन्दर यह एक तारीख को घोषित हो, गया। तीस जून को अन्तिम तारीख थी तबादलों की, तीस जून के बाद भी उसको एप्लीकेबल किया है ताकि जिसका निपटाना हो तीस जून को निपटा दें। पता नहीं कितने ट्रांसफर तीस जून की तारीख में किये हैं और आगे वह खुले हुये हैं। कम से कम यह बिल्कुल अनैतिक काम है। सरकार या तो तबादला नीति बनाती नहीं बाद में बनाती और बनाने के बाद एप्लीकेबल एक तारीख से किया। उसका स्टेटमेण्ट आना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अगर आसन की तरफ से यह व्यवस्था नहीं होती कि लोक महत्व के प्रश्नों को यहां नहीं लिया जायेगा और स्टेटमेण्ट नहीं आयेंगे तो उसका कोई सदन में चर्चा करने का लाभ ही नहीं रहेगा। जिस प्रकार से रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य का प्रस्ताव था, मेरा प्रस्ताव है, 54 पर्चे आउट हुये हैं अध्यक्ष महोदय, यह कोई मामूली बात नहीं है विश्वविद्यालय के अन्दर भी।

**श्री जुबेर खां** : जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि सी. आई. डी. की इन्क्वायरी बैठा दी है। मंत्री महोदय, सी. आई. डी. की इन्क्वायरी से कुछ नहीं होगा। इस विश्वविद्यालय की स्थिति वह हो जायेगी कि विज्ञप्तियों में लिखा जायेगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय से जिसने परीक्षायें पास की हैं उन्हें एप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसका इस तरह स्तर गिर जायेगा इसलिए इसको आप संजीदगी से लीजिये। इसमें सी. बी. आई. की इन्क्वायरी बिठ-

(श्री जुबेर खां)

वाइये या अपने हाउस की एक कमेटी की इन्क्वायरी बिठाई जाये। चुरू से आने वाले माननीय सदस्य ने एक मुद्दा उठाया था, हमेशा यह मुद्दा उठता है। आज बड़ी शर्म की बात है जिस विश्वविद्यालय से काफी आई. ए. एस., आई. पी. एस. और बड़े-बड़े लोग निकले आज उसके पेपर दो-सो ढाई-ढाई सो रुपये में मार्केट में बेचे जा रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष** : देखिये, आप अपनी बात कह रहे हैं या भाषण दे रहे हैं। आपने चर्चा करनी शुरू कर दी (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गम्भीर मामला है और यह राजस्थान के लाखों विद्यार्थियों के भाग्य से जुड़ा हुआ है। इस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** (मालपुरा) : स्टेटमेण्ट होना चाहिए।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : निरन्तर पर्चे आउट हो रहे हैं। बाजार के अन्दर पर्चे बिक रहे हैं। आज भी एक कापी माननीय सदस्य लेकर आये हैं। इस तरह से राजस्थान विश्वविद्यालय की जो सीक्रेसी है उसका पर्दाफाश हो रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस मामले में राजस्थान के लाखों विद्यार्थियों का भविष्य जुड़ा हुआ है इसलिए इस विषय पर चर्चा अवश्य होनी चाहिए।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : स्टेटमेण्ट आना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, एडजोर्नमेन्ट मोशन के दो ही तरीके हैं डिस्पोजल करने के।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, कम्प्यूटर से जो परीक्षा परीणाम आये हैं उनमें जो फर्स्ट हैं वह फेल हैं और जो फेल हैं उनको पास किया गया।

**श्री अध्यक्ष** : आप बिराजिये।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : इस तरह से कई अनियमिततायें हुई हैं, कांग्रेस सरकार के....

**श्री अध्यक्ष** : आप बैठिये।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : उन सबको दिखवाइये।

**श्री अध्यक्ष** : आपका तो एडजोर्नमेन्ट मोशन है नहीं।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : जिससे कि स्टूडेन्ट्स के भविष्य पर आघात नहीं हो।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : अध्यक्ष महोदय, एडजोर्नमेन्ट मोशन के डिस्पोजल के दो तरीके हैं। या तो आप गवर्नमेन्ट से स्टेटमेन्ट दिलवायें या उसको रिजेक्ट कर दें। आपने यह व्यवस्था दी थी कि तीन दिन के अन्दर जानकारी करके जैसा भी निर्णय होगा मैं सूचित कर दूंगा। पांच-पांच दिन तक एडजोर्नमेन्ट मोशन पड़े रहते हैं।

**श्री अध्यक्ष** : मैं अभी देख लेता हूं। मुझे देखना पड़ेगा, मैं देख लूंगा अभी इसको।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : सदन की भावना को देखते हुए विशेष चर्चा होनी चाहिए।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : सरकार को जवाब निर्धारित समय में जवाब देना चाहिए, मैं इसको देख लूंगा।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** मैं गुजारिश करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय,

**श्री अध्यक्ष** : फरमाइये।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : कि कोई भी महत्वपूर्ण मामले स्थगन प्रस्ताव के जरिये आपके समक्ष हमने पेश किये थे। (व्यवधान)

एक मिनिट। आज तीन दिन हो गये आपने किसी मामले में, किसी मामले में चार दिन हो गये। सरकार के पास पूरी मशीनरी है, उनके लम्बे हाथ हैं। इसे सरकार की इन्काम्पीटेन्टनेस नहीं कहा जायगा तो और क्या कहा जायगा। आपकी डाइरेक्शन के बावजूद (व्यवधान)

आज चार-चार, पांच-पांच दिन हो गये, चाहे यूनिवर्सिटी का मामला हो, चाहे कोतवाली का मामला हो ....

**श्री अध्यक्ष** : मैं इसका जवाब आज ही मंगा लेता हूं।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : कल आप तीनों स्टेटमेन्ट करा दें, श्रीमान्।

**श्री अध्यक्ष** : मैं जवाब तो आज ही मंगा लूंगा। स्टेटमेन्ट बाद में····

**श्री हेतराम बेनीवाल** : आपने तीन दिन का समय दिया था।

**श्री अध्यक्ष** : मैं आज ही मंगा लेता हूं। यूनिवर्सिटी में पेपर आउट होने वाले विषय के सम्बन्ध में आज ही जवाब मंगा लेता हूं।

**श्री हेतराम बेनीवाल** : मेरा एक स्थगन प्रस्थाव है रायसर प्लाजा के सिलसिले में। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आज मंगा लेंगे।

**श्री जुबेर खां** (रामगढ़) : 52 लाख 58 हजार रुपये का एडवान्स निकाला गया है स्ट्राइक पीरियड में, यह कहां पर खर्च किया गया है। इसका भी जवाब चाहिए। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : मैं आपको कह चुका हूं इसका जवाब आज की तारीख में आ जायगा। आज मेरे से मिल लीजिये, बाद में आज की तारीख में आ जायेगा, बिराजिये। (व्यवधान)

आप बिराजिये, सैनीजी कुछ बोलना चाहते हैं।

**श्री ईश्वरलाल सैनी** (लक्ष्मणगढ़) : अध्यक्ष महोदय,

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : अध्यक्ष महोदय, जवाब यहां दिलाइयेगा, सदन में।

**श्री ईश्वरलाल सैनी** : कोतवाली में जेबकटी के मामले में

**श्री अध्यक्ष** : जेबकटी के मामले में

**श्री हेतराम बेनीवाल** : अध्यक्ष महोदय, रायसर प्लाजा के सिलसिले में करोड़ों रुपये का (व्यवधान)

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : रायसर प्लाजा का जवाब हमने भेज दिया है।

**श्री हेतराम बेनीवाल** : सत्ता पक्ष के नेता शामिल हैं। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : देखिये, ऐसा है कि कई जवाव शायद आ गये होंगे, मुझे देखना पड़ेगा। मैं आज देख लेता हूं, जवाब कई आ गये होंगे।

**श्री ईश्वरलाल सैनी** : अध्यक्ष महोदय, जेब कतरे का एक असत्य मामला बनाकर पुलिस ने उसकी हत्या कर दी, मैं निवेदन कर रहा हूं। सतवाड़ी का मामला तो आपने उसी रोज बता दिया।

**श्री अध्यक्ष** : भरतपुर जिले में था वह ?

**श्री ईश्वरलाल सैनी** : मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस हैडक्वार्टर की नाक के नीचे राजस्थान की राजधानी में सबसे बड़ी कोतवाली में, सबसे बड़ी घटना घटे और चार-चार, पांच-पांच दिन में हमको जवाब नहीं आवे।

**श्री अध्यक्ष** : आज ही इसका जवाब दिलवाऊंगा, आप भाषण नहीं दें।

**श्री ईश्वरलाल सैनी** : भाषण नहीं दे रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष** : और क्या दे रहे हैं आप। मैं कह रहा हूं आज की डेट में इसका जवाब आ जायगा। बता दूंगा आज।

**प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख**

श्री प्रभूलाल पटेल (अनुपस्थित)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : स्टेटमेन्ट दिलवाइये, श्रीमान।

**श्री अध्यक्ष** : मैं आज जवाब देखकर करूंगा। (व्यवधान)

मुझे जवाब देखने दीजिये। (व्यवधान)

आप मुझे मौका ही नहीं देंगे देखने का।

**श्री बालचन्द्र आर्यवीर** (डग) : अध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिले में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। आये दिन जिले में चोरियां, कत्ल, बलात्कार और थानेदारों द्वारा जनता पर भयंकर अत्याचार हो रहे हैं। दिनांक 24-5-90 को चौमेला कस्बे में पुलिस की निष्क्रियता और मिली भगत से 2 युवकों को दिन दहाड़े चाकू मार कर हत्या

(श्री बालचन्द्र आर्यवीर)

कर दी गई। गत वर्ष मिश्रोली थाने के थानेदार ने जनता से थाना भवन बनाने हेतु करीब 15000/–रु, का फर्जी फण्ड इकठ्ठा किया गया। दिनांक 10-5-90 को मिश्रोली थानेदार ने पूरालाल पाटीदार को एक गाय की मृत्यु में फर्जी केस बना–कर फंसाया गया। इसी प्रकार डग थाने-थार द्वारा भी जनता पर फर्जी केस बना-कर फंसाया जा रहा है। पमाडिया के थानेदार शराब पीकर जनता के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। वहां पर आये दिन चोरियां और इस प्रकार की घटनायें हो रही हैं। मिश्रोली और सुनेल के थानेदार द्वारा साम्प्रदायिकता का जहर फैलया जा रहा है। झालावाड़ जिले के सारोला कस्बे में जो साम्प्रदायिक झगड़ा हुआ वह सुनेल थानेदार के ही कारनामे हैं। सुनेल थाने–दार द्वारा मन्दिर के सामने वाली जमीन पर मस्जिद की नींव मिली भगत से लगाई गई। साम्प्रदायिक झगड़ा होते होते बचा। थानेदार द्वारा जिसका नाम नसीमुल्ला है, जनता पर आये दिन फर्जी केस लगाकर परेशान किया जा रहा हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, थानेदार द्वारा अपराधियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है जिससे जिले में भयंकर कानून-व्यवस्था बिगड़ी हुई है। जिले के पुलिस अधिक्षक को उक्त थाने-दारों की शिकायतें करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। थानेदारों को बचाया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, में आपकी मार्फत गृह मन्त्रीजी और सरकार को निवेदन करता चाहता हूं कि उक्त थाने दारों की पुलिस विभाग द्वारा जांच करा-कर जो भी दोषी पाया जाय उसको दण्डित किया जाय।

**श्री अध्यक्ष** : श्री मदन दिलावर।

**श्री मदन दिलावर** (अटरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा जिले में जगह-जगह ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों पर अनधिकृत कब्जा करके मस्जिदें, मजारें, कब्रिस्तान मकबरे आदि बना करके वातावरण बिगाड़ने का प्रयत्न चल रहा है। यह सार्वजनिक दुष्चक्र बड़ी तेजी से चल रहा है। इससे देश का और कोटा शहर का वातावरण बिगड़ने की संभावना है।

कोटा में कुन्हाड़ी का चम्बल पर निर्मित पुल भारत का सबसे बड़ा लीवर पद्धति का पुल है। उसके नीचे एक अवैध मजार का का निर्माण किया हुआ है। इसी प्रकार कोटा में एक तरफ आकाशवाणी केन्द्र, दूसरी तरफ दूरदर्शन रिले केन्द्र तथा तथा समीप में ही सटा हुआ जानकी देवी कन्या महाविद्यालय है। वहां कहीं भी दूर-दूर तक मुस्लिम बस्ती नहीं है फिर भी एक अवैध मस्जिद का निर्माण करके मुख्य सड़क को दबा दिया गया है। यह भूमि एन. एच. 12 की सड़क सीमा में आती है। श्रीमान यहां तक ही नहीं, कोटा के एक सार्वजनिक उद्यान को ही कब्रिस्तान बना डाला है जो मुख्य सड़क पर आबादी के बीच में है। रंग बाड़ी के श्री बालाजी हनुमानजी का प्रसिद्ध मन्दिर, तथा खड़े गणेश का मन्दिर स्थान दोनों ही पुण्य एवं प्राचीन धार्मिक स्थान हैं। उसके पास जहां कब्रिस्तान बनाया गया है उस जमीन पर

(श्री मदन दिलावर)

भारी चट्टानें हैं वहां कब्रें नहीं बन सकती तथा ऊपर बिजली की 11 के. वी. हाई वोल्टेज की बड़ी लाइन गुजर रही है वहां किसी भी हालत में कब्रें नहीं बन सकती। मुख्य सड़क से सटा हुआ है और हिन्दू घनी आबादी के बीच में है। इसी प्रकार श्री आसापला माताजी का मन्दिर किशोरपुरा के सामने है, दरगाह की बाउन्ड्री को अवैध तरीके से पूर्व सरकार की शह पर कांग्रेस ने लाखों रुपये हड़प करके नाजायज कब्जा करवा दिया है। यह स्थान हथियारों के जखीरे रखने व बम आदि विस्फोटक सामग्री छुपाने के अड्डे जो अभी भी भयानक रूप से समाज के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इन मस्जिदों व मजारों का उपयोग खतरनाक हथियारों, बम विस्फोटों को इकठ्ठा कर गोदाम के रूप में होता है। जब कभी इन लोगों को दंगा करना होता है तब योजनाबद्ध तरीके से कब्रिस्तानों, मस्जिदों, मजारों में से जमा-हथियार निकालकर निर्दोष लोगों पर हमला बोल दिया जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण पिछला कोटा का दंगा है। पिछले दिनों इसी तरह कब्रिस्तानों, मजारों में से पुलिस ने बड़ी मात्रा में बम बारूद एवं कई हथियार बरामद किये हैं। इस प्रकार के दुश्चक्र योजनापूर्वक, समाज घातक एवं देशद्रोही गतिविधियां मस्जिदों, मजारों एवं कब्रों की आड़ में बड़े पैमाने पर पूरे देश में चल रही है। सरकार ने अतिक्रमण हटाने का अभियान चला रखा है तो जो इस प्रकार के अवैध कब्रिस्तान, मस्जिदें एवं मजारें हैं उन्हें भी हटाया जावे नहीं तो इसके दुष्परिणाम वर्तमान समाज एवं आगे आने वाली पीढ़ियों को भयानक रूप से भुगतने पड़ेंगे।

अनेक स्थानों पर कोटा में कब्रिस्तान के लिए दिए गए स्थानों पर कांग्रेस शासन की शह पर मकानों के बड़े पैमाने पर निर्माण कर लिए गए हैं। इस प्रकार अतिक्रमण हुए भवन निर्माण रुकवाये जायें अन्यथा परिस्थिति अत्यन्त जटिल एवं उलझकर एवं विकराल समस्या के रूप में कभी भी उठ खड़ी होगी।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय नाथूराम अहारी। (अनुपस्थित)

माननीय श्री रामस्वरूप मीणा। (अनुपस्थित)

माननीय श्री सांवरलाल। (अनुपस्थित)

श्री लालचन्द डूडी।

**परिवर्तित आय-व्ययक पर सामान्य वाद विवाद**

**श्री लालचन्द डूडी** (भादरा) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का बजट, जो पेश किया गया है, उसके ऊपर चर्चा शुरू करूं, उससे पहले में दो बातें हाउस के माननीय सदस्यों के नोटिस में ला देना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि हमें यह देखना चाहिये, हमें इस बात को नहीं भूल जाना चाहिये कि इस देश के अन्दर मिडिल क्लास से नीचे भी एक क्लास है, इस बात को हमको नहीं भूल जाना चाहिये। जिसके पास और

(श्री लालचन्द डूडी)

सुविधाओं की बात तो दूर दोनों वक्त की रोटी भी नहीं है, अब हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं हमें इस बात की इति श्री नहीं मान लेनी चाहिये कि फलानी योजना के अन्तर्गत हमने इतने पैसे खर्च कर दिये। पैसे खर्च करना किसी योजना के ऊपर कितना पैसा लगाना, यह बड़ी बात नहीं है। मुख्य-बात यह है कि उस पैसे में से कितना पैसा सही लगा, कितना पैसा गलत लगा। इस बात का भी वैल्यूएशन करना चाहिये। मैं अपना बजट भाषण शुरू करने से पहले दो बातें आपके नोटिस में लाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, बजट जो पेश किया गया, इसमें कई बातें हमारे वित्त मंत्रीजी ने, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने रखीं लेकिन मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि जिन बातों की तकलीफ, जिन बातों के लिए लड़ कर, जिन बातों को ले के हमने पिछले 5 साल से, 10 साल से लड़ाई लड़ते आ रहे थे उन समस्याओं को दूर करने की बात इस बजट के अन्दर बहुत क्लीयरली कहीं भी नहीं की गई है। इस बात को हमें बहुत हिसाब-किताब से सोचना पड़ेगा। हमने चुनावी वायदे किये थे अध्यक्ष महोदय, जिस राजनैतिक पार्टी से जिस राजनैतिक पार्टी के नेताओं पर से जनता का विश्वास उठ जाता है, वो राजनैतिक पार्टी अगर राज में रहती है तो उस राज का, उस देश का कोई विकास नहीं हुआ करता। विश्वास उठ गया था इस देश की कांग्रेस की घोषणाओं के ऊपर से, विश्वास उठ गया था राजीव गांधी की घोषणाओं के ऊपर से, कांग्रेस की घोषणाओं से, कांग्रेस के नेताओं पर से, और इस देश ने राज बदल दिया और अगर वही बात आज हम कहेंगे, उसी तरह से घोषणाएं करके उसकी क्रियान्विति उन्हीं के तरीके से करेंगे तो इस देश की जनता का विश्वास हमारे नेताओं पर से, हमारी पोलिटिकल पार्टी पर से खतम हो जायेगा और विश्वास जब खतम हो जाएगा तो यह देश तरक्की नहीं कर सकता और देश मजबूत नहीं हो सकता तो सबसे पहले हमें जो बात कहनी है वह उन बातों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि हमने जो पोलिटिकल कमिटमेन्ट्स किये हैं, चुनावी वायदे जो किये हैं। उन वायदों को हम पूरा करें। हमने घोषणा की थी अध्यक्ष महोदय, कि राज आने के बाद हम वृद्धावस्था पेन्शन देंगे और बहुत क्लीयरली कहा था कि 65 साल के बूढ़ों को चुनाव के रिजल्ट आने तक आप मर मत जाना। आपके हमारी तरफ से सौ रुपये का मनिआर्डर आपके घर पर आयेगा। ये घोषणाएं उन लोगों के लिए की थी चुनाव मिटिंग्स के दौरान।

अध्यक्ष महोदय, कहां दिक्कत पड़ती है इस बात को पूरा करने में, कहां बजट के ऊपर बोझ पड़ता है इस घोषणा को पूरा करने में और अगर पड़ता है तो पड़ता है। हमने क्यों वायदे किये? हमने पहले सोचा नहीं था कि इन घोषणाओं को हम पूरा नहीं कर सकेंगे। और मैं आज बतला रहा हूं कि इसको पूरा करने के अन्दर कहीं कोई विशेष चिन्ता की बात नहीं है।

(श्री लालचन्द डूडी)

(12.26 म. प.)

(श्री रामनारायण बिश्नोई, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, आप पेन्शन उन लोगों को दीजिए जिन लोगों को जरूरत है पेन्शन की, जो पेन्शन को डिजर्व करते हैं, उन लोगों को पेन्शन दीजिये। सभापति महोदय, 25 साल की उम्र में नौकरी लगने के बाद 56 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं और उन पूरे सालों के अन्दर दवाई का पैसा, बीमारी का पैसा राज का लगता है, किराये का पैसा राज देती है, टेलीफोन राज का है, गाड़ी राज की है पेट्रोल राज का है और जिस दिन रिटायर होते हैं उस वक्त लाखों रुपये ग्रेच्युटी के नाम के उनको मिलते हैं उसके बावजूद भी पेन्शन लेते हैं सभापति महोदय, यह कह के कि हमने राष्ट्र का काम किया है। सभापति महोदय, दस साल का बच्चा बकरी चराने लग जाता है, 14 साल का बच्चा खेत में काम करने लग जाता है हाथ पकड़ लेता है और जब तक उसका शरीर चलता है वह काम करता है। गेहूं पैदा करता है तो साल में एक बोरी बहुत उसको, सरसों पैदा करता है तो पांच किलो तेल बहुत उसको, कपास पैदा करता है तो पांच किलो कपास बहुत उसको एक साल के लिए। बाकी सारा का सारा राष्ट्र को देता है। राष्ट्र का काम वह करता है उसको पेन्शन क्यों नहीं मिलती है। सभापति महोदय, 14 साल की उम्र में मिट्टी डालने लग जाता है। वह सड़क के ऊपर कल उस नहर के ऊपर, परसों उस कारखाने में लग जाता है और जब तक शरीर चलता है, वह काम करता है। क्या यह राष्ट्र का काम नहीं है ? क्या उन लोगों को जिनकी उम्र है पेन्शन की उस दिन उनको पेन्शन क्यों नहीं ? यह उनका राइट है उनको पेन्शन मिलनी ही चाहिए। पेन्शन देकर आप उसके राइट को पूरा कर रहे हैं, आप कमिटमेण्ट को पूरा कर रहे है लोगों के सामने जो वायदे किये उन वायदों को पूरा कर रहे हैं और अगर यह आपके बजट में नहीं है तो मैं यह कहूंगा कि किस तरह से कांग्रेस के लोगों ने असत्य बोल कर इस देश के लोगों को धोखा दिया 40 साल तक, आप भी उसी श्रेणी में शामिल होंगे। आपने भी देश के लोगों के सामने भाषण दिये हैं हम इनकी पेन्शन करेंगे, वृद्धावस्था पेन्शन और अगर वो नहीं करते हैं तो इस देश की जनता को धोखा देने की कोशिश की तो इस देश की जनता आपको नहीं बख्शेगी। सभापति महोदय, इसी तरह से हमने वायदा किया था हम दस हजार तक के कर्जे माफ करेंगे। कहां किये सभापति महोदय ? अच्छी तरह से जानते हैं कि इस तरह के कर्जे थे मुख्य मंत्रीजी भी इस बात से परिचित हैं, इस हाउस के 200 माननीय सदस्य भी इस बात से परिचित हैं कि जो आदमी कर्जा लेने गया चाहे भेड़, बकरी का कर्जा लेने गया, चाहे वह ट्यूबवैल का कर्जा लेने गया, चाहे वह ट्रैक्टर का कर्जा लेने गया, उस भले आदमी को उस कर्जे का, उस मांगने वाले आदमी को उसका 50 प्रतिशत जो है वह उन बेईमानों की जेब में दलाली के रूप में गया। चाहे बी. डी. ओ. ने लिया, चाहे पंचायत ने लिया, चाहे बैंक के कर्मचारियों, अधिकारियों ने

(६.५)



(श्री लालचन्द डूडी)

लिया। आपकी प्रक्रिया ही ऐसी है जिसके अन्दर जब तक आधा पैसा नहीं दे दिया जब तब तक उसको कर्जा नहीं मिला तो उस तरह का कर्जा जो इस देश के लोगों के ऊपर था, जिनको नाम लिखा गया उस गरीब के नाम और बीच में खा लिया और किसी ने, वो कर्जा सभापति महोदय, कर्जा नहीं होता। आपने गांवों के अन्दर देखा होगा जिस बोहरे ने ज्यादा कांटा लगाया और जिस बोहरे ने ज्यादा ब्याज लगाया उस वोहरे को कभी रिकवरी नहीं हुई तो इस तरह के जिन लोगों को कर्जा मिला इस कर्जों के अन्दर बीच के अन्दर इस तरह की दलाली, बीच मेंइ स तरह से पैसा चला गया वो कर्जा माफ करना ही पड़ेगा। जो घोषणायें हमारे नेताओं ने चाहे वो जनता दल के नेता हों और चाहे वो बी. जे. पी. के नेता हों इस देश के अन्दर चुनाव के पहले इन बातों की घोषणा की थी।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने गंगानगर जिले के अन्दर स्वयं ने घोषणा की कि राजस्थान केनाल के फस्ट फेज के अन्दर जो पक्के खाले बने हैं उनकी कीमत हमारा राज बनते ही हम माफ करेंगे। मुख्य मंत्री जी अभी यहां नहीं है मैं उनसे पूछता कि आपने यह घोषणा की थी या नहीं की थी, बड़ा खुल्ला कहा था कि हम खालों की कीमत माफ नहीं करेंगे। आपने उन खालों की कीमत के बारे में कुछ नहीं कहा।

इसी तरह से बहुत सारी समस्यायें हैं माननीय सभापति की बहुत सारी बातें जिन के लिये किसान आन्दोलन हुआ है। हमारे गंगानगर जिले के अन्दर किसानों का करीब तीन महीने तक आन्दोलन चला है, लाखों आदमियों ने गंगानगर कलक्टर के सामने धरना दिया है। उस आन्दोलन के समर्थन ने उस वक्त के विपक्ष के नेता आज के मुख्य मंत्री जी, उन्होंने उस आंदोलन के बारे में न मालूम कितनी-कितनी बातें इस हाउस के अन्दर कही थी उन्होने कहा था आज कालोनी एरियाका किसान उजड़ रहा है,यह पाबन्दी लगा दी कि कलक्टर की मन्जूरी के बिना न जमीन खरीद सकते हो न बेच सकते हो। सभापति जी, करोड़ों रुपये का कारखाना बेच सकते हैं, कहीं पाबन्दी नहीं है, कोई मन्जूरी लेने की जरूरत नहीं है। लाखों रुपये की बसें और ट्रक हम बेच सकते हैं, कहीं परमीशन लेने की जरूरत नहीं है, कितने रुपयों का मकान बेच सकते हैं कहीं परमीशन लेने की जरूरत नहीं है दुकानें हम बेच सकते हैं कहीं परमीशन लेने की जरूरत नहीं। रोज कारें और जीपें खरीदते हैं, बेचते हैं कहीं परमीशन लेने की जरूरत नहीं है। सभापति जी, मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस किसान ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि वह अपनी जमीन बेचता है या खरीदता है तो उसे परमीशन लेने की जरूरत पड़ेगी, उसने कौनसा पाप किया है। इस किसान को इस देश का सैकण्ड क्लास नागरिक हम क्यों मान रहे हैं? आपने उस किसान के साथ अत्याचार करने की कोशिश क्यों की है? सभापति महोदय, हम तो लड़ा करते थे, चौधरी देवीलाल ने एक बार घोषणा की थी कि महिलाओं का अपने बाप की प्रापर्टी में हक

(श्री लालचन्द डूडी)

न हो इससे गांवों के अन्दर लिटीगेशन पैदा होते हैं। और एक थोड़ा रास्ता निकाल रखा कि लड़की अपने बाप के मरने के बाद यदि यह बयान दे दे भाइयों के पक्ष में जमीन चढ़ा दे तो वह जमीन भाइयों के नाम चढ़ जाती थी लेकिन आपने क्या किया, सभापति महोदय, लड़की के बयान से नहीं माना जायेगा उस लड़की को रजिस्ट्री करवानी होगी और उसकी फीस देनी होगी। यह अन्याय किसान के साथ क्यों कर रहे हैं सभापति महोदय। मैं मानता हूं लड़की का हक कहीं न कहीं होना चाहिये। बाप की प्रापर्टी में हो या ससुर की प्रापर्टी में हो, कोई दिक्कत नहीं है। श्वसुर की प्रापर्टी में होता है तो भाई-बहिन की लड़ाई नहीं होती और उस लड़की का हक तो होगा ही, मेरी लड़की का हक उसके ससुर की प्रापर्टी में होगा तो किसी की लड़की का हक मेरी प्रापर्टी में होगा। लेकिन इससे प्रभावित केवल गांव का आदमी होता है। खेती करने वाला आदमी होता है। इसलिये खेती करने वाले को परेशान करने के लिए यह बात रखी जा रही है और इसको आप यहां तक ले आये कि लड़की अगर अपने भाई के पक्ष में हिस्सा देने की बात करेगी तो उसको रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी, रजिस्ट्री की फीस देनी पड़ेगी। सभापति महोदय, सम्बन्धित मंत्री महोदय बड़ी गहन वार्ता में लगे हुए हैं। यह मामला माननीय राजस्व मंत्री जी आपसे संबंधित है और आप बातें कर रहे हैं। आप क्षुब्ध किसानों के नुमाइन्दे हैं। जो किसानों की बात करने वाली जनता दल है उसके विधायक दल के लीडर बनकर आप उस पार्टी को रिप्रजेंट कर रहे हैं। आप उनकी बातों को गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं। खुशहाली टैक्स का क्या औचित्य है वह आप मुझे बताइये.......

**श्री सभापति :** माननीय सदस्य, मंत्री जी यह विचार कर रहे हैं कि आप थोड़ी अधूरी बात कर रहे हैं यह जो आपने कहा कि सिर्फ किसान को ही रजिस्ट्री करवानी पड़ती है, दूसरे आदमी के लिये भी लड़की यदि अपना हक छोड़ती है तो रजिस्ट्री करवानी पड़ती है सिर्फ किसान के लिये नहीं है।

**श्री लालचन्द डूडी :** आपने सभी को दुःखी कर रखा है। सभी को दुःख से निकालिये आप। मैं यह पूछना चाहता था कि खुशहाली बला क्या है? यह खुशहाली टैक्स किस वक्त लगा था? एक बीघा जमीन के ऊपर कितना टैक्स लेना था, इन दी ईयर 1954 आई थिंक खुशहाली टैक्स लगाया था 165 रुपये प्रति बीघा का देना था और वह खुशहाली टैक्स आज तक चलता आ रहा है। राजस्व मंत्री जी इस खुशहाली टैक्स का कहीं आपके पास कोई हिसाब-किताब है क्या? आपने किसान से कितना वसूल कर लिया, कितना बकाया है, कोई हिसाब है? और किस बात की खुशहाली? आपने किसान को बहुत ज्यादा खुशहाल कर दिया? और लोग खुशहाल नहीं हुए? उस किसान के ऊपर खुशहाली टैक्स का क्या मामला है? इसके लिये हमने आन्दोलन किया है।

(श्री लालचन्द डूडी)

माननीय मुख्य मंत्री जी उस वक्त इस खुशहाली टैक्स के खिलाफ बोले ही थे। आज इस खुशहाली टैक्स को खत्म करने की बजट में कहीं कोई बात नहीं है।

सभापति महोदय, यह मुद्दे हैं, मैं एक एक को कहने की जरूरत नहीं समझता। क्योंकि किसान संघर्ष समिति के सारे घोषणा पत्र जो आज माननीय मुख्य मंत्री जी हैं उस वक्त लीडर आफ अपोजीशन थे, उन्होंने खुद ने एक-एक मुद्दे को वहां इस हाऊस के अन्दर उठाया था। इन बातों के ऊपर हमको विचार करना होगा, पक्के खालों की कीमत खतम करनी होगी, खुशहाली टैक्स हमें खत्म करना होगा : जमीनों की रजिस्ट्री के ऊपर जो मन्जूरी पाबन्दी लगी हुई है, उस पाबन्दी को खत्म करना होगा। कुछ छोटी-मोटी समस्यायें और भी हैं। हमारे जिले के अन्दर रायसिंह नगर नाम की एक तहसील है। उस तहसील के अन्दर करीब चालीस हजार एकड़ जमीन ऐसी पड़ी हुई है जो हर साल एक साल के लिए अलाट होती है। और फिर एक साल के अलाटमेंट के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी को मेरे ख्याल से मालूम नहीं है, एक साल के अलाटमेंट में अलाटमेंट करने वाले क्या-क्या गुल खिलाते हैं। जिस किसी को भी अलाट करना है इसको परमानेन्टली क्यों नहीं अलाट कर दिया जाता ? हर साल किसी को खाने का मौका क्यों दिया गया है ? राजस्व मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे भादरा और नोहर तहसील में कुछ ऐसे गांव हैं जिन गांवों की अभी तक लीज फिटिंग नहीं हुई। जमीन कागजों के अन्दर 'ए' के नाम बोल रही है, काश्त 'बी' कर रहा है और आये दिन जमीनों के ऊपर झगड़े हो रहे हैं और उनके बीच कई चाल-बाज आदमी कुछ पैसे इधर-उधर देकर के उन जमीनों को अलाट भी करवाते हैं। इन की लीज फिटिंग करवाने में मेरे ख्याल से पिछली सरकार के सामने करीब बीस दफा इस बात को उठाया है लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि यह मसला इस राज से क्यों नहीं ठीक हो रहा है ?

सिंचाई के बारे में, मैं बहुत कुछ कह चुका। माननीय मुख्य मंत्री जी को मालूम है, इनके सामने मैं बहुत कुछ कह चुका। हमारा एक सिस्टम है अमरसिंह सिस्टम भाखड़ा सिस्टम का ही एक हिस्सा। उस अमरसिंह सिस्टम से नोहर और भादरा को पानी मिलता है। डिजाइन के हिसाब से यह नहरें 60 प्रतिशत इन्टेन्सिटी के लिये बनाई गई थी लेकिन 60 प्रतिशत इन्टेन्सिटी को कम मानकर इसके खिलाफ आन्दोलन किया गया था और चीफ इन्जीनियर मोतीराम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और यह फैसला किया गया था कि सिंचाई क्षमता जब तक 80 प्रतिशत न हो तब तक किसान के लिये बेनिफिशियल नहीं है और बाकी सिस्टम्स के अन्दर सिंचाई क्षमता को 80 प्रतिशत कर दिया गया। अमरसिंह सिस्टम केवल ऐसा रह गया था जिसमें सिंचाई क्षमता बढ़ाने का कोई उस वक्त तरीका नहीं था। मोतीराम समिति ने तीन सुझाव दिये। या तो जिस दिन सिद्धपुर नहर बने उस दिन उसका पानी इसमें एक्स्ट्रा लेकर के इसकी सिंचाई क्षमता बढ़ाई जाये या इसके

(श्री लालचन्द डूडी)

पास ट्यूबवेल लगा कर के, पानी नहर के अन्दर डालके उससे क्षमता बढ़ाइ जाये या फिर इन नहरों को पक्का करके इनकी क्षमता बढ़ाई जाये। इन तीनों सुझावों में से अभी तक कुछ नहीं किया गया है। नतीजा क्या हुआ जो टोटल पानी उस वक्त करीब 335 क्यूसेक्स मिलता था उसमें से करीब 50 प्रतिशत पानी पीने के लिये दे दिया गया।

वह 60 पर्सेन्ट से घटकर नीचे आ गई। दुर्भाग्य यह रहा कि मुख्य नहर के अन्दर जो नाले हैं, जो ऑउटलेट्स हैं, जब नहर चलती है तो उनकी तो सिचाई बढ़ जाती है लेकिन क्योंकि पानी कम है इसलिए बाकी की डिस्ट्रीब्यूटरीज बारियों से आती हैं। 4 दफा नहर बड़ी चल लें तब कहीं जाकर एक दफा डिस्ट्रीब्यूटरी का नम्बर आता है। तो इस तरह से सारी फसल के अन्दर एक या दो पानी लगते हैं। तो वह 60% इन्टेंसिटी भी नहीं है और जहां 80 पर्सेन्ट का आफ्टर सिक्सथ बाटरिंग, यहां 15 पर्सेन्ट इन्टेंसिटी है आफ्टर वन बाटरिंग। तो इसके लिए मैंने सुझाव दिया था और उस वक्त बात भी हुई थी कि सिद्ध मुख केनाल के लिए अलाटेड वाटर हैं उस पानी को अमरसिंह के अंदर सेकिंग प्रिप्रेंस के अन्दर लिया जाय। फर्स्ट और सेंकिंग प्रिप्रेंस तो पूरा कर जायेंगे तब इसके अन्दर इन डिस्ट्रीब्यूटीज को चलाने का दूसरा और कोई साधन बन जायेगा और उससे हमें काफी रिलीफ मिलेगी। यह बहुत महत्त्वपूर्ण मामला है आज 60 पर्सेन्ट विद सिक्सथ वाटरिंग जो, टेक्सेज वगैरह दे रहे हैं इरिगेशन के उनके बराबर ही हम लोग 15 पर्सेन्ट विद वन बाटरिंग उनसे बराबर का टेक्स दें। हमारी गिनती कर ली कि आप तो नहरी हैं। अकाल की सहायता के और ये सारे के सारे मामले बन्द। तो इस हमारी दुविधा को आप दूर करने की कोशिश करेंगे, मैं आपसे निवेदन करूंगा।

कुछ एक चीजें जिनके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने टेक्स कम किया, यह कह करके कम किया कि अगर हम इनके ऊपर टेक्सेज लगाएंगे तो ये दूसरी स्टेट्स से बिकने आ जाएंगे फिर हमारे यहां कोई टेक्स नहीं लगेंगे। बड़ी सही बात है लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़े टेक्स का नुकसान हो रहा है हमारे बोर्डर एरिया के ऊपर। उसको भी हम सोचें। हमारे ट्रेक्टर्स जितने भी गंगानगर, चूरू और अलवर एरिया के लोग हैं सारे हरियाणा से खरीदते हैं, हमारा डीजल जितना भी है आसपास के लोग हरियाणा से खरीदते हैं, हमारा फर्टिलाइजर्स जितना भी है सारा हरियाणा से खरीदते हैं इलेक्टीसाइड यह भी सारा हरियाणा से खरीदते हैं, क्योंकि हरियाणा के अन्दर इन चीजों के ऊपर टेक्स नहीं हैं और हम लोग वहां से जाकर खरीदते हैं तो इन कामों में और कृषि यंत्र ये सारे वहां से खरीदते हैं। तो जब इनके ऊपर पड़ौसी स्टेट्स के अन्दर टेक्स नहीं है तो फिर किस प्रकार से इनके ऊपर आप पाबन्दी करेंगे।

एक मेरे ख्याल से मोटर व्हीइकल्स का भी आपने कुछ किया है जो कभी बोम्बे से

(श्री लालचन्द डूडी)

गोवा-दमन से खरीदी जाया करती थी उनके ऊपर तो आपने कर की कोई पाबन्दी नहीं लगाई । मैं पाबन्दी लगाने की बात तो नहीं कहता लेकिन मैं कहता हूं कि इन चीजों के ऊपर जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ाने के काम आती है उनके ऊपर टेक्स कहीं भी जस्टीफाई नहीं है हमें इनका टेक्स हटाना चाहिए ।

दूसरा बड़ा तमाशा हो रहा है हमारे साथ ट्यूबवैल लगा करके ईरिगेट करते हैं, डीजल जलाते हैं या बिजली के बिल भरते हैं । पानी मीठा केवल उन जगहों पर है जहां नहर है और वो जो सिंचाई करते हैं। उसको खूब करते हैं ईरिगेशन डिपार्टमेंट वाले और आबियाना हमसे वसूल करते हैं, कितनी विडम्बना है । हम अपना खर्चा लगा करके, डीजल जला कर, बिजली जला करके सिंचाई करें और उनका पैसा सिंचाई विभाग वाले ले जाय । सिंचाई विभाग वालों ने हमको क्या दे दिया है जो वसूलेंगे पैसा !

ये इस प्रकार के अन्याय जो काफी दिनों से हो रहे हैं हमें उनके ऊपर पाबन्दी लगानी पड़ेगी । आपने कहा कि सारी बात तो ठीक है लेकिन यह बात करने के लिए पैसा कहां से आये !

मुख्यमंत्री जी मैंने आपके आने से पहले निवेदन किया था कि हम आगे बोलें उससे पहले हमें सोच लेना चाहिए कि इस राजस्थान के अन्दर मिडल क्लास से नीचे भी एक क्लास है । उस क्लास के विकास के लिए हमें कुछ करना चाहिए । जो पैसा था ही उन लोगों के लिए और वह क्लास ऐसी है जो न तो कभी टूथ-पेस्ट खरीदते हैं और न वो आपका नेपकिन खरीदती है और न वो साबुन खरीदती है और न वो लाखों रुपया शादियों के अन्दर शो के ऊपर खर्च करती हैं । वह एक ऐसी क्लास है जिसको रोटी चाहिए दोनों वक्त की, जिनको कपड़ा चाहिए तन ढकने के लिए, जिसको छाया चाहिए सिर छिपाने के लिए । उस क्लास के विकास के लिए हमें किसी न किसी तरह से कुछ करना पड़ेगा । मैं यों तो नहीं कहता कि आप निर्दयी हो जाय लेकिन मैं यों जरूर कहूंगा कि टेक्स की वसूली के लिए आपको कहीं-कहीं कठोर भी होना पड़ेगा ।

मुख्यमंत्री जी, इस हाऊस के माननीय सदस्य जितने बैठे हैं क्या एक से भी यह छुपा है कि हमारे सिंचाई के कामों में, हमारे पी. डब्ल्यू. डी. के कामों में, हमारे बिजली के कामों में, हमारे पी. एच- ई. डी. के कामों में जो बजट हम अलोट करते हैं उसका 30 पर्सेण्ट कमीशन के रूप में, भ्रष्टाचार के रूप में और कहा जाता है ? मुझे बतला दीजिए कि, किसी भी माननीय सदस्य से छुपा हुआ है क्या ? माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या आपसे छुपा हुआ है, ये जो और सदस्य बैठे हैं किसी से छुपा नहीं हैं ।

हम एक करोड़ की योजना बनाएं पानी के लिए और उस योजना में से 30 पर्सेन्ट चला जाता है 4 आदमियों की जेब में । वो अकाउंटस् वालों की जेब में, वो कोई बजट बनाने वालों की जेब में । क्या

(श्री लालचन्द डूडी)

उन 4 आदमियों को नहीं रोक सकते और अरबों, करोड़ों रुपया जो बजट में हम रख रहे हैं, यानि मैंने पहले कहा कि हमने इस साल योजना के लिए हमने इतना पैसा खर्च किया है इससे काम नहीं चलेगा। हमें यह देखना होगा कि हमने जितना पैसा अलोट किया है उसमें से कितना पैसा लगा है, उससे काम चलेगा।

माननीय मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर हमें कठोर होकर और यहां तक कि निर्दयी होना पड़े और फिर इस पैसे को इस तरह से कमीशन और भ्रष्टाचार में जाने से रोकना पड़ेगा और वो ऐसी स्थिति जो है उसको खत्म करना है और किसी न किसी ने मुख्यमंत्री जी इस तरह की बातें कहीं है जिसे हम जान-बूझकर कानून-सम्मत बना करके और सारी की सारी चोरी करवाते हैं। सी फार एक्जाम्पल—आपने यह दारू की जो नीति बनाई है। यह दारू की नीति बनी किसके प्रभाव से, किसके कहने से बनी आपकी वो पढ़ी जब प्रगति रिपोर्ट गई थी उसके अन्दर खुश होकर बना ली, इस साल के अन्दर इतनी वसूली हुई हमने टैक्स हटा दिये थे तो भी। लेकिन मैंने यो नहीं देखा कि उस वसूली के अन्दर आपका कोई योगदान नहीं था, बिक्री कितनी हुई यह भी आपने देखा होगा, दुगुनी से ज्यादा बिक्री हुई है और आमदनी कम हुई है और सैल्स-टेक्स उसके ऊपर हटा लिया गया है उस सैल्सटेक्स हटाने की वजह से घाटा बढ़ा है यह सारा का सारा उन लोगों से किया गया है।

सभापति महोदय, बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां हमें कुछ करना होगा। हमें एक और यह करना होगा कि इण्डस्ट्रीज में, और में जो चीजें बन रही हैं उनकी जिस मर्जी के हिसाब से इण्डस्ट्रीज अपनी कीमतें तय करती हैं उनको हमें रोकना होगा। इन बिचोलियों को हमें खत्म करना होगा।

सभापति जी, क्या हम यह नहीं जानते हैं कि एक चर्मकार जूता बनाकर कितने में देता है बड़ी कम्पनियों को और जो बड़ी कम्पनियां मोहर लगाकर कितने में बेचती हैं, क्या हमसे छुपी हुई है यह बात? कितने में बेचती हैं जूता बनाकर और उसको बड़ी कम्पनियां लेकर अपनी मोहर लगाकर कितने में बेचती हैं, इन बातों को हमें देखना पड़ेगा, उसको सही कीमत दिलानी पड़ेगी। हमें सख्त होना पड़ेगा इस बात पर कि अगर जूते की जोड़ी को वह 300/– रु. में खरीदेगा तो लगादो चाहे उसके ऊपर डेढ़ गुना टेक्स, दुगुना टेक्स। जिसके पास फालतू पैसा है वह दे देगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन गरीब आदमी के काम आने वाला जूता है उसके ऊपर टेक्स लगा है, यह क्या 300/– रु. का खरीदेगा?

सभापति जी आज कितना मार्बल एक्सपोर्ट होता है, यहां से विदेशों को भी जाता है, गल्फ कन्टरीज् को भी जाता है, राजस्थान से बाहर भी कितना जाता है। अगर किसी को मार्बल पर बैठना है तो वह ज्यादा पैसा दे सकता है, मुख्यमंत्री जी। सख्त होना पड़ेगा, कीजिए इन जीपों पर टेक्स बढ़ा दीजिए। 30 सालों के लिए एक फ्रीज खरीदा जाता है, रोज नहीं खरीदा

(श्री लालचन्द डूडी)

जाता है। 30 साल के लिए एक फ्रिज। और अगर 30 साल में एक बार फ्रिज वाले आइटम्स के ऊपर अगर आप कुछ टेक्स बढ़ा देते हैं तो कोई पहाड़ नहीं पड़ जाता है। 10000/– रु. उस पर बढ़ाते हैं तो मुझे बतलाइये 30 साल के लिए कितना पैसा हुआ? मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के अखबार आपके खिलाफ बोलेंगे महंगाई बढ़ा दी, इनके ऊपर टैक्स बढ़ा दिये। आप डरिए मत इससे आपको बहुत कठोर होकर इन चीजों के ऊपर टेक्स बढ़ाकर रेवेन्यू वसूल करनी पड़ेगी और आज मुख्यमंत्री जी कहां दिक्कत पड़ी आपको। मैं निवेदन कर रहा था लागू करने की ओर कर्ज माफ करने की।

आपको एठ्थ फाइनेन्स कमीशन के अन्दर कितना मिला था? 1605 करोड़ और नाइन्थ में? 4675 करोड़। नाइन्थ में 4675 करोड़ एक साल के अन्दर 1100 करोड़ आपको फालतू मिल रहा है। ऊर्जा माफ करने में तो एक ही साल लगेगा। उसके बाद बचत ही बचत होती जायगी। आपके पास तो पैसा है, आपको काहेका डर है। मुझे यूं डर लग रहा है।

मुख्य मंत्री जी, कहीं आपकी पार्टी का प्रेशर आपके ऊपर पड़ रहा है वरना आपने तो गरीबों और किसानों के लिए जैसे अन्त्योदय योजना लागू की थी 77–78 के अन्दर उस वक्त में भी हम देख रहे थे, गरीबों और किसानों के लिए आपके मन में हमदर्दी है, मुझे लगा आपकी पार्टी कहीं आप पर ये प्रेशर डाल रही है कि अगर इन बातों की घोषणा आपने पूरी कर दी तो क्रेडिट चला जायेगा जनता दल को और जनता दल को कोई राजनैतिक फायदा नहीं मिले इस वास्ते, भैरोंसिंह जी, आप इन घोषणाओं को, जनता दल वाली घोषणाओं को पूरा मत कीजिये। लेकिन यह घोषणाएं आपकी की हुई थीं, आप साथ थे इस घोषणाओं को करने में और जब आप साथ थे और नहीं करोगे तो लोगों की आस्था आप पर से भी उठेगी, विश्वास आप पर से भी उठेगा। आपको इन घोषणाओं को पूरा करना ही पड़ेगा।

सभापति जी, कुछेक फालतू की ऐसी चीजें हैं, पता नहीं क्या हो रहा है हम उन पर एक्शन नहीं लेते। मुख्यमंत्री जी के पास आये दिन किसी न किसी पंचायत समिति के लोग आकर रोते हैं कि, मुख्यमंत्री जी, क्या करें, ईंटों के भाव बाजार में तो यह हैं और चिमनी वाले बिल देते हैं इतने रुपये का और ईंटें देगा हमें इतने रुपये में, हम यह काम कैसे करें? तो मेरे ख्याल से एक बात तो साबित हो गई कि इन चिमनियों में जो ईंटें बनती हैं वह ईंट वाले अपना सैल्स टैक्स पूरा नहीं दे रहे हैं। वह जो कीमत लेते हैं और कुछ नहीं सरकारी आंकड़ों में देख लीजिए, आप पंचायत समिति, आई. आर. डी. पी. के मार्फत जो काम होते हैं उनमें देख लीजिए, सात सौ, आठ सौ, नौ सौ, हजार की कीमत वसूल करते हैं चिमनी वाले और बिल देगा आपको साढ़े तीन सौ, चार सौ रुपये हजार का। यह इस तरह जो टैक्स की चोरी दिन दहाड़े, चौड़े धाड़े हो रही है, क्या आपके सैल्स टैक्स वाले इस बात को जानते नहीं,

(श्री लालचन्द डूडी)

क्या आपके अधिकारी जानते नहीं। या तो आप उनसे पूरा टेक्स वसूल कीजिये और अगर उनसे पूरा टेक्स वसूल नहीं कर रहे हैं तो उन ईटों की कीमत फिक्स कीजिये इससे ज्यादा महंगी ईंट आप नहीं दे सकते। कुछ न कुछ तो कीजिये। चोर खाता रहे, सरकार को घाटा पड़ता रहे, हम बिल्कुल असक्षम हो जाते हैं उनका कुछ कर नहीं सकते हैं। किन से मिलकर खा रहे हैं यह? इन सारी बातों के ऊपर देखिये।

अभी तो करोड़ रुपया आपने बतलाया कि यह माननीय ललितकिशोर जी चतुर्वेदी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है, मितव्ययता के अन्दर सौ करोड़ का मुनाफा होगा।

**अनेक माननीय सदस्य :** तीस करोड़।

**श्री लालचन्द डूडी :** तीस करोड़तो इस साल होगा, अगले साल तो सौ के करीब पहुँच जाएगा। नहीं, मुनाफा तो हमको करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा, आज एक कलक्टर एडमिनिस्ट्रेटर हो जाता है सैंट्रल को-आपरेटिव बैंक में तो सैन्ट्रल को आपरेटिव बैंक की कार कलक्टर के पास आज कलेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर हो जाते हैं किसी स्पिनिंग मिल के तो उस स्पिनिंग मिल की चेयरमैन की कार उसके पास और आज कलक्टर चेयरमैन हो जाते हैं यू. आई. टी के चेयरमैन वाली कार कलक्टर के पास। यानि इस तरह से कितनी गाड़ियां एक जगह किस तरह से इनका मिसयूज हो रहा है। तो उस चार गाड़ियों से चार कलक्टर बन कर बैठ जाते हैं क्या? एक कलक्टर चार हिस्से हो जाते हैं? तो इस तरह की जो यह फिजूल खर्ची हो रही है, एक फिजूल खर्ची का, मुख्य मंत्रीजी, आो हो हो जिस तरह से हम बात कहा करते थे सेटलमेंट की, एक आपका सी ए डी का महकमा और है। मुझे मालुम नहीं वह सी ए डी का महकमा क्या करता है। उसके बनाये हुए खाले तो सारे साफ साले खाले साफ। अब और वह क्या कर रहा है? कोई तो अनुसंधान अधिकारी, कोई फलाना अधिकारी और वह सारे करके इनके पास दुनियां भर की गाड़ियां, काम धेले का का करते नहीं। इस सी ए डी से आप दो काम करवा लीजिये, मुख्य मंत्रीजी, केवल दो काम। एक तो जमीन का लेवलिंग करवा लीजिये और एक पक्के खाले करवा लीजिये। बाकी इनको कह दीजिये आप अपने प्रेजेन्ट महकमों में चले जाओ और उन महकमों का जितना काम कर सकते हो वह कर दो। यह फालतू के व्हाइट एलीफेन्ट लाकर आपने जो खड़े कर दिये सी ए डी के नाम पर, करोड़ों रुपया सालाना जो उसके ऊपर बिना मतलब खर्च किया जा रहा है उस रुपये को बचाइये। वह रुपया आपके किसी काम नहीं आता, किसी के काम नहीं आता केवल उन अफसरों के बैठने के लिये घोड़ा गाड़ी, रहने के लिये अच्छी कोठी और घूमने फिरने के काम आता है। किसी ने आकर कहीं किसी किसान को यह नहीं बतलाया कि यह बीज लायेगा, पलांनी जगह मिलेगा, जमीन इस तरह से लेवल होगी, यह कहीं किसी ने बताने की कोशिश नहीं की। यह फालतू

(श्री लालचन्द डूडी)

का महकमा है और फालतू का बोझ इस स्टेट के बजट पर पड़ा है, इसको आप कम कीजिये। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह जो बातें मैंने आपको बतलायीं उससे काफी हमें रिलीफ मिलेगी।

अब एक भ्रष्टाचार के ऊपर आप बड़े भारी जोर से चल रहे हैं और आपके नाम की दहशत पड़ गई है भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर। मुख्य मंत्रीजी, मैं यूं चाहता था कि ऐसी व्यवस्था हो कि यह दहशत भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर हमेशा के लिये पड़ी रहे। केवल भैरोंसिंह मुख्यमंत्री रहे तभी नहीं, यह दहशत तो हमेशा रहे उसका कोई तरीका निकालिये। मैं एक इसके लिये आपको सुझाव दूंगा। आप इस तरह का कोई प्रावधान करवाइये कि भ्रष्ट तरीके से जितना कमाया गया धन है उस धन का जितना भी मल्टीप्लीकेशन है वह सारा मल्टीफिकेशन फोरफीट हो, वह सारा राज के खजाने में जमा हो। यह जब तक नहीं करेंगे, भ्रष्ट अधिकारी का आप बहुत कम बिगाड़ सकोगे और कोई विशेष फायदा नहीं कर सकोगे। भ्रष्टाचार से की गई जितनी भी कमाई है उसका जितना भी मल्टीप्लीकेशन हो वह सारे का सारा राज के खजाने में आये। आपके सामने है, मुख्य मंत्री महोदय, जमीनों की हम बिक्री करते हैं, खरीदते हैं तो स्टाम्प ड्यूटी देते हैं। पचास हजार की जमीन बेची तो भी स्टाम्प ड्यूटी दी, पांच हजार की बेची तो भी स्टाम्प ड्यूटी दी, पचास लाख की बेची तो भी स्टाम्प ड्यूटी दी। आपके सामने है, इस जयपुर शहर के अन्दर इकरारनामों से कितने प्लाटों की बिक्री हुई है। इकरारनामे के ऊपर कितने रिहायशी प्लाट दिये गये, कितनी कीमत थी उसकी। अगर उन प्लाट्स की रजिस्ट्री हो तो आपको, स्टेट को कितने करोड़ रुपये का फायदा हो, मेरे खयाल से, मुख्य मंत्रीजी, आपसे छिपा हुआ नहीं है। फिर इसको वसूल करने में कोताही क्यों बरती जा रही है। इसके लिए कानून बनाने में क्यों कोताही की जा रही है यह सारे का सारा वसूल क्यों नहीं करते।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक और बहुत बड़ा सोर्स आपके पास आमदनी का मैं आपको बतला सकता हूं, मैं आपके ध्यान में लाने की कोशिश करूंगा यह कितने मकान और दुकान हैं जो बीस साल से, पच्चीस साल से, तीस साल से किराये पर चली आ रही हैं। अगर उस मकान के, दुकान के मालिक को जरूरत होती तो इतने दिन तक वह अपना मकान और दुकान किराये पर नहीं देता। वह उनको इस वास्ते दी गई कि उसको जरूरत नहीं थी। उसको न दुकान पर बैठना था, न मकान में रहना था। तो फिर वह क्यों बनाई गई? किराया कमाने के लिये। काम कुछ नहीं करूं। कहां से पैसा कमा लिया? मकान बना कर किराये पर चला लिया और आमदनी लेता रहा। मुख्य मंत्रीजी, कानून बनाइये जिस तरह से सीलिंग का कानून बनाया कि इस तरह की जो जमीन है या जो दुकान है, मकान है जो दस साल से, पन्द्रह साल से ज्यादा किराये पर चली गई वह सरकारी सम्पत्ति घोषित हो। आप केन्द्र से बात कीजिये इसके बारे में वह सम्पत्ति सरकारी घोषित करा कर उसका जो किराया आ रहा है वह राज

(श्री लालचन्द डूडी)

के खजाने में आये और उससे आप गरीबों के लिये मकान बनायें, गरीबों के लिये क्वार्टर बनाएं। उधर वह जो किरायेदार रोज मालिक के डण्डे से दुखी रहता है उसका पिण्ड छूटे और इधर वह झोंपड़ी में रहने वाला आदमी है उसको रहने के लिए मकान मिले। आपको अलग से कहीं पैसा लाने की जरूरत नहीं, वहीं किराये से आप इन गरीबों के लिए मकान बना सकते हैं। इस लिए आपकी हिम्मत होनी चाहिए, इसके लिए लगन होनी चाहिए तभी यह काम सारे के सारे हो सकते हैं।

बेनामी प्रोपर्टी है जो शहरों के अन्दर आप मुझे एक आदमी बता दीजिए। एक आई.ए.एस. या आई.पी.एस. या बड़े इंजीनियर जिसने अपने नाम से बेनामी, कितने यहां जयपुर के अन्दर प्लॉट्स वगैरह नहीं ले रखे। किसी ने रीता के नाम और किसी ने गीता के नाम से और यह बीच में कवे कि यह तो घरवाली के धर्मपत्नी के नाम से साहब, यह तो बेटी के नाम से है, जिसे यह कहां से ले आये। आप इस लूपहोल को बन्द कीजिए और यह बेनामी जो इस तरह का किया हुआ है उस सारे को सामने लायें कि कितने लोगों ने जमीन खरीद रखी है गलत नाम से बेनामी। उन सबको सामने लाइये और आज से इसको शुरू करें। मैंने आपको कहा था यह उन लोगों के विकास के लिए जो हम बैठे हैं मुख्यमन्त्री जी, विशेष रूप से आप, आपकी भावना जो है कि इस गरीबी की रेखा से नीचे जीने वाले लोगों के लिए कुछ किया जाना चाहिए। यह उस वक्त तक नहीं होगा जब तक यह सारा का सारा मोबिलाइज नहीं करेंगे और कठोर और निष्ठुर होकर जब तक यह नहीं करेंगे, तब तक यह बात नहीं चल सकती और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जो चुनावों के अन्दर घोषणाएं की थीं, जो वायदे किये थे उन वायदों को पूरा करने के लिए तो आप सारी बातों को छोड़ें। यह तो मैं उम्मीद करता हूं क्योंकि अगर नहीं किया तो इस देश के अन्दर राजनैतिक पार्टियों के अन्दर से विश्वास खत्म हो जायेगा. राजनैतिक पार्टी के नेताओं से विश्वास खत्म हो जायेगा और कांग्रेस का हो गया था हम लोगों से भी हो जायेगा। राष्ट्र की जनता को अपने नेताओं की जुबान पर विश्वास खत्म होगा तो राज्य मुख्य मंत्री से चल नहीं सकेगा। और ऐसी स्थिति के अन्दर आप और हम कहां जायेंगे राष्ट्र कहां जायेगा। इन सारी बातों को छोड़कर इसके ऊपर वायदा पूरा करने की आप कोशिश कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय सभापति, आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति** : माननीय श्री हीरासिंह जी चौहान। मैं सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अपना भाषण जो है वह यह यथा संभव दस मिनट के अन्दर समाप्त करें।

**श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस बजट का मुख्य ध्येय और मुख्य उद्देश्य क्या रखा है? इस बजट पुस्तिका के पेज चार पर स्पष्ट रूप से यह अंकित किया गया है, ग्रामीण

(श्री हीरासिंह चौहान)

क्षेत्र एवं गरीब व्यक्ति हमारी योजना के केन्द्र बिन्दु हैं। केवल योजना राशि का 60 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर व्यय किये जाने का प्रावधान है। माननीय सभापति महोदय, हमारे इस सदन के बहुत से माननीय सदस्य यह भावना रखते हैं कि राजस्थान के गांवों का विकास हो, गांवों के विकास के लिए इसके मुख्य विन्दु हैं ग्राम पंचायतों को इकाई बनाया जाये और इकाई बनाकर गांवों का समग्र विकास किया जाये। सरकार के पास आमदनी के कितने साधन हैं, केन्द्रीय सरकार से कितनी सहायता मिलती है उन सीमित साधनों से ही बजट का आकार बनता है। एक ही वर्ष में सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहें वह किसी भी मुख्य मंत्री के लिए, किसी भी सरकार के लिए सम्भव नहीं है। जितने प्रयास इस बजट में किये गए हैं मैं मेरी ओर से जैसा हम सोचते हैं, इसमें बहुत कुछ प्रयास किया गया है। माननीय सभापति महोदय, आपको मालूम होगा कि पिछले दिनों मैं राजस्थान के बहुत सारे भागों में अच्छी वर्षा हुई। पुरानी कहावत है 'यथा राजा तथा प्रथा' यदि राजा की भावना, राज करने वालों की भावना के प्रति बहुत खुशहाली फैलाने वाली होती है तो प्रकृति भी साथ देती है। पिछले 10 सालों से इस राजस्थान में एक मात्र सिंचाई के साधन हैं तो वे साधन मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर करते हैं। अगर वर्षा हमारे अच्छी हो जाये तो यह चारों प्रकार के बजट में जो प्रावधान किये जाते हैं, हमारे प्रावधानों की आवश्यकता नहीं रहती है। हम सभी सरकार पर आत्म-निर्भर रहना चाहते हैं सभी प्रकार की व्यवस्थाएं सरकार करे, यह जो सोच हम लोगों का बन गया है और इस प्रकार की विचारधारा हम लोगों में जो पनप रही है यह राज्य के विकास के लिए या उन्नति के लिए ठीक नहीं है। पहले भी हमारी सामाजिक व्यवस्था थी। बहुत सारे समाज के काम स्वयं सेवी संस्थाएं करती थी और उन्हीं से राज्य का विकास होता था। लेकिन आज आत्मनिर्भरता का ध्येय समाप्त होता जा रहा है और सारा का सारा सरकार पर ही दृष्टिकोण बनता जा रहा है कि सभी हम सरकार से प्राप्त करें।

माननीय सभापति, महोदय, जिस प्रकार के वायदे हमने जनता दल ने लोगों के साथ किये थे इस बजट में उसका 80 प्रतिशत अचीवमेण्ट हुआ है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि इस साल का जो बजट है आज दिन तक वह राजस्थान के लिए बहुत ही अच्छा है और उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाये थोड़ी है। मैं सबसे पहले इसके लिए सिंचाई के बिन्दु पर ही ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कई बार राज्य में बजट रखा गया है लेकिन इस बजट में पहली बार कुओं के लिए बीमा व्यवस्था लागू की गई है, यह कुओं के लिए जो बीमा व्यवस्था लागू की है यह किसानों में क्रान्ति लाने वाली है। इससे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा और यह हमारे आर्थिक विकास का खेती और किसान का तथा

(श्री हीरासिंह चौहान)

गांवों के जीवन को आगे बढ़ाने का मुख्य साधन होगा क्योंकि पिछले अकाल के वर्षों में एक योजना लागू की गई थी। अकाल में कुएं, जो गरीब हैं या सीमांत काश्तकार हैं उनको खोदने की व्यवस्था की गई थी। मैं माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उन कुओं में किसी प्रकार की कोई प्रगति नहीं हुई क्योंकि कुछ तो कुएं गहरे नहीं हुए, कुछ खड्डे ही पड़े हैं और उनसे किसी प्रकार का जितना लाभ होना चाहिए उतना नहीं हुआ लेकिन इस बीमा योजना के तहत सामूहिक किसान मिलकर कुएं खोद सकते हैं और सरकार ने उसमें निश्चित राशि तय की है और अगर उसको पानी नहीं मिलता है तो उसका बीमा से कुआ खोदा जाता है उसकी राशि भी नहीं ली जायेगी।

इस प्रकार से नलकूप से स्प्रिंकलर से खेती की व्यवस्था की गई है यह बहुत ही अच्छी योजना है और इसके अलावा भी सिंचाई के जो साधन हैं हमने पहले से बड़ी-बड़ी योजनाएं बना दी हैं, बड़े-बड़े बांध बनते हैं, बांध बनने जो नीचे प्राकृतिक रूप से जो गांव बसे हुए हैं जहां-जहां पानी आता है, जहां-जहां नदी बहती हैं तथा जहां–जहां नाले बहते हैं। वहां पर हजारों गांव हैं और किसान बसे हुए हैं। लेकिन इस प्रकार बांध बनाकर बड़े-बड़े बांध बना करके हम, हम जो नीचे बसने वाले लोग हैं या यूं कहें कि नीचे रहने वाली बस्तियों को सुखा दिया है। यह जो इस प्रकार बड़े बांध बनने से हानि होती है इस बजट के अन्दर छोटे-छोटे बांधों में एनिकट से जिसमें बहुत ज्यादा पानी नहीं भरा जाता है ठीक हो जाता है। चारों तरफ गांव होते हैं उनमें पानी फैल जाता है। इस प्रकार की योजनाएं ज्या ली गई हैं और यह एक इस प्रकार की नीति का बजट है।

माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं। मैंने इस बजट को देखा और पढ़ा है। पिछली सरकारें भी बजट पेश करती रही हैं हमने कितना विकास किया इस राज्य के लिए, माननीय सभापति महोदय।

बजट के पेज दो में सड़कों के लिए अभी भी हमारे चौदह प्रान्त हैं, हिन्दुस्तान के अन्दर, उनमें हमारा 12वां स्थान है, इसी प्रकार हास्पीटल(अस्पताल) की सुविधाओं में भी हमारा 12वां स्थान है, पेयजल के लिए भी 12वां स्थान है और वे जो 14 राज्यों के सूचकांक हैं उनमें हमारा 13वां स्थान है। अब इसी से हम अन्दाजा लगा सकते हैं कि 14 जो बड़े-बड़े स्टेट्स हैं उनमें सुविधाओं के जो सूचकांक हैं जो कि स्टेट जनता को मुहैया कराया करती है उसमें 13वां स्थान है हम कहां तक आगे बढ़े हैं। इस सरकार का भी यह पहला वर्ष है और पहले वर्ष में भी हमने वार्षिक योजना आयोग ने, जो आप देखेंगे, इस बार 956 करोड़ रुपये योजना से अकाल में लाये गये और इसमें 161 करोड़ रुपये इस वर्ष पिछले वर्ष से अधिक है।

माननीय सभापति महोदय, उनसे भी राज्य के जो आज तक बजट पेश किये गये हैं उनमें सर्वाधिक रिकार्ड तोड़ने वाला वह

(श्री हीरासिंह चौहान)

है । जो इसमें वृद्धि की घोषणा की गई है और इसके साथ ही जो हमारे लोगों के जीवन के साथ, गांवों के साथ जुड़ी हुई सुविधाएं हैं उनके लिए कृषि और उससे सम्बन्धित सुविधाओं के लिए 82.67 करोड़ रु. की राशि रखी गई है और पिछले से 1.7 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसी प्रकार सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण में हमारे इस बजट पर 182.73 करोड़ रु. रखे गए हैं और 19.1 की वृद्धि इस साल की गई है। विद्युत के अन्दर 231.41 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है और पिछले साल से 24.9 की वृद्धि की है और इस प्रकार ये हमारी जो सबसे बड़ी सेवा है उसमें 19 पाइंट कुछ प्रतिशत की वृद्धि की गई है। विद्युत में 238.41 करोड़ का प्रावधान किया गया है और पिछले साल से 24.9 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसी प्रकार जो हमारी सबसे बड़ी सामाजिक एवं सामुदायिक सेवा है उसमें 237.45 करोड़ रखकर 24.8 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। सभापति महोदय, यह जो हमारे गांव के जीवन के साथ जुड़ी हुई है और बजट के आंकड़े साफ बोलते हैं उनके अनुसार हमारी सरकार विकास कार्यों पर खर्च करेगी और उनमें बहुत बड़ी वृद्धि की गई है तो स्पष्ट लक्षित होती है। इसलिए सभापति महोदय, जिस प्रकार से ग्रामीण जीवन के लिए, गांवों की सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है इसकी जितनी भी तारीफ की जाय, थोड़ी है।

अब मैं सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि के लिए इंदिरा गांधी नहर कैनाल एरिया में जो व्यवस्था की गई है उसमें 1990-91 के बजट का लक्ष्य 64,500 हैक्टर जमीन में 40,000 हेक्टर जमीन सिंचित क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर कैनाल में से लोगों को आवंटित की जायेगी। इस मामले में मेरा निवेदन है कि पिछले इंदिरा गांधी नहर के आवंटन में सीकर, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और नागौर जिले के लोगों को काफी जमीन आवंटित कर दी गई है। मेरा निवेदन है कि पाली जिले के जैतारण रायपुर, सोजत और खारची जहां ऐसी कोई बड़ी नदी नहीं बहती है अगर सरकार व्यवस्था करे तो इस प्रकार की अन्तर्राज्यीय नदी नहीं बहने के कारण से और पानी की कमी के कारण से वहां के किसान बेकार हो रहे हैं। मोहनगढ़ तहसील में भी 60-70 हजार एकड़ भूमि जो विशेष आवंटन के लिए निर्धारित की गई है, मेरा सरकार से निवेदन है कि हमारे किसान जो बहुत अच्छी कृषि करते हैं और गंगानगर और हरियाणा इस दौरान आगे बढ़ते जा रहे हैं और सीमावर्ती क्षेत्र हैं, हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए भी और उस जमीन पर जहां खाले बने हुए हैं और पानी बेकार जा रहा है। उस जमीन को विशेष आवंटन से हटा करके साधारण आवंटन जिस प्रकार जैसलमेर जिले के लोगों का किया जाता है उसी प्रकार अगर पाली जिले के लोगों को साधारण आवंटन में उस स्थान की जमीन दी जाये तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि हमारे किसान पैदावार लेने में, कृषि कार्यों में बहुत चतुर हैं सब प्रकार की आधुनिक टेक्नीक

(श्री हीरासिंह चौहान)

अपनाते हैं। लाखों मन वहां पर पैदावार लेंगे।

मेरा पिछले दिनों में मोहनगढ़ जाने का मौका पड़ा था। वहां के तहसीलदार और रेवेन्यू अधिकारियों से बात करने के बाद मालूम हुआ कि वहां के रहने वाले साधारण लोगों को आवंटन कर दिया गया लेकिन वहां के लोगों की बहुत ही कम आबादी है। न हल में समझते हैं न बीज में समझते हैं और न खेती करना जानते हैं जमीन बेकार पड़ी है ढालें बनी हुई हैं और चारों ओर नहर रेती से भरी हुई है और उसका उपयोग कुछ नहीं है। पानी भी खूब बह रहा है। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि पाली जिले की 4-5 तहसीलें जहां कमाण्ड ऐरिया नहीं है जवाई बांध का सारा पानी जोधपुर को पीने के काम आता है और जब तक इन्दिरा गांधी लिफ्ट से जोधपुर तक पानी नहीं पहुंचता है तब तक जवाई बांध का पानी भी हमारे काम नहीं आ सकता। इसलिये मेरा निवेदन है कि मोहनगढ़ तहसील के पास हजारों एकड़ जमीन पड़ी है। उसका आवंटन पाली जिले के किसान लोगों को जो भी नियम बनावें, साधारण तौर पर किया जाय ताकि उस पर किसान पैदावार ले सकें और पानी का उपयोग हो सके और पूर्वी राजस्थान के लोग हमसे कहते हैं कि पूरे राजस्थान को हम अन्न देते हैं। हम भी उसी प्रकार ज्यादा से ज्यादा पैदावार दे सकें।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले कई वर्षों में अकाल पड़े थे। 86, 87, 88, 89 के भयंकर अकाल पड़े। उन अकाल के वर्षों में यह जो पेयजल की योजना थी वह सरकार बीसों बार इस सदन में बोली लेकिन उन्होंने 5 कि. मी. की दूरी तय की थी। हम कई बार कलक्टर से रिपोर्ट करते, यहां से रिपोर्ट करते, कि अमुक क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध नहीं है लेकिन सभापति महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि वह 5 कि. मी. की दूरी पिछली सरकार नहीं हटा सकी और उसके कारण कलक्टर के यहां जितने भी टैंकर पड़े थे उनका कोई उपयोग नहीं होता। मैं वर्तमान सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम उन्होंने समझा और तत्काल उसके लिए कोई सीमा नहीं रखी जहां भी पीने के पानी की आवश्यकता है वहां पर उन्होंने टैंकर भेजे पाली के जितने भी टैंकर पड़े थे। सब गांवों में पानी को सप्लाई कर रहे हैं इसलिए एक साधारण से साधारण चीज होनी है जिसको हम महसूस करते हैं हम सरकार के ध्यान में लाते है और सरकार उसको अनसुना कर देती है तो वह गैर जिम्मेदार सरकार कही जा सकती है। इस सरकार ने इसको तुरन्त महसूस किया और 5 कि. मी. की सीमा हटाई जिससे इस साल जितने भी टैंकर थे सब पानी की सर्विसेज में लगे।

इसी प्रकार मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाहूंगा। पिछली सरकार ने पेयजल उपलब्ध कराने के लिए दो योजनाएं बनाई।

(श्री हीरासिंह चौहान)

जिन गांवों की आबादी 5 हजार है वहां पर तो घरों में टोंटी से पानी जाएगा लेकिन 5 हजार से कम आबादी के लोगों को पनघट योजना से पानी दिया जाएगा। घरों में नल नहीं मिलेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कोई भी व्यक्ति घर में नल देता है तो प्रति माह पैसा देता है और हमारी बहुत सारी जितनी भी योजनाएं हैं, लोगों को सुविधा देती है उसका जनता वापिस भुगतान करती हैं। पनघट योजना में पनघट पर जाकर पानी भरना पड़ता हैं और गांवों में कुछ ही नहीं सारे परिवार चाहेंगे कि जब शहरों में टोंटी से पानी मिलता है तो गांवों में लोगों को क्यों नहीं मिलता। पानी है वहां पर लेकिन जो योजना बनाई गई है उस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। जहां पानी बहुत है, बड़े-बड़े गांव हैं और 4–5 गांवों की तो बड़ी-बड़ी स्कीम है वह वहां पांच हजार से अधिक आबादी में लोग बसे हैं इसलिए इस प्रकार जो पुराना नीतिगत निर्णय लगा कर तय कर रखा था उस पर पुनर्विचार करने गांवों में भी नल के, टोंटी के जरिये पानी देना चाहिए।

अब मैं सभापति, राज्य सरकार में में जो सेवाओं के बारे में लगातार क्रिटिसाइज करते हैं कि बड़े-बड़े अधिकारीगण ठीक प्रकार से सेवाएं नहीं देते। वरिष्ठता की सूची के अनुसार पदोन्नति पाते हैं उसके लिए मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उसके लिए हमें पुनर्विचार करना होगा अगर गुण और गोबर एक ही भाव विकते रहे और हम अपेक्षा करें कि हमें अच्छी सेवाएं मिलेंगी, हमें कभी ऐसी आशा नहीं रखनी चाहिए। उनके ऊपर वापिस मेरिट करें, योग्यता का जो भी फार्मूला हो, सरकार उस पर पुनर्विचार करें। अच्छा काम करने वाले तो दण्ड पाते हैं और जो कुछ भी काम नहीं करते, निठल्ले अधिकारी हैं उनको लगातार ईनाम, प्रमोशन पर प्रमोशन मिलते जा रहे हैं। इसलिए इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और मेरा तो यह व्यक्तिगत विचार है कि किसी व्यक्ति को, किसी क्लास को अगर सुविधा दी गई है तो सुविधा एक टाइम मिलनी चाहिए। लगातार सुविधा नहीं मिलनी चाहिए लगातार सुविधा देने से उस समाज में वह जो नोकरी पेशा लोग लगे हुए हैं कुछ लोग बैठे हैं और कुछ प्रमोशन पा रहे हैं। यह व्यवस्था लम्बे समय तक चलने वाली नहीं है। इस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए कि कम से कम मेरिट से प्रमोशन हो। पहली बार जो नियुक्ति दे रहे हैं किसी आरक्षित क्लास के व्यक्ति को लेकिन उसके बाद उस पर भी पाबन्दी लगाइये ताकि सेवाओं में विशिष्टता आ सके हमारे लोग जो सेवाओं में बैठे हैं उनको ठीक प्रकार से उन्नति मिल सके और सब लोग ठीक प्रकार से काम कर सकें।

मैं सभापति महोदय, इस मौके पर एक अत्याचार निवारण कानून है जो 30 जनवरी, 1990 को भारत सरकार द्वारा लागू हुआ है नया अधिनियम अनुसूचित जाति एवं जन जाति अत्याचार निवारण

(श्री हीरासिंह चौहान)

अधिनियम, 1989 भारत सरकार द्वारा पास किया गया है उसके बारे में अपने विचार रखना चाहूंगा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस कानून से वर्ग संघर्ष बढ़ेगा इसके तहत कुछ लोगों को जबरदस्त प्रोटेक्शन दिया गया है जिसकी कहीं आवश्यकता नहीं है यह राजस्थान में बिहार का कानून लागू किया गया है। राजस्थान में भाई चारे से सारे लोग रहते हैं कोई किसी पर अत्याचार नहीं करता। हम गांव में रहने वाले लोगों के बीच में रात-दिन रहते हैं। इस प्रकार का अत्याचार कहीं नहीं हो रहा है। लेकिन बिहार में जिस प्रकार का सामाजिक वातावरण बना हुआ है यह कानून वहां के लिए आवश्यक हो सकता है लेकिन राजस्थान के लिए आवश्यक नहीं हो सकता। पिछले दिनों में हमारी एक मीटिंग में हमारे ही अनुसूचित जाति के भाई लोग है उन्होंने सख्ती से विरोध किया था।

मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस अत्याचार निवारण अधिनियम पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये क्योंकि इससे हमारे यहां वर्ग संघर्ष हो जाएगा जिससे कई प्रकार के लोग जो बेगुनाह है जिनका सोशियल ट्रेण्ड होता है, कोई सुनने वाला नहीं है इस प्रकार का प्रोटेक्शन जो दिया गया है, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर पुनर्विचार किया जाय क्योंकि राजस्थान के लोग चाहे गांवों में हों, चाहे शहरों में, सबके प्रति प्रेम भाव रखते हैं। यहां भाईचारे का वातावरण जिन्दा है।

एक दूसरे के प्रति एक दूसरे को नीचा दिखाने और इस प्रकार का वातावरण ही नहीं है, इसलिए इस प्रकार के कानून की राजस्थान में मैं सोचता हूं कि आवश्यकता नहीं है। इसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर पुनर्विचार किया जावे।

माननीय सभापति महोदय, ग्राम पंचायतों को जो अधिकार दिया गया है ग्राम पंचायतें वास्तव में हमारे विकास की एक अन्तिम इकाई होती है जिसके जरिये से गांवों का विकास होना सम्भव है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ग्राम पंचायतों के प्रति बहुत अच्छी धारणा रखते हैं। शुरू से ही ये चाहते रहे हैं कि ग्राम पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दो। जब पूर्व में ये मुख्य मंत्री थे 1977 से 1980 के बीच पंचायतों को बहुत अधिकार दिये थे। अधिकार अच्छे थे, हो सकता है उनका कहीं-कहीं दुरुपयोग भी हुआ हो लेकिन जो अधिकार दिये गये थे उन अधिकारों से जगह-जगह सड़कें भी बनीं, तालाब भी बने, शफाखाने भी बने, स्कूल भी बनी। आज भी पुनः इस प्रकार की योजनाएं ग्राम पंचायतों के माध्यम से लागू करना चाहते हैं और उनको बहुत ज्यादा अधिकार देना चाहते हैं लेकिन अधिकार देने के लिए बहुत जरूरी है कि यह जो व्यवस्था है देने की इसमें अफसरशाही को कम से कम अलग रखा जाय। आप चैक एवं बेलेन्स चैक करने के बहुत अधिकार दीजिए।

(श्री हीरासिंह चौहान)

इस प्रकार अपने जितने भी बड़े-बड़े अधिकारी हैं। योजनाओं पर कितना धन लगता है? क्या उनका सही ढंग से खर्च हो रहा है? अमुक कलक्टर को और यहां के सचिवालय में जो अधिकारी बैठे हैं उन लोगों को इसके लिए पाबन्द किया है, जिम्मेदार ठहराया है कि अमुक जगह जा करके आप इसका मूल्यांकन करेंगे और मूल्यांकन करने के बाद वास्तव में जो पैसा लग रहा है, गांवों की तरफ जा रहा है उसका सही ढंग से उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है और वास्तव में सही बात यह भी है कि और जो पैसा सरकार के खजाने से जिस यूनिट के विकास के लिए खर्च करते हैं वह सही ढंग से लगना चाहिये और इसमें चारों तरफ से दिक्कतें आयेंगी। जहां तक भ्रष्टाचार निवारण का हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो एक आयाम छेड़ रखा है इससे बहुत कुछ लोगों में अन्तर आया है, सोच-समझ में अन्तर आया है, लोगों के जो भ्रष्टाचार करने के तौर-तरीके थे उनमें जबरदस्त अंकुश आया है।

हमारे सदन का यह फर्ज बनता है कि हम कितने ही करोड़ों रुपया लगाये और अगर भ्रष्टाचार के जरिये वह और जगह जाता है और वास्तविक स्थान पर नहीं लगता है तो इस काम में हमको सबको सहयोग देना चाहिये ताकि राज्य का जो भी पैसा है, जिस भी जगह हम भेजते हैं, वह सही ढंग से काम में आये। अन्त में मैं इस बजट के समर्थन में मेरी ओर से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह राज्य का विकास के लिए पहले साल का बजट है। जिस प्रकार से हमने वायदे किये थे, बजट में हमें इसका बहुत कुछ आभास मिलता है और 5 साल पड़े हैं। छात्रों का मामला वास्तव में गम्भीर है। उनके बारे में हमने कुछ भी कहा है, इसके लिए हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ कह दिया है कि जो बेरोजगार छात्र हैं, बेरोजगार छात्र जिनको वास्तव में हमने वादा किया था कि कोई न कोई रोजगार के लिए योजना बनाई जायेगी। इसके लिए बहुत जरूरी है कि अलग से इसके ऊपर एक कमेटी बनाकर बैठाई जाय और इस पर गहन चिन्तन किया जाय, विचार किया जाय कि किस प्रकार और किस श्रेणी के बेरोजगार लोगों को धन्धा दिलवा सकते हैं ताकि यह जो बेरोजगार की समस्या है यह गम्भीर समस्या है और जो चुनावों में इन युवकों से इस सत्ता परिवर्तन में बहुत बड़ा सहयोग दिया है इसलिए अन्त में मेरा यह निवेदन है कि बेरोजगार नौजवानों के लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छे साधन सेवा सम्बन्धी किये जाय। जय हिन्द, जय भारत।

**श्री सभापति** : श्रीमती तारा भंडारी।

**श्रीमती तारा भण्डारी** (सिरोही) : माननीय सभापति महोदय, वित्त मंत्री के कर्त्तव्यों का निर्वाह करते हुए ...

**श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : सभापति महोदय, सबको अवसर दिया जाय। एक इधर से, एक उधर से।

**श्री सभापति** : अभी आपकी बारी आ रही है।

**श्रीमती तारा भण्डारी :** मेरे को तो बोलने दो, फिर आप बोल लेना। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप मीणा :** कोई नम्बर तो होना चाहिये साहब।

**श्रीमती तारा भण्डारी :** माननीय भैरोंसिंह जी ने जो बजट पेश किया है, वह उनकी गहरी सूझ-बूझ एवं गहरे अध्ययन का परिचायक है। बजट में छोटे उद्योग-धन्धों, काश्तकारों, बुनकरों, दस्तकारों को हर प्रकार से ऊपर उठाने के लिए जो प्रयास किये गये हैं, इससे स्पष्ट है कि हमारी सरकार करीब और कमजोर को ऊपर उठाने के लिये कृत संकल्प एवं जागरूक है। बजट में रेशम, खरहड़, गलीचा, रंगाई-छपाई के करों में छूट देकर दस्तकारिता एवं हस्तकला को बढ़ावा दिया है। तुंगे, अम्बाबाड़ी, मूंज, मांज, मतीरे आदि अनुत्पादक करों को माफ करके एक और जहां पर मजदूर और गरीबों का शोषण रोका है, वहीं बजट में संतुलन बना है। योजना का 60 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च करने का प्रावधान वास्तव में एक सराहनीय कदम है। इससे शहरों और गांवों में निरन्तर पढ़ती हुई खाई बन्द होगी एवं ग्राम्य विकास का सपना साकार होगा। वर्तमान बजट में ग्राम गरीब एवं श्रम की महत्ता को बढ़ाया है। सभापति महोदय, मैं गरीबों को राहत देने वाले तथा विकास को गति देने वाले बजट पेश करने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को बधाई देती हूं। परन्तु बड़े खेद का विषय है कि कुछ माननीय सदस्य केवल विरोध करने के लिये ही विरोध करते है।

**श्री जुबेर खां :** आप भी करते थे।

**एक माननीय सदस्य :** अब आप तो मत करो। आप तो पहली बार आये हैं।

**श्रीमती तारा भण्डारी :** इस वर्ष नवें वित्त आयोग से एक हजार करोड़ रुपये अधिक मिले हैं। परन्तु पूर्व माननीय वित्त मंत्रीजी ने यह श्रेय कांग्रेसी सरकार को देने का प्रयास किया है जबकि सारा सदन यह जानता है कि इस अधिक राशि को प्राप्त करने में माननीय शेखावत साहब का पूरा योगदान है। जबकि वास्तविकता तो यह है कि पूर्व कांग्रेसी मुख्य मंत्रीजी तो आयोग के सामने अपनी बात को पूरी तरह से रख नहीं पाये थे। यह तो उस समय के विपक्ष के नेता माननीय भैरोंसिंह जी के सुझाव थे कि इतनी अधिक राशि अब हमें मिल पाई है और शेखावत साहब इस बधाई के पात्र हैं। इस बात की पुष्टि वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री साल्वे साहब ने भी पत्रकारों से बातचीत एवं अपनी बात कहते हुए पुष्टि की है तथा माननीय शेखावत साहब के सुझावों की प्रशंसा की है सभापति महोदय, बजट में इस बात का आभास होता है कि सरकार चुनावी वायदों को भी ईमानदारी से पूरा करना चाहती है। इसमें सबसे बड़ा वायदा दस हजार रूपये तक ऋण माफ करने का था जिसे पूरा करने की घोषणा माननीय वित्त मंत्री जी ने की है। परन्तु मुझे अफसोस है कि इस घोषणा का स्वागत करने की बजाय हमारे साथ सत्ता में बैठे हमारे जनता दल के साथी अपना सुर विपक्ष के सुर के साथ मिला रहे हैं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरु) :** आप स्पष्ट करें कि आप कहना क्या चाहती हैं?

**श्रीमती तारा भण्डारी** : सभापति महोदय, कर्ज माफ करने की नीति, मैं यह कहना चाहती हूं कि कर्ज माफ करने की नीति केन्द्र सरकार से बनाई है और केन्द्र सरकार में जनता सरकार बैठी हुई है। अगर केन्द्र सरकार की बनाई हुई यह नीति सही नहीं थी तो इसको बनाये हुए बहुत दिन हुए हैं कि मैंने कहीं बाहर इस बात का न विरोध न आलोचना सुनी है कि यह कर्ज माफ करने की नीति बराबर नहीं है परन्तु सदन में बराबर यह बात कही जा रही है कि जो कर्ज माफ करने की नीति बनाई गई है वह बराबर नहीं है। इसलिए मुझे यह बात कहनी पड़ी। कर्ज माफ करने की नीति केन्द्र ने बनाई है वह हमें मंजूर करनी पड़ेगी क्योंकि आज भी माननीय सदस्य जानते हैं कि राजस्थान का खजाना जिन हालात मे हमें मिला है और जिन हालात में हमने इस कर्ज माफी की घोषणा की है, केन्द्र सरकार हमें यह आधी राशि कर्ज माफी की उपलब्ध करायेगा। और यदि हम केन्द्र सरकार द्वारा घोषित कर्ज माफी की नीति पर नहीं चलते हैं तो मैं समझती हूं कि क्या हमें केन्द्र सरकार यह राशि उपलब्ध करायेगा ? मैं समझती हूं, नहीं। तो फिर क्या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि केन्द्र सरकार द्वारा घोषित इस नीति की पालना नहीं करके कर्जा माफी करने में और विलम्ब किया जाये ?

सभापति महोदय, बड़े लम्बे संघर्ष के बाद कांग्रेस के प्रतिगामी शासन को समाप्त कर हम सत्ता में आये हैं, अतः जनादेश का ईमानदारी से पालन करना हमारा फर्ज बनता है। कई माननीय सदस्यों ने वित्त विधेयक पारित नहीं होने देने और बगावत करने की भी बातें सदन में कही है। परन्तु इन माननीय सदस्यों को यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि यदि सरकार को अस्थिर बनाने के किसी भी प्रकार के प्रयास किये गये तो इतिहास हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। जनता ने हमें पांच वर्ष के लिये चुना है और हमारी स्थिरता में ही जन आकांक्षाओं की पूर्ति हो सकेगी।

विपक्ष के कई माननीय सदस्य बिना तथ्यों को जाने यह कह रहे हैं कि सरकार का विकास के कार्यों की ओर ध्यान नहीं है जबकि वास्तविकता यह है कि राज्य की योजना इस बार इतनी बड़ी राशि की बनाई गई है जितनी बड़ी राशि की योजना आज तक कभी नहीं बनी थी। योजना राशि में बीस प्रतिशत की वृद्धि पहली बार हुई है। योजना के अलावा भी धनराशि जुटाने के प्रयास माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा किये गये हैं। करीब 1200 करोड़ की योजनाएं बनाकर अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को भेजी गई है और इतने अल्प समय में ही 200 करोड़ से अधिक की योजना मंजूर भी हो चुकी है। इसके अलावा प्रशासनिक खर्च में कमी करके करीब तीस करोड़ की बचत की गई है। इससे स्पष्ट हैं कि सरकारी खजाने का धन गरीब के विकास और समृद्धि के लिए है।

सभापति महोदय, राजस्थान ही नहीं भारत भर में प्रशंसित अन्त्योदय योजना जो नई सरकार ने लागू करने का विचार बनाया है, यह योजना वास्तव में गरीब को मृसद्ध और समर्थ बनाने वाली है। यह योजना नई सरकार की वास्तव में

(श्रीमती तारा भण्डारी)

बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। परन्तु श्रीमन्, मैं सदन के माध्यम से आपको कहना चाहूंगी कि आज राज्य के वृद्ध माता-पिता बड़ी आशाओं के साथ भैरोंसिह जी जैसे योग्य पुत्र की ओर देख रहे हैं। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि वृद्धावस्था पेंशन देने के नियमों में उचित संशोधन करके सभी प्रार्थियों को बिना शर्त वृद्धावस्था पेंशन देने का प्रावधान किया जाय वरना आज जो नियम बने हुए हैं इनसे तो किसी भी गरीब माता-पिता का पेंशन पाना बहुत ही कठिन है और इन नियमों के तहत वे समाज में अपने पुत्र-पुत्रियों के आगे लाचारी से जीने के लिए विवश हैं। अतः मेरा आपसे यह विनम्र अनुरोध है कि वृद्धों को पेंशन देने में पुनः विचार करके नियमों में संशोधन किया जाय।

बजट में ऊर्जा उत्पादन पर अधिक महत्व दिया गया है। अधिक ऊर्जा उत्पादन से जहां सिंचाई सुविधाएं बढ़ेंगी वहीं उद्योगों एवं कल-कारखानों की उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी। आज राज्य की स्थिति पानी और बिजली के मामले में प्रवासी राजस्थानियों के सामने अच्छी नहीं है। परन्तु बिजली के अधिक उत्पादन से प्रवासी राजस्थानियों का राजस्थान में उद्योग लगाने के प्रति रूझान बढ़ेगा। बजट में सीमेंट उद्योग को बढ़ावा देने और राज्य की आय राज्य में निहीत करने के जो कदम उठाये गये हैं वह सराहनीय है और निश्चित रूप से इससे राज्य की आय बढ़ेगी। परन्तु राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की जैसी मन्शा थी कि राजस्थान के उद्यमियों को एक ही स्थान पर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेगी, प्रदेश में उपलब्ध कच्चे माल पर आधारित उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को अनुदान देने में विशेष प्राथमिकता दी जायेगी तथा खनन कार्यों को और विकसित एवं प्रभावी बनाया जायेगा, इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूंगी कि राजस्थान में खनिज सम्पदाओं के विपुल भण्डार है तथा देश में खनिज सम्पदा के मामले में राजस्थान अग्रणी है। परन्तु खनिज दोहन एवं खनिज आधारित उद्योगों के लिए बजट में कोई अलग प्रावधान नहीं रखा गया है। अतः मैं सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि खनिज दोहन एवं खनिज आधारित उद्योगों के विकास एवं प्रोत्साहन हेतु भी बजट में पुनर्विचार किया जाय।

मैं मेरे क्षेत्र सिरोही जिले को मद्देनजर रखते हुए कहना चाहती हूं कि सिरोही जिले में मार्बल, ग्रेनाइट, लाइम स्टोन, क्लोराइट, टंगस्टन आदि के विपुल भण्डार हैं परन्तु खनन प्रक्रिया विकसित नहीं होने के कारण आज भी ग्रेनाइट के ब्लाक दक्षिण भारत से लाकर प्रोसेस किये जाते हैं। ग्रेनाइट सिरोही में भले ही अंकुरित अवस्था में हो परन्तु विश्व में यह एक बहुत ऊंचे स्थान पर है। अतः इसके प्रोत्साहन के लिए रायल्टी की दर को 750 रुपये प्रति टन से घटा कर 250 रुपये प्रति टन किया जाय तथा खनन प्रक्रिया विकसित होकर जब तक उत्पादन चालू नहीं हो जाय, डेड रेन्ट में कमी की जाय। सिरोही जिले में ग्रेनाइट की टाइल्स बनाने की लगभग 100 लघु उद्योग इकाईयां कार्यरत है परन्तु केरो-

(श्रीमती तारा भण्डारी)

सिन की भारी कमी एवं रायल्टी की अधिकता के कारण यह इकाईयां प्रोग्रेस नहीं कर पा रही है। जबकि इन लघु इकाईयों के कारण खनन क्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्र में अधिकतम रोजगार मजदूर वर्ग को उपलब्ध कराया जाता है।

हमारे वर्तमान बजट की मन्शा के अनुसार लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इन इकाइयों को केरोसीन का अधिक कोटा कम दरों पर उपलब्ध कराया जाय तथा इनमें प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल यानि खण्डों की रायल्टी कम की जाये। सिरोही में मार्बल के भी विपुल भण्डार हैं और यहाँ तक कि वहाँ का मार्बल आज मकराना के नाम से भी बिक रहा है परन्तु इसके खनन के लिए भी कोई सुनियोजित प्रयास राज्य सरकार द्वारा नहीं किये गये। अतः इन क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराया जाकर योजनाबद्ध रूप से खनन किया जाय। खनन क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी इत्यादि की सुविधा दी जाय। लप्पड़ों की रायल्टी कम की जाय तथा एन.ओ.सी. इत्यादि की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाय तो निश्चित रूप से सिरोही मार्बल उद्योग राजस्थान में अग्रणी होगा।

माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा रत्न एवं मूल्यवान पत्थर उद्योगों को विक्रय कर में छूट देने की योजना वास्तव में सराहनीय है। सिरोही जिले में हीरा कटिंग एवं पॉलिशिंग के काफी उद्योग लग रहे हैं परन्तु इन्हें सुनियोजित रूप से विकसित करने के प्रयास अभी तक नहीं किये गये हैं। इस सम्बन्ध में यह कहना चाहूंगी कि राज्य के पडौस के पालनपुर, सिद्धपुर, सूरत एवं बम्बई में यह उद्योग खूब पनप रहा है। यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि इन उद्योगों में लगे हुए अधिकतर श्रमिक एवं अधिकतर उद्यमीं राजस्थान एवं सिरोही जिले से सम्बन्धित हैं। यदि इस उद्योग को पनपाया जाय तो यही प्रवासीबंधु इससे आकर्षित होकर अपने गृहराज्य की ओर उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस प्रकार से जयपुर में जैम इण्डस्ट्रियल पार्क बन रहा है उसी प्रकार का एक काम्पलेक्स सिरोही में केवल हीरा उद्योग के लिए बनाया जाय जहां मात्र हीरा उद्योग ही प्रस्तावित रहे। इससे बेरोजगारी की समस्या दूर होने के साथ-साथ राजस्थान समृद्धशाली बनेगा।

उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु औद्योगिक क्षेत्रों का विकास भी बहुत आवश्यक है। परन्तु प्रस्तावित बजट से नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का कोई विशेष उल्लेख नही किया गया है। सिरोही में 1982 में 18 प्लांट्स अविकसित अवस्था में उद्यमियों को दिये गये थे जिनका विकास शुल्क वसूल करने के बावजूद आज तक कोई विकास नहीं किया गया और न ही कोई औद्योगिक क्षेत्र घोषित किये गये। अतः मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि राज्य एवं सिरोही मुख्यालय पर नये औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने हेतु बजट में प्रस्ताव किये जाय तथा साथ ही अविकसित क्षेत्रों को विकसित करने के लिए रीको को बाध्य किया जाय।

मैं मुख्य मंत्रीजी का ध्यान सिरोही

(श्रीमती तारा भण्डारी)

जिले में औद्योगिक इकाइयों को मिलने वाले अनुदान की ओर ले जाना चाहूंगी सिरोही जिला एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र मानते हुए पिछले दिनों वहां पर उद्योगों को 25प्रतिशत अनुदान दिया जाता था। इस योजना के तहत जिन इकाइयों के 30-9-88 तक अनुदान स्वीकृत हो गये थे उनमें 30-9-89 तक गैर-उत्पादक एवं 30-12-89 तक उत्पादक इकाइयों को अनुदान वितरित कर दिया गया। परन्तु उनमें से कितने ही ऐसे उद्यमी, जिन्होंने 30-9-88 से पूर्व या तो अपना उद्योग लगा लिया था या उद्योग लगाने हेतु प्रभावी कदम उठाये थे, उन्हें जिला स्तरीय समिति एवं राज्य स्तरीय अनुदान स्वीकृति समिति द्वारा अनुदान अस्वीकृत कर देने के कारण अनुदान प्राप्त नहीं हुआ। अनुदान देने की एक ही नीति में कुछ उद्यमियों को अनुदान दिया गया और कुछ को अनुदान नहीं दिया गया। भेदभाव पूर्ण नीति के कारण जिन लोगों ने अपनी इकाइयां अनुदान की राशि अपने आर्थिक संस्थानों में प्रस्तावित कर इन इकाइयों को लगाया था, वे इकाइयां आज रुग्णावस्था में हैं। राज्यपाल महोदय के द्वारा अभिभाषण में व्यक्त भावना के अनुसार रुग्ण इकाइयों को स्वस्थ करने हेतु एवं नई औद्योगिक सम्भावनाओं के प्रोत्साहन हेतु सबसिडी के पुराने प्रकरण को निपटाया जाये तथा भविष्य के लिए अनुदान की नीति स्पष्ट की जाये। इस तरह से राजस्थान के साथ-साथ सिरोही जैसे पिछड़े जिले को भी विकास की गति मिलेगी।

सभापति महोदय, राजस्थान में ईंटें बनाने की भी कोई नीति प्रभावित नहीं है। इससे गरीबों का बहुत शोषण होता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि नई सरकार इस बारे में विचार करे तथा ईंट बनाने से सम्बन्धित नीति को तय की जाये। राज्य में अगरबत्ती जैसा लघु उद्योग बहुत कम स्थानों पर है, इसमें भी अगर जिस प्रकार से छोटे लघु उद्योगों को छूट दी गई है अगर इस उद्योग को भी पनपाने के लिए बिक्री कर में छूट दी जाये तो यह उद्योग जो प्रदूषण रहित, बिना बिजली और पानी के चलता है,यदि विक्रय कर में छूट दी जाये तो यह भी अधिक से अधिक पनप सकेगा वरना राजस्थान में आज जो भी अगरबत्तियां बन रही है पड़ौसी गुजरात राज्य से लाई जाकर यहां पर पैकिंग की जाती है तथा मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि बजट में महिलाओं का भी ध्यान रखते हुए क्योंकि इस अगरबत्ती उद्योग में अधिकतर महिलाएं ही लगी हुई हैं। अगरबत्ती जलाओगे तो सुख पाओगे, अगरबत्ती जलाने से तो सुख ही मिलेगा। मेरा निवेदन यह था कि अधिकतर महिलाएं अगरबत्ती उद्योग में लगी हुई हैं। अगर राजस्थान में इसको भी बिक्री कर में छूट दी जाये तो यह उद्योग भी खूब पनपेगा।

अन्त में, मैं एक बात पुनः कहते हुए संतुलित और व्यावहारिक बजट प्रस्तुत करने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं नई सरकार को बधाई देते हुए यह शुभकामना करती हूं कि नई सरकार के नेतृत्व में राजस्थान निरन्तर अग्रणी रहे और आगे

(श्रीमती तारा भण्डारी)

बढ़े, विकास को प्राप्त करे। जय भारत।

**श्री सभापति** : माननीय श्री बुलाकी दास कल्ला।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : माननीय सभापति महोदय, जो बजट यहां माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पेश किया है, उसका मैं विरोध करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि यह सरकार पूंजीपतियों के चंगुल में फंस गई है और सरकार की चोटी पूंजीपतियों के हाथ में है। बजट स्पीच को मैंने बहुत ध्यान से यहां सुना और उसके बाद तीन-चार बार उसको पढ़ा। गरीबों को इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की मदद नहीं दी। सरकार ने जो बजट पेश किया है इसमें।

**श्री टीकमचन्द कान्त** (रेवदर) : आप जैसे आदमी को भी चार बार पढ़ना पड़ता है क्या? आप तो दिमागदार व्यक्ति हैं, एक बार भी पढ़ सकते हैं।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : पूंजीपतियों को बहुत रिलीफ दी गई, पर गरीबों को जो रिलीफ दी हुई थी उसको भी छीन लिया। इस सदन में जब कई बार माननीय मुख्य मंत्रीजी विपक्ष में बैठते तब उन्होंने जो बातें कही है उनको मैं कोट करना चाहूंगा। सन् 1985-86 में तीस करोड़ रुपयें का अपूरित घाटा था, उसका उन्होंने विरोध किया। उसके बाद जब-जब कांग्रेस की हुकूमत ने और कांग्रेस के वित्त मंत्रियों ने अपना बजट पेश किया, उन्होंने जो अपूरित घाटा था, उसका हमेशा विरोध किया। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि इस बजट में जो 59.28 करोड़ रुपये का जो अपूरित घाटा है उन्होंने छोड़ा है, वो आप ने क्यों छोड़ा ? आप हमेशा यह कहते हैं कि सरकार टैक्स वसूल करती है. केन्द्रीय सरकार से प्रत्यक्ष करों में जो सहायता लेती है, उससे, हमें जो आय प्राप्त होती है, केन्द्रीय सरकार से कर्जे के रूप में हमें जो आय प्राप्त होती है, तो इसमें सरकार क्या करती है? ऐसा उन्होंने 11-3-87 को इसी सदन में विपक्ष के नेता के रूप में जो स्पीच दिया था तब यह बात उन्होंने इसी सदन में कही थी। मैं जानना चाहता हूं कि नोन टैक्स रेवेन्यू आपने कितनी बढ़ाई है? सबसे बड़ा अपराध जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया है, वह यह किया है कि जो नाईन्थ फाइनेन्स कमीशन ने इस राज्य को ईस राज्य की पिछड़ी हुई स्थिति को इस राज्य के लगातार अकालग्रस्त रहने के कारण पिछड़ेपन के कारण जो अतिरिक्त सहायता प्रतिवर्ष लगभग बारह सौ करोड़ रुपये से अधिक की बनती है और नेच्युरेल कम्युनिटी के लिए प्राकृतिक प्रकोप के लिए लगभग एक सौ चौबीस करोड़ रुपये प्रति वर्ष देने की जो बात कही गई है, उसको भी बिल्कुल छुपाया गया है।

मैं समझता हूं कि इस तरह से उन्होंने इस सदन से सारे तथ्य छुपाकर एक अच्छे वित्त मंत्री की हैसियत से काम नहीं किया है। जिस तरीके से वित्त वित्त विभाग ने, वित्त विभाग के बजट अधिकारियों ने बजट बनाकर दे दिया। शायद उनको ध्यान में

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

आता तो वे यह गलती नहीं करते या तो जानबूझ कर किया है अथवा उन्हें यह ध्यान नहीं आया है कि हमेशा इधर बैठने वाले लोग कहते हैं कि हमको कांग्रेस द्वारा जो शासन मिला है उसमें घाटा ही घाटा मिला है। जबकि इन लोगों ने 77 और 80 में जो बजट पेश किया था, उस समय भी घाटे के बजट थे। एक बजट केवल इन का सरप्लस बजट था और उस समय इन्होंने कोई विकास के काम किये नहीं थे। दूसरी तरफ जो विकासशील प्रदेश होते हैं वहां सदैव अकाल और बाढ़ की स्थिति होती है। पिछले वर्षों में से तीन वर्ष तक लगातार अकाल पड़ा और एक वर्ष में लगभग 8.50 करोड़ रुपये सभापति महोदय, अकाल और बाढ़ की स्थितियोंका सामना करने के लिए खर्च करना पड़ा।

ऐसी परिस्थिति में अगर कोई विकास शील प्रदेश में मामूली-सा कोई घाटा है तो मैं समझता हूं कि इन्होंने भी जो यह अपूरित घाटा छोड़ा है और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने एक माननीय श्री ललित किशोर जी चतुर्वेदी की अध्यक्षता में कमेटी बना दी और उस कमेटी का अभी तक सुझाव भी प्राप्त नहीं हुआ है और वे खुद बजट स्पीच में कहते हैं कि अभी तक हमें किसी भी प्रकार का कोई सुझाव नहीं मिला है। लेकिन इसके बावजूद यह कह दिया कि हम तीस करोड़ रुपये की प्रशासनिक व्यय में कटौती करके बता देंगे। कैसे करेंगे? किन-किन मदों में करेंगे? यह कमेटी जो मैं यह कह सकता हूं कि पहले से ही हमारी कांग्रेस सरकार द्वारा बनायी हुई कमेटी है। उसमें कुछ रद्दोबदल करके कुछ अधिकारियों को, कुछ मंत्रियों, कुछ विशेषज्ञों को जोड़कर के इस कमेटी को उसी तरीके से गठित कर दिया जिसकी सिफारिश राजेन्द्र जैन कमेटी ने जिस तरीके से दी थी, मैं समझता हूं कि कुछ लोगों को बदल कर कमेटी वो की वो कमेटी है। इसलिए.... सभापति महोदय, यह जो बीच में व्यवधान डाल रहे हैं वो समय आप काट दें।

**श्री मदनलाल सैनी** (गुढा) : आप भी सदस्य थे, उसमें।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : मैं नहीं था सदस्य।

**श्री मदनलाल सैनी** : आप ही थे।

**एक माननीय सदस्य** : ये अच्छा बोले इसलिए व्यवधान डाल रहे हैं इसमें....

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : सभापति महोदय, इन्होंने कोई बात की नहीं। कोई रिलीफ यदि किसी को दिया है, तो वह पूंजीपतियों को दिया है। स्टाम्प ड्यूटी में जो छूट दी गई है मुझे अफसोस है कि जो व्यक्ति दस लाख रुपये का मकान खरीदेगा तो उनको सैंतीस हजार रुपये से अधिक की रिलीफ दी है, लेकिन जो पचास हजार या उससे नीचे में मकान खरीदेगा तो उसको कोई ड्यूटी में रिलीफ नहीं दी है और ये कहते हैं कि सरकार गरीबों का, किसानों का भला करेगी। सिर्फ मात्र पूंजीपतियों का भला करने के लिए, धन्ना सेठों, जागीरदारों, नम्बरदारों और ठेके-

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

दारों का भला करने के लिए उन्होंने यह बजट दिया है।

इन्होंने एक वायदा यह भी किया था कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे और संविधान में मूल अधिकार की व्यवस्था करेंगे। इस बजट से मुझे तो नहीं लगता कि 100 आदमियों को भी रोजगार दे पायेंगे क्योंकि इस एनुवल प्लान में इन्होंने 20.3% की बढ़ोतरी बतायी है और इनफ्लेशन रेट और महंगाई की बात यदि हम करें तो 27 प्रतिशत की मंहगाई बढ़ी है और इनकी योजना बड़ी 20.3%। इसके मायने यह हुआ कि जो एनुवल प्लान का इन्क्रीज हुआ है वह मंहगाई के कारण, लागत में बढ़ोतरी के कारण विकास शून्य बजट है। यह जरूर है कि उन्होंने....

**श्री कालीचरण सराफ** : कल्ला साहब पिछले साल कितनों को मिला ?

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : एक प्राथमिक शाला, एक भी औषधालय, एक भी पशु चिकित्सालय ये राज्य में खोल नहीं सके....

**श्री मदनलाल सैनी** : आपके द्वारा जो व्यवस्था की गई थी उसको ठीक कर रहे हैं। आपने जैसी अव्यवस्था कायम कर रखी थी ...

(व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप मीणा** : सभापति महोदय, एक-आध पशु चिकित्सालय तो खोल लेते...

**श्री हरिसिंह (फुलेरा)** : एक भी स्कूल नहीं, कोई भी औषधालय नहीं खोला; इस को आप जस्टिफाई कर रहे हो ...

**श्री रामस्वरूप मीणा** : आपने कुछ नहीं किया और बोलते और हो।

(व्यवधान)

**श्री मदनलाल सैनी** : आपने बजट में जो घोषणाएं की और हमने की उसमें इम्प्लीमेण्ट कितनी होती है उसका कम्पेरिजन करना। इन्तजार तो करिये कुछ।

**श्री रामस्वरुप मीणा** : अगला बजट तो हम पेश करेंगे।

**श्री मदनलाल सैनी** : सपने ले लो सपने।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : सभापति महोदय, यह मेरे को कहते हैं कि मैंने

**श्री हरिसिंह (फुलेरा)** : ये ऐसे बोल रहे हैं जैसे + + +। स्कूल नहीं खोले, हास्पिटल नहीं खोला अच्छी बात है, यह भी कोई बात हुई, विकास की बात करें....

---

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

**श्री हेमराज मीणा** : आपने जो फर्जी स्कूल खोले हैं, उनको चलाना चाहते हैं, आपने सारे स्कूल फर्जी खोले हैं।

(व्यवधान)

**श्री हेतराम बेनीवाल** : अब आप सत्ता में आ गये हैं आप विरोध में बोल रहे हैं या सत्ता पक्ष में।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : आप कल्ला साहब को बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं ? आप का क्या विरोध हो गया ? बोलने तो दो।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : मुझे कुछ समय शिक्षा मंत्री के रूप में काम करने को मिला है। राज्य में दो वर्ष में 6 हजार प्राइमरी स्कूल खोले, अब यह कहते हैं कि मास्टर नहीं लगे हैं। मेरा दावा है कि शिक्षा विभाग के द्वारा 50 प्रतिशत मास्टरों को प्रमोशन देकर लगाया जाता है और 50 प्रतिशत मास्टरों को आर.पी.एस.सी. से सलेक्ट करते हैं। हमने 50 प्रतिशत मास्टरों को जैसे ही सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूलें बनी, तुरन्त ही लगा दिये। अगर आर.पी.एस.सी. से सलेक्ट करके नहीं लगाते तो आप यह कहते कि नियमों का उल्लंघन करके लगा दिये। आर.पी.एस. सी. की व्यवस्था है तो नियमानुसार कार्यवाही चल रही है।

**श्री अचलाराम** : आर. पी. एस. सी. प्राथमिक स्कूलों के लिए अध्यापक चयनित नहीं करती है।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : यह भी कहा गया है कि राज्य में ऐसे-ऐसे स्कूल हैं जहां तीन सौ से ज्यादा विद्यार्थी हैं और एक भी मास्टर वहां नहीं है। मैंने कहा एक भी स्कूल का नाम बताओ तो स्कूल का नाम नहीं बता सकते। तो केवल टोरेबाजी से विधान सभा में स्टेटमेन्ट नहीं दिये जाते। या तो आप तैयारी करके आयें और बतायें....

**श्री अनंग कुमार जैन** : मेरे क्षेत्र में एक स्कूल है जहां मास्टर नहीं है वहां रिटायर्ड मास्टर को 250 रुपये में लगा रखा है। मैं स्कूल का नाम बताता हूं....

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : यह अपने शिक्षा मंत्री को बता दें और सदन को भी बता दें। (व्यवधान)

**श्री अनंग कुमार जैन** : मैं आपके समय का नमूना बताता हूं। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप मीणा** : सभापति महोदय, सदन में असत्य बोलते हैं।

**श्री अनंग कुमार जैन** : उस स्कूल का नाम डूंगर है जहां 250 रुपये महीने में एक रिटायर्ड आदमी काम कर रहा है।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : सभापति महोदय, इनकी जानकारी पर मुझे हंसी आती है कि शिक्षा विभाग पंचायतों की स्कूलों को देखता भी नहीं है। इसके बावजूद शिक्षा विभाग में कोई स्कूल हो, मैं

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

आज भी कहता हूं एक भी स्कूल नहीं है जहां 49 छात्रों के ऊपर एक अध्यापक न हो उसके बावजूद जो संख्या है, उसके ऊपर अध्यापक की कमी नहीं है। पंचायतों के स्कूलों में कई बार पंचायत,के सम्बन्धित अधिकारी हैं- उनकी ओर से कई स्थानों पर ज्यादा टीचर रखने से यह कमी हो सकती है लेकिन शिक्षा विभाग के स्कूलों में कोई नही है। उनको पता है ता शिक्षमंत्री को बता दें और सदन को भी बता दें उस पर बहस हो जायेगी।

सभापति महोदय, मैं 11-3-87 की उस समय के तत्कालीन विपक्ष के नेता महोदय की तीन लाइनें पढ़ देना चाहता हूं कि आज हमउद्योगो को रियायतें दें और दूसरे क्षेत्रों की उपेक्षा करें तो निश्चित रूप से मानकर चलिये कि राजस्थान का इससे विकास नहीं होगा।

इस बजट में क्या किया है मुख्यमंत्री जी ने किसानों को नही उद्योगों को रियायतें दी हैं और किसानों के ऊपर रवन्ना फीस बढ़ा दी, बकरी, गाय, भैंस किसी को भी नहीं छोड़ा। 1968 से इसके ऊपर, रवन्ना फीस के ऊपर हमने कभी हाथ नहीं लगाया। किसान की सरकार, किसानों की पीठ पर बैठकर किसानों को क्या सहायता दे रही है ? यह उसका नमूना है। इसके अलावा सभापति महोदय, हमारे पशु मेले होते हैं उसमें किसान अपने पशुओं को ले कर क्रय विक्रय करते हैं, उन मेलों को भी नहीं छोड़ा और जो रवन्ना फीस लगाई है वह भी चार सौ प्रतिशत। मैं समझता हूं कि टैक्सों में बढ़ोतरी की जाती है तो उसके भी कुछ नियम होते हैं, सिद्धान्त होते हैं, पर उनकी बिल्कुल अनदेखी करके काम किया है।

मैं बेरोजगार लोगों की बात कर रहा था, बेरोजगार लोगों की इतनी अनदेखी की है कि इस बजट के द्वारा नौजवानों को कोई रोजगार मिलने वाला नहीं है। नौजवानों के साथ धोखाधड़ी की है। हम रोजगार देंगे। कौनसी योजना में रोजगार देंगे ?

जो योजनाएं रखी हैं.बजट को पढ़कर बड़ा ताज्जुब हुआ कि धौलपुर, सूरतगढ़ इन योजनाओं को केन्द्रीय सरकार के पास भेज दिया गया है, शेष को बहुत पहले ही भेज दिया गया था। केन्द्रीय सरकार से इन विद्युत योजनाओं को यदि आप मंजुरी दिलाते तो बात समझ में आती कि बहुत अच्छा काम किया हैं। इससे राजस्थान का विद्युत का उत्पादन बढ़ेगा। कोई योजना इन्होने स्वीकृत नहीं कराई। इस ,योजना की स्वीकृति मिलने की आशा हैं, यह योजना भी मंजूर हो जायेगी।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : कल्ला साहब यह मन्जूर हो गयी है। तकनीकी स्वीकृति आनी बाकी हैं जिसके लिए टीम ने आकर सर्वे कर लिया है।

**श्री कालीचरण सराफ** : कल्ला साहब विधान सभा में आपने तो कहा था कि धौलपुर वाली योजना रद्द कर दी गई है। उस पर पुनर्विचार हो रहा है, केन्द्रीय पर्यवेक्षक आकर देख गये हैं मह कम बात है क्या ? अब आप ऐसी बात क्यों कहते हो ?

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : पलाना थर्मल पावर की जैसी मुख्य मंत्रीजीजी टेक्नो इकानोमिक सैक्शन ले आये यह तो कांग्रेस की सरकार में भी मिल गयी थी उन्होंने बजट में क्या नयी बात कही है । उनको बताना यह चाहिए था कि पब्लिक इन्वेस्टमेण्ट ब्यूरो से कब तक स्वीकृति ले लेंगे और कब तक पलाना थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो लिग्नाइट बेस्ट है उसको हम आरम्भ कर देंगे। इसके बारे में कोई पुख्ता व्यवस्था हमने नहीं की है । टेक्नो इकानोमिक सैंक्शन जो पहले मिली थी वह है और एक तरह से टाल गये। न बजट में यह बताया गया की राज्य में कितने मेगावाट बिजली बिजली का नया सृजन होगा।

इरिगेशन की बात करें तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गत वर्ष इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत 62 हजार हैक्टेयर भूमि पर इरिगेशन कार्य करने के लिए, खाले व नाले बनाये गये। इस वर्ष इन्होंने 70 करोड़ रुपये का प्रावधान करके केवल मात्र 35 हजार हैक्टेयर में इरिगेशन का का कार्य करने की बात कही है। मैं इसको पुनः दोहराना चाहूंगा कि गत वर्ष हमने 62 हजार हैक्टेयर इरिगेशन का काम करवाया है, लेकिन इस वर्ष इन्होंने लक्ष्य ही 35 हजार का रखा है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की गति इनके आने के बाद धीमी होगी। पश्चिमी राजस्थान के विकास के लिए यह सरकार, मैं कहना चाहूंगा कि कुछ भी विकास का कार्य करना नही चाहती है। इस आई. जी. एन. पी. में कोलायत-गजनेर लिफ्ट, साहवा चूरू लिफ्ट, पोकरण और फलौदी लिफ्ट की क्या प्रगति होगी ? इसमें कितने किलोमीटर लम्बी नहरें बनायी जायेंगी ? यह जलोत्थान योजनायें पश्चिमी राजस्थान का एक बहुत बड़ा आधार है, यह हमारे विकास की धमनियां हैं। इन धमनियों के लिए राज्य सरकार ने कोई स्पष्ट बात नहीं की है। गयी बार 1979 से 1980 में जब यह सरकार आयी तो इन्होंने लिफ्टों की तालाबंदी कर दी थी। इस बजट स्पीच से मुझे ऐसा लगता है कि इन लिफ्टों के विकास के लिए यह गम्भीरता से सोच नहीं रहे हैं।

जहां तक टैक्सों में बढोतरी की बात है, माननीय सभापति महोदय, इन्होंने कई प्रकार के टैक्स नये लगाये हैं, जैसे पथ कर में बढोतरी। मैं उन माफियाओं से क्या यह बताना चाहता हूं सदन को कि इस प्रदेश में बडे बड़े अवैध वाहनों के माफिया हैं, उन माफियाओं से क्या यह कर वसूल कर पायेंगे ? दूसरी ओर पथ कर में इन्होंने जो बढोतरी की है उसमें कई प्रकार की विसंगतियां रख छोड़ी हैं। तीन सौ रुपये प्रति सीट प्रति वाहन, हजार रुपये प्रति सीट प्रति वाहन, टैक्स की दरें बहुत ज्यादा हैं। उस समय के विपक्ष के माननीय नेता महोदय ने जब वन टाइम टैक्स कांग्रेस के समय में लगा था, उसका विरोध किया था और यह कहा था कि इतना ज्यादा पथ कर एक साथ नहीं लिया जा सकता, वाहन कर नहीं लिया जा सकता। अब उन्होंने इतनी अधिक मात्रा में टैक्ससेशन की दर लगाकर कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया है। इसके ऊपर विचार करके इसकी विसंगतियों को दूर करना चाहिए और रेशनल

# Page No. 92

(९२)



(श्री बुलाकीदास कल्ला)

पथ कर के रूप में इसको दुबारा लागू करना चाहिए।

जहां तक विलास कर की बात है, हमारे माननीय सदस्य, अधिकारी और राज्य के कर्मचारीगण को, जो रेस्ट हाऊस, डाक बंगला और पर्यटन विश्राम गृहों में रुकते हैं तीन या पांच रुपये देने पड़ते हैं। लेकिन एक साधारण नागरिक कहीं पर भी जाता है तो आज किसी भी शहर में 75-100 रुपए का एक कमरे का किराया होटलों में सामान्य है। यदि आप 150 रुपये या इससे ऊपर के किराये के होटलों के ऊपर टैक्स लगाते तो एक बात समझ में आती, लेकिन इन्होंने 100 रुपए के कमरे के ऊपर टैक्स लगाकर, उसे विलास कर का जो नाम दिया है वह निश्चित रूप से अच्छा नहीं किया। जो ढाबे वाले हैं उनको डेढ लाख से दो लाख रुपए, 50 हजार रुपए की बिक्री अधिक करने पर टैक्स में जो रिलीफ दी है वह भी पर्याप्त नहीं है क्योंकि इतनी तो मंहगाई ही बढ़ गयी है। कम से कम चार लाख रुपए तक की बिक्री करने वाले होटलों पर यदि वह रिलीफ देते तो बात समझ में आती। और, माननीय सभापति महोदय, आप जानते हैं कि यह टैक्स होटल वालों को नहीं देना पड़ता, होटल का उपभोग करने वालों को यह देना पड़ता है, होटल में खाना खाने वाले लोगों को देना पड़ता है। तो इनडायरेक्टली जन साधारण के ऊपर ही लगा यह टैक्स। इस कर भार को होटल वाले जन साधारण के ऊपर विसर्जित कर देंगे और अन्तिम रूप से यह भार जन साधारण के ऊपर पड़ेगा।

जहां तक अन्य करों का सवाल है, उनमें एक है लीजिंग कर। सभापति महोदय, एक व्यक्ति, जो गांवों में अथवा अपनी बस्ति में विवाह करता है उसे टेबल मेज, शामियाने लेकर आना पड़ता है। उसके ऊपर यह जो कर लगाया गया है, मैं समझता हूं कि इसके लिए तो घर घर में भारती जनता पार्टी और जनता दल की लोग शिकायत करते हैं कि इनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि जन साधारण के ऊपर इतना भारी लीजिंग कर लगा देंगे। इससे लोगों को काफी कष्ट हुआ है। यदि यह शासन और मंत्रिमण्डल थोड़ा-सा भी संवेदनशील है तो मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर विचार करके जन साधारण के ऊपर लगने वाले इस लीजिंग कर को हटा लेंगे।

जहां तक विडियो और फिल्मों के ऊपर 15 पर्सेन्ट कर लगाने वाली बात है, मैं समझता हूं कि यह भी जन साधारण के ऊपर लगाया गया कर है। जो धनाढ्य व्यक्ति है वह अपने घर में फिल्म मंगाकर देख लेता है, विडियो लाइब्रेरी से कैसट मंगाकर वी. सी. आर. पर फिल्म देख सकता है, लेकिन एक साधारण व्यक्ति सिनेमा घर में जाकर फिल्म देखता है, अपना सस्ता मनोरंजन करता है, उसके ऊपर 15 पर्सेन्ट कर की बढ़ोतरी करना, मैं समझता हूं कि इससे जन साधारण के ऊपर काफी भार आया है।

सभापति महोदय, बिक्री कर में इन्होंने छूट दी है इलेक्ट्रोनिक्स गुड्स और कुछ चुनींदा उद्योगों पर। यह लाभ भी उद्योगपतियों को मिला है। मैं इस सम्बन्ध में सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

देश में कुछ जिले, सभापति महोदय, पिछड़े रह गये है अकाल और अभाव के कारण प्राकृतिक संसाधनों का दोहन न होने के कारण। राज्य सरकार को पुनः पिछड़े हुए जिले निर्धारित करने चाहिए। उन जिलों को, जहां पिछड़ापन है, आगे बढ़ाने के लिए हम कई प्रकार की रियायतें और अनुदान दें तो यह बात हमें समझ में आती है कि हम उन जिलों के पिछड़ेपन को, वहां की बेकारी को, वहां की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन इन चिजों के ऊपर ध्यान न देकर केवल इलेक्ट्रोनिक गुड्स और चुनिंदा उद्योगों पर पर राहत देकर राज्य के पिचड़े जिलों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अपने जितने भी जिलों में संशोधनों के दोहन की आवश्यकता है वहां, संसाधनों का दोहन करें और उन जिलों के पिछड़ेपन के आधार पर पिछड़ा जिला घोषित कर उनके विकास की बात करें और वहां रियायतें दें तो निश्चित रूप से, हमारे जिलों का आर्थिक विकास होगा, वहां के बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा और वहां की माली हालत में सुधार आयेगा।

जहां तक शिक्षा के विस्तार की बात है, इस बजट में शिक्षा का विस्तार बिल्कुल नहीं किया गया है। राज्य में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में 75 पर्सेन्ट मार्क्स लाने वाले विद्यार्थियों को भी प्रवेश नहीं मिलता है। मैं यह उम्मीद कर रहा था कि इस बजट में अजमेर और बीकानेर में इंजि-नियरिंग कालेज खोलने के लिए राज्य सरकार निर्णय करेगी। लेकिन पिछले वर्षों विश्व बैंक को हमने जो परियोजनाएं भेजीं और जिसके अन्तर्गत 9 करोड़ 42 लाख रुपये की राशि हमें मिली उसका जिक्र करके यह सरकार रह गयी कि हम पुराने पोलोटेक्निक, आई. टी. आई. और इंजी-नियरिंग कालेज के स्तर में सुधार के लिये प्रयास करेंगे। लेकिन नये काम करने के लिये इन्होंने किसी भी प्रकार का बजट में प्रावधान नहीं किया। इसी तरीके से हायर एजुकेशन के क्षेत्र में मात्र 2 कालेज और कुछ विषय खोलकर इन्होंने शिक्षा विभाग के विकास की इतिश्री कर ली। 10 विषय किन किन को देंगे और दो कालेज, एक मुख्य मंत्रीजी अपने निर्वाचन क्षेत्र खुलवा सकते हैं और एक स्पीकर साहब अपने क्षेत्र में खुलवा सकते हैं, बाकी पूरे राजस्थान में जहां से कि लोग चुनकर आये हैं, उनको एक प्राथमिक स्कूल भी यह नहीं दे पायेंगे।

इसी के साथ यह कहना चाहता हूं कि किसानों के लिये सरकार ने कुछ वायदे किये थे कि हम किसानों के कर्जे माफ कर देंगे। लेकिन इस बजट स्पीच से ऐसा लगता है कि किसानों के कर्जे माफी का भार इन्होंने अपने मैनेजरों, सहकारिता अधिकारियों और अन्य लोगों के इलाके कि गिरदावरी प्रतिवेदन के आधार पर डिफाल्टर वह है या नहीं, उनकी डिस्क्रीनरी पावर दे रखी है। उससे भ्रष्टाचार होगा। और भ्रष्टाचार होने से गांव के किसानों को वह की वह परेशानी होगी। जो इन्होंने चुनाव में लोगों से वायदा किया था कि हम सभी लोगों के 10 हजार रुपये तक के कर्जे माफ कर देंगे, यह वायदा खिलाफी होगी और

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

किसानों के कर्जे भी माफ नहीं कर सकेंगे। वृद्धावस्था पेंशन 100 रुपये करने के बात कही थी वह भी यह नहीं कर पाये।

सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि गांवों के विकास के लिये यह कहते हैं कि हमने 60 प्रतिशत से अधिक राशि रखी है। पहले जब हम लोग सरकार में थे, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि इतनी राशि से अधिक राशि गांवों के विकास पर हम खर्च कर रहे थे। इन्होंने गांवों के लिये क्या नई चीज की ? एक भी नयी चीज यह गांवों के लिये दे नहीं पाये। केवल मात्र व्यापारियों के इशारे पर लाया गया यह बजट व्यापारियों के द्वारा सराहा गया है। गांवों के लोगों द्वारा, आम आवाम के द्वारा, गरीब और मजदूर के द्वारा यह बजट सराहा नहीं गया है।

**एक माननीय सदस्य** : अन्तरात्मा से कह रहे हैं ?

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : हां, मैं अन्तरात्मा से कह रहा हूं। सभापति महोदय, आज मंहगाई की क्या स्थिति है ? मंहगाई आसमान छू रही। जो तेल फरवरी के महिने में 20 रुपये किलो बिक रहा था आज वह तेल 30 और 32 रुपये किलो में बिक रहा है। तेल मंहगा, चना मंहगा, गेहूं मंहगा, कपड़ा मंहगा, आम जरूरत की चीजों की कीमतें दिन-रात बढ़ रही हैं और सरकार का उसके ऊपर कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं है। मैं साफ इल्जाम लगाना चाहता हूं कि इस सरकार की चोटी पूंजीपतियों के हाथ में है, व्यापारियों के हाथ में है, उद्योगपतियों के हाथ में है। इसलिये उनके हितों के अलावा दूसरों का यह सोच रखती ही कैसे ? एक तरफ यह कहते हैं कि हमने किसानों के लिये उनकी खरीफ मूल्य को बढ़ा दिया। खरीफ के मूल्य कांग्रेस के वक्त में भी बराबर बढ़े हैं लेकिन मंहगाई इतनी तेजी से नहीं बढ़ी है। किसान आज अपना गेहूं 50 रुपये 30 रुपये या चना, जो समर्थन मूल्य इन्होंने बढ़ाया वह मूल्य प्राप्त कर लेंगे लेकिन बाजार में में जाने पर अन्य चीजें जो मंहगी मिलेंगी तो मैं समझता हूं कि उसके पास में कोई उपाय सरकार ने छोड़ा नहीं, उसकी आय को बढ़ाने के लिये इन्होंने कोई काम नहीं किया, उसको कोई रिलीफ नहीं दी। और 20 रुपये का सामान, जूते और बनियान-गंजी, छोटे-छोटे कपड़े जो व्यक्ति अपनी दैनिक उपयोग के लिये खरीदते थे, वह हमारे द्वारा दी गई रिलीफ भी इन्हें फूटी आंख सुहाई नहीं, उस रिलीफ को भी बन्द करके गरीब जनता के साथ विश्वासघात किया है।

इसी तरीके से, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि इन्होंने प्रशासनिक व्यय में कटौति की बात कही है। किन किन मदों में यह कटौती करेंगे ? 100 करोड़ रुपये की कटौति की बात मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बतायी है, तो इसका खुलासा देना चाहिये कि 100 करोड़ रुपये की कटौति कहीं आप योजनायें बन्द करके तो नहीं करेंगे ? पिछले दिनों इसी प्रशासनिक व्यय में कटोति करने वाली समिति के एक सदस्य ने एक बयान जारी किया था और कहा था कि 400

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

स्कूलें ऐसी चल रही हैं जहां पर विद्यार्थी नहीं हैं, मास्टर काम कर रहे हैं............

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : न तो कटौति ऐसे काम में होगी और न यह होगा कि 3 करोड़ की जगह पौने 4 करोड़ रुपये खर्च कर देंगे और आफत भुगतनी पड़ेगी। ऐसा किसी भी स्थिति में नहीं होगा, आप चिन्ता मत करिये।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : ऐसा कुछ नहीं हुआ।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : बिना स्वीकृति के, बिना बजट के 3 करोड़ रुपये निकाल कर ले गये।

**श्री चन्दनमल बैद** : सुनिये, चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं।

**श्री यदुनाथसिंह** : सरकार थी इनकी।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : सभापति महोदय, हमने तो कोई ऐसा एक भी काम नहीं किया है ....

**श्री हेतराम बेनीवाल** : आप भी ऐसा ही करना चाहते हैं क्या ?

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : माननीय सदस्य, जब आप मंत्री थे, मेरे से खुलासा मत करवाइये ....

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : आप बता देना :

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : जो विभाग आपके पास था वह विभाग अब मेरे पास है, उससे सब खुलासा सामने हो जायेगा।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : खुलासा कर देना। आपने बीकानेर को गोद लिया था, और गोद लेते ही बीकानेर के विकास के काम बन्द कर दिये। यह आपकी कथनी और करनी में अन्तर है। (व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि (व्यवधान)

सभापति महोदय, जितना व्यवधान डालेंगे इतना ही ज्यादा मैं समय लूंगा।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : अधिकारियों को मरवा दिया।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : सभापति महोदय, इनकी कमेटी के एक मेम्बर कहते हैं कि 400 से अधिक स्कूलें ऐसी हैं जहां मास्टर 10-10 हैं और विद्यार्थी नहीं हैं, उनको बन्द कर दीजिये। और एक तरफ इनके सदस्य यह कहते हैं कि विद्यार्थी हैं वहां पर टीचर्स नहीं हैं, तो किनकी बात को सही माने ?

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : दोनों बातें सही हैं।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : सभापति महोदय, इस कमेटी ने कोई सुझाव नहीं दिये कि इतने प्रशासनिक व्यय में कटौती की जायेगी। यह तो सामने आयेगा, लेकिन यह कहना कि हम 30 करोड़ रुपये की बचत कर लेंगे, बिना जोड़ के, मैं इसको बेमानी समझता हूं। इस तरह की बातों में हमारा विश्वास नहीं है।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

सभापति महोदय, इस सरकार के मंत्रियों और मुख्य मंत्रीजी ने कई घोषणायें की हैं-हम एस. टी. डी. टेलिफोन की सुविधा, जो मंत्रीगण और अधिकारियों को दे रखी है, उसको हम विथड्रा कर लेंगे, जो पैट्रोल की फिजूल खर्ची हो रही है उस को रोक देंगे, हम अलग अलग जो प्रशासनिक व्यय अधिकारियों पर हो रहा है उसमें कटौति करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि आपने पेट्रोल, एस. टी. डी टेलीफोन की सुविधा और गैर योजना व्यय में तब तक क्या क्या कटौती की है और इस मद में किन किन के एस. टी. डी. टेलीफोन की सुविधायें आपने बन्द की हैं। एक भी नहीं की। थोथी घोषणाओं की सरकार है सबसे बडी बात यह है कि इन सब कामों को करने के लिये पोलिटिकल बिल की आवश्यकता होती हैं, राजनैतिक इच्छा शक्ति के बिना हम किसी भी काम को असली जामा नहीं पहना सकते मुझे लगता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की बहुत बडी कमी है। माननीय मुख्य मंत्रीजी भ्रष्टाचार को रोकने की बात बड़े दमखम के साथ करते हैं। जो इन्होंने 2-3 मामले पकड़े हैं, मैं कहना चाहता हूं कि वह मामले कांग्रेस के जमाने में पकड़ लिये गये थे और जब वह प्रोसेस में थे, जब प्रक्रिया चल रही थी, उसी वक्त चूंकि चुनाव आ गये इस कारण उन भ्रष्टाचार के मामलों में आगे कार्यवाही नही हो सकी। यह कहना चाहता हूं कि इन मामलों को हमने पकड़ लिया था। चलो, कोई बात नहीं है, मैं आपको 2-3 मामले और बता देता हूं, अगर उन पर आप कार्यवाही कर लेंगे तो मैं मान जाऊंगा कि आप वास्तव में भ्रष्टाचार को पनपाने वाले नहीं हैं, भ्रष्टाचार को पकड़ने वाले हैं।

मैं, आपके माध्यम से, जो मंत्रीगण बैठे हैं, उनको बताना चाहता हूं कि माननीय श्री भैरोंसिंह जी शेखावत विपक्ष के नेता के रूप में जिस मकान में रहते थे, उनके पास में 9 हजार वर्ग गज जमीन है वह किसकी जमीन है ? क्या वह सरकारी जमीन है ? और यदि सरकारी जमीन है तो उस जमीन को किस अधिकारी के इशारे पर खुर्द-खुर्द किया गया, किस अधिकारी के इशारे से सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत उसको रिलीफ दी गयी ?

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : कब दी गई ?

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : पूछ लो। मेरे पास जो रिकार्ड है वह मैं पढ़ रहा हूं मेरे को कहने दीजिए आप।

**एक माननीय सदस्य** : दीपक तले अन्धेरा।

**श्री कालीचरण सराफ** : पौन घन्टा हो गया इनको।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : मुझे 20 मिनट नहीं हुये अभी बोलते हुये। अगर आप लोग इसी तरह से बोलते रहे तो जब आप बोलेंगें तो इधर की तरफ से भी व्यवधान होगा। यह उचित नहीं है।

# Page No. 97



**श्री महावीर प्रसाद जैन :** हम तो जानकारी चाहते हैं। थोड़ा स्पष्ट जानकारी दे दो सदन को। मुख्य मंत्री जी भैरोंसिंह जी शेखावत हैं, उनके बगल में जमीन है और वह 9 हजार बीघा जमीन है, काफी कीमती जमीन है। वह कब सीलिंग से हटाई गई? किसने उस पर कब्जा किया यह तो बताओ जरा? पूछ क्या रहे हो, आपके पास तो सारी जानकारी है।

**श्री बुलाकीदास कल्ला :** ऐसा है कि प्रश्नों के उत्तर मंत्रीगण देते हैं। मैंने यह समस्या यहां पर उठाई है, जब मुख्य मंत्री जी अपना रिप्लाई देंगे तब बता देंगे। इन सब कामों की जानकारी मुख्य मंत्री जी को है। मुख्य मंत्री जी के पास यह पत्रावली पड़ी हुई है। फिर ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया? आपके घर के पास में जो जमीन है, जो सरकारी जमीन है और उस सरकारी जमीन को खुर्द बुर्द करने के बाद जब भ्रष्टाचार का मामला आपके पास आ गया, आज भी फाइल मुख्य मंत्री जी के पास है तो आपने उस अधिकारी के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया?

**एक माननीय सदस्य :** तारीख तो बता दो साहब।

**श्री बुलाकीदास कल्ला :** सभापति महोदय, अभी बीच में खेड़ा उद्योग में 1-2 लोगों के खिलाफ कार्यवाही हुई। मैं जानता हूं कि अभी तक छोटे-छोटे अफसरों को बख्शा है। मैं जानना चाहता हूं कि खेड़ा उद्योग के पेमेन्ट्स के लिये किस अधिकारी ने मन्जूरी दी? किस के इशारे पर बिना इन्सपेक्शन तीस लाख रुपये का भुगतान खेड़ा उद्योग को किया गया? उस अधिकारी के खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया? यदि आप इस तरह से केवल मात्र दिखावे के लिये छोटी-मोटी कीड़ियों को मसलते रहेंगे और बड़े हाथियों को अपनी गिरफ्त में नहीं लेंगे तो मैं समझता हूं कि आपकी नाटकबाजी चलेगी नहीं।

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** आपने जिनको बचाया है उनको बख्शा नहीं जायेगा।

**श्री बुलाकीदास कल्ला :** बड़े उद्योगों को जब-जब जिन-जिन अधिकारियों की शह पर भ्रष्टाचार फैलाकर के उन्होंने जो कार्यवाहियां की हैं उनके खिलाफ जब तक एक्शन नहीं होगा, हम नहीं मानेगें कि यह सरकार कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन ले रही है। +++

तीसरी बात, जो सर्राफ टैक्सटाइल्स है बिना असेसमेंट के उनको किस प्रकार से लोन दिया गया। तीन मामले मैंने उठाये हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी जब अपनी रिप्लाई दें उस समय यह बतायें कि इन भ्रष्टाचार के मामलों में आपने क्या कार्यवाही की।

**एक माननीय सदस्य :** कितना समय हो गया इनको।

---

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

**श्री सभापति** : अपनी पार्टी का समय ही ले रहे हैं।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : आपको बूफनिया क्यों लग रहा है। × × × (व्यवधान)

**श्री ओमप्रकाश गुप्ता** : इनको जो अलाटेड समय था वह तो समाप्त हो गया।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : सभापति महोदय, × × × असंसदीय शब्द हैं, इसको निकाला जाये।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : असंसदीय है तो हटा दीजिए। मैंने तो यह कहा नहीं गलत सुन लिया।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : इनको ध्यान नहीं रहता कि यह क्या बोलते हैं।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी एक बात कह रहे थे कि मेरी केन्द्रीय सरकार में बहुत बड़ी पहुच है और मैं यह कर दूंगा, वह कर दूंग। मैं दो तीन मामले आपको बताना चाहता हूं कि, एक तो ओ. एन. जी. सी. का काम जो यहां राजस्थान में चल रहा था वह आपस की लड़ाइयों के कारण बन्द हो गया है। डीप रिग्स का काम है, इस व्यवधान को दूर करने के लिये आपने क्या कार्यवाही की ? इसी तरीके से मुकेरिया प्रोजेक्ट के बारे में और एस. वाई. एल. के बारे में, हमारी जो लिंक कैनाल है उसके बारे में, इण्टर स्टेट प्रोजेक्ट्स के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने काफी मुद्दे यहां पर उठाये। जब पिछली विधान सभा में इन मुद्दों के बारे में मैंने कहा था, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि अभी जुम्मा-जुम्मा पांच दिन हुआ है। परन्तु अब तो 100 दिन से ज्यादा हो गया। हम यह जानना चाहते हैं कि इण्टर स्टेट डिस्प्यूट के बारे में जो मामले आपने यहां विधान सभा में उठाये उन मुद्दों के बारे में, किन-किन इण्टर स्टेट प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या-क्या कार्यवाही की और उससे राज्य को कितना लाभ हुआ। वह भी जरा आप बता दें।

**श्री सभापति** : माननीय कल्ला जी यह तो प्रश्नों के जरिये ही आप इनका उत्तर मांग सकते हैं। आप बजट भाषण के रेफरेंस से थोड़ा दूर जा रहे हैं।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : 11-3-87 को बजट स्पीच बता दूं जिसमें इन्होंने इन प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया है।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : आप बजट भाषण सारा का सारा पढ़ लेते तो आपको जवाब मिल जाता।

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : सभापति महोदय, अब इण्टरप्शन होगा तो समय आया होगा।

**श्री सभापति** : कोई इण्टरप्शन नहीं होगा। कल्ला जी आप समाप्त कीजिए।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : सभापति महोदय, मुझे कम से कम 15 मिनट तो व्यवधान का सामना करना पड़ा है। मैंने एक भी फैक्ट गलत नहीं रखा है सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना

---

× × × अभिव्यक्ति मा. अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

चाहता हूं कि इण्टर स्टेट प्रोजेक्ट के बारे में जो-जो आपने कार्यवाहियों की हैं वह आप सदन को बतायें। दूसरा, इन्होंने किसानों के बारे में....

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : कल्ला साहब माफ करना। जो इण्टर स्टेट मैटर्स के मामले में मैं बोला हूं, आप इतना तो बता दीजिए कि वह गलत था या सही था।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : मैंने यह बातें कहां कही है कि गलत हैं। गलत और सही का निर्णय तो जब इन प्वांइट्स पर डिबेट होगी उन पर बताऊंगा। लेकिन जिन बातों को आपने रखा है उनको तो बतायें। आप यहां थे नहीं। मैने यह कहा था कि आपने इस सदन में अपूरित घाटों का हमेशा विरोध किया, फिर आपने अपूरित घाटा क्यों छोड़ा ?

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : आप रिपीट मत करो। मैने आपका भाषण पूरा सुना है।

**श्री यदुनाथसिंह** : इम्प्रेस होकर के आये दीखते हो यहां पर।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से स्टेट के हित में दो-तीन सुझाव देना चाहूंगा। दुर्भाग्य से से हमारी स्टेट हमेशा कच्चे माल का निर्यातक प्रदेश रहा है। आज भी हम हमारे खनिज पदार्थों को, कच्चे मालों को निर्यात करके राज्य की बहुत बड़ी हानि कर रहे हैं। जब तक हम फाइनल प्रोडक्ट्स यहां नहीं बनायेंगे तब तक हम अपने प्रदेश का कोई भला नहीं कर पायेंगे।

हमारे राज्य में ऊन एशिया की सबसे अधिक मात्रा में राजस्थान में होती है। हम यहां गलीचा उद्योग, दरी उद्योग का विस्तार करें। इससे दो लाख लोगों का रोजगार मिल सकता है। यहां से बाधोई, मिर्जापुर में जो ऊन जाती है, वहां 500 करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट होता है और एक्सपोर्ट सब्सिडी उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलती है। सभापति महोदय, हमारे राज्य में ऐसी विपुल सम्भावनाएं हैं कि हम इस गलीचा उद्योग को विकसित करके, 500 करोड़ रुपये एक्सपोर्ट करके स्टेट की इन-कम को बढ़ाकर दो लाख लोगों को रोजगार दे सकते है।

इसी तरह से हमारे खनिज पदार्थों के अन्तिम उत्पादन का निर्माण यदि हम अपने प्रदेश में करना शुरू कर दें तो एक मोटे अनुमान के अनुसार लगभग एक हजार, पचास करोड़ रुपये का अन्तिम उत्पादन हम यहां पर कर सकते हैं। हमारे विशेषज्ञों की समितियों ने, हमारे अर्थशास्त्रियों ने समय समय पर प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के ऊपर विशेष जोर दिया है। लेकिन आज भी भू-गर्भ में जो हमारे संसाधन छिपे हुये हैं उनको निकालने की बात नहीं की गई है।

जहां तक हमारे भूमिगत जल स्रोत का प्रश्न है, भूमिगत स्रोत समाप्त हो रहे हैं कुएं सूख रहे हैं। उनके लिए आल्टरनेटिव

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

सोर्स कहां-कहां हो सकते हैं इसके बारे में प्रयास किये जाने की जरूरत है। किसी भी प्रदेश में बिजली और पानी इन्फ्रास्ट्रक्चर के रूप में माने जाते हैं। पिछले वर्षों में सौभाग्य से 950 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ। लेकिन इस वर्ष के बजट में कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा इसके बारे में कोई दिशा–निर्देश इस बजट में हमें नहीं दिया है।

मैं कहना चाहूंगा कि इस बजट की रिप्लाई जब माननीय मुख्य मंत्रीजी दें उस समय गरीबों के उपर जो टैक्स का भार बढ़ रहा है उस पर रिलीफ देने की बात करें, और जो नाइन्थ फाइनेन्स कमीशन में लगभग 6 हजार करोड़ से अधिक की राशि राज्यों को अतिरिक्त रूप में दी है, उसको इसमें बताते हुए जितनी अधिक रियायत हम गरीबी की सीमा रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को दे सकते हैं हमें देनी चाहिए इसके साथ-साथ किसानों के जितने भी खेती में काम आने वाले उपकरण हैं ट्रैक्टर, ट्राली, हल, बैल, खाद, उर्वरक इन सब के ऊपर टैक्स रिलीफ जितना भी दिया जा सकता है उतना दिया जाना चाहिये।

सभापति महोदय, अन्त में मैं अपने क्षेत्र के बारे में दो-तीन बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। माननीय मुख्य मंत्री का ननिहाल बीकानेर में है और अध्यक्ष महोदय का ससुराल बीकानेर में है। ललित किशोर जी ने बीकानेर को गोद ले रखा है लेकिन इनके आते ही राजनैतिक रूप से इन्होंने पता नहीं क्या बीकानेर की इतनी घोर उपेक्षा की, इसमें आज 15 कुएं डूब गये।

**श्री भैरोंसिह शेखावत :** बीकानेर से मेरे मामा का लड़का भाई मेरे ही खिलाफ बोल रहा है।

**श्री बुलाकीदास कल्ला :** इसलिए बीकानेर के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं आप? सभापति महोदय, बीकानेर में पीने के पानी का इतना अभाव है, 15 कुएं सूख गये और वहां रेंजरवायर, जो लिटिगेशन के कारण नहीं बन रहा, वह आज भी खुदा हुआ पड़ा है। उसकी लाइनिंग के काम के बारे में इन्होंने बजट में कोई प्रावधान नहीं किया। सूर सागर की रोज वकालत करते थे। इसके बारे में कोई प्रावधान इन्होंने नहीं किया। खड़े होकर कई बार सूरसागर के बारे में बोले हैं विपक्ष से।

**श्री भैरोंसिह शेखावत :** आप कहते थे मैं बोलता था। आप कहते थे कि सूरसागर के बारे में बोलो, मैं तो आपके कहने से बोलता था।

**श्री बुलाकीदास कल्ला :** मेरे कहने से इसको ठीक करवा दो अब।

इस तरह से रेल्वे फाटकों की प्राब्लम जो बीकानेर में है उसके बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया। पीने के पानी की स्कीम के बारे में बीसलपुर और जोधपुर की योजना जितनी है उसका पर्याप्त बजट प्रावधान नहीं है। तो ऐसा लगता है कि राजस्थान की समस्याओं का समाधान आप के बजट से होगा नहीं और नया काम आप

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

हाथ में ले नहीं सकेंगे। इसलिए इस पर पुनर्विचार कर, टैक्स जोआपने नये लगाये हैं, गरीबों के उपर जो टैक्स लगाये हैं, लीजिंग कर वगैरा, इनको पुनर्विचार करके राहत देने की आप अपनी रिप्लाई में घोषणा करेंगे। वरना इस बजट का निश्चित रूप से पूंजीपतियों को लाभ मिलेगा, गरीबों को नुकसान होगा, युवाओं को नुकसान हुआ है, किसानों को नुकसान हुआ है। इस लिए इस बजट का मैं विरोध करता हूं। धन्यवाद।

**श्री सभापति** : श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी श्री भैरोंसिंह जी शेखावत को इस बात की बधाई देना चाहूंता कि उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में प्रथम बार राजस्थान विधान सभा में राजस्थान की सरकार का बजट रखा। 10 वर्ष के अन्तराल के पश्चात राजस्थान के खजाने की चाबी किसान के बेटे के पास आई और 10 वर्ष के बाद वास्तव में जो बजट प्रस्तुत हुआ उसको देखकर और उस को पढ़कर गांवों में रहने वाले दूरदराज के किसानों के मन में यह आकांक्षा जागी कि उनके हितों को, उनकी बातों को जानने वाला उनका असली प्रतिनिधि आज राजस्थान ली हुकूमत पर है। माननीय मुख्य मंत्री ने अपने अथक प्रयासों से वार्षिक योजना के अन्दर जो 20 प्रतिशत की बढोतरी करवायी 161 रुपये की, वह स्वागत योग्य है। परन्तु इस बजट पर चर्चा करने से पहले हमें यह भी सोचना चाहिए कि हमें विरासत में क्या मिला ?

इस प्रदेश पर और देश पर ढाई साल को छोड़कर हमेशा कांग्रेस ने हुकुमत की। इस हुकूमत में कांग्रेस ने थोथी घोषणाएं तो बहुत की, परन्तु देश और प्रदेश को जहां लेजाकर छोड़ा वह आपसे छुपा हुआ नहीं है। हमारा प्रदेश आज सड़कों को गांवों से जोड़ने के मामले में 12वें स्थान पर, अस्पताल, जनसंख्या में 13वें स्थान पर, पेयजल संकट में 9वें स्थान पर। तो इस बजट के अन्दर पिछली सरकार का खाका माननीय मुख्य मंत्री ने खेंचा है, वह यह बात दर्शाता है कि पिछले सालों में जिन लोगों के हाथ में सत्ता रही उन लोगों ने राजस्थान के लोगों की अनदेखी की। बजट मात्र आंकड़ों का मायाजाल ही नहीं, यह सरकार की विचारधारा और सरकार की राजनैतिक इच्छा शक्ति का द्योतक है। बजट में, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 60 फीसदी पैसा गावों के विकास पर खर्च करने की जो घोषणा की है, उससे महसूस होता है कि वास्तव में यह बजट ग्रामोन्मुखी है और मुख्य मंत्री की गांवों के प्रति विशेष रुचि है, विशेष दर्द है। बजट के अन्दर प्रथम बार एक उच्चस्तरीय समिति बनी 30करोड़ रुपये की प्रशासनिक खर्चों में जो कटौती की गयी, वह अपने आप स्वागत योग्य है।

राजस्थान के बजट में बिजली के उत्पादन पर ईस वर्ष जो 235 करोड़ का

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

प्रावधान रखा गया है वह पिछले वर्ष से करीब 25 फीसदी अधिक है। इससे राजस्थान को पर्याप्त बिजली तो मिलेगी ही, परन्तु साथ ही जो 1100 गांवों को विद्युतिकरण करने का जो प्रावधान इस बजट में है उसके लिए मैं जरूर निवेदन करना चाहूंगा मात्र यह कहकर कि गांवों में बिजली पहुंच गयी, गांवों का विद्युतिकरण नहीं माना जाये। जब तक गरीब किसानों के झोपड़ों तक हम बिजली नहीं पहुंचायेंगे, उस जरूरतमन्द किसान, उस जरूरतमन्द हरिजन के पास, जो वर्षों से इन्तजार कर रहा है, उसका शासन आयेगा उसके गांव में उसके घरों तक बिजली नहीं पहुंचे, तब तक गांव का विद्युतिकरण सही मायने में नहीं माना जाना चाहिए। साथ ही इस बार बजट के अन्दर 25 हजार कुओं के अन्दर बिजली पहुंचाने का प्रावधान रखा है। पूरे प्रदेश के अन्दर 33 हजार गांव हैं और 25 हजार कुओं के अन्दर बिजली लगे, इसका प्रावधान रखा है। यह बहुत कम है। मुझसे पहले जो हमारे विधायक साथी बोल रहे थे, तब ऊर्जा मंत्री महोदय ने यह स्पष्ट किया कि 22 हजार कुएं तो वह हैं जिनके लिए डिमाण्ड नोट पहले से जारी कर चुके हैं। मात्र 3 हजार कुओं का विद्युतिकरण इस साल हम करें, इस तरह का प्रावधान उस में है। यह बहुत कम है। इसलिए मैं आप के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस संख्या को बढ़ायें और राजस्थान के अन्दर अधिक से अधिक विद्युतिकरण हो, किसानों को कुओं के अन्दर अधिक से अधिक कनेक्शन मिले, इसकी व्यवस्था करें।

इसके साथ ही नीति निर्धारित करनी चाहिए। हमें यह भी सोचना चाहिए कि कई किसान जिन्होंने 1981 और 1982 के अन्दर अपनी सारी कार्यवाही पूरी करके विभाग के अन्दर फीस जमा करवा दी थी वह आज भी विद्युत कनेक्शन के लिए इन्तजार कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि कोई इस तरह का दिनांक या सन् निर्धारित करे, कि इससे पहले जिन लोगों ने एप्लाई किया, उन सब लोगों को निर्धारित समय पर बिजली मिल जाये।

इसके साथ ही, सभापति महोदय, जो नई योजना विद्युत विभाग ने अभी अपनाई हैं, जिस तरह टेलीफोनों में राशि जमा करवा कर 8 हजार या 10 हजार की राशि जमा करवा कर प्रायोरिटी से कनेक्शन मिलते हैं, उसी तरह से विद्युत विभाग ने शायद इस तरह की योजना तैयार की है। इस तरह की योजना से पूंजीपतियों और बड़े जमीदारों को फायदा मिलेगा। इस योजना को हटाकर वास्तव में जो पुराने समय से लोग बिजली कीसारी फोर्मलिटीज पूरी किये बैठे हैं उनको अगर कनेक्शन दिया जाये तो मेरी राय में यह उचित रहेगा।

सभापति महोदय, राजस्थान के सामने सबसे भयंकर संकट है पेयजल का संकट। राजस्थान की सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है, यह बजट पिछले साल से शायद चालीस फीसदी अधिक है। शहरों के अन्दर पेयजल योजना के लिए 38.8 करोड़ रुपये

(श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़)

का इस बजट के अन्दर प्रावधान किया है। गांवों के अन्दर जहां बहुतायत में लोग रहते हैं और गांवों के अन्दर जो पेय जल संकट है, उसके बारे में मुख्यमंत्री और आप सब अच्छी तरह से परिचित हैं। गांवों के अन्दर आज भी लोग पानी की बूंद-बूंद के लिए तरसते हैं। आजादी के 42 साल के पश्चात् भी जब गांवों में जाते हैं तो सबसे पहले गांव का आदमी खड़ा होकर पानी की मांग करता है। मैं अपने आपको टटोलने पर महसूस करता हूं कि क्या वास्तव में हम इसी आजाद मुल्क के बाशिन्दे हैं जहां लोगों को हमने यह कहा था कि आजादी के बाद उनके मन के मुताबिक शासन देंगे, जरूरत मन्दों को सारी चीजें मुहैया करवायेंगे। कुछ पेय जल योजना, जो केन्द्रीय सरकार से जल अभिवर्द्धन योजना में स्वीकृत की गयी हैं। वह जल अभिवर्धन योजना, जिनमें पूरी की पूरी राशि केन्द्र सरकार की लगती है लालफीताशाही के कारण उस पर अमल नहीं किया जाता है। मैं जिस क्षेत्र से चुन कर आया हूं वहां पानी का भयंकर संकट है। पानी को जिस तरह से घी का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से बूंद-बूंद कर के इस्तेमाल किया जाता है। नीचे पानी नहीं, ऊपर भगवान अगर बरसात करता है तो उस पानी को इकट्ठा करके काम में लिया जाता है।

ऐसे क्षेत्रों में भी जो पेयजल योजना की स्वीकृति केन्द्रीय सरकार से मिल चुकी है जिनको स्वीकृत हुए करीबन आज एक साल होने जा रहा है और जिनकी योजनाओं के बारे में भी माननीय मंत्री जी ने कई बार लिखित और मौखिक आदेश भी दिया कि इन योजनाओं को तुरन्त क्रियान्वित किया जाय, उसके बावजूद भी वह योजनायें क्रियान्वित नहीं हुई। यह बड़ी दुखदाई बात है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इन योजनाओं के क्रियान्वियन के लिए उचित कार्यवाही करें।

चिकित्सा संस्थाओं के मामलों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिकित्सा भवनों के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा कोष की स्थापना करने की घोषणा की है, वह स्वागत योग्य है। और मैं आशा करूंगा कि इस तरह के कोष के अन्दर जो हमारे दानदाता हैं वह दान देंगे और मेचिंग ग्रान्ट सरकार देगी तो गांव-गांव के अन्दर चिकित्सा भवनों का निर्माण होगा।

इसके साथ ही जो अस्पतालों में दुर्व्यवस्था है वह किसी से छिपी हुई नहीं है। दूर जाने की जरूरत नहीं, जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के अन्दर जो हालात हैं उन हालात को देखते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश से जो एक एक समिति बनी थी, डा. आर. एन. कासलीवाल समिति, उस समिति की जो फाइण्डिंग्ज आई और वह फाइण्डिंग्ज जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई, उस फाइण्डिंग्ज को देखते हुए लगता है कि राजस्थान की जहां से हुकूमत चलती है उसकी नाक के नीचे ही जब इतनी अनियमिततायें हों तो दूर दराज इलाकों में चिकित्सा के बारे में किस तरह की व्यवस्था होगी यह

(श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़)

बड़ी कुंठाजनक बात है। एक तरफ तो हमारे चिकित्सक न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं, हमें रोजगार दो, हमारा अधिकार है। दूसरी तरफ गांवों के अन्दर या शहरों के अन्दर चिकित्सकों के पद रिक्त पड़े रहते हैं। बार-बार माननीय मंत्री जी के पास जाकर निवेदन करते हैं, और कहते हैं कि चिकित्सा जैसी चीज जो सबसे अहम वस्तु है, वह मुहैय्या कराओ, तो जवाब मिलता है चिकित्सकों का पद अभी सृजन नहीं किये गये हैं। एक तरफ तो उन लोगों पर सरकार लाखों रुपया खर्च करके चिकित्सक बनाती है वह लोग सरकारी नौकरी के लिए न्यायालय में रिट पिटीशन करें और दूसरी तरफ चिकित्सालय खाली रहें और जवाब यह मिलता है कि पद खाली है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सरकार को चाहिए कि वह तुरन्त चिकित्सकों के जो पद खाली हैं उनको भरकर गांवों और शहरों के अन्दर जहां भी चिकित्सकों को तुरन्त भेजें। अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र चुरू के अन्दर चुरू जिला मुख्यालय पर एक जनसहयोग से अस्पताल बना हुआ है।

उस अस्पताल में, स्टाफ पैटर्न एक कमेटी बनाकर 1976 में जो तय किया गया था 100 शैयाओं और 200 शैयाओं वाले अस्पताल के लिए, उसके अनुसार 181 पद रिक्त हैं। आप अन्दाजा लगाइये कि जिला मुख्यालय पर एक चिकित्सालय और उसमें चिकित्सकों और कर्मचारियों के 181 पद रिक्त हों, तो वह काहे का चिकित्सालय रह जायगा।

राज्य सरकार ने जो मापदण्ड एक समिति बनाकर तय किया, 1976 में एक समिति बनाई कि चिकित्सालयों में किस-किस तरह के कितनी मात्रा में चिकित्सक होने चाहिए, वरिष्ठ चिकित्सक हो, उसके बाद कनिष्ठ चिकित्सक हो। फिर उसके बाद 1983 में डा. जो. सी. शर्मा की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। इन दोनों समितियों की सिफारिश के बावजूद भी उनको लागू नहीं करके आज इतने चिकित्सालयों के अन्दर चिकित्सकों के पद रिक्त हैं जिसके कारण लोगों को भयंकर कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जहां-जहां चिकित्सकों के पद रिक्त हैं उनको तुरन्त भरा जाय।

इस बजट के अन्दर उच्च शिक्षा का बहुत कम प्रावधान रखा गया है। मात्र दो महाविद्यालय खोलने की घोषणा इस बजट में की गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि और तो नहीं पर महिला महाविद्यालय खुले, महिला शिक्षा विस्तार के आप हामी रहे हैं, इसलिए कम से कम पांच महाविद्यालय की घोषणा तो इसमें होनी चाहिए। साथ ही जो तकनीकी महाविद्यालय है आपने एक भी तकनीकी महाविद्यालय खोलने का प्रावधान आपने इस बजट में नहीं रखा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि तकनीकी महाविद्यालय भी खोला जाय। इसके अलावा स्कूलों के अन्दर पूरे राजस्थान में और 49 के रेशों के अनुसार शिक्षक होने चाहिए जो पूरे नहीं हैं। शिक्षकों के रिक्त पदों को

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

भरने की योजना भी सरकार को बनानी चाहिए।

सभापति जी, सरकार ने इस बार जो संविदा वाहनों, काण्ट्रेक्ट करीज वाहन, पर कर लगाया है, यह एक तरह से तो स्वागत योग्य है। इसके कारण से जो अवैध वाहनों का प्रचलन होता था उसमें जरूर रुकावट आयेगी। परन्तु इसके साथ ही जो रोजमर्रा के काम, शादी और तीर्थ स्थानों पर जाने के लिए उन साधनों का उपयोग किया जाता है वह उपयोग अब आम आदमी से दूर हो जायगा।

क्योंकि उन पर इतना अधिक कर लगा है जो अपने आप में अधिक है। एक साथ नौ गुना अधिक बढ़ाकर कर लगाया गया है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस कर को भी रेशनेलाइज किया जाय। इस कर को भी कम किया जाय ताकि आम आदमी जो शादी-ब्याह के अन्दर या तीर्थ स्थान पर जाने के लिए इन वाहनों को किराये पर लेता है उस पर अधिक भार नहीं पड़े। यह बढ़ा हुआ कर सीधा आम उपभोक्ता पर पड़ेगा।

इसके अलावा, सभापतिजी, जो बजट प्रस्ताव में राज्य सरकार ने कच्चे मालों पर चुंगी की छूट दी है वह स्वागत योग्य है। किन्तु इसके साथ ही जो किसान धरती का सीना चीरकर अन्न पैदा करता है, हिन्दुस्तान का असली मालिक है, हिन्दुस्तान का अन्नदाता है, उसको भी, जब वह अपनी वस्तु मण्डी में ले जावे, तो छूट मिलनी चाहिए। इसके अलावा जब हम लोग विपक्ष में थे, तो हमारे नेतागढ़ मंच पर खड़े होकर यह कहा करते थे कि चुंगी समाप्त हो। चुंगी से भ्रष्टाचार फैलता है। शासन में आये तो चुंगी प्रणाली को समाप्त करेंगे। इसलिए पुनः मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रणाली से भयंकर भ्रष्टाचार फैलता है, जिसको स्वयं आपने बताया है, उस चुंगी प्रणाली को भी तुरन्त समाप्त करके नई व्यवस्था की जाय ताकि लोगों को राहत पहुंच सके।

सभापति महोदय, हम लोग जो बड़े संघर्ष के साथ राजस्थान में सत्ता में आये हैं हमने लोगों से कुछ वायदे किये थे। हमको एक सन्देश हमारे नेतृत्व ने, केन्द्रीय नेतृत्व ने और राजस्थान के नेतृत्व ने दिया कि जाकर इसको गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक पहुंचा दो। हमने गांवों में जाकर लोगों को कहा कि किसान की हुकूमत बनाओ, किसान का शासन कायम करो, तुम्हारे दस हजार तक के कर्जे माफ करेंगे। परन्तु इस बजट के अन्दर दस हजार तक के कर्जों की माफी पर अगर और मगर, किन्तु और परन्तु लगाया गया है, ओवर-ड्यू जैसा पेचीदा शब्द, इन सब चीजों को देखते हुए यह महसूस होने लग गया कि किसान को हम मृग-मरीचिका में डालने जा रहे हैं। किसान के साथ जो हमने वायदा किया उस वायदे से हम अलग हटते जा रहे हैं। हमने गांव में जाकर कहा था कि 65 साल के बूढ़े को पेन्शन देंगे। वह पेन्शन इसलिए नहीं कि इसको हम कोई सहायता देंगे बल्कि उसका मान और सम्मान बढ़ाने के लिए, क्योंकि राजस्थान

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

का किसान 15 साल की उम्र के अन्दर खेत में जाता है, हल की मूठ पकड़ता है, पूरी जिन्दगी खून और पसीने की कमाई करके इस देश और प्रदेश का अन्न पैदा कर लोगों का पेट भरता है। पूरी जवानी खेत खलिहान में बिताने के बाद जब उसका शरीर जर्जर हो जाता है, तब उसका मान और सम्मान बढ़ाने के लिए सौ रुपया माहवार पेन्शन की बात हमने गांवों में की थी। परन्तु इस बजट के अन्दर जो वृद्धावस्था पेन्शन है, उस पेन्शन का जो प्रावधान रखा है, उसको देखते हुए मुझे यह महसूस हो रहा है कि ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। इसलिए मैं बड़े अदब से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो हमारा पोलिटिकल कमिटमेन्ट है, जो हमारा जनता से सीधा वायदा है, उस वायदे को, मुख्यमंत्री जी, पूरा करो। पूर्व में जो सरकार थी उसकी कथनी और करनी में अन्तर था।

अगर हमारी भी सरकार के अन्दर इस तरह की बात आयी तो हम जो आज पहली बार चुनकर आये हैं, हमें यह नारा देना पड़ेगा कि यह सरकार हमारी है, दस्तूर पुराना जारी है। इसलिए मैं कहूंगा कि कृपया जो राजनैतिक प्रतिबद्धता और जो पोलिटिकल कमिटमेण्ट हमने जनता से किया, गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में जाकर, कृपया उसको निभायें। चाहे विकास के कामों में आप कटौती करें। नये स्कूल आपने नहीं खोलने का ऐलान पहले से कर दिया, नये औषधालय नहीं खोलने का ऐलान आपने पहले से कर दिया। हमारी ऐसी जरूरतें पूरी करें। हमने लोगों से वायदा किया था कि अगर हमारी सरकार बनी तो फलानी भूमि पर लगान माफ करेंगे। आज किसान वर्षा पर निर्भर करता है और जहां सिंचाई की कोई सुविधा नहीं, उस भूमि का जो लगान है चाहे अन्न पैदा हो या नहीं हो हम उससे लगान वसूल करने की कार्यवाही जारी रखें, यह किसान के साथ अत्याचार है।

मुख्यमंत्री जी का बचपन और मुख्य मंत्रीजी का जो जीवन है वह पूरा किसानों के बीच में बीता। आप स्वयं किसान हैं, किसान के पुत्र हैं, धरती के पुत्र हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप किसानों की पीड़ा को समझते हुए फलानी भूमि पर तो लगान है, उसको माफ करें। इसके साथ ही हमने नौजवानों से भी यह कहा था कि अगर हमारी हुकूमत में बदलाव आया तो हम काम देंगे। इसलिए मुख्य मंत्री जी, आपसे निवेदन करूंगा कि आप छोटे-छोटे उद्योग लगाकर इस तरह की योजना बनायें, ताकि दूर-दराज के गांवों में बैठे हुए नौजवान जो आज काम को तरस रहे हैं, जिनकी आंखें काम को तरस रही हैं, उनको काम मिले।

मैं बाअदब आपसे निवेदन करूंगा कि आपने जो पशुओं पर रवन्ना कर लगाया है, कृपया उसको भी वापस लें, ताकि किसान यह समझें कि उसकी खुद की हुकूमत में, उसके दुःख दर्द को जानने वाले लोग उस पर बिना किसी कारण के कर नहीं लगायेंगे।

इसके अलावा, माननीय मुख्यमंत्री जी,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगा कि आपने उस समय यह कहा था कि जिन गांवों के अन्दर टी. एस. एस. स्कीम के अन्तर्गत कुएं चल रहे हैं, उन कुओं को आप जलदाय विभाग के अधीन अधिग्रहण करवायें। आज चूरू जिले के अन्दर बहुत अधिक संख्या के गांव के अन्दर टी.एस.एस. के कुएं चल रहे हैं, उनका बिल तो जरूर आपका विभाग भरता है परन्तु उसके मेन्टिनेन्स और उसके रख-रखाव का सारा भार गांववासियों पर पड़ता है। गांव में पिछले 2-3 साल से लगातार अकाल है। गांव की हालत आज ऐसी भी नहीं है, कुओं में रोज मोटरें जलती हैं, पैसों की कमी के कारण लोग दूर-दराज से जाकर पानी लाने के लिए मजबूर हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कृपया टी. एस. एस. के कुओं को भी जलदाय विभाग के अन्तर्गत अधिग्रहण करवायें।

इसके अलावा, सभापति जी, चूरू तहसील के अन्दर और चूरू जिले में आज तक यह सब्जबाग दिखाया गया। माननीय चन्दनमल जी बैद विराजमान नहीं हैं। मुझे मेरा बचपन याद आता है, जब गांव के अन्दर बैद जी आया करते थे, तो हम लोग छुप जाया करते थे, सोचा करते थे, टीका लगाने वाला, गोली देने वाले बैद आ गये हैं परन्तु फिर हमें बुलाकर ले जाया करते थे और कहा करते थे जोर से ताली बजाओ नहर आने वाली है। जब-जब वोट का समय आया। चन्दनमल जी बैद ने कांग्रेस की हुकूमत में हमेशा यह कहा कि कांग्रेस का साथ दो, नहर आ जायेगी, और कई बार तो गांव वालों को साथ ले जाकर यह भी बताया था कि नहर इधर से लायें या उधर से लायें। बड़े लम्बे समय तक गुमराह किया और आज उस जिले में नहर तो आयी नहीं, नहर का पानी तक तो आया नहीं परन्तु उस पानी का इन्तजार करते-करते लोगों की आंखों का पानी जरूर सूख गया। माननीय चन्दनमल जी बैद अपने आपको इस राजस्थान का भागीरथ कहते थे। वह कहते थे कि जो काम मेरे समय में हुआ, वह अद्वितीय काम था।

मैं आपसे निवेदन करूंगा, मुख्यमंत्री जी बिराजमान हैं, चन्दनमल जी बैद के वक्त के अन्दर राजस्थान नहर में आर.डी. 1126 से लेकर 1196 आर.डी. के तहत जो काम हुआ राजस्थान केनाल की लाइन बैड, लाइन बिल्कुल नहीं थी, साइड लाइन कहीं थी, तो उसमें बड़े-बड़े गड्ढे थे और जो अनियमितताएं हुई, उसका सानी आज तक दूसरा किसी स्थान पर नहीं मिलता। जब तक यह राजस्थान नहर रहेगी और जब तक राजस्थान नहर का यह प्रोजेक्ट रहेगा हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां हमेशा माननीय बैद जी को अच्छी दुआयें देती रहेंगी। कितनी दुखदायी बात है कि उनको सार्टिफिकेट लेना था, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी से। उस सार्टिफिकेट को लेने के लिए इन्होंने आदेश दिया राजस्थान केनाल बोर्ड की 103वीं बैठक में कि चार माह के अन्दर-अन्दर आर. डी. 1126 से लेकर 1200 तक काम पूरा हो जाना चाहिए। जो उस समय अभियन्ता लोग थे

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उन्होंने निवेदन किया और लिख कर भी दिया कि आप आज जो बता रहे हैं वह इन परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। इन परिस्थितियों के अन्दर, जब आंधियां चल रही है, यह काम होना सम्भव नहीं है। परन्तु चूंकि माननीय बैद जी को शायद मुख्य मंत्री बनने का कहीं से कोई आश्वासन मिला होगा, उन्होंने कहा नहीं, पहले यह काम होना चाहिए। रात को काम हुआ। पेट्रोमेक्स के उजाले में काम हुआ, जनरेटर खरीदे गये। उसके बाद जो काम हुआ वह आपके सामने है। धज्जियां उड़ गयी पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की, करोड़ों रुपयों का घोटाला हुआ और जब हमारे मुख्य मंत्री जी विपक्ष के नेता थे उन्होंने इस बात को उठाया। काम माननीय बैद जी की देख-रेख में हुआ था। माननीय बैद जी खुद एक माह के अन्दर चार बार वहां दौरे पर जाया करते थे और उस समय के तत्कालीन नहर बोर्ड के अध्यक्ष कपूर साहब चार बार गये। कश्यप साहब, जो चीफ इंजीनियर थे, वह दो माह में 18 बार दौरे पर गये। उनकी देख रेख में, उनकी आंखों के सामने काम हुआ और उसका दंड मिला उन निर्दोष अभियंताओं को।

इसलिए मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि इस पूरे प्रकरण के अन्दर, चूंकि राजस्थान नहर जिससे हमें बहुत बड़ी आशा है और हमारे चूरू जिले के लोग आज भी इस चीज का इन्तजार करते हैं कि शायद इस नहर का पानी उन को पीने के लिए कभी नसीब होगा या वह भी कभी नहर को चलता हुआ देखेंगे, तो यह हमारे हितों के साथ कुठाराघात है इस लिए इस पूरे प्रकरण की जांच करायें। इस पूरे प्रकरण में कौन-कौन दोषी है, उनको अवश्य दण्डित करें। जहां तक मेरी जानकारी में है काम हुआ माननीय-बैदजी की देखरेख में और इसका दण्ड भुगते कौन? इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए और इस प्रकरण में जो कोई भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। इस नहर की लाइनिंग के अन्दर ऐसा है कि कहीं थोड़ा-सा भी दबाव डाला जाये तो चूर-चूर हो जायेगी। तो चार बार, पांच बार बेद जी वहां जाया करते थे, चीफ इंजीनियर वहां जाया करते थे। उसके बाद में उनकी आंखों के सामने इस तरह की ईंटें लगे, इसके लिए मैं मानता हूं कि वह भी दोषी हैं।

इसके साथ ही, जब कभी चुनाव का वक्त आया तो माननीय बैदजी इस तरह की मशीनें, हमने तो कभी देखी नहीं, गांव ले जाकर खड़ी कर दिया करते थे।

**श्री प्रेमसिंह दाहिया** (भीनमाल): खतम हो रहा है या नहीं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़**: मैं मेरी बात कह रहा हूं। इस बात को कहने का मेरा अधिकार है। यह मेरी पीड़ा है, यह मेरी ही नहीं बल्कि मेरे क्षेत्र के लोगों की पीड़ा है। मैं अपनी बात कहूंगा।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि जब कभी समय आता तो बैदजी इस तरह

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

की मशीन वहां ले जाकर दिखाते कि यह मशीन नहर खोदेगी और उसके चक्कर में आकर लोगों से वोट लेते। उसके बाद वह मशीन वहीं की वहीं पड़ी रहती। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए।

इसके अलावा जो बजट राज्य सरकार ने पेश किया, उस बजट का मैं स्वागत करता हूं और साथ ही आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जो वायदे हमने किसानों से किये, वृद्धावस्था पेन्शन लागू करने का, कर्जे माफ करने का वायदा, बारानी भूमि पर लगान माफ करने की बात और खालों की जो कीमत सरकार वसूल करने की बात कर रही थी, उसको माफ करने की बात, इन वायदों को सरकार पूरा करे। मुझे आशा और विश्वास है कि आप के नेतृत्व में राजस्थान विकास की ओर अग्रसर होगा।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति :** श्री कालीचरण सराफ।

**श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी बाजार) : माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने विधान सभा के गत सत्र में जो घोषणा की थी कि, प्रशासनिक व्यय और मितव्ययता बरती जायेगी। इस हेतु माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और 30 करोड़ रुपये की बचत मितव्ययता के आधार पर की जायेगी इस प्रकार की बात माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कही है। दूसरी बधाई मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात की देना चाहूंगा जब उन्होंने मार्च, 1990 में बजट प्रस्तुत किया था तो हमारे राज्य में करों से आय 1174.16 करोड़ रुपये आंकी गई। मुख्य मंत्री जी के कर अर्जित करने वाले विभागों की आय बढ़ाने और करापवंचन को रोकने के कई निर्देश देने से इस परिवर्तित बजट 1990-91 में करों से आय 1211.51 करोड़ रुपये आंकी गई है। इसका मतलब बिना कर लगाये ही 37.35 करोड़ रुपये की आय में वृद्धि कर दी है। मैं इस बात के लिए भी मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि उनके प्रयास से राज्य की वार्षिक योजना जो गत वर्ष 795 करोड़ रुपये की थी, इसे वर्ष 956 करोड़ रुपये की रखी गई है। यानी इस वर्ष 161 करोड़ रुपये अधिक रखी गई है। प्रदेश के इतिहास में 20.30 प्रतिशत की मेरे ख्याल से यह पहली बार वृद्धि हुई है।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के समय वायदा किया था कि यदि उनकी सरकार बनी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जिहाद छेड़ा जायेगा। मुख्य मंत्री बनते ही भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जोरदार ढंग से कार्यवाही की गई। देश के इतिहास में शायद पहली बार किसी आई. ए. एस. अधिकारी को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। भ्रष्ट अधिकारियों में खलबली बनी हुई है। जनता ने सरकार की इसकी भूरि भूरि प्रशंसा की

# Page No. 110



(श्री कालीचरण सराफ)

है। निश्चित रूप से इन कदमों से भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगेगा और जनता को राहत मिलेगी। मुख्य मंत्री जी जब विपक्ष के नेता थे तो उन्होंने प्रत्येक विधान सभा सत्र में जयपुर की गृह निर्माण समितियों के बारे में भारी घोटाले अनियमितताओं की जांच की मांग की थी। मैं बधाई देना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री बनते ही इस की जांच हेतु खुले शिविरों का आयोजन किया गया, शिविर लगाये गये और उनमें जांच की गई। गृह निर्माण सहकारी समितियों के ऊपर गम्भीर अनियमिततायें पाई गई और उनके खिलाफ केस दर्ज किये गये। भूमि खेरूओं में हुड़दंग मचा हुआ है, माननीय सभापति जी, जनता को इससे जबरदस्त राहत महसूस हुई है। विपक्ष के माननीय सदस्यों ने अपने भाषण के दौरान आरोप लगाया कि बजट किसान विरोधी है, श्रमिक विरोधी है, गरीब विरोधी है। बजट को किसान विरोधी बताने वाले माननीय सदस्य, मुझे समझ में नहीं आता, किस प्रकार से इस बजट को किसान विरोधी बता रहे हैं। बजट में किसानों का दस हजार रुपये तक का कर्जा माफ करने की बात कही गई है। इससे कम से कम 13-14 लाख किसानों को फायदा होगा। क्या यह किसान विरोधी बात है।

बजट में विद्युत और सिंचाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, क्या बिजली और सिंचाई देने से किसानों को नुकसान होगा ? मेरे ख्याल से कोई मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी यदि कोई होगा तो यही कहेगा कि जिस प्रदेश में बिजली और सिंचाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है वहां निश्चित रूप से किसानों को फायदा होगा। तेल रहित खल को बजट में कर मुक्त किया गया है।

मेरे ख्याल से माननीय विपक्ष के सदस्य जानते होंगे कि तेल रहित खल पशु आहार है और पशु पालकों को इससे फायदा होगा। मेरे ख्याल से कोई आदमी तेल रहित खल का प्रयोग खाने के लिए नहीं करता है। कुल योजना राशि का 60 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च किया जायेगा मेरे ख्याल से इसका लाभ भी किसानों को ही होगा। विद्युत मण्डल ने बिजली की दरों में घोषणा तो की है परन्तु उससे किसानों को मुक्त रखा गया है। उस बढ़ोत्तरी से किसानों को नुकसान नहीं हुआ।

निश्चित रूप से यह भी मेरे ख्याल से किसान विरोधी बात नहीं है। कृषि उत्पादनों की सरकारी खरीद में वृद्धि पहले ही की जा चुकी है। मेरे ख्याल से इसका लाभ भी किसानों को मिलेगा।

अतः यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण होगा कि यह बजट किसानों के लिए हितचिंतक नहीं है किसानों का विरोधी है मैं यहां तक कहूंगा कि माननीय भैरोंसिंह जी किसान के बेटे है उन्होंने यह जो बजट रखा है यह किसानों की बहूदी करने वाला, उनकी उन्नति करने वाला, उनका हितचिंतक बजट होगा। माननीय सदस्य ने बजट को श्रमिक विरोधी बताया है। क्या पता

(श्री कालीचरण सर्राफ)

विरोध करने के लिए ही विरोध किया गया था वास्तव में इसमें कोई तथ्य है।

मैं पूछना चाहूंगा कि बजट में क्या नये उद्योगों को प्रोत्साहन देने से प्रदेश का औद्योगिक विकास होगा या नहीं होगा और यदि औद्योगिक विकास होगा तो उससे श्रमिकों को रोजगार मिलेगा या उनकी बेरोजगारी बढ़ेगी ? कोई भी व्यक्ति यह बता सकता है कि जिस प्रदेश में नये उद्योग स्थापित होंगे-उसका औद्योगीकरण होगा तो उससे श्रमिकों को रोजगार मिलेगा और रोजगार मिलेगा तो वह श्रमिक विरोधी किस प्रकार से हुआ ? क्या पुराने उद्योगों को आठवीं योजना के दौरान विस्तार के लिए यंत्र उपकरण आदि के आयात पर कर की छूट दी गई है उससे क्या प्रदेश के औद्योगिकरण पर रुकावट आयेगी। कोई भी माननीय सदस्य यह बता सकता है कि इससे निश्चत रूप से औद्योगिकरण को दिशा मिलेगी।

क्या राज्य सरकार की इस घोषणा से कि रुग्ण उद्योगों से पांच साल तक देन-दारियां वसूल नहीं की जायेगी। क्या इससे उद्योगों के बढ़ावे में रुकावट आयेगा या उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। कोई भी माननीय सदस्य इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि जो कदम मुख्य मंत्री जी ने उठाये हैं उससे निश्चत रूप से प्रदेश में औद्योगीकरण को गति मिलेगी और औद्योगीकरण होगा तो श्रमिकों को रोजगार मिलेगा तो किस प्रकार से यह श्रमिक विरोधी बजट है।

मेरे ख्याल से विरोध करने के लिए हम विरोध करें यह उचित नहीं है। जवाहरात उद्योग जयपुर का परम्परागत उद्योग है। आज 50 हजार लोग जयपुर शहर में जवाहरात उद्योग में लगे हुए हैं। चाहे घाट का काम हो, चाहे प्रसांग, का काम हो, चाहे पालिशिंग का काम हो, परन्तु पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण ज्यादा टैक्स होने के कारण सारा मार्केट जयपुर से सूरत जा रहा था, बम्बई जा रहा था परन्तु मैं बधाई देना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी ने रत्नों और खरड पर जो कर की छूट दी है उससे निश्चित रूप से जवाहरात का उद्योग जो पहले जयपुर में विश्व विख्यात था उसकी पुनः स्थापना होगी, सूरत और बम्बई में जो व्यापार चला गया, वह वापस राजस्थान में आयेगा उससे कम से कम 50 हजार और लोगों को रोजगार मिलेगा और विदेशी मुद्रा में भी निश्चित रूप से वृद्धि होगी। कपड़ों की रंगाई छपाई में भी कपड़े की छूट से उद्योगों को प्रोत्साहन ही मिलेगी और इसमें किसी प्रकार से उद्योगों के विकास में रुकावट नहीं आयेगी। कई वक्ताओं ने इस बजट को गरीब विरोधी भी बताया है। छाते पर टैक्स दस प्रतिशत से एक प्रतिशत करना क्या गरीब विरोधी बात है ? क्या छाते का उपयोग गरीब व्यक्ति नहीं करता ? मूंज और बांस पर से 10 प्रतिशत टैक्स की समाप्ती क्या गरीब विरोधी बात है ?

मेरे ख्याल से मूंज और बांस का

(श्री कालीचरण सराफ)

प्रयोग भी गरीब लोग ज्यादा करते हैं। बच्चों की सस्ती शिक्षा के लिये ज्योमैट्री बाक्स, स्याही, पैन्सिल शार्पनर आदि पर जो कर से छूट दी है उसका फायदा भी शायद गरीब लोगों को मिलेगा, रागी, कोदन एवं कुटकी पर जो कर की छूट मिली है, मतीरा तुम्बा एवं अम्बाबाड़ी के बीजों पर जो कर की छूट मिली है मछली उद्योग पर जो कर की समाप्ति की गई है, सिवैया पर जो कर की छूट दी गई है, यह मेरे ख्याल से सभी चीजें गरीबों के उपयोग की है और पैसे वाले इन चीजों का उपयोग नहीं करते, गरीबों को इन से राहत ही मिलेगी गरीबों को उससे नुकसान नहीं होगा।

कई व्यक्तियों ने इन बजट को बड़े लोगों का पोषक बजट बताया है। बी. डी- कल्ला साहब बता रहे थे। अब होटल्स में 100/- रु. का कमरा लेकर पैसे वाले लोग ठहरते हैं या गरीब लोग ठहरते हैं यह तो कल्ला साहब ही ज्यादा तरीके से बता पायेंगे। परन्तु परिवहन ट्रेक्स लगाया है, कारों के ऊपर जो टेक्स लगाया, वीडियो कोचेज पर टेक्स लगा मेरे ख्याल से इसका भी गरीबों को क्या यह नुकसान नहीं होगा, पैसे वालों को इसका नुकसान होगा। तो किस प्रकार से इसको पूंजीपतियों का पोषक बजट बताया है, मेरी समझ से बाहर है। बिक्री कर के नियमों का सरलीकरण किया गया है, छोटे व्यापारियों को राहत दी गई है इससे छोटे व्यापारियों को लाभ मिलेगा और बड़े व्यापारियों को इससे लाभ नहीं मिलेगा।

कई माननीय सदस्यों ने अपने भाषण में कहा कि नये बजट में कोई नई स्कूलें खोलने का प्रावधान किया गया, इसलिए राजस्थान का विकास कार्य ठप्प हो जायेगा।

पिछली सरकार ने चुनावों को ध्यान में रखते हुए वाहवाही लूटने के चक्कर में नई स्कूलें तो खोल दी पर आज उनकी स्थिति क्या है? कहीं स्कूल है तो उसमें अध्यापक नहीं है, कहीं पर अध्यापक है तो वहां पर बच्चे नहीं है, बच्चे हैं तो टाट पट्टी नहीं है और टाट पट्टी है तो स्कूल भवन नहीं है। आज केवल वाहवाही लूटने के लिए स्कूल खोला जाना पर्याप्त नहीं है। आज आवश्यकता इस बात की हैं कि जो स्कूल गांवों में खुले हुए हैं उनमें समुचित रूप से अध्यापकों की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिए भवन होना चाहिए, वहां बच्चों को बैठने के लिए टाट पट्टी का इंतजाम होना चाहिए। आज यदि माननीय श्री भैरोंसिंह जी ने अपने बजट भाषण में नये स्कूल न खोलकर और आज जितने स्कूल खुले हुए हैं उनमें सुविधाएं जुटाने का काम करने की घोषणा की है तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है।

इसी प्रकार कई माननीय सदस्यों ने कहा कि इस वर्ष स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोले गए, चिकित्सालय नहीं खोले गए, औषधालय नहीं खोले गए, उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोले गए तो किस प्रकार राजस्थान का विकास होगा। पिछली सरकार ने वाहवाही लूटने के लिए औषधालय तो खोल दिए परन्तु कहीं पर डाक्टर नहीं है, डाक्टर है तो नर्स नही है, नर्स है तो कम्पाउण्डर नहीं है और अगर कम्पाउण्डर है तो वहां पर औषधियों का नामों-निशान नहीं हैं तो

(श्री कालीचरण सराफ)]

इस प्रकार के औषधालय खोलकर, इस प्रकार के चिकित्सालय खोलकर.......

श्री सम्पत सिंह (नगर) : सब चीज है तो मरीज नहीं है।

श्री कालीचरण सराफ : तो इस प्रकार के औषधालय खोलकर किस प्रकार से प्रदेश का विकास करना चाहते हैं, मेरी समझ से बाहर है। आज आवश्यकता इस बात की है कि जिन गांवों में, जिन कस्बों में औषधालय खुले हुए हैं, चिकित्सालय खुले हुए हैं उनमें डाक्टर उपलब्ध हो, नर्स उपलब्ध हो, कम्पाउण्डर उपलब्ध हो और दवाईयां उपलब्ध हों और जब तक इन चीजों की व्यवस्था वहां पर नहीं होती नये स्कूल, कालेज खोलना बेमानी है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को 2-3 कमियां जो मुझे इस बजट में लगी उनकी ओर भी माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में यह कहा कि 20 रुपये तक जूते और चप्पल तथा सिले-सिलाये वस्त्रों पर जो कर की छूट पहले दी थी उसको समाप्त किया जा रहा है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह गरीबों के साथ अन्याय है। 20 रु. तक के जूते चप्पल और सिले-सिलाये वस्त्र गरीबों के काम आने वाली चीजें हैं। इतना ही नहीं जब से इन करों में छूट मिली है 3 वर्ष में प्रदेश में 33 जूते बनाने के छोटे कारखाने स्थापित हुए है और 5000 मजदूरों को इससे रोजगार मिला है। पड़ौसी राज्यों में सो 50 रुपये तक के जूते कर मुक्त है। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा, मुख्य मंत्री जी से कि जो 20 रुपये की छूट वापस ली गई है उसके ऊपर पुनर्विचार करें और 20 रुपये की छूट इसके ऊपर जो कर की थी उसको पुनः लागू करें। इसी प्रकार से लीजिंग टैक्स के नाम पर टेंट, कनात, रजाइयां जो टेंट का सामान है इस पर भी टैक्स लगाया गया।

मैं कहना चाहूंगा कि शादी-विवाह के मौके पर चाहे गरीब हो या धनवान, इन चीजों का उपयोग किया जाता है। शामियाना गरीब के घर में शादी होती है तब भी लगता है, टेंट का उपयोग गरीब के घर में शादी होती है तब भी होता हैं तो इस बारे में निश्चित रूप से पुनर्विचार करें।

एक बात और कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में शिक्षित बेरोजगारों के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। अभी दो-तीन दिन पहले एक सवाल के जवाब में सम्बन्धित मंत्री जी ने बताया कि गत 10 साल में 11,78,206 बेरोजगार युवकों को रोजगार कार्यालयों में नाम दर्ज किया गया और उसमें से केवल 1.50 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। यानि 10 साल में केवल 1.50 लाख युवकों को रोजगार दिया गया आज भी 10 लाख युवक इस प्रकार के जिनका रोजगार कार्यालयों में नाम दर्ज है, इस प्रदेश में बेरोजगार हैं।

माननीय सभापति जी, गत विधान सभा और लोक सभा के चुनावों में 18 वर्ष से 21 वर्ष के युवाओं ने एक होकर

(श्री कालीचरण सराफ)

भारतीय जनता पार्टी और जनता दल का समर्थन किया था और उन्होंने यह सोचा था कि निश्चित रूप से हमारे लिए रोजगार की व्यवस्था की जायेगी । तो मैं यह मांग करना चाहूंगा राज्य सरकार से, माननीय मुख्य मंत्री जी से अपने बजट भाषण की रिप्लाई में निश्चित रूप से किस प्रकार के रोजगार की व्यवस्था इन बेरोजगार युवकों के लिए सरकार कर रही हैं इसका जिक्र करना चाहिए और रोजगार की व्यवस्था यदि सरकार नहीं कर सकती है तो कम से कम उनके लिए बेरोजगारी भत्ते की बात निश्चित रूप से राज्य सरकार को सोचनी चाहिए ।

मैं जयपुर शहर से विधायक चुनकर आया हूं । आज जयपुर शहर पेयजल संकट से बुरी तरह से त्रस्त है । आज मुख्य स्रोत पेयजल ....

**श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर** (डीग) : बरसात हो गई है ।

**एक माननीय सदस्य** : उसमें विधायकपुरी भी है ।

**श्री कालीचरण सराफ** : जो मुख्य जल स्रोत है रामगढ़ का बन्धा वह इस गर्मी में पूरी तरह से सूख गया और जब राज्य सरकार से बात की जाती है तो यह कहा जाता है कि बीसलपुर परियोजना से जयपुर शहर को पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा ।

परन्तु अभी एक-दो दिन पहले सम्बन्धित मंत्री जी ने एक सवाल के जवाब में यहां पर यह कहा कि 1992-93 तक बीसलपुर परियोजना का प्रथम चरण पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है जिससे अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, नसीराबाद, केकड़ी व सरवाड़ को पानी उपलब्ध कराया जायेगा । परन्तु प्रथम चरण 1992-93 में पूरा होगा उसके बाद द्वितीय चरण प्रारम्भ होगा । तो क्या हम यह आशा करें कि जयपुर शहर में सन् 2000 तक कोई पेयजल की व्यवस्था नहीं होगी और इसी प्रकार से पेयजल से त्रस्त यहां की जनता रहेगी । बाण्डी के मुहाने से निकालने की बात भी कई बार यहां पर कही गई है परन्तु उस योजना पर भी अभी अमल नहीं हुआ । तो मैं राज्य सरकार से विनम्र शब्दों में कहना चाहूंगा कि जयपुर शहर जहां द्रुतगति से जनसंख्या बढ रही है निश्चित रूप से किस प्रकार से यहां की पेयजल समस्या का समाधान हो, इसके बारे में सरकार गम्भीरता से विचार करेगी और मैं तो यह कहना चाहूंगा कि बीसलपुर परियोजना के प्रथम चरण में जयपुर को शामिल किया जाय जिससे यहां कि पेयजल समस्या से जनता को निजात मिल सके ।

एक बात और हमने चुनावों के समय कही थी कि जो मकान बने हुए हैं कृषि भूमि पर उनका डवलपमेंट चार्जेज जो अभी 45 रुपया है वह 25 रुपया करके जनता से लिया जाय । हम यह उम्मीद करते थे कि बजट में इस प्रकार की घोषणा मुख्य मंत्री जी करेंगे । तो मैं यह चाहूंगा कि जब बजट के बारे में मुख्यमंत्री जी अपना रिप्लाई दें तो विकास शुल्क के बारे में मुख्य मंत्री जी ने क्या किया उस बारे में भी निश्चित रूप से वे बतायें ।

(श्री कालीचरण सराफ)

जयपुर शहर में एक समस्या और प्रमुख है। आज हिन्दुस्तान में मेरे ख्याल से जयपुर शहर ही एक ऐसा शहर है जहां सी. टी. एस की बसेज नहीं चलती हैं। नगर परिवहन सेवा जयपुर शहर में नहीं हैं। आज कहीं भी चले जाइये कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, दिल्ली, कानपुर, हैदराबाद हर जगह सबमें नगर परिवहन सेवा मिलेगी। लेकिन हमारी कांग्रेस की सरकार ने घाटे की बात कहकर.......

**एक माननीय सदस्य** : हमारी कांग्रेस की सरकार?

**श्री कालीचरण सराफ** : सरकार तो साहब प्रदेश की थी, तो हमारी थी नगर परिवहन सेवा जयपुर शहर में 1982 में बन्द कर दी यह कहकर कि यह घाटे में चल रही है। अब उनमें यह बुद्धि नहीं आयी कि घाटे में अस्पताल चलते हैं तो अस्पतालों को बन्द कर दें? स्कूल भी घाटे में चलते हैं तो उनको भी बन्द कर दें? यानि एक आवश्यक सेवा, नगर परिवहन सेवा, जयपुर शहर में उपलब्ध थी उसको 1982 में बन्द कर दिया और उसके कारण आज जयपुर शहर में लोगों को कितनी तकलीफ होती है, कितनी दुर्घटनायें होती है। इसके बारे में मेरे ख्याल से पिछली सरकार को अनुभव नहीं होगा। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जयपुर शहर में कब से और सी. टी. एस. की बसें पुनः प्रारम्भ की जायेंगी इस बारे में भी घोषणा करें।

अन्त में माननीय मुख्य मंत्री जी ने किसानों का हित चिन्तक, गरीबों का पोषक, श्रमिकों का रोजगार देने वाला यह जो बजट प्रदेश की जनता को दिया है उसके लिये उनको बहुत बहुत बधाई देता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद।

**श्री सभापति** : माननीय श्री परसादी लाल मीणा।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : सभापति महोदय, हमारा पहला नाम अमीन खां का दिया है।

**श्री सभापति** : कल्ला साहब की बारी आ गई।

**श्री नत्थी सिंह** : आप परसादीलालजी के खिलाफ हैं क्या?

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : ना, मैं खिलाफ नहीं हूं। इससे थोड़ा भ्रम पैदा होता है।

**श्री सभापति** : बुलाकीदास जी को पहले बुला दिया।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : बुलाकीदास जी का नाम भी लिख कर दिया था वह पहले नाम आपने उनका पुकार दिया। इससे थोड़ा भ्रम पैदा होता है। खैर, इनके बाद अमीन खां को दे दीजियेगा।

**श्री सभापति** : उनको समय देंगे।

**श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट) : सभापति महोदय, वर्ष 1990-91 के बजट पर लगातार तीन दिन से पक्ष और विपक्ष की बहस हो रही है उसमें मुझे तो एक ही

(श्री परसादी लाल मीणा)

बात लग रही है कि बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताय।

**एक माननीय सदस्य** : हमने सोच कर किया है, अब पछताओ आप।

**श्री परसादी लाल मीणा** : इस बात को गम्भीरता से सत्ता पक्ष के लोगों को लेना चाहिये कि इन्होंने चुनाव में चाहे वह पार्लियामेंट का हो, चाहे विधान सभा का हो, इतने लम्बे चौड़े जनता से वायदे किये....

**एक माननीय सदस्य** : पांच साल के लिये किये, पांच साल में करेंगे।

**श्री परसादी लाल मीणा** : इतने लम्बे चौड़े वायदे किये उनकी पूर्ति करना...... (व्यवधान)

आप बोल लो, एक बार बोल लो।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : सभापति महोदय, इस तरह से अगर इंट्रप्शन रहा तो इनके भी सदस्य बोलेगें, हम भी इंट्रप्ट करेंगे। यह परम्परा उचित नहीं है। इसलिये कृपया आप रोकिये अन्यथा फिर तो यह होगा कि कोई बोलेगा तो इधर से खड़े हैं उनको उनको डिस्टर्ब करेंगे। यह तो बड़ी अनुचित बात है।

**श्री सभापति** : कोई व्यवधान नहीं होगा।

**श्री परसादी लाल मीणा** : यह ठीक भी है कोई राजनैतिक दल चुनाव के दौरान लम्बे चौड़े वायदे करते हैं तो जनता उनसे आशा रखती है कि उनकी सरकार बनने पर उनको पूरा किया जायगा। पर ऐसा हो रहा है, मैं तीन दिन से लगातार माननीय सदस्यों की बहस सुन रहा हूं, बहुत से माननीय सदस्य सत्ता पक्ष के हैं वह भी दिशा भ्रमित हो रहे हैं। मैं तो यह कहता हूं कि इस बजट के बाद यदि उनके कहे गये सुझावों को सरकार ने नहीं माना तो यह एम. पी. और एम. एल. ए. जो सत्ता पक्ष के हैं, जिन्होंने वायदे किये हैं उनका गांव में जाना हराम हो जायगा, वह गांव में घुस नहीं सकेगें। लोग उनको गांव में पकड़ेंगे। या तो उनके साथ आपको पुलिस भेजनी पडेगी तभी वह गांव में जा सकते हैं नहीं तो उनका जाना सम्भव नहीं है।

**श्री दिग्विजय सिंह** : परसादी लाल जी, आपके लिये तो लाभदायक है।

**श्री परसादी लाल मीणा** : सभापति महोदय, ऐसी हालत सत्ता पक्ष की हो रही है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूं, यह बड़ा ढिंढ़ोरा पीटा जा रहा है कि यह सारा बजट गांवों के लिये है। 60 प्रतिशत बजट का हिस्सा गांव पर खर्च किया जायगा। पर में सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा, वर्ष 1988-89 में बिजली के लिये जो पैसा रखा था पर्सेन्टेज में कुल योजना का आपने उससे कम रखा है। आपको में बताना चाहता हूं, वर्ष 1988-89 में 24.40 प्रतिशत कुल योजना का, 1989-90 में 27.4 प्रतिशत था और 90-91 में 24 पर्सेन्ट आपने बिजली के लिये पैसा रखा है। आप कहते हैं एक तरफ कि यह बजट गांवों के लिये है पर आप गम्भीरता से देखिये, आप भी पांच साल से

(श्री परसादी लाल मीणा)

बराबर मेरे साथ मैम्बर हैं, गांव के लिये विकास का पैसा गांव के लोगों को आज मूल आवश्यकता है वह बिजली की है, आज किसान की मूल आवश्यता है, वह बिजली भी है, उसमें आपने गत वर्ष से 3 प्रतिशत कुल योजना की राशि में घटोतरी की है, बढोतरी नहीं की। आपको इस पर पुनर्विचार करना चाहिये। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम गांव में 25 हजार कनेक्शन देंगे। आपको पता है, 22 हजार तो सुमित्रा जी कह रही थीं गत वर्ष के पैंडिंग है। पैंडिंग क्यों रहे? जिन गांवों को विद्युतिकरण के लिये मंजूर किया था बोर्ड ने उन गांवों को तीन महिने से लाइन और कनेक्शन देना बन्द कर रखा है। सरकार और बोर्ड की गलत नीतियों के कारण आज तीन महीने से एग्रीकल्चर कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। यह सरकार पर कलंक है जो किसानों के लिए तीन महीने से कनेक्शन के लिए रोक लगा रखी है। मैं कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, सरकार से भ्रष्टाचार के कारण लोग तरस रहे हैं, आज आफिसेज में तरस रहे हैं, 3-3 महीने से एक भी कनेक्शन राजस्थान में नहीं दिया गया है। यह बहुत ही गलत बात हैं। इन्होंने जो 25 हजार कनेक्शन देने का प्रस्ताव रखा है वह बहुत ही कम है। आपको इसको बढ़ा कर 22 हजार को अलग छोड़ कर और 25 हजार कनेक्शन का अलग से लक्ष्य निर्धारित करना चाहिये। कहीं पर तो क्या हो गया, कहीं डिमाण्ड नोटिस जारी कर दिये, कहीं पर डिमाण्ड नोटिस जारी नहीं किये, बोर्ड में ऐसी अव्यवस्था फैला दी है तीन महीने से। तो मेरा आपसे निवेदन है, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है, इस प्रकार जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे, जिन जिलों में जिन अभियन्ताओं ने डिमांड नोटिस जारी कर दिये और जिन्होंने जारी नहीं किये, पहले उन लोगों के भी डिमाण्ड नोटिस जारी करायें जिनका लक्ष्य था।

बोर्ड की गलत नीतियों के कारण डिमाण्ड नोटिस जारी नहीं किये। उनका लक्ष्य भी इसमें शामिल करना चाहिये। आज सारी अर्थव्यवस्था जो है, आज यदि किसान मजबूत है तो देश मजबूत है, सत्ता पक्ष के लोग कहते थे, राज किसान का होगा। किसानों के लिये क्या दिया? किसान के लिये आपने पहले से योजना के पैसों की घटोतरी की है। चाहे सिंचाई का मामला हो, आपको मैं सिंचाई के भी आंकड़े देकर बता दूं, वर्ष 1988-89 में 2 ,46 कुल योजना का था, 1989-90 में 20,11 प्रतिशत पैसा था और 1909-91 में आपने रखा है 19.1 प्रतिशत। इस प्रकार किसानों के लिये, गांवों के विकास के लिये दिन-प्रतिदिन पैसों की जो योजना राशि में घटोतरी की जा रही है वह, सभापति महोदय, बहुत ही सोचनीय विषय है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि आज सिंचाई के लिये बांधों में पानी नहीं है। आज यदि बरसात नहीं होती तो सरकार कह कर दूर हो जाती है कि बन्धों में पानी नहीं है, हम पानी नहीं दे सकते। किसान को एक पानी देते हैं जब कि तीन या चार पानी के पैसे वसूल किये जाते हैं। यह सरकार का नैतिक

(श्री परसादी लाल मीणा)

दायित्व है कि वह चाहे पानी हो या नहीं हो, चाहे ट्यूबवैल से दे या कैसे भी पाताल तोड़ करके दे, पर किसान आर्थिक रूप से सिचाई के लिये यदि तीन पानी का पैसा देते हैं तो उस किसान को तीन पानी देने चाहिये। पर एक पानी देकर तीन पानी का पैसा वसूल किया जा रहा है यह बहुत ही सोचनीय विषय है। यह सही बात है कि 8–10 साल से अपने राजस्थान का यह दुर्भाग्य है कि बरसात नहीं हो रही है इसके कारण जल स्तर बहुत ही नीचे जा रहा है। हमारा ज्यादातर पानी बह कर नदियों में चला जाता है। कई योजनाओं में राजस्थान में छोटे-छोटे बांध बनाये गये और अकाल राहत के तहत कुछ का निर्माण कराया गया पर, सभापति महोदय, वह सारे अधूरे हैं। आज गांव का पानी बह कर चला जाय तो वर्षा से गांवों को क्या फायदा है। आज जल स्तर इतना नीचे बैठ गया कि किसान का खेती करना बड़ा असम्भव है।

आज गांवों में सत्ता दल के लोगों ने कहा, आपके कर्जे माफ करेंगे, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पर आज इनके एम. पी., एम. एल. ए. या मंत्री जाते हैं तो वही भाषण देते हैं कि किसानों का कर्जा दस हजार तक का माफ है। यह किन्तु परन्तु गांव में नहीं लगाते, अगर यह किन्तु परन्तु गांव में लगा दें तो इनकी बोलती बन्द हो जाय। मैं सत्ता पक्ष के लोगों से एक ही बात कहता हूं कि आपने जो वायदे, जैसा सभी माननीय सदस्य कह रहे हैं, सबकी चिन्ता का विषय है, किसान ने आपको यही जान कर वोट दिया था. कांग्रेस ने हमारे कर्जे माफ नहीं किये, यदि हम इस पार्टी को वोट देंगे तो हो सकता है देवीलालजी ने वायदा किया वी. पी. सिंहजी ने वायदा किया, सबसे ज्यादा विश्वास राजस्थान की जनता ने तो भैरोंसिंह जी का किया कि भैरोंसिंह जी कह रहे हैं इसलिए अब तो कर्जा माफी होगी। पर भैरोंसिंह जी की भी मजबूरियां हैं। एक तरफ गांव का दबाव है, दूसरी तरफ शहर का दबाब है। अब वह गांव वालों की बात मानें या शहर वालों की बात मानें, दो तरफ से वह घिरे हुए हैं। उनको निर्णय करना चाहिये कि वह गांव में पैदा हुए हैं, आज उनकी कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वह ज्यादातर शहरों के हैं और वह उनसे दब कर चलते हैं।

मैं तो इसी मजदूरी को मानता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने शहर के दबाव में गांव के लिये बजट बहुत कम रखा। जो मैंने आपको उदाहरण देकर बताया है, आपको मैं उदाहरण देकर बताऊं कि शहरों के लिये पेयजल योजना में इस वर्ष 29.8 करोड़ के मुकाबले, 39.8 करोड़ रुपये रखे, सारे राजस्थान में 201 शहर हैं उनके लिए तो 39 करोड़ रखे और गांवों के लिए कितना रखा ? जो कुल गांव हैं यहां पर 32525 उनके लिये रखा 42 करोड़। अब, सभापति महोदय, आप ही निर्णय कर लीजिये और वह सारा सदन निर्णय करले, एक गांव में यदि एक भी हैण्ड पम्प आप लगा नहीं सकते, सारे राजस्थान के एक गांव में एक हैण्ड पम्प लगाने का आपका

(श्री परसादी लाल मीणा)

बजट नहीं फिर आप कहते हैं यह सब बजट गांव का बजट है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या एक हैण्ड पम्प एक गांव में आप लगा सकते हैं? आज ऐसा कोई भी गांव नहीं जिसमें पेयजल की समुचित व्यवस्था हो। आज सारे गांवों में पेयजल का संकट है। मैं यह नहीं कहता कि पिछली सरकार ने गलतियां नहीं कीं। गलतियां की हैं। उसका खामियाजा उठा कर आज हम इधर बैठे हैं।

यदि आपने भी गलती की तो आप दस महीने में इधर से उधर आ सकते हैं। इसलिए आपको इस बात को गम्भीरता से लेना पड़ेगा। दिग्विजयसिंह जी आप गांवों से आते हैं। आज गांवों में जल संकट है। गांवों में लोग पानी के मारे दर-दर भटक रहे हैं। आप एक हैण्ड पम्प लगाने का बजट तो कम से कम रख दीजिए। आप शहरों में दो टाइम पानी मिलता है, शहरों में दूसरी व्यवस्था है। पैसे वाले लोग हैं। हर घर में हैण्ड पम्प लगा लेते हैं, निजी पैसे से लगा लेते हैं। गांवों का आदमी अपने पैसे से हैण्ड पम्प नहीं लगा सकता है और जानकारी देते हैं कि गांवों में जो हैण्ड पम्प पिछले टाइम में लगे वे वर्षा नहीं होने के कारण, पानी का जल स्तर नीचे चले जाने के कारण आधे से ज्यादा हैण्ड पम्प आज खराब हैं। उनको विभाग ठीक नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में आपके माध्यम से सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने गांवों की पेयजल समस्या के लिए जो बजट रखा है वह बहुत ही कम रखा है। दूसरी तरफ माननीय सदस्यों ने कहा आज महंगाई बढ़ रही है और महंगाई के कारण आज किसानों को फायदा हो रहा है।

(3.32 म. प.)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

मैं अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब सरसों किसानों के पैदा हुई थी उस समय क्या भाव थे और आज क्या भाव हैं? 90 प्रतिशत किसानों ने अपनी सरसों की फसल, कृषि मंत्री जी को ध्यान होगा, इनके पास आंकड़े होंगे, छः सौ के भाव में बेची है। आज व्यापारी और बड़े धन्ना सेठ, और मुनाफाखोर लोग उसको हजार और ग्यारह सौ रुपये में बेच रहे हैं। माननीय जगमालसिंह जी ने कह दिया कि किसानों का फायदा हो रहा है। यह किसानों का फायदा नहीं उन मुनाफाखोरों, टैक्स चोरों को, सेठों को फायदा हो रहा है जो इस प्रकार शोषण करते हैं। आप दिलाईये एक हजार के भाव किसानों को। किसान दो महीने तक फसल नहीं रख सकता। किसान एक दिन फसल तैयार, दूसरे दिन मन्डी में बिकने आ जाती है। मनचाहे व्यापारी भाव लगाकर किसानों की फसल को नीलाम की जाती है और व्यापारी अपनी फसल बेचता है तो सैम्पल दिखाकर बड़े-बड़े उद्योगपतियों को या कारखाने वालों को देता है।

(श्री परसादी लाल मीणा)

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज किसानों की हालत के लिए जनता दल के लोग ज्यादा भाषण देते हैं कि महंगाई बढ़ी है, किसानों को फायदा हुआ है। महंगाई से मुनाफाखोरों को फायदा हुआ है। किसानों को गेहूं और सरसों का भाव, डेड सौ और दो सौ में गेहूं बिका और हजार रुपये में सरसों बिक रही है। आज तेल के भाव आसमान छू रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इन्होंने वायदा किया, आज किसानों को दुगनी मार झेलनी पड़ रही है। आज सेन्टर में नई सरकार आने के बाद सबसे पहला निशाना किसान को बनाया। किसान का बेटा वहां बैठा हुआ है। पता नहीं यह किन लोगों की चालबाजी है या किसान के बेटे की कमजोरी है। सबसे पहले डीजल के भाव बढ़ाये और अब डीजल भी खेती का टाइम है सुबह सात बजे से शाम तक मिलेगा। रात को बैठकर आराम करो। रविवार के दिन आराम करो। इस प्रकार की हालत किसानों की इन लोगों ने कर दी। आपने जो लोगों के बीच फायदा किया, जो इस प्रकार लोगों को बरगलाया आप लोग सत्ता में आये। यदि आप लोगों ने अब जनता से किये गये वायदे पूरे नहीं किये तो जनता आपको बख्शने वाली नहीं है। जो हमारी हालत इधर की थी वह वह आपकी हालत भी यही होगी।

मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने कहा कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, बूढ़ों को पेन्शन देंगे। मेरे माननीय सदस्य जनता दल के लोगों ने बहुत स्पष्ट जवाब दिया कि यह इन नेता लोगों को नागवारा लगा। आपको अच्छा चाहे वह नहीं लगे। पर जनता अखबार को पढ़ती है और यह कहती है कि हमारी आवाज उठाइये सरकार माने या नहीं माने, आपका नैतिक दायित्व है। नत्थी सिंह जी आप पर ज्यादा है। आपकी पार्टी ने वायदे किये थे। आपने यदि पूरा नहीं किया तो आपको तो यह सही मान लेना चाहिए जैसा इन्दलिया जी ने कहा कि आपकी पार्टी का तो नामोनिशान अगले चुनावों में समाप्त हो जायेगा। राजस्थान में कोई नाम आपकी पार्टी का नहीं रहेगा। और आपको अध्यक्ष महोदय, जवाब में ..........

**श्री नत्थी सिंह** : भय नहीं करो।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य आप बजट पर बोलिये। अब आपका समय हो गया। 15 मिनट हो गये हैं। देखिए और माननीय सदस्य बोलने वाले हैं आप उनका समय ले रहे हैं।

**श्री परसादी लाल मीणा** : माननीय हीरासिंह जी ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति अत्याचार निवारण विधेयक 30 जनवरी, 90 का जारी किया है उसको समाप्त कर देना चाहिए। पता नहीं उन्होंने कैसे कह दिया मेरी समझ में नहीं आता है आज अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों की जमीनों पर सबसे ज्यादा अतिक्रमण हो रहा है उन पर सबसे बड़ा अत्याचार हो रहा है चाहे वह

(श्री परसादी लाल मीणा)

मण्डावरी की घटना हो, चाहे दूसरी जगह की हो। अतः इस विधेयक से यह बहुत अच्छी नीति को सरकार ने लागू किया है इससे दूसरे लोगों को भय पैदा हुआ है और गांवों में एस. सी. और एस. टी. के लोग इस कानून का सहारा लेकर यदि पूरी तरह से सरकार ने टालने की कोशिश की तो जहां लोगों को सहारा मिल सकता है, सत्ता के पक्ष के लोगों को पता नहीं क्या हो रहा है, क्या उन पर दवाब है? या कोई ऐसे कारण हैं जिससे विधेयक को वापस करने के लिए मुख्य मंत्रीजी से अपील करते हैं। मैं आशा करता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आये। जो इस प्रकार की एस. सी., एस. टी. के लोगों के खिलाफ बातें करते हैं। दूसरे गरीब का बजट है मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम सबसे पहले गरीब को श्री गणेश मानकर उसकी पूजा करेंगे। उसको ऊपर बढ़ायेंगे अन्त्योदय योजना से। मैं कहना चाहता हूं अन्त्योदय योजना हो, चाहे आई. आर. डी. पी. हो आज उसमें 95 प्रतिशत लोन दिया जाता है, वह फर्जी दिया जाता है। न कोई भैंस खरीदता है, न कोई ऊंट गाड़ा खरीदता है न कोई बैल खरीदता है। सारे फर्जी बनाये जाते हैं। लोगों को एक तरह से दिशाभ्रम किया जाता है ...

**श्री ओमप्रकाश गुप्ता** (बैराठ) : पहले ऐसा ही होता था। अब नहीं होगा।

**श्री परसादी लाल मीणा** : पहले की बात कह रहा हूं। यह जो भ्रष्टाचार का अभियान शुरू किया गया था वह अन्त्योदय योजना से गांवों में शुरू हुआ था और वह भ्रष्टाचार आई. आर. डी. पी. में बदल गया। जो गांवों में अन्त्योदय में शुरू हुआ और अन्त्योदय में ही भ्रष्टाचार हो गया। मैं सही कह रहा हूं। सही गरीब व्यक्ति का चयन नहीं होता है। आज राजनीतिक आधार पर गांवों में सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख राजनीतिक आधार पर गरीब का चयन नहीं करते। अब क्या प्रक्रिया अपनायेगी सरकार मेरी समझ में नहीं आता। पर गरीब का चयन कैसे होगा। आज उन लोगों का चयन होगा जो + + +।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य अब आपका टाइम हो गया है। You have taken twenty minites अब टाइम नहीं है। आपकी पार्टी का टाइम हो गया है। अभी 14 लोग बोलने वाले हैं सात नम्बर पहुँचे हैं। 14 बाकी पड़े हैं।

**श्री परसादी लाल मीणा** : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट में कह दूंगा।

**श्री अध्यक्ष** : बोलिये आप दो मिनट में।

**श्री परसादी लाल मीणा** : अध्यक्ष महोदय आज राजस्थान के लोग सत्ता दल के लोगों से आशा कर रहे हैं हमारे स्कूल

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री परसादी लाल मीणा)

खुलेगी, हमारे औषधालय खुलेगा, हमारे पी.एस.ए.सी खुलेगी, हमारे गांव में सड़क बनेगी, हमारे गांव में यह काम होंगे। बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं रखा उल्टा किसान को फिर मारा है। वह बैल खरीदने जायेगा पांच रुपये के बदले 20 रुपये देगा, ऊंट खरीदने जायेगा तो आठ रुपये के बदले 25 रुपये देगा। और कोई गरीब आदमी गांव का धोबी, हिन्दू लोग यह कहते हैं कि धोबी को सब लोग बख्शते हैं सरकार ने उस धोबी को भी नहीं बख्शा उसके गधे पर भी टेक्स लगा दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज गरीब पर इस बजट में सबसे अधिक मार हुई हैं।

**श्री अध्यक्ष** : गधे पर किसी का ठेका थोड़े ही है!

**श्री परसादी लाल मीणा** : अध्यक्ष महोदय, आज गांव में साधारण आदमी, गरीब आदमी बीस रुपये से ज्यादा के जूते नहीं खरीद सकता। बीस रुपये से ज्यादा के सिले-सिलाये कपड़े नहीं खरीद सकता। आप भी गांव से आते हैं आपका भी गांव से सम्पर्क है। आज कोई भी चप्पल खरीदेगा बीस रुपये की चप्पल गांव में आती है उस पर टेक्स लगेगा, कोई कच्छा वगैरह खरीदेगा उस पर टेक्स लगेगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि रत्न उद्योग के व्यापारियों को तो मुख्य मंत्री जी ने बख्श दिया और गांव के उन गरीब को जो 20 रु. की, 15 रुपये की, 11 रुपये की चप्पलें, बनियान और अपना कोई कुर्ता वगैरह सिले सिलाये खरीदता है उन लोगों को बख्शा नहीं। मेरा प्रस्ताव है और मैं इस टेक्स का विरोध करता हूं और सरकार को यह जो बीस रुपये के टेक्स लगाये हैं ये वापिस लिये जाने चाहिए। इस बजट का अधिकतर भाग जो लोग यह कह रहे हैं कि गांवों पर खर्च किया है। मैंने आंकड़े देकर बता दिये हैं गांवों में कुछ नहीं हुआ है। यह शहरों के व्यापारियों के लिये और शहरों के लोगों को ज्यादा सुविधा देने का बजट है। उनको अच्छी बिजली 24 घन्टे मिले, उनको पानी मिले 24 घन्टे, सट्टा धन्धा करे कोई व्यापारी उस पर टैक्स नहीं लगे- रत्न का धन्धा करे उस पर टैक्स नहीं लगे और गांवों का आदमी यदि बैल भी खरीदे तो उस पर टैक्स लगे, यदि डीज़ल का उपयोग करे तो उसकी भी रेट बढाई आज शहरों का आदमी कोई भी डीज़ल को काम नहीं लेता। आज गांव के आदमी के काम डीज़ल आता है।

**श्री अध्यक्ष** : अब आप रिपीट कर रहे हैं सारी बातें आ गई है।

**श्री परसादी लाल मीणा** : मेरा आपसे अनुरोध है आपके माध्यम से कि इस पर पुनर्विचार करें।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय श्री अनंग कुमार जैन।

**श्री अनंग कुमार जैन** (झालरापाटन) : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1990-91 के लिए मुख्य मंत्री जी ने बजट रखा उसका मैं

(श्री अनंग कुमार जैन)

स्वागत करता हूं। यह बजट एक कल्याणकारी राज्य के लिए जो सिद्धांत होते हैं उनको ध्यान रखते हुए मुख्य मंत्री जी ने रखा है जिस प्रजातन्त्र में एक कल्याणकारी राज्य की कल्पना करते हैं उसमें बजट रखना पड़ता है, उसमें ध्यान रखना पड़ता है कि आर्थिक विषमता कम से कम हो और समाज के सभी वर्गों का विकास हो। इन बातों का ध्यान रखते हुए मुख्य मंत्री जी ने बजट रखा है।

पिछले 40 साल के कांग्रेस के कुशासन में समाज और प्रदेश में विषमताएं बढ़ी चाहे कोई भी क्षेत्र देख लें। शिक्षा, चिकित्सा, पीने के पानी की समस्या, सहकारिता कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें 40 साल में कांग्रेस के कुशासन में विषमताएं पैदा न की हो और विकास की गति में इम्बैलेन्स क्रिएट नहीं किया हो। उनको समाप्त करने के लिए भी मुख्य मंत्री जी ने बजट में ध्यान रखा है।

अध्यक्ष महोदय, मेरे सामने बैठो वाले माननीय सदस्य, कांग्रेसी मित्र यह कहते हैं कि इस साल कोई स्कूल, चिकित्सालय नहीं खोले जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो पिछली सरकार के खोले गये और जो-जो घोषणाएं की गई थी उनके लिए न तो कोई बजट प्रावधान था न कोई व्यवस्था थी की स्कूल जो खोले गये वहां अध्यापकों की, भवन की क्या व्यवस्था होगी। जो चिकित्सालय खोले गये उनमें डाक्टर, कम्पाउण्डर, नर्सेज की क्या व्यवस्था होगी न कोई प्रावधान है कि और साधन कहां से मुहैया होंगे। तो माननीय मुख्य मंत्री जी के इस निर्णय का भी स्वागत करता हूं और उन्हें बधाई देना चाहता हूं। चाहे एक साल नये स्कूल, चिकित्सालय न खोलें लेकिन जो कचरा कांग्रेस वालों ने पैदा किया 40 साल में उसको साफ किया जाय और 40 साल में ऐसे सैकड़ों स्कूल हैं जहां स्कूल तो खुले हुए हैं लेकिन बच्चों के बैठने की व्यवस्था नहीं है। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, कई स्कूलों की छतें टूट गई। बच्चे मर गये। 6 बच्चे मारे गये, 8 बच्चे मारे गये। इसके लिए सामने बैठने वाले जिम्मेदार हैं। मैं कहता हूं मासूम बच्चों की हत्या करते हुए भी इनको दया नहीं आई और आज यह कहते हैं कि हमने यह स्कूल खोले हैं और मुख्य मंत्री जी नये स्कूल नहीं खोल रहे हैं। यह मण्डावरी काण्ड पर तो बोल रहे हैं लेकिन इनके शासन काल में बड़े बड़े काण्ड बच्चों की हत्या के हो गये जो इनकी लापरवाही से हुए उनके बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं।

**श्री परसादी लाल मीणा** : एक भी नहीं हुआ।

**श्री अनंग कुमार जैन** : अध्यक्ष महोदय, उन स्कूलों में अध्यापकों की व्यवस्था नहीं है उन स्कूलों के लिए निश्चित रूप से नये स्कूलों का कार्य रोका भी जाय और उन तमाम स्कूलों में योजनाबद्ध तरीके से जहां-जहां अध्यापकों की कमी है, बिल्डिंग नहीं बनी हुई है। जहां पर बच्चों के बैठने के लिए टाट पट्टी की व्यवस्था नहीं है उनके

(श्री अनंग कुमार जैन)

पढ़ाने के सामान की व्यवस्था नहीं है वह सब व्यवस्थाएं यदि एक साल के विकास के नये स्कूल खोलने के बजट को इस कार्य में खर्च किया जाय तो मैं समझता हूं यह स्वागत योग्य बात है और तमाम स्कूल सुसज्जित हो जांय, वहां पर उचित मास्टरों की व्यवस्था हो जाय, तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा बल्कि हम राजस्थान के बच्चों के भविष्य का निर्माण करेंगे।

इसी प्रकार से चिकित्सा का क्षेत्र है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में ऐसे सैकड़ों अस्पताल हैं जहां पर 2-2, 3-3 साल से डॉक्टर, कम्पाउण्र, नर्स का इंतजाम नही है। कई सब-सेन्टर खाली पड़े हैं। और तो और लेकिन उन्होंने एक और योजना चालू कर रखी थी कांग्रेस वालों ने कि जो डॉक्टर, नर्स उनको पसन्द आ जाती थी उनको गांव से उठाकर शहर में डेपुटेशन पर लगवा दिया करते थे। मैं दावे के साथ यह बात कह सकता हूं कि ऐसा कोई जिला नहीं है कोई तहसील नहीं है जहां से एक-एक तहसीफ 8–8, 10–10 नर्सों को डेपूटेशन पर शहरों में लगाया हुआ है। इस प्रकार की व्यवस्था हमारे कांग्रेस के लोगों ने दी है।

आज शहरों में चिकित्सालयों में नई प्रकार के साधन उपलब्ध हैं हालांकि उनमें भी कई कमियां है उनके बारे ने निवेदन करना चाहूंगा लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों के दूर-दराज हलकों में लोग रहते हैं, आप उन की स्थिति की कल्पना करिये जहां बारिश में 4–4 माह तक रास्ता बन्द हो जाता हैं लोगों को 5–: मील अपने कन्धे पर जिन्दा आदमी को लाश की तरह लाना पड़ता है तब जाकर तहसील मुख्यालय पर चिकित्सालय में पहुंच पाते हैं। तो अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के सब-सेन्टर हैं, कम्पाउण्डर डिस्पेंसरी है या डाक्टर डिस्पेंसरी है। मैं निश्चित रूप से चाहूंगा कि उन जगहों पर पहले डॉक्टर की व्यवस्था की जाय, कम्पाउण्डर की व्यवस्था की जाय या सब-सेन्टर है तो कम से कम एक नर्स तो पहुंच जाय ताकि वहां गांव वालों को चिकित्सा व्यवस्था मुहैया हो सके।

यह जो समस्याएं कांग्रेस राज ने पैदा की तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने इन पर विशेष रूप से ध्यान दिया कि यह जो कांग्रेस राज से विरासत में समस्याएं मिली है, पहले एक साल नये स्कूल, चिकित्सालय खोलने के बजाय इन समस्याओं का निराकरण करके प्रदेश की जनता को राहत दिलाई जाये।

अध्यक्ष महोदय, बी.जे.पी. ने जिस घोषणा-पत्र के आधार पर जिन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा था, मेरे मित्र कह रहे थे कि उन मुद्दों पर मुख्य मंत्रीजी ने कोई ध्यान नहीं दिया। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि कर्जा माफी का वायदा बी.जे.पी. ने चुनाव में किया था उसके बारे में भी मुख्य मंत्रीजी ने इसके अन्दर प्रावधान किये हैं और जो वायदा किया था उसको पूरा करने की ओर उनका सराहनीय

(श्री अनंग कुमार जैन)

कदम है। आप कह रहे हैं कि गांवों में आपको घुसने नहीं दिया जायेगा लेकिन मेरा निवेदन है कि पूरे राजस्थान में जिस दिन बजट पेश किया गया और कर्जे माफ करने की घोषणा की गई, राजस्थान में, गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने इतनी प्रशंसा की और कई गांवों में इसको दीवाली के रूप में मनाया गया। पिछले दो दिनों में मैं खुद मेरे क्षेत्र में जाकर आया हूं और करीब 15–20 जगह जाकर आया हूं। वहां की जनता ने इस बजट की भूरि-भूरि प्रशंसा की है और लोगों ने कहा है कि जो वायदा किया था 3–4 महीने से इन्तजार कर रहे थे। बार-बार आपसे कहते थे कि कर्जा माफी का क्या होगा लेकिन जो वायदा किया था आपकी सरकार ने उसको पूरा कर दिया है और उन्होंने कहा कि हमारी ओर से मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद जरूर देवें। मेरे मित्रों से भी कहना चाहता हूं कि यदि आपको अपने एरिया में घुसने। नहीं देते तो हमारे साथ चलिए, आपको एरिया में घुमा कर, घुमा कर लाएंगे। जनता चुनाव लड़ी उस वक्त तो नहीं लेकिन अब जरूर स्वागत करेगी क्योंकि आप भी इस विधान सभा में बैठते हो जहां से कर्जा माफ हुआ है।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर, आर्डर।

**श्री अनंग कुमार जैन :** प्रदेश के लोगों के विकास के लिए औद्योगिक विकास की योजना आवश्यक है। जो हमारी पिछले कई सालों से त्रुटिपूर्ण औद्योगिक नीति चली आ रही थी उस त्रुटिपूर्णनीति में भी मुख्य मंत्रीजी ने सुधार करने का प्रयास किया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, मैंने तो अभी शुरू किया है बोलना।

**श्री अध्यक्ष :** आपने तो शुरू किया है लेकिन समय समाप्त हो रहा है।

**श्री अनंग कुमार जैन :** यह जो बीच में हस्तक्षेप कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, इस औद्योगिक नीति के अन्दर भी हीरे और जवाहरात पर टैक्स कम किया है मेरी मान्यता है अध्यक्ष महोदय, कि इससे जयपुर में जो हजारों मजदूर इस कार्य में लगे हुए हैं जो वास्तव में गरीब लोग हैं और अपना जीवन-यापन इस उद्योग के माध्यम से करते हैं। इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा। इसी प्रकार, अध्यक्ष महोदय, जो कई चीजों पर कर माफ किया है उनके बारे में तो मेरे मित्र नहीं कहते हैं लेकिन विलासिता के बारे में जरूर कहते हैं कि 100 रुपये के कमरे में ठहरने वालों पर 10 रुपये टैक्स लगा दिया। मेरे मित्रों से पूछिए गरीबी की रेखा पर और उससे नीचे जीवन-यापन करने वाले आदमी जो गाँव में रहते हैं वह 100 रुपये तो क्या, जयपुर में आते हैं तो 25 रुपये रोज के कमरे में भी नहीं ठहर सकते हैं बल्कि पांच रुपये रोज के कमरे में भी नहीं ठहर सकते हैं। बल्कि फुटपाथ पर रात गुजारने की कोशिश

(श्री अनंग कुमार जैन)

करते हैं लेकिन आज उनकी वकालत तो कर रहे हैं....

**एक माननीय सदस्य :** फुटपाथ पर भी लगा दो टैक्स ।

**श्री अनंग कुमार जैन :** इसीलिए तो लगा रहे हैं टैक्स ऊपर वालों के लिए ।

**श्रीमती उजला अरोड़ा :** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बैठकर बोल रहे हैं ।

**श्री अध्यक्ष :** मैं समझता हूं बैठे और खड़े दोनों ही मत बोलिये ।

**श्री अनंग कुमार जैन :** कांग्रेस शासन में प्रशासनिक खर्चे में वृद्धि हुई थी और अधिकारी और कांग्रेस में कुर्सी पर बैठे हुए लोग थे उन्होंने इस बात पर कतई ध्यान नहीं दिया बल्कि जो अधिकारी लोग थे उनको एक सब्ज बाग दिखाते थे कि आप के फाइव स्टार में ठहरने का बिल ला रहे हैं । वह उनको फाइव स्टार में ठहरने के बहाने अपने फाइव स्टार में ठहरने का बिल लाते थे । मंत्री महोदय नशे में चूर रहते थे कि हमें फाइव स्टार में ठहराएंगे तो ठीक है आई.ए.एस. आफीसर को थ्री स्टार में ठहरने दीजिये । इस तरह का बिल इनके राज के समय में पास किया गया है । अध्यक्ष महोदय, यह गरीबों की बात करने वाले आदमी फाइव स्टार में ठहरने के लिए मंत्री के लिए बिल लाते हैं और वह अधिकारी फाइव स्टार में ठहरने का लालच उनको देते हैं । फाइव स्टार में क्या होता होगा वह अधिकारी पाने के लिए थ्री स्टार का बिल लाते हैं और इनके राज के जमाने में इन बिलों को पास कराते हैं । मुझे अफसोस होता है, अध्यक्ष महोदय, कि यह लोग बैठकर गरीबों की वकालत करते हैं उन गरीबों की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की वकालत करते हैं ।

**श्री महावीर प्रसाद जैन:** और गरीबों को लूटते हैं ।

**श्री अध्यक्ष :** आपका टाइम समाप्त हो हुआ है ।

**श्री अनंग कुमार जैन :** मैं पांच मिनट में ...

**श्री अध्यक्ष :** नहीं, एक मिनट ।

**श्री अनंग कुमार जैन :** तो 30 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान रखा है वह भी सराहनीय है । और अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने क्षेत्र के बारे में दो बातें कहना चाहूंगा । मैं दो सुझाव मुख्य मंत्रीजी को आपके माध्यम से देना चाहूंगा ।

झालावाड़ जिले के अन्दर सारे जिले के अन्दर नदियों का जाल बिछा हुआ है लाखों फुट एकड़ पानी बेकार बहकर चला जाता है । पिछले 40 साल के अन्दर कोई योजना उस पानी के उपयोग की नहीं बनी ।

ढाई वर्ष में जब जनता का शासन आया था उस समय जो कुछ योजना बनी है वह योजना सेन्ट्रल वाटर कमीशन तक भिजवाई गई लेकिन उसके बाद वापस जब

(श्री अनंग कुमार जैन)

कांग्रेस का कुशासन आया तो योजना बन्द कर दी गई। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो पानी बहकर बेकार चला जाता है उसके बारे में कोई योजना बनाई जाय, मास्टर प्लान तैयार करवाई जाय इससे दो फायदे होंगे। सिंचाई के साधन भी बढ़ेंगे और पीने के पानी की समस्या का हल भी होगा।

दूसरी माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बड़ी योजना बनाई जाती है उनका लाभ काफी समय के बाद जाकर मिलता है तो मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जिले के अन्दर जो लिफ्ट इरीगेशन की अच्छी योजना है। वह इतनी नदियां हैं यदि उनके ऊपर लिफ्ट इरीगेशन की योजना बनाई जाये तो तत्काल वहां की जनता को और वहां के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सिंचाई का फायदा मिलेगा और उन्हें जल्दी ही सिंचाई के साधन मुहैया होंगे।

दूसरा माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत विभाग के बिजली के मामले पर एक सुझाव निवेदन करना चाहूंगा कि यद्यपि एक समिति जो बनाई गई है जिसके अन्दर क्षेत्र के विधायक और अधिकारी को रखा गया है लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नोर्म्स तय किये जायेंगे कनेक्शन रिलीज करने में वो नोर्म्स बोर्ड के द्वारा ही तय किये जायेंगे, यहीं से उनको रिलीज किया जायेगा। मेरा उसके अन्दर यह सुझाव है कि आप इसमें इफ और बट हटा करके चूंकि इतने कनेक्शन इतनी फाइलें विद्युत विभाग के अन्दर पेन्डिग है और पिछले 6 और 7 साल से लोगों को कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं तो यह पालिसी तय कर दी जाय कि वर्षवार इस साल के अन्दर इस साल तक के लोगों को जिनकी फाइलें जमा हैं उनको कनेक्शन दे दिये जायेंगे तथा इसके अन्दर तो विभाग के द्वारा गड़बड़ी की जायेगी और फाइल उस पर्टीकुलर साल तक जमा हुई उनको सीधा कनेक्शन मिल जायेगा और सारे इफ और बट उसमें हटा दिये जायेंगे।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय श्री मोतीलाल मीणा। (अनुपस्थित)

माननीय श्री ओमप्रकाश जी गुप्ता।

**श्री ओमप्रकाश गुप्ता** (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में गांव, गरीब एवं किसान के हितों का उनके आर्थिक सर्वांगीण विकास का प्रयास उल्लेख निर्धारित किया जाकर माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट रखा है उसको पारित करने के लिए मैं समर्थक के रूप में खड़ा हुआ हूं। पूर्व सरकार ने केन्द्र के समक्ष अपनी घुटना टेक नीति के कारण जिस प्रकार की नीतियां अपनाई थी जिस प्रकार राजस्थान के हितों का बलिदान किया था, जिस प्रकार राजस्थान के हितों को एक तरह से गिरवी रख दिया था, चाहे राजस्थान की नहर योजना हो, चाहे राजस्थान न का विद्युत हो, चाहे राजस्थान का पेयजल हो, चाहे राजस्थान को मिलने वाला रुपया हो, चाहे राजस्थान

(श्री ओमप्रकाश गुप्ता)

की योजना हो, उनको कभी राजस्थान की चिन्ता नहीं हुई। उनको हमेशा यही चिन्ता इस बात की रही कि हमारी कुर्सी बनी रहे और वे राजस्थान के हितों का सौदा करते रहे। राजस्थान की जनता को आवश्यकता थी कि ऐसी घुटना टेक नीति अपनाने वाले लोगों को बदला जाय। राजस्थान की जनता चाहती थी कि जो गांव, गरीब और किसानों के बारे में विचार करे, उसके हाथ में शासन हो, राजस्थान की जनता चाहती थी कि सटीक और सुदृढ़ शासन द्वारा उसके आधार पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को चुनकर और अपनी इच्छा की पूर्ति की और अब मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता को उनकी आकांक्षाओं की निश्चित रूप से पूर्ति की जायेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीबी उन्मूलन कोई साधारण बात नहीं है। गरीबी उन्मूलन का कोई भी कार्यक्रम जब तक सफल नहीं होगा जब तक मुद्रा स्फीति युक्त जो अर्थ व्यवस्था है उसमें सुधार नहीं होगा और यह सुधार तब होगा जब काले धन पर अंकुश होगा और काले धन पर अंकुश होने के लिए एक योग्य, एक सूझ-बूझ और दृढ़ता युक्त नेतृत्व की आवश्यकता होती है। हमारे प्रदेश और केन्द्र में जिस प्रकार का नेतृत्व था उसमें कभी मुद्रा स्फीति में सुधार, काले धन पर रोक या कभी आशा नहीं की जा सकती थी क्योंकि मुझे दुःख है इस बात का वह आरोपित थे, वह काले धन में स्वयं लिप्त थे और उन्होंने जनता को शासन देने की बजाय अपने आपको काले धन में लिप्त कर लिया और उस काले धन के ऊपर चोट जब लगने लगी तो भी माननीय विधायकों ने जो सामने बैठे हैं विपक्ष में, उन्होंने इस बात की सराहना नहीं की कि जब यहां एक आई. ए. एस. अफसर पकड़ा गया, रंगे हाथ पकड़ा गया तो विपक्षी दल को यह चाहिए था कि वह सत्तारूढ़ दल की ओर माननीय मुख्य मंत्री जी तारीफ करता उनको बधाई देता लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की है कि भ्रष्टाचरी को पकड़ने के बावजूद भ्रष्टाचारी शासन ...

**श्री ईश्वरलाल सैनी** (लक्ष्मणगढ़) : रंगे हाथों कहां पकड़ा गया।

**श्री ओमप्रकाश गुप्ता** : भ्रष्टाचारी व्यक्ति को पकड़ने के बावजूद......

**श्री ईश्वरलाल सैनी** : गलत बोल रहे हैं, रंगे हाथों नहीं पकड़ा गया।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, बिराजिये। (व्यवधान)

आर्डर प्लीज, आर्डर। बैठिये आप, प्लीज। कृपया शान्ति बनाये रखें, बोलने दीजिये इनको। (व्यवधान) आप सुने, देखिये, अब आपके लोग बोलने वाले हैं। (व्यवधान)

**श्री ओमप्रकाश गुप्ता** : लेकिन जो लोग जेल में बन्द हैं और .......

**श्री अध्यक्ष** : Let him tell.

**श्री ओमप्रकाश गुप्ता** : प्राइमाफेसी केस जो होता है। कई यहां वकील बन्धु भी बैठे होंगे आपके साथ वे अच्छी तरह जानते हैं कि जब पुलिस कोई चालान पेश कर देती है, प्राइमाफेसी साबित हो जाता है और प्राइमाफेसी केस जिस पर साबित हो जाता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद उसको रिमाण्ड पर लिया जाता है और पुलिस में भी रिमाण्ड पर वह भ्रष्ट अधिकारी बैठा है इसके अलावा आप रंगे हाथ पकडे जाने की आपकी और क्या कल्पना है? मैं आप से पूछना चाहता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, कि भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु अधिकारियों में जो धड़कन पैदा हुई, जो धर-पकड़ उनकी हुई और जो कर-वंचना को रोकने के लिए आत्म-निरीक्षण का अवसर इस बजट में दिया गया है, मैं इसकी सराहना करना चाहता हूं।

उपभोक्ताओं एवं उत्तम करदाताओं से कर-वंचना नहीं किये जाने का अनुरोध इस बजट में किया गया है। जो ईमानदार करदाता है उनको इन्सेटिव देने का प्रयास किया गया है उनको इन्सेंटिव दिया जाकर उनकी तारीफ करने का प्रयास किया गया है क्योंकि कर बढ़ाना और लगातार कर बढ़ाना यह कोई कर इकट्ठा करने का एक तरीका नही होता। इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा है कि कर-वंचना रोकने के लिए यह आवश्यक है कि जनता के ऊपर अधिक कर नहीं लगाया जाय और फिर कर आपने कौनसे छोड़े थे। एक और माननीय हरिदेश जोशी जी जब मुख्य मंत्री थे, मुझे अच्छी तरह याद है उन्होंने पानी पर तो टेक्स लगा दिया। हम जब उनसे मिलने गये, हमने कहा कि + + +

जोशीजी आप पानी को तो छोड़ते, उन्होंने कहा कि मैंने चारों ओर अपनी नज़र दौड़ाई, मुझे पानी नज़र बचा, और चीज़ों पर तो हमने टेक्स लगा दिया इसलिए हमने पानी पर टेक्स लगाया है। उनके जब कांग्रेस शासन के दौरान....

**श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : उनके अनुसार टेक्स लगाया है। अब यह क्यों कह रहे हैं, गधे पर भी टेक्स इन्होंने लगाया, सारी कारस्तानी.......

**श्री अध्यक्ष** : आपकी गधे से सुहानुभूति क्या है इसमें। (व्यवधान)

**श्री नत्थीसिंह** (राजस्व मंत्री) : उन्हें शिकायत ज्यादा है आपसे।

**श्री ओमप्रकाश गुप्ता** : क्या फरमाया आपने?

**श्री ईश्वरलाल सैनी** : आपको गधे से क्या प्यार है?

**श्री ओमप्रकाश गुप्ता** : माननीय सैनी जी, हमें गधे और धोबी से हमदर्दी है, आपको क्या नाराजगी है?

---

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

**एक माननीय सदस्य** : गधे और धोबी की कमाई को कभी नहीं खाता कोई। (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (टोंक) : यदि व्यवस्था न हो तो हम करवा देंगे। गधा मंगवा देंगे। माननीय सैनी जी, आप + + + निश्चित रूप से जायेंगे।

**श्री ईश्वरलाल सैनी** : कुछ दिन बाद आपको बैठकर निकलना है भई, यदि आप उनसे प्यार रखते हैं और सेहत बना रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष** : कृपया इस विधान सभा को गधों से बचाइये।

**श्री ओमप्रकाश गुप्ता** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि यहां यह बार-बार कहा गया है कि गांव, गरीब और किसानों से सम्बन्धित बजट नहीं है। अगर आप योजनाओं की राशि देखें तो किस आधार पर आप कह सकते हैं कि यह ग्राम विकास से सम्बन्धित बजट नहीं है क्या विद्युत पर खर्च नहीं हो रहा है, क्या सिंचाई के लिए पर्याप्त साधन की व्यवस्था नहीं की गई .... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : अब आप बैठिये।

**श्री परसादीलाल मीणा** : उत्पादन कम हो रहा है, इसलिए आप कह रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष** : लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य विराजें, आप सुन लीजिये।

**श्री ओमप्रकाश गुप्ता** : मैं आपको एक बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि.......

**श्री अध्यक्ष** : आप सुन लीजिये, देखिये आपके कलिग का समय जा रहा है। उनके बाद वह बोलने वाले हैं।

**श्री ओमप्रकाश गुप्ता** : श्री परसादी लाल जी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं इस बात की.... (व्यवधान)

**श्री दिग्विजय सिंह** : अध्यक्ष महोदय, आपने भी फरमाया कि इस सदन को गधों से बचायें, तो अर्थ क्या है ?

**श्री अध्यक्ष** : देखिए, मैंने शुरू में कहा था। मैं अपना श्लोक फिर से याद दिला दूं आपको, तो उसी को ध्यान में रखिये आप, तो बात समझ में आ जायेगी। बोलिये।

**श्री ओमप्रकाश गुप्ता** : मैं लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा...

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : अगर इस शब्द को सन्दर्भ से हटा कर किसी ने दे दिया तो बहुत बुरा होगा।

**श्री ओमप्रकाश गुप्ता** : कि उन्होंने यह स्वीकार किया भी कि जो योजनाएं

---

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

# Page No. 131

(131)



(श्री ओमप्रकाश गुप्ता)

थीं उनका 94 प्रतिशत पैसा गांवों तक नहीं पहुँचा, वह भ्रष्टाचार में गुम हो गया....

**श्री सम्पत सिंह** : पहले अर्थ बता देने दो।

**श्री ओमप्रकाश गुप्ता** : आपके पूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी ने तो 16 प्रतिशत कहा था लेकिन आपने उसको 6 प्रतिशत पर ला दिया और इसीलिए आवश्यकता थी.......

**श्री परसादी लाल मीणा** : अन्त्योदय के लिए कहा था...

**श्री ओमप्रकाश गुप्ता** : कि आपकी उन घिसी पिटी योजनाओं के बदले उस अन्त्योदय योजना को लाया जाय जिस अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत बीच में कोई दलाल नहीं था। उस अन्त्योदय योजनान्तर्गत सीधा गांव था और गांव के मजदूर थे और गांव का विकास था। कोई राजनेता बीच में नहीं था, कोई राज अधिकारी बीच में नहीं था और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि राजस्थान में पुनः अन्त्योदय योजना चालू हुई ...

**श्री रामस्वरुप मीणा** (टोडाभीम) : आप धीरे बोलिए सत्ता में हो।

**श्री ओमप्रकाश गुप्ता** : जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है, तो निश्चित रूप से गांव का विकास होगा, गांव का सर्वांगीण विकास होगा। यहां कई माननीय सदस्यों ने कहा कि राजस्थान में औद्योगिक नीति नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि सन् 80 के बाद राजस्थान के ग्रामीण अंचल में पुरानी सरकारों ने कौन-सी औद्योगिक नीति अपनाई ? हमारे जो इण्डस्ट्रियल एरिया बने थे, जो इण्डस्ट्रियल केन्द्र स्थापित हुए थे, वह 80 तक ही स्थापित हो गये। सन् 80 से 90 तक इस पुराने शासन के लिए एक शर्मनाक बात थी कि एक भी गांव में नई इण्डस्ट्रीज नहीं खुली, एक भी इण्डस्ट्रियल ऐरिया घोषित नहीं किया गया और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अब 90 के बाद....

**श्री रामस्वरुप मीणा** (टोडाभीम) : आप सत्ता में बैठे हो, विपक्ष में नहीं बैठे हो।

**श्री ओमप्रकाश गुप्ता** : नये-नये इण्डस्ट्रियल केन्द्र स्थापित होंगे, औद्योगिक केन्द्र स्थापित किये जायेंगे

**श्री ईश्वरलाल सैनी** : अध्यक्ष महोदय, इनका स्पीकर बन्द करवा दिया जाय।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : यह बोल नहीं पा रहे है ... (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : घबराइये नहीं, सुन लें आप।

**श्री ओमप्रकाश गुप्ता** : जब सैनी साहब बोलते हैं तो उस समय आपको ध्यान नहीं रहता।

**श्री अध्यक्ष** : इसीलिए मैं बार-बार कह रहा था कि गधों की चर्चा मत करिये ज्यादा, आपको बार-बार कह रहा हूं।

**श्री ओमप्रकाश गुप्ता** : अभी जूते और रेडीमेड की बात हुई। फिर खड़े हो गये ... ... ....

**श्री सम्पत सिंह** : सैनी साहब, बधाई हो अध्यक्ष जी की टिप्पणी पर।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : यह टिप्पणी इधर लागू है या उधर ?

**श्री ओमप्रकाश गुप्ता** : अभी आपने बीस रुपये के जूते की बात कही। ग्यारह रुपये के रेडीमेड की बात कही। लेकिन आपने कभी यह महसूस नहीं किया कि आपके शासन के दौरान सौ-सौ रुपये के जूते, डेढ, डेढ सौ रुपये के जूते बेचे जाकर बीस, बीस रुपये के बिल बनाये जाकर कर वंचना की जाती थी। इसी प्रकार सौ सौ डेढ़ सौ रुपये के रेडीमेड कपड़े बना कर बीस बीस रुपये के बताये जाकर कर वंचना की जाती थी। वह बीस रुपये के जूते खरीदने वाले आठ आने टैक्स और दे देगा, वह रेडीमेड कपड़े खरीदने वाला आठ आने टैक्स और दे देगा, लेकिन कर वंचना बचेगी और जो कर वंचना से राशि प्राप्त होगी, आप यह मानकर चलिये कि जैसा बजट है; जैसी सरकार की नीति है, वह पैसा इकट्ठा किया जाकर उन्हीं गरीबों के विकास के लिए खर्च किया जायेगा, उन्हीं गरीबों के हित के लिए खर्च किया जायेगा। आप अपने दिमाग से बिल्कुल ही यह बात निकाल दीजिए।

**श्री परसादी लाल मीणा** : माननीय सदस्य, आपकी पार्टी के मेम्बर्स ने भी यही कहा था जो मैंने कहा था कि इस पर से टैक्स हटाओ। आप विचार करें।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : पहले पार्टी के सदस्यों को तो कॉन्फीडेंस में लीजिए।

**श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : गरीब पर टैक्स लगाकर गरीब का भला कर रहे हो ?

**श्री अध्यक्ष** : आप चालू रखिये, बोलते रहिये। 15 मिनट हो गये आपको।

**श्री ओमप्रकाश गुप्ता** : माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट को पूंजीपतियों का बजट बताया गया है। किस आधार पर बताया गया है ? कोई आधार नहीं बताया है। अभी जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य स्पष्टीकरण कर रहे थे। क्या रत्न और मोती का नाम आते ही पूंजीपति जुड़ गये

**श्री राजेन्द्र पारीक** : महिला विरोधी।

**श्री ओम प्रकाश गुप्ता** : कितने रत्न उद्यमी हैं, कितने रत्न श्रमिक हैं, क्योंकि आप लोगों का कभी श्रमिकों से पाला नहीं पड़ा....

**श्री राजेन्द्र पारीक** : आपका भी नहीं पड़ा। श्रमिकों से पाला आपका भी नहीं पड़ा है। हम तो मजदूरों, गरीबों के साथ रहते हैं, पाला आपका नहीं पड़ा है।

**श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवां) : यह

(श्री रामनारायण वर्मा)

जौहरी के बच्चे हैं । गरीबों के खिलाफ और जौहरियों के पक्ष में बजट बना है, हम तो यह कह रहे हैं।

**श्री ओम प्रकाश गुप्ता** : आप लोगों का कभी गरीब लोगों से पाला नहीं पड़ा, आप लोगों का कभी मजदूरों से पाला नहीं पड़ा। कांग्रेस शासन में गरीब, मजदूर और श्रमिक की जिस प्रकार से हालत खराब की गई, आप लोग यह कह सकते हैं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस उद्योग से न केवल जयपुर की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, न राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ेगी बल्कि जो लाखों श्रमिक हैं, अकेले जयपुर में पचास हजार श्रमिक काम कर रहे हैं, उनको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है और वह जगह जगह मुख्य मंत्री जी को बधाई दे रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हम जिम्मेदार लोग हैं और आप लोगों ने भी शासन किया है, आप लोग तो ऐसे निराश हो गये कि अब आपको कोई आगे आशा नहीं रही और वास्तव में ठीक भी है। आप लोगों के काम भी ऐसे रहे हैं, आप लोगों के कारनामे भी ऐसे रहे हैं और इसीलिये एक विरोधी पक्ष के नाते जनता ने शायद महसूस किया होगा कि इतने से लोग जरूर जीतकर आने चाहिए थे इसलिए जीतकर आ गये लेकिन अगर आप लोगों की नेगेटिव एप्रोच रही, आप लोगों की सकारात्मक एप्रोच नहीं रही तो मैं निवेदन करना चाहता हूं-आगामी आने वाले समय में आप इतने भी नजर नही आने वाले हो, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।

**श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : आने वाले सब जीत कर आयेंगे..(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : हां, समाप्त करिये। माननीय जुबेर खां।

**श्री जुबेर खां** (रामगढ़) : आदरणीय अध्यक्ष जी, सदन के नेता माननीय भैरों सिंह जी शेखावत ने राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में जो आंकड़े दिये हैं मैं उनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। उनका बजट भाषण इक मुद्दे पर आधारित था कि उन्होंने जो एक उपेक्स फाइनेन्स कमेटी गठित की थी, उसने जो सुझाव दिये हैं उनके आधार पर बहुत खर्चों में कटौती कर दी गई। कहा गया है कि तीस करोड़ रुपये की कटौती की गई है। जैसा की माननीय मुख्य मंत्री ने खुद ने माना है कि औपचारिकता के आधार पर अभी उस कमेटी ने कोई सुझाव नहीं दिये हैं, अगर अनौपचारिक रूप से यह मान भी लिया जाय तो तीस करोड़ रुपये की जो कटौती इन्होंने दो-तीन मुद्दों पर रखी है, खुद तो नहीं बताया लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि सरप्लस पर, वर्क चार्ज पर जो लोग लगे हैं उनको हटा कर 15 करोड़ रुपये बचाये जायेंगे। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि अगर रोजगारों को बेरोजगार कर चुनाव में जो वायदे किये थे कि हर हाथ को रोजगार देंगे या बेरोजगारी भत्ता देंगे, अगर हजारों लोगों को बेरोजगार कर हमने 15 करोड़ रुपये बचाये हैं तो यह फिजूल खर्ची नहीं रोकी गई बल्कि उन गरीबों के ऊपर अत्याचार किया गया है और इससे आप यह कहना चाहते हैं कि हमने यह बचत की है जो लोग रोजगार

(श्री जुबेर खां)

में लगे हुए हैं उनको रोजगार से हटा कर 15 करोड़ रुपये की बचत कर रहे हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए यह बात कहते हुए कि आपने कहीं से यह बचाये हैं।

आप भ्रष्टाचार से बचा कर नहीं लाये हैं. कहीं कालाबाजारी से नहीं लाये हैं, अगर यह 15 करोड़ रुपये आप बचा रहे हैं तो उन गरीबों के मुंह से छीन रहे हैं जो आज देली वेजेज पर कहीं काम कर रहे हैं, पी. एच. ई. डी. . इर्रीगेशन या पीं. डब्लू. डी. में काम कर रहे हैं। इसलिए में कहना चाहता हूं कि यह खाली जमा बाजारी है, अखबारबाजी है, इस तरह की कोई बात नहीं रखी है कि कोई बचत की जायेगी। दूसरा इन्होंने कहा है कि मंत्री और सरकारी लोगों के, कर्मचारियों के टेलीफोन की एस. टी. डी. सुविधा काट दी जायेगी गाड़ियों पर खर्चा कम.कर दिया जायेगा, ऐसा ही षड़यंत्र और ड्रामा इन्होंने आते ही रचा था कि लाल बत्ती की कारें हम नहीं रखेंगे और हमारे माननीय नवजवान मंत्री डा0 चन्द्रभान जी भी इसमें सबसे आगे थे लेकिन आज फिर से लाल बत्तियां लगाई जा रही है, धीरे-धीरे लग रही है। यह शर्म की बात है। मेरे कहने का उद्देश्य है कि कहने और करने में बहुत फर्क है ......आप लोग जो कहते हैं वो करते नहीं है। आप कान सीधा नहीं पकड़ कर टेढ़ा पकड़ रहे हैं। आप गरीबों के, मजदूरों के किसानों आप कान पकड़ रहे हैं, अहित करते हैं उनके विरोध की सरकार है।

अगर आप एस. टी. डी. की सुविधायें काट देंगें तो आपने ऐसा कोई निर्देश नहीं निकाला है कि कोई अधिकारी या कोई मंत्री ट्रंककाल कितने बुक करवायेगा। वह लाईटिंग काल भी करेगा, अर्जेन्ट काल भी करेगा और उसमें एस. टी. डी. से ज्यादा खर्चा आता है। आप यह रेकार्ड निकलवाकर देख लीजिए। इसलिए निवेदन है कि बहुत से क्षेत्र ऐसे छोड़े गये है, जिनका बजट में कोई हवाला नहीं दिया गया है और माानीय मुख्य मंत्री जी का मालुम नहीं। जब मंत्री परिषद का गठन किया गया तो चार-चार महिलाओं की कहीं पर को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। शायद राजस्थान में यह पहली वार हुआ होगा। लेकिन जब बजट बढ़ा गया तो महिलाओं की कहीं पर भी चर्चा नहीं की गई। लगता है कि अब मुख्य मंत्री बनने के बाद से मुख्य मंत्री जी को महिलाओं से कुछ नफरत हो गई है। या माननीय मुख्य मंत्री जी ने महिलाओं के विरोध में कार्यक्रम करने शुरू कर दिये हैं। अगर जिक्र किया है पूरे छप्पन पेज के भाषण में कहीं तो सिर्फ सिल्क की साड़ियों का जिक्र किया है। इससे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को औरतों के हित के लिए, उनके विकास के लिए सिर्फ उनकी सिल्क की साड़ी याद रही और कुछ याद नहीं रहा।

इसी तरह से युवाओं के बारे में मुझे याद है कि जब मुख्य मंत्री जी पहले भाषण पर जाते थे, चुनावों में कहीं भाषण देते थे विश्वविद्यालयों में. महाविद्यालयों में जब हड़तालें होती थी तो कहते थे कि हर हाथ को रोजगार मिलना चाहिए और हर बेरोजगार को यदि रोजगार नहीं मिले तो बेरो-

(श्री जुबेर खां)

जगारी भत्ता मिलना चाहिए। तमाम तरह की बातें करते थे लेकिन आज बहुत दुःख की बात है कि इस बजट में रोजगार के लिए कोई साधन मुहैया नहीं करवाये गये हैं और तो और मंत्री मंडल में भी मेरे जो विरोधी पक्ष के नोजवान साथी हैं, उनको मौका नहीं दिया गया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि माननीय श्री भैरोंसिंह जी जो युवाओं की दुहाई देते थे चुनावों में मैं मांग करता हूं कि एक युवा विकास बोर्ड का गठन किया जाये और उसके माध्यम से सलाह ली जाये कि युवाओं के लिए प्रदेश में क्या किया जा सकता है और रोजगार किस तरह से लोगों को दिलाया जा सकता है ?

इसी तरह से माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट में सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, विद्युतिकरण के लिए, पावर के लिए लेकिन अभी बजट में जिन परियोजनाओं का हवाला दिया गया है, मुझे नहीं लगता कि उन परियोजनाओं से आगे आने वाले एक साल में कोई भी एक्स्ट्रा या एडीशनल बिजली प्रदेश को मिल पायेगी। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी जब आप विपक्ष में थे तो कहते थे कि यह कांग्रेस सरकार पूरा हिस्सा लेकर नहीं आ रही है दूसरे प्रदेशों से हमारी जो परियोजनायें चरल ही है। चाहे वह पंजाब में भाखरा हो, रोपड़ हो, चाहे यू. डी. पी. सी. हो चाहे वह यू. पी. में सिगरोली हो, चाहे हिमाचल प्रदेश में कौल और संजय परियोजनायें हों। चाहे और कोई परियोजनायें हों, मेरा तो यही है कि आप यह वक्तव्य दे अपनी रिप्लाई में हमें इन परियोजनाओं से जो हमारी पर्याप्त मात्रा है राजस्थान की राजस्थान को मिल रही है या नहीं। अगर नहीं मिल रही है तो कब तक मिलेगी ? और उसके लिए नई सरकार क्या उपाय करने जा रही है ? इसी तरह से....

**एक माननीय सदस्य** : हमने तो नहीं दिया तो अब आप दे दो ..।

**श्री अध्यक्ष** : सुनिये, आप सुनिये .... बोलिए।

**श्री जुबेर खां** : इसी तरह से इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की बात है, जिसको राजस्थान की लाईफ लाइन कहा जाता है, जीवन रेखा कहा जा सकता है इरिगेशन के लिहाज से, देश की सुरक्षा के लिहाज से पेयजल के लिहाज से। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से जहां तक मेरी जानकारी है कि शायद कहीं भी इस परियोजना पर काम नहीं चल रहा है। उसका कारण है कि खुदाई में जो रॉकी एरिया आ गया है, चट्टानें आ गई हैं उनकी वजह से खुदाई आगे नहीं चल रही है लेकिन इस बजट भाषण में कहीं पर भी यह नहीं कहा गया है कि वहां से इस नहर को कैसे निकाला जायेगा। पाईप लाईन बिछाकर निकाला जायेगा या अन्य कोई सुविधा से निकाला जायेगा और कितने रुपये इसमें लगाये जायेंगे इस बजट में और कब तक यह काम शुरू हो जायेगा। इस तरह का कोई हवाला नहीं दिया है। किस तरह से किसानों को पानी मिलेगा और यह सरकार कहती है कि हम किसानों के हितेषी हैं और किसानों

(श्री जुबेर खाँ)

के हित की बात करते हैं। इसी तरह से पेयजल के बारे में यह बात करना चाहता हूं...

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

कि पेयजल की समस्या प्रदेश में काफी दिनों से चल रही है। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी और सरकार में बैठे हुए लोगों को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि पेयजल के मामले में जो धाँधली हो रही है, आप लोग कहते हैं कि आपकी सरकार गरीबों की सरकार है, आप शहरों में जाकर देखिये जो लोग अमीर हैं वे वाल्व लगा कर, मोटरें फिट कर के तीसरी-तीसरी और चौथी-चौथी मंजीलों पर पानी ले जा रहे हैं और गरीबों के भोंपड़ों में पानी नहीं जा रहा है। क्योंकि हमारे प्रदेश में शहरों की बनावट इस तरह हैं कि कहीं घर ऊंचे कहीं पर नीचे है। जो लोग गरीब हैं, उनके भोंपड़ों में पानी नहीं जाता है। क्योंकि बड़े-बड़े सेठ और पूंजीपति मोटरें लगाकर बिजली के नाजायज तरीके से पानी को खीच लेते हैं, उस पर भी आपको विचार करना होना और इसका भी कोई निवारण करना होगा।

**श्री अध्यक्ष :** एक मिनट और है।

**श्री जुबेर खां :** जहां तक कर्जे माफी की बात कही गई है जनता के सामने एक ऐसी स्थिति पेश की गई चुनावों में कि पता नहीं यह नई सरकार बन जायेगी तो किस तरह का अल्लाऊद्दीन का चिराग लेकर आयेगी कि तमाम कर्जे माफ जो जायेंगे, तमाम लोगों को रोजगार मिलेगा तमाम बूढ़ों को पेंशन मिल जायेगी और हमारे साथी, जनता दल वालों ने भी यह बात स्वीकार की है कि बजट में इस बात का कोई प्रावधान नहीं है। अगर हम राजस्थान के कर्जे माफी की बात देखें तो लगभग आठ सौ करोड़ रुपये तो सहकारिता बैंक के हैं और लगभग चौदह सौ करोड़ रुपये कामर्शियल बैंक के हैं और बजट में एक सौ सत्तर करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है और एक सौ सत्तर में भी सिर्फ 30 करोड़ का प्रावधान यहां पर रखा गया गया है और 85 करोड़ रुपया भारत सरकार से लिया जायेगा। 55 करोड़ नाबार्ड और रिजर्व बैंक से लिया जायेगा और कहते हैं कि हमने लोगों का कर्जा माफ कर दिया है। आप बिलकुल केल्कुलेट कर के देख लीजिए मुश्किल से चार या पांच परसेन्ट कोटा पूरा होता है कर्जा माफी का, उस वायदे के मुताबिक जो आपने सार्वजनिक रूप से मंचों पर चुनावों के टाइम में किया था। कि हम लोगों का कर्जा माफ करेंगे उस समय यह नहीं कहा था कि कोई कट पाईन्ट रहेगा या कोई ओवर ड्यू की डेट रहेगी या कोई तिथि रहेगी। एक सीधा नारा दिया गया था कि आप हमें चुनकर लाईये हम तमाम लोगों का कर्जा माफी कर देंगे और माननीय सदस्य अब लौटकर जाते होंगे तो उन्हें यह अहसास होता होगा कि जनता में किसी तरह से इतना रोष है कि हमारे साथ धोखा किया गया और हमें धोखा दिया गया और इस नाम से हमसे वोट ऐंठ लिये गये।

**श्री अध्यक्ष :** समय समाप्त हो गया। अब मैं क्या करूं समय न तो आपकी पकड़ में है और न मेरी में है वह तो जा रहा है।

**श्री जुबेर खां** : अगर माननीय अध्यक्ष जी इतने समय से कोई भी माननीय सदस्य कम बोला हो तो मैं अभी बैठ जाऊंगा।

**श्री अध्यक्ष** : नहीं, मैंने दस मिनिट से ज्यादा किसी को नहीं बोलने दिया। अब आप एक मिनिट में समाप्त कर लीजिए।

**श्री जुबेर खां** : किस-किस तरह से धोखा देंगे माननीय मुख्य मंत्री जी। आपने कट प्वाइन्ट रखा है 1.10.89 को और राजस्थान का आप इतिहास उठाकर देख लीजिए कि 1 अप्रेल से पहले कोई ओवर ड्यू डेट नहीं होती है क्योंकि दसवें महिने तक तो लोन बटते हैं चौथे महिने से दसवें महिने तक और इस आड में आप एक साल का लोन माफ नहीं करना चाहते हैं और इस तरह की तारीखें देकर यह भुलावा करना चाहते हैं लेकिन जनता इसको माफ नहीं करेगी। जनता तो सीधा चाहती है कि एक आदेश निकले सरकार से। आदेश में निकले कि जब से चुनाव हुये हैं उस तारीख से जितने भी पीछे लोन लिये गये हैं दस हजार रूपये तक के सभी इन लोगों के कर्ज माफ किये जाते हैं। इस तरह की बात अगर कहेंगे तो आप सही बात करेंगे वरना आप इधर-उधर की बात करेंगे। खाली आप अखबारी बात करेंगे यह बात...

**श्री अध्यक्ष** : बस ...... माननीय श्री हेतराम जी।

**श्री जुबेर खां** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना समय ले रहा हूं ....

**श्री अध्यक्ष** : नहीं, अब आप अपना नहीं दूसरों की पार्टी का समय ले रहे हैं, दूसरे लोगों का, अभी और

**श्री जुबेर खां** : आप ऐसे जो...

**श्री अध्यक्ष** : देखिये अभी माननीय सदस्य कई बोलने वाले हैं अभी मेरे पास दो नाम और आ गये हैं, मैं उनको भी लेना चाहता हूं।

**श्री जुबेर खां** : एक मिनट और लूंगा....

**श्री अध्यक्ष** : मैंने आपको एक मिनट का टाइम दिया है।

**श्री जुबेर खां** : बहुत से साथियों ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने चालीस साल में क्या किया। मैं आपके ढाई साल का एक उदाहरण देता हूं उस टाइम सन् 1977 में पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के सिंचाई मंत्रियों की एक बैठक हुई थी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भैरोंसिंह जी गये थे और यह निर्णय लिया गया था कि अजमेरीपुरा पर एक बैराज बनाया जायेगा तेरह करोड़ की लागत से उसी तरह का मसानी बैराज बनाया जायेगा वो भी तेरह करोड़ से और दिल्ली में नजफगढ़ में जो पानी बाढ़ का का आता है उसको रोकने के लिए, उसका बहाव जमुना में मोड़ा जायेगा। तेरह-तेरह करोड़ की योजनायें लागू हुई थी और यह तय हुआ कि जहां भी अगर किसी भी जगह इसकी नींव रखी गई जहां दोनों प्रदेशों की जमीन आती है तो दोनों मुख्य मंत्री आकर शिलान्यास करेंगे। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी यहां जयपुर में बैठे थे, और हरि-

(श्री जुबेर खां)

याणा के मुख्य मंत्री ने शिलान्यास रख दिया मसारी बैराज पर और तेरह करोड़ नहीं एक सौ बीस करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार से भी लेकर उसमें लगा दिया और आज हमारे यहां कि 95 परसेन्ट जमीन में पानी भरता है और साबी नदी का पानी हमारा जाता है और सिंचाई हरियाणा में की जाती है और माननीय मुख्य मंत्री जी जो उपस्थित थे माननीय श्री भैरोंसिंह जी थे 77-80 में हुआ था।

**श्री अध्यक्ष** : अब बिराजिये। माननीय श्री हेतराम जी....। (व्यवधान)

**श्री जुबेर खां** : यह एक नौजवान के साथ अन्याय है।

**श्री अध्यक्ष** : नहीं, आप बहुत अच्छा बोले हैं।

**श्री जुबेर खां** : आप मुझ से ही 10 मिनट क्यों शुरू कर रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष** : अब मेरी मजबूरी है।

**श्री जुबेर खां** : अब तक लोग 45-45 मिनट बोले हैं, सबको दिया है, जब मैं बोलने जा रहा हूं तो आपने 10 मिनट कर दिये तो यह ठीक नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य सबके लिए हैं। आपने एक मिनट की डिमाण्ड की, मैंने दो मिनट दे दिये हैं। माननीय हेतराम जी बोलें। आपका टाइम जायेगा।

**श्री जुबेर खां** : 66 करोड़ का फसल बीमा किया था। 22 करोड़ बीमा कम्पनी ने दिया था, 22 करोड़ सैण्ट्रल गवर्नमेण्ट ने दिया था और 22 करोड़ स्टेट गवर्नमेण्ट ने दिया था। आज कुओं का बीमा करके आप लोगों को धोखा देना चाहते हैं। आपको फसल बीमा करना चाहिए अगर आप इतने ही हितैषी हैं।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य आपकी पार्टी का पूरा का पूरा समय समाप्त हो गया है। आप मेहरबानी करके बिराज जायें। दूसरे माननीय सदस्यों की कोस्ट पर मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। माननीय हेतराम जी।

**श्री हेतराम बेनीवाल** (सांगरिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है इस बजट भाषण को सुनने के बाद मुझे यह लगा कि जो दोनों तरफ से बजट पहले पेश किये गये वह और यह बजट लगभग एक सा है। समझ में नहीं आया, मेरी दुविधा यह है कि इस बजट के अन्दर जिस तरह से टैक्स कलक्शन और जिस तरीके से योजना के खर्च का ब्यौरा दिया गया है, मैं यह समझता हूं कि इस मामले में मेरी दुविधापूर्ण स्थिति है, ऐसे में अपने धार्मिक आख्यान का स्मरण हो आता है ..

**श्री सम्पतसिंह** : आपका धर्म से क्या लेना देना ?

**श्री हेतराम बेनीवाल** : विष्णुजी के पास एक दिन शनिचर और लक्ष्मी दोनों गये और उन्होंने उनसे यह कहा....। मान-

(श्री हेतराम बेनीवाल)

नीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक कहानी सुना रहा हूं ...

**श्री अध्यक्ष** : आपको खुशी होनी चाहिए। आपको इसके लिए प्रसन्नता होनी चाहिए।

**श्री हेतराम बेनीवाल** : दोनों उनके पास गये और उन्होंने पूछा लक्ष्मी और शनिचर ने कि हम आपको कितने अच्छे लगते हैं। विष्णु जी ने सोचा शनिचर को यह कहा कि आप अच्छे नहीं लगते तो यह मेरे ऊपर चढ़ बैठेगा सात साल उतरेगा नहीं और लक्ष्मी से कह दूं कि आप अच्छी नहीं लगतीं तो घर बिगड़ जायेगा। उन्होंने एक तरीका निकाला कि यह पीपल का पेड़ है वहां तक जाकर आओ तब तक मैं सोचता हूं। दोनों भाग-भागे गये और वापस जब आये तो विष्णुजी ने कहा ऐसा है शनिचर आप जाते हुए अच्छे लगे और लक्ष्मी आप मुझे आती हुई अच्छी लगी तो मेरी स्थिति ऐसी है कि आप मुझे जाते हुए अच्छे लगे और आप मुझे आती हुई अच्छी लगी।

आपने अब जो कुछ पेश किया है मैं मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि यह ऐसी स्थिति हो गई कि मुझे इस शनिचर से डर लगता है।

मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो बजट उन्होंने पेश किया है, शायद मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी अपनी आत्मा से नहीं किया, उनमें कोई प्रेत आत्मा घुसी हुई है जिसने बजट पेश किया है। मैंने 1987-88 की उनकी पूरी बजट स्पीच पढ़ी है, तब उन्होंने 14 मार्च 1988 को जो बजट स्पीच शुरू की उसकी पहली लाइन थी :

"जाके राज प्रजा दुखि-यारी,
सो नृप होय नरक अधिकारी।"

माननीय मुख्य मंत्रीजी होते तो उनसे पूछता कि अब आप कहां जावेंगे ? जो कुछ आपने किया इन तीन महीनों में क्या मण्डावरा के अन्दर, जिन गरीब निहत्थे लोगों को, एक पूरे समुदाय को पुलिस ने हथियार अपने पास होते हुए निहत्था करके आंखों के सामने कत्ल करवा दिया। क्या वह किशनियां की मां, जिस कंजर को गोली से भून दिया गया उसकी मां आपको आशीर्वाद देगी ? क्या सतवाडी के अन्दर पानी मांगते लोगों को आपकी पुलिस ने गोली से भून दिया आपको कोई जीने का आशीर्वाद देगा ? जैसे लालिया की मां हमेशा अपने बच्चे को तरसती रहेगी। पुलिस कस्टडी में जिसको पीट-पीट कर मार दिया गया। क्या स्थिति है राजस्थान की ? आपने सारे राजस्थान में जो पुलिस को अधिकार दिये क्या जिन लोगों पर गोली चली, कत्ल हुए वह लोग आपको किसी प्रकार का आशीर्वाद देंगे और तो और राजस्व मंत्रीजी बैठे हैं, राजस्व मंत्रीजी तो जावेंगे ही नर्क में क्योंकि उन्होंने खुद ने कहा है कि जो जनता को दुख देगा वह नर्क में जायेगा आप और इनके साथ जाओगे।

वजह इसकी यह है कि आज राजस्थान में जो सबसे गरीब आदमी है वह परेशान है। 7 रुपये किलो गुड़ है, जिस आदमी को भी, सुबह-सुबह गांव के अन्दर गरीब आदमियों को चाय पीनी पड़ती है। 7 रुपये

(श्री हेतराम बेनीवाल)

किलो गुड़ है, तीस रुपये किलो तेल, 80 रुपये चाय है। यही चीजें थीं जिन्होंने कांग्रेस को यहां बैठा दिया और आपको यह बैठाती जा रही है। आपके मंत्री सारे जिलों में जाकर आये थे। यह देखने केलिए कि मंहगाई क्यों बढ़ रही है? उसकी व्यवस्था क्या है? मैं मंत्रियों से पूछना चाहता हूं। वे जिलों में गये थे, आपने क्या किया? कितनी दुकानों पर छापे मारे. कितनी जगह स्टॉक चेक किया? नहीं किया। वजह यह है कि आपको भैरोंसिह जी ने भेज दिया चैक करने के लिए पर दुकानें खुद की हैं, किनकी दुकानें है किसके व्यापारी हैं, किसके धन्धे हैं? छापे मारे कौन? इसलिए निश्चित तौर पर एक गम्भीर स्थिति आज जो राजस्थान से पैदा हुई है। यह जो बजट है वह इसमें किसी तरह की सुविधा प्रदान नहीं करता। यह तो वही बजट है जो कांग्रेस ने पेश किया था।

इसके अन्दर जो सबसे बड़ी बात रखी है वह है विद्युत पर ज्यादा खर्चा। मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारे राजस्थान की स्थिति यह है कि आज देश के छोटे-छोटे प्रान्तों के मुकाबले में राजस्थान विद्युत के मामले में कंगाल है। हम सिर्फ खरीददार हैं। हमारी अपनी कोई योजना नहीं। आज पहली बार बजट में हमने देखा कि अपनी योजना 12 मैगावाट की, जिस प्रदेश में 11 हजार 594 मिलियन यूनिट की खपत है उस प्रदेश के अन्दर सिर्फ 12 मैगावाट की बिजली और वह हमारी ऊर्जा मंत्रीजी कह रही थीं नहीं बनेगी, मंत्रीजी कह रहे हैं बनेगी?

एक बात अपोजिशन में बैठकर बड़ी हिम्मत और बहादुरी से बोला करते थे। राजस्थान सरकार की यह हिम्मत है कि वह कह सके "हम राजस्थान में एक भी यूनिट को चालू कर सकेंगे? यह जो आप ने उस उस वक्त भाषण दिया था....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी शुरू ही नहीं किया है....

**श्री अध्यक्ष** । आपकी पार्टी का 10 मिनट का समय था।

**श्री हेतराम बेनीवाल**: पार्टी का समय तो बहुत होता है। एक की संख्या से नहीं कह रहा हूं। मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा ...

**श्री अध्यक्ष** : मैं आपकी चिट पढ़कर सुना दूं कि मेरी पार्टी का समय मुझे दिया जाय वह दे दिया।

**श्री हेतराम बेनीवाल** : मेरी पार्टी का माँगा ना? मेरा समय समाप्त हो गया है पार्टी का बाकी है। मैं आपसे निवेदन करूं राजस्थान के मुख्य मंत्री ने सिंचाई और विद्युत योजनाएं हैं उनके बारे में जो कुछ यहां कहा है जिस समय माथुर साहब मुख्य मंत्री थे और बजट पेश किया था उन्होंने तो आपने राजस्थान कैनाल पर एक भाषण दिया था और भैरोंसिह जी ने यहां

(श्री हेतराम बेनीवाल)

जोश से कहा था हमारा खून ले लो, सब कुछ राजस्थान का ले लो पर राजस्थान कैनाल को पूरा करो। आज राजस्थान कैनाल को बनाने के लिए, जिस कैनाल को बनाने के लिए कांग्रेस सरकार के वक्त में सन् 1988 में 62 करोड़ रु. का प्रावधान था, आज हमने 70 करोड़ का प्रावधान रखा है। क्या आप समझते हैं कि 26प्रतिशत की मंहगाई बढ़ी है और आपने रखा है 62 करोड़ के बजाय 70 करोड़, 70 करोड़ में क्या बनेगी? एक भी किलोमीटर कैनाल नहीं बनेगी। यह सारा का सारा खर्चा कैनाल की मेण्टीनेन्स पर जायेगा। उस वक्त आपने एक सुझाव दिया था जब राजस्थान कैनाल का सवाल आया था कि अगर इसके लिए पैसा इकट्ठा करना है तो इस प्रदेश के अन्दर 240 करोड़ रुपया जिन सेठों में बकाया है, जो सबसे बड़ी चर्चा की थी, उन्होंने जो आज वित्त मंत्री हैं।

विरोधी लीडर थे उन्होंने कहा था कि राजस्थान के अन्दर 240 करोड़ रुपये बड़े बडे सेठों के जिम्मे है और हमारे प्रदेश की सरकार इतनी बुजदिल है कि वसूल नहीं कर सकती। आज एक बहादुर सामने आया है मुख्य मंत्री बनकर। आज चाहिए था उनको कि इस मामले में अपनी उस पर अमल करते। जहां तक नान टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने का सवाल है, एक नया पैसा राजस्थान के वित्त मंत्री ने बजट में नहीं रखा। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वह अपनी बात को पुनः याद करें और नान टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करने के वायदे को पूरा करें।

आपने इसी विधान सभा के फ्लोर पर कहा था कि 240 करोड़ रुपये जिन सेठों के जिम्मे हैं उनसे निकलवाये जाएं। आज आपके हाथ में शक्ति है, ताकत है. करो हिम्मत और निकलवाओ उन सेठों से 240 करोड़ रुपया। हम आपके साथ हैं, सारा राजस्थान आपके साथ है। और राजस्थान कैनाल को बनाओ। उस वक्त आपने कहा था कि सात करोड़ रुपया सिर्फ मोदी अल्कालीज और श्रीराम केमिकल्स में बकाया है। बिजली विभाग के उन सात करोड़ बकाया रुपयों को वसूल करने का आपने एक पैसे का प्रोग्राम नहीं बनाया। आपने उस वक्त कहा था कि यह प्रदेश गरीब प्रदेश है। इस के अन्दर जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन करवाती हैं और शहरों के चारों तरफ आसबड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी करती हैं उन पर रजिस्ट्रेशन टैक्स लगाओ और 100 करोड़ रुपये वसूल करो। आज भूल गए आप? आज उनको इकट्ठा करना भूल गए? वह 100 करोड़ रुपया इकट्ठा करो।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसी तरह आपने उस वक्त 40 करोड़ के कन्वाइनमेण्ट टैक्स की बात कही थी। आज कह सकता हूं कि आप धन्ना सेठों, प्रदेश से राजा-महाराजाओं, फार्म हाउसेज पर टैक्स लगाते। लेकिन आपने क्या किया अपने बजट में? टैक्स किन पर लगाया है? आपको सबसे बड़ा धन्ना सेठ पशु-पालक मिला है? आपको सबसे बड़ा धन्ना सेठ वह गरीब आदमी मिला है, गधे के कान में जाकर आपने हाथ डाला है। बडे लाख पकड़े हैं आपने। आपने यह भाषण दिये थे कि नाक से पैसा निकलवाऊंगा। इस गधे

(श्री हेतराम बेनीवाल)

की नाक से पैसा निकलवा रहे हैं आप ? गधे पर दस रुपये का टैक्स लगाया है या पशु-पालकों पर टैक्स लगाया है। मुख्य-मंत्रीजी, मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर वास्तव में आप सीरियस है, कि आज हमने अपनी कैपिटल का 80 करोड़ रुपया रेवेन्यू के पेटे में डालकर खा लिया। हम धीरे-धीरे राजस्थान की कैपिटल खाते जा रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, शायद गधा ही ऐसा प्राणी है जो रुपया भी खा जाता है।

**श्री हेतराम बेनीवाल** : निश्चित तौर से, इसीलिए मुख्य मंत्री जी ने यह रखा है प्रपोजल।

मैं आज हाउस में यह बात रखना चाहूंगा कि राजस्थान कैनाल, सिद्धमुख कैनाल और हमारी अन्य योजनायें अधूरी हैं। निश्चित तौर से राजस्थान की सरकार ने आज जो बजट पेश किया है एक भ्रम पैदा किया है। आइटम दिये हैं हमारे हमारे सामने 50-60, कि करोड़ रुपया वसूल होगा और 8 करोड़ छूट होगी। क्या हुआ, ड्रामा हो गया। 10 करोड़ वसूल करेंगे और 8 करोड़ छूट दे देंगे। इस ड्रामे को करने की बजाय राजस्थान में इस तरह की योजनाएं बनाई जाय, जिनसे, जैसा मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, साढ़े तीन सौ, पौने चार सौ करोड़ रुपया राजस्थान इकट्ठा कर सकता है। आज मेरे भाई, पता नहीं इनको चाबी भर दी भैरोंसिंह जी ने कोई, आज यह ठण्डे हो गये जनता दल वाले। आज यह उस टोन में नहीं बोले जिसमें इन्दलिया जी बोले थे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 170 करोड़ रुपए कर्ज माफी के रखे हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि 30 करोड़ के सिवाय एक नया पैसा माफ नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि केन्द्र सरकार ने, रिजर्व बैंक ने 80 शर्तें लगाई हैं कर्जा माफ करने की 80 शर्तें जो पूरी करेगा उसी का कर्जा माफ होगा। अगर हम उम्मीद करते हैं कि सेण्ट्रल गवर्नमेंट से हमको 55 करोड़ रुपए मिल जायं, जैसा भैरोंसिंह जी कह रहे थे कि मेरे पास आ गया 55 करोड़ का तार आ गया इसलिए मैंने 55 करोड़ कर दिया।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसलिए निश्चित रूप से .. ....

**श्री अध्यक्ष** : अब आपका समय समाप्त हो गया है।

**श्री हेतराम बेनीवाल** : एक मिनट। मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा कि इस मोजूदा व्यवस्था के मुताबिक, 170 करोड़ रुपए जो रखे गये हैं 170 करोड़ में से सिर्फ 30 करोड़ ही हैं। बाकी तालियां आप फिजूल बजा रहे हो। न सेण्ट्रल की गवर्नमेंट करेगी और न 55 करोड़ रुपया आपको देगी।

दूसरा, बुढ़ापा पेन्शन के लिए 11 करोड़ रुपए रखे हैं। इसका मतलब बुढ़ापा

(श्री हेतराम बेनीवाल)

पेन्शन आप कुछ ही बूढ़ों को रखोगे। सारे राजस्थान के अन्दर अगर 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था हो तब बुढ़ापा पेन्शन सबको मिलती है और आपने रखे 11 करोड़। इसी तरह आपने इस प्रदेश के हजारों बेरोजगार नौजवानों के साथ किया है। मुझे भैरोंसिंह जी की एक ही बात याद है पिछले भाषण की। उन्होंने कहा था कि इस प्रदेश के नौजवानों को राइट टू वर्क है। इस प्रदेश के बेरोजगारों को राइट टू वर्क अगर नहीं होगा, इस प्रदेश के अन्दर पूंजीपतियों पर अगर टैक्स नहीं लगेगा, इस प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ अगर नहीं होगा तो हम राजस्थान की विधान सभा में ही लड़ेंगे और बाहर भी लड़ेंगे। अब तो आप राजस्थान की विधान सभा में सत्ता में हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन वायदों को पूरा करेंगे।

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

और इस +++ को वापस बढ़ने का मौका नहीं देंगे।

**श्री अध्यक्ष :** माननीय श्री बाबूलाल जी।

**श्री जुबेर खां :** अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर। आपने विश्वविद्यालय वाला कहा था कि चार बजे गवर्नमेण्ट रिप्लाई देगी।

**श्री अध्यक्ष :** कल शून्य काल में स्टेटमेण्ट आ रहा है, एक-एक दिन में एक-एक सब आयेंगे।

**श्री जुबेर खां :** अध्यक्ष महोदय, कल तो हम रहेंगे ही नहीं, तो परसों कर दो।

**श्री अध्यक्ष :** क्यों नहीं रहेंगे कल आप ?

**श्री जुबेर खां ;** कल हम जायेंगे कहीं।

**श्री अध्यक्ष :** फिर आगे के दिनों में करने से कोई फायदा नहीं।

**श्री जुबेर खां :** परसों का रख दीजिए फिर आगे का रख दीजिए। हम ही नहीं होंगे तो. ....

**श्री अध्यक्ष :** देखिये, यह कोई पाइण्ट आफ आर्डर का विषय नहीं है। आप बिराजिये। माननीय बाबूलाल जी, बोलिये आप। कल सुबह बात कर लेंगे।

**श्री सुरेन्द्र व्यास ;** अध्यक्ष महोदय, आज की जगह अगर कल वक्तव्य आपने रख दिया उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि 5–6 मसले बहुत इम्पार्टेण्ट हैं। आप एक के बाद एक करेंगे तो छः दिन तक चलेंगे तो, अध्यक्ष महोदय, यह उचित नहीं है। एक दिन में दो स्टेटमेण्ट भी दिला सकते हैं। इस हाऊस में एक दिन में चार स्टेटमेण्ट हुए हैं, तो मसले की इम्पार्टेन्स भी देखनी पड़ेगी।

---

+++ शब्द अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

**श्री अध्यक्ष** : देख लेंगे। सब आ जायेंगे। आपको सब विषयों पर बोलने का अवसर दिया जायेगा। बिराजें। माननीय बाबूलाल जी, समय का ध्यान रखें।

**श्री बाबूलाल खांडा** (सूरतगढ़) : माननीय अध्यक्ष जी, आपने गधे पर चर्चा करने की मनाही की हुई है। यदि आपकी इजाजत हो......

**श्री अध्यक्ष** : वह आपका बहुत प्रिय हो तो बोलिये। मुझे उसमें कोई मनाही नहीं है।

**श्री बाबूलाल खांडा** : तो मैं गधे के सन्दर्भ से ही मेरे विचार व्यक्त करना चाहूंगा। एक प्रसिद्ध लेखक हुए हैं कृष्ण-चन्दर जी। उनकी एक पुस्तक है, उसका नाम है "एक गधे की आत्मकथा"। देखिये, उसकी ब्यूटी यह है कि उसका प्रमुख पात्र जो गधा है, बोलता है। वित्तीय मामलों में भी उसका बड़ा दखल है। उस किताब में बताया गया है कि नेहरू जी से चर्चा की उस गधे ने बजट पर, बड़े मूल्यवान सुझाव दिये। तो गधा इतना फालतू नहीं है कि उस पर टैक्स ही लगे। मैं मेरी बात इससे शुरू करूंगा कि सभी माननीय सदस्यों की भावना है कि कम से से कम गधे पर तो टैक्स नहीं लगाया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट हमारे वित्तीय अनुशासन की प्रतिष्ठापना और हमारे जनजीवन के सपनों के विकास को गतिशीलता देने का एक माध्यम ही नहीं सम्बल भी है। लेकिन बजट बनाया जब जाता है, वह कार्य जोखिम भरा है। वित्त मंत्री जोखिम में बजट बनाता है क्योंकि वित्त मंत्रीजी जनता की जेब टटोलते हैं। जो क्षमतावान लोग हैं उनकी जेब से पैसा निकालते हैं और जरूरतमन्दों को देते हैं। लेकिन विडम्बना यह है कि जिनकी पाकेट से पैसा निकाला जाता है वह यह समझते हैं कि पैसा कुछ ज्यादा निकाल लिया है और जिन्हें दिया जाता है वह यह समझते हैं कि हमें बहुत कम दिया है। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें यह देखना होगा कि बजट समग्र रूप में कौनसी दिशा देने वाला है। मैंने सभी चर्चाएं सुनी हैं तीन दिन से। मैं यह मानता हूं कि यह बजट जो प्रस्तुत किया गया है माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा, वह ग्रामोन्मुखी बजट है। बजट के प्रावधान, बहुत-सी योजनायें, जो जनता को प्रभावित करेंगी, उन्हें सुविधा देंगी, उसमें हैं। लेकिन कुछ बातों पर हमारे पक्ष में बड़े मतभेद उभरे हैं। कुछ दबी जुबान से उभरे हैं और कुछ ने बड़ा दहाड़ कर भी कहा है सदन में।

तो वह एक भ्रम हुआ है, हमारी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल की मिली-जुली सरकार है और दोनों पार्टियों का दायित्व है कि जो बजट का निर्माण हुआ है उसको टोटलिटी में देखें। हमारे जनता दल के वरिष्ठ नेता ने कहा कि इसमें राजनीति का दिशा बोध नहीं है। राजनीतिक दिशा बोध का उनका आशय यह था कि चुनाव से पहले हमने कुछ

(श्री बाबूलाल खाण्डा)

वायदे किये थे जिनमें कर्जा माफी, वृद्धावस्था पेन्शन है, बेरोजगारों को भत्ता देना है। मैं यह कहना चाहूंगा कि चुनाव से पहले जो जनता दल के चुनाव घोषणा-पत्र में दर्ज हुए, भारतीय जनता पार्टी ने भी इन्हें अपनाया।

इन चुनाव मुद्दों की जन्मस्थली, हरियाणा है। उससे पहले इनकी चर्चा नहीं होती थी। हरियाणा में सफल प्रयोग हुआ जनता का मानस जीता गया तो वह जनता दल में आये और उन मुद्दों पर चुनाव लड़े गये। केन्द्र में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार है, जो यह आरोप लगाया जाता है कि कर्ज-माफी के लिये जो 170 करोड़ का प्रावधान किया है वह कम है और उसमें किन्तु-परन्तु रखा गया है। जनता दल के माननीय विधायक ने कहा कि हमारा गांव में जाना मुश्किल हो जायेगा और हमें मंत्री पद छोड़कर आ जाना चाहिये। यह कुछ मुझे ज्यादा लगता है। आप देखिये हमारे केन्द्रीय सरकार के बजट में भी किन्तु-परन्तु है, हमारे वित्त मंत्रीजी ने भी वैसा का वैसा रख दिया है दिल्ली में जो बड़े मियां ने जैसे किया है छोटे मियां वैसा ही करेंगे, मैं सुभान-अल्ला नहीं बनना चाहता हूं अब अगर वह चाहते तो बन सकते थे। लेकिन यह प्रोविजन है इसलिये हमें भ्रान्ति नहीं फैलानी चाहिये कि कर्जा माफी उसमें नहीं है, और बहुत सारे प्रोविजन हैं जो गांव के विकास के लिये जुड़े हुये हैं।

एक मुद्दा जिस पर ज्यादा चर्चा हुई है वह है भ्रष्टाचार उन्मूलन का है। मैं यह मानता हूं कि भ्रष्टाचार केवल पैसे की हेरा-फेरा ही नहीं है भ्रष्टाचार में वह हरकतें भी आती हैं जो जन-विरोधी हरकतें हैं। मैं मेरे जिले की बात बताऊं, मेरे जिले का जो प्रशासन है वह निश्चित तौर से जन-विरोधी निर्णय लेता है जनता की तरफ कोई दृष्टि देता नहीं है। मेरे क्षेत्र में पानी का अभाव है। मैंने जिलाधीश का ध्यान आकर्षित कर कहा कि आप मेरे जिले में जाइये, मेरे क्षेत्र में जाइये और पता लगाइये कि वहां पर पानी की किस तरह की समस्या है।

अधिशासी अभियन्ता, जलदाय को कितनी बार मैंने कहा कि आप मेरे एरिया में नहीं आते हैं, पानी कुओं का सूखा हुआ है पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। मेरे यहां के के 4 मिनिस्टर्स हैं, इसमें 3 जनता दल के हैं, एक जनता दल के नहीं हैं वह वैसे ही मिनिस्टर बने हुए हैं। हमारे दो कैबिनेट मिनिस्टर जनता दल के हैं इसमें बी.जे.पी. को कोई दोष नहीं दिया जा सकता है कि बी. जे. पी. के मंत्री हैं, उन्हें भी मालूम है कि सूरजगढ़ कैसा क्षेत्र है, रिजर्व कान्स्टीट्यूएन्सी है पिछले 40 सालों से उनके साथ सौतेला व्यवहार हुआ है।

खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट की वजह से वहां के कुओं का पानी खारा हो गया है। इस तरह की नदी बहती है, पानी का ट्रीटमेण्ट नहीं होता है, एसिड मिली हुई होती है, सभी कुओं का पानी खराब हो गया है। मेरे खुद के गांव का कुआ और मेरा कुआं खराब हो गया जिससे मैं पानी नहीं निकाल सकता हूं, भयंकर पानी का अभाव है

(श्री बाबूलाल खांडा)

मेरे क्षेत्र के 107 गांवों की लिस्ट बना कर तुरन्त इन पर कार्यवाही की जाय और जल मुहैया करवाया जाय लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो मैं भूख-हड़ताल पर बैठ गया। 22 से 30 मई, 1990 तक भूख-हड़ताल पर रहा 9 दिन तक। आप देखिये धरने से यहां कुछ नहीं होता है, जनता दल को यह कह देना चाहिए वह कर देना चाहिए। कोई जनता दल का मेरे पास नहीं आया कि आपके पास का इलाका प्यासा मर रहा हैं।

उसके बावजूद भी मैंने 51 भयंकर अभाव के गांवों की सूचना दी है। एक सूची मेरे एक अन्य प्रश्न में लगायी नहीं सरकार ने माना है कि 48 गांवों में भयंकर पानी का अभाव है लेकिन हमारे जिलाधीश हैं उन्होंने कहा है कि यह खान्डा बड़ा बबाल है यह क्या करेगा, इसको असप्त सिद्ध कर दिया जाय। एस-डी.एम. को बुलवाता है सरपंच को बुलवाता है और यह लिखवाता है कि इस क्षेत्र में पानी की कोई कमी ही नहीं है, वहां दो नदियां बहती हैं। इस प्रकार के अधिकारी हैं। जिलाधीश आज भी बैठा है, खेतड़ी का एस. डी, एम. आज भी बैठा है और हमारें जनता दल के जो मंत्रिगण हैं उनका उन्हें समर्थन प्राप्त है। देखिये हम कहां जाएं। मेरे क्षेत्र में पानी की व्यवस्था नहीं है तब तक मैं मेरे एरिया में कैसे जाऊंगा? मेरे यहां कर्ज माफी का महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं, पानी का मुद्दा है। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि ..

**श्री रामस्वरूप मीणा** : माननीय सदस्य आप बात नहीं सुनते हैं तो आप इधर पधारे

**श्री बाबूलाल खाण्डा** : आप देखिए, मेरी बात सुनिये। ज्यादा खुश मत होइये।

यह देखिये जो पूर्व विधायक थे, जिन को मैंने हराया था वह श्रीमान् जो कहते हैं मैं ऊर्जा मंत्री रहा हूं, मैं सूरजगढ़ में कोई काम नहीं होने दूंगा फिर देखता हूं कि खाण्डा को 56 हजार वोट आगे कैसे मिल जाते हैं। जब हमारे यहां इतनी दयनीय स्थिति है तो मैं सदन में कैसे नहीं कह सकता। कर्जे की बात उठाइये, मैं कहता हूं कि पानी की व्यवस्था मेरे एरिया में होनी चाहिए। मेरे एरिया में बहुत-सी चीजें हैं जिनका अभाव है। 40 सालों से मेरे क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार से पिछड़ा रखा हुआ है। मेरे यहां 45 पंचायतें हैं जिनमें से केवल 10 पंचायतें ही सड़क से जुड़ी हुई हैं बाकी नहीं जुड़ी हुई हैं।

इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है और हमारे जिले की राजनीति यह चाहती है कि यह एरिया पिछड़ा हुआ ही रहे। दूसरा मेरे क्षेत्र की सीमा है वह आधी सीमा हरियाणा से लगी हुई है। मेरे क्षेत्र के गांव के लोग हरियाणा से ऊंटगाड़ी से पानी भरकर लाते हैं। एक भावटडी गांव हैं उसका कनेक्शन हरियाणा से है। मेरे क्षेत्र के लोग यह कहते हैं कि अच्छा हो हमें हरियाणा में शामिल कर दिया जाय। उस सीमा के बाद में सड़क है, हरी-भरी खेती है बिजली बहुत मिलती है और मेरे क्षेत्र वालों को पानी के लिए, बिजली के लिए,

(श्री बाबूलाल खाण्डा)

सड़क के लिए तरसना पड़ता है तो हमारी दोहरी मार है, हमें ईर्ष्या होती है, खून जलता है कि उधर हरियाणा में सब कुछ मिलता है और यहां हमें कुछ भी नहीं मिलता है और ऊपर से देखिये यह राजनीति कि झुन्झुनू जिले के एक नेता ने यह आवाज नहीं उठाई कि खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट में जो पानी काम में आता है उस का ट्रीटमेण्ट किया जाय, उसमें एसिड मिला हुआ नदी में क्यों छोड़ा जाता है। यह समझते हैं कि रिजर्व कान्स्टीट्यूएन्सी है, राम भरोसे ही कैसे हो जाने दिता जाय। मेरे क्षेत्र की पीड़ा आप सब को सुननी चाहिये और इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिये। क्योंकि मैंने पानी के लिए संघर्ष किया और सारी जनता समझती है ..

**श्री अध्यक्ष** : आप बैठें। हो गया आपका टाइम।

**श्री बाबूलाल खाण्डा** : एक मिनट साहब।

मैं कहना चाहूंगा कि जो जनहित विरोधी अधिकारी हैं वे भी भ्रष्टाचारी की ही श्रेणी में आते हैं। मेरे एरिया में सारे बैठे हुए हैं, थानेदार बैठा हुआ है जो मेरे लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवा रहा है। एस.डी.एम. बैठा है जो मेरे विरुद्ध रिपोर्ट लिखवाता है, सरपंचों से कि पानी की कोई कमी नहीं है जबकि सरकार ने माना है कि 45 गांवों में भयंकर अभाव है। वह जिलाधीश बैठा है अधिशासी अभियन्ता, जलदाय वाला जो थर्ट गांव है जिसमें खारा पानी है उसमें बोतल के भाव से मीठा पानी आता है. 4 महीने से मोटर कुएं में पड़ी हुई है और मेरी भूख हड़ताल के यहांतक बाद में, आश्वासन मिलने के बाद में भी आज तक उसको रेस्टोर नहीं की है और थर्ठ गांव को खारा पानी पीने के लिये दिया हुआ है।

**श्री अध्यक्ष** : हो गया माननीय सदस्य। श्री महावीर प्रसाद जैन।

**श्री बाबूलाल खाण्डा** : अध्यक्ष जी, मेरी यह भावना है कि कम से कम, सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि कम से कम मेरे क्षेत्र की समस्या के समाधान के लिये आप सभी का सहयोग मिलना चाहिये और और मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा कि झुन्झुनू जिले को पानी का बजट मिले वह मुझे बताया जाय और मेरे क्षेत्र के लिये कितना बजट हुआ ? यह नहीं हो कि झुन्झुनू जिले में सारा पैसा खर्च हो जाय और मेरे क्षेत्र के लिये कुछ नहीं हो। मेरे क्षेत्र के पल्ले नहीं पड़े।

इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे समय दिया और सब ने पूरी बातें ध्यान से सुनी उसके लिये बहुत आभारी हूं। धन्यवाद

**श्री अध्यक्ष** : श्री महावीर प्रसादजी जैन,

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (टोंक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्रीजी ने जो वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 1990-91 का परिवर्तित बजट सदन के सम्मुख पेश किया है, इतनी

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

एक्सरसाइज और इतनी सूक्ष्म दृष्टि से जो मुख्य मंत्रीजी ने शुरू में यह कहा था कि मैं यहां इस राज्य का मालिक नहीं हूं, मैं मैं इस राज्य के ट्रष्टिी के रूप में बैठा हूं और जनता-जनार्दन और इस गरीब को गणेश जानकर चलता हूं, उस दृष्टिकोण की वास्तव में मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस प्रकार से बजट में इतने प्रावधान और छूट देने के बाद भी राजस्व की आय बढ़ेगी और हमारे प्रदेश का विकास होगा और जो गांव और गरीब का जो दर्द है वह दर्द इस बजट में आ सकेगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि एक विधायक के नाते से हम इस बजट को पूरा पढने में अपना समय नहीं दे सकें है। सुबह से शाम तक जिस प्रकार की जन आकांक्षायें इस सरकार के प्रति है और मिलने वालों की भीड़ लगी रहती है उसके कारण से मैं यह समझता था कि यह बजट तो शायद इस प्रकार का होगा जिसमें कांग्रेस वाले कुछ बोल सकेंगे। हमारे विपक्ष में बैठने वाले लोग काफी धुरंधर हैं और कांग्रेस पार्टी के जो लोग सामने बैठे हैं जिनको बजट का भी काफी अनुभव है वह इसकी आलोचना कर पायेंगे लेकिन मैंने देखा कि हमारे वित्त मंत्री जो कई बार वित्त मंत्री रहे हैं चन्दनमल जी बैद यहां पर बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मिडिल स्कूल का कोई छात्र डिबेट में भाग ले रहा हो और वह गिना रहा हो कि जीरे का मार्च में क्या भाव था, जून में क्या भाव था। मंहगाई की तुलना मार्च और जून में कर रहे थे।

मैं तो ऐसा समझता था कि शायद यहां बैठकर उन वित्त मंत्री जी से हम कुछ सीख सकेंगे। हमारे कल्ला साहब भी काफी अनुभवी और पढ़े लिखे हैं। आपको ज्ञान भी काफी प्राप्त है मैं ऐसा मानता था, मंत्री के रूप में भी रहे हैं। लेकिन इस बजट को पढ़ने के बाद कोई भी माननीय सदस्य इस प्रकार के सुझाव या इस प्रकार की इसकी आलोचना नहीं कर सके। बार-बार केवल एक बात कही है कि मुख्य मंत्री जी ने एक ध्यान यह रखा है कि कहीं आपको बोलने की गुंजाइश रखी जाये। मैं ऐसा मानता हूं कि जो रेवेन्यू टैक्स के रूप में कुछ प्रावधान बढाये गये हैं या इस प्रकार की रेवेन्यू जिसमें आप गधे की और जानवरों की चर्चा करते हैं उसमें, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी आय प्रदेश को नहीं होने वाली है। यह चप्पल, जूतों की हम बात करते हैं। मैं नहीं समझता कि यह प्रावधान यहां रहेंगे लेकिन अगर यह प्रावधान नहीं करते तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप क्या बोलते? बोलने के लिये इस बजट भाषण के बाद आपके पास किसी प्रकार का जवाब, किसी प्रकार की बोलने की उन्होंने गुंजाइश नहीं रखी। इस प्रकार जो है एक्सरसाइज की। लगभग 41 चीजों पर इन्होंने टैक्स की छूट दी। या तो टैक्स समाप्त कर दिये या टैक्स कम कर दिये और उसके बाद भी टैक्स की आय बढ़ेगी। यह कितना दोहरा काम है। एक तो सदन में इस प्रकार का माहौल सा बन गया है कि यदि टैक्स बढ़ाये जायें तो बड़ा प्रगतिशील बजट होता है, यदि टैक्स घटता है तो वह व्यापारी को लाभ देने वाला होता है।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि यह टैक्स किस पर लगता है ? क्या व्यापारी कभी टैक्स अपनी जेब से देता है। जितना टैक्स आप बढ़ाओगे उतना व्यापारी टैक्स की चोरी भी बढ़ायेगा और टैक्स वसूल करने में मनमानी भी करेगा। मैं तो यह कहता हूं कि व्यापारी, टैक्स कलेक्शन जिस प्रकार हमारी मशीनरी है, जो सरकार से तनख्वाह लेकर टैक्स वसूली का और नियंत्रण का काम करती है, बिना किसी प्रकार का पारिश्रमिक लिये आपकी सरकार का सारा का सारा बजट जिस पर आधारित है वह टैक्स वसूल करके सरकार के खजाने को भर रहा है। उस व्यापारी के बारे में केवल यह चर्चा की जाये और वह भी केवल इसलिये कि टैक्स जो है घटाया गया और यह प्रतिक्रिया देदी, कांग्रेस के हमारे माननीय सदस्यों ने कि यह तो व्यापारियों को हित देने वाला बजट है। मैं नहीं समझता कि यह जो प्रावधान किये गये हैं उसके कारण टैक्स की ढोतरी होगी।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, एक मिनिट।

**सदन की कार्यवाही**

**विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि**

**श्री ओम प्रकाश गुप्ता** (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टे और बढ़ा दिया जाये।

**श्री अध्यक्ष** : क्या सदन की सहमति है कि सदन का समय एक घण्टे बढ़ाया जाये ?

**(स्वीकृत)**

सदन का समय एक घण्टे के लिये बढ़ाया गया।

**परिवर्तित आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद**

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि मैंने इस बजट को पढ़ने की कोशिश की, मैं भी यह चाहता था कि जहां यह कमियां रही हैं, जहां पर कई अच्छे सुझाव दिये जा सकते हैं और देने चाहियें। मैं यह सुनने के लिये लगातार तीन दिन से वहां पर बैठ रहा हूं कि कौन से अच्छे, सुझाव आ सकते हैं। कुछ सुझाव मैं भी देना चाहता था लेकिन मुझे यह लगता है कि केवल इस बजट की आलोचना की जाये इस दृष्टि से या तो गधे की चर्चा की गई या कुछ भांवों के बारे में चर्चा की गई। लेकिन न तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये, न बजट की आलोचना के महत्वपूर्ण मुद्दों को छुआ गया। मैं तो आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं कि यह सरकार वास्तव में संवेदनशील सरकार है और केवल ट्रस्टी के रूप में काम कर रही है। न किसी के दबाव में न किसी के प्रभाव में आकर कोई निर्णय लिया जा सकेगा।

**एक माननीय सदस्य** : गधे की चर्चा से नाराजगी हो रही है क्या ?

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : क्या बोल रहे हैं ?

**श्री अध्यक्ष** : वह पूछ रहे हैं कि गधे की चर्चा से नाराजगी हो रही है क्या आपको।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : नहीं आपसे कोई नाराजगी नहीं है। मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसको देखिये। सैल्स टैक्स जहां पर हमको 525 करोड़ रुपये 1989-90 में जो हमारी आय होती थी 670 करोड़ रुपये की आय होगी। जहां पर हमको नोन टैक्स रेवेन्यू में 1989-90 में 981.16 करोड़ रुपये की आय होती थी अब 1383.25 करोड़ रुपये की इनकम होगी यानि उसमें 95 करोड़ रुपये के टैक्स ज्यादा वसूल किये जायेंगे और 402 करोड़ रुपये नोन-टैक्स रेवेन्यू के रूप में बढ़ेगी। आप और हम सब जानते हैं कि यदि नोन टैक्स रेवेन्यू बढ़ती है तो उसमें निश्चित रूप से विकास बढ़ता है। जहां तक खर्चे की कटौति का सवाल आया है वहां पर तीस करोड़ रुपये हमारी सरकार ने कटौति करने करने के बाद 30 करोड़ रुपये की की बचत जो है इसी बार कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश का विकास क्यों नहीं हुआ। हजारों करोड़ रुपये, हजारों क्या लाखों करोड़ रुपये पिछली सात पंचवर्षीय योजनाओं में खर्च किये गये। एक हजार करोड़ रुपये तो केवल पानी की योजनाओं पर खर्च किये गये और हमने यह घोषणा की कि हमने सारे गांवों को लाभान्वित कर दिया। लेकिन अभी जब थोड़ा सा अकाल पड़ा, थोड़ी सी पानी की समस्या खड़ी हो गई तो रायस्थान में त्राहि-त्राहि मच गई। मैं पूछना चाहता हूं हमारे सामने बैठने वाले माननीय सदस्य से कि एक हजार करोड़ रुपये खर्च करके आपने प्रदेश में क्या उपलब्धियां हासिल की। मैं इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने अपनी सूझ-बूझ के कारण, अपनी एफीशियसी के कारण रात और दिन जाकर प्रदेश के एक गांव में भी इस प्रकार की नौबत नहीं आने दी कि पानी के अभाव में कोई तड़पता रहे। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : अभी तक आपने किया ही क्या है ?

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

**श्री परसादीलाल मीणा** : ....एक माननीय सदस्य ने लगातार दो दिन तक अनशन किया।

**एक माननीय सदस्य** : मेरे यहां राम प्रसाद बैरवा नाम का आदमी पानी से तरस-तरस कर मरा है। (व्यवधान)

**श्री जगतसिंह दायमा** : पीने के पानी के बारे में आपको मेरे विधान सभा क्षेत्र में कम से कम 25-30 गांव ऐसे बता सकता हूं....

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य कृपया बैठें। (व्यवधान)

इसमें उत्तेजित होने की क्या बात है। अभी डिबेट चल रही है। कृपया बैठिये।

**श्री जगतसिंह दायमा** : पीने के पानी की समस्या नहीं सुलझी है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : दायमा जी, बैठिये आप प्लीज सिट डाउन।

**श्री जगतसिंह दायमा** : मैं तो इस बात के लिये कह रहा हूं कि समस्या अभी सुलझी नहीं है तो उसको सुलझाइये।

**श्री अध्यक्ष** : प्लीज दायमा जी, बैठिये

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, पण्डित राम प्रसाद जी ने एक कहावत कही वह मुझे याद आ गई कि जब हमारे माननीय सदस्य सामने से बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि + + +। मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि हमने तीन महिने में त्वरित गति से या कन्टीन्जेंसी प्लान बनाकर तीन महिने में सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता।

( 4.59 म० प० )

(श्री बुलाकीदास कल्ला, सभापति, पदासीन)

एक हजार करोड़ रुपये खर्च करके आप जिस समस्या का समाजधन नहीं कर सके, आप क्या समझते हैं, कि हम 25 करोड़ रुपये या पच्चास करोड़ रुपये खर्च करके पानी की समस्या सुलझा सकते थे। लेकिन मैं यह मानता हूं कि पानी की समस्या आज भी है। इस बात की व्यवस्था की गई। त्वरित योजना बनाकर के सारी मशीनरी को गियर-अप किया गया। सारे अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। आप यह जानते होंगे कि सारे अधिकारी आपके इलाके में घूम-घूमकर यह देख रहे थे कि कौनसा हैण्ड पम्प खराब पड़ा है। लोगों को कम से कम पीने का पानी मिल जाये। आपको नहाने धोने का पानी मिले, आपको पर्याप्त पानी मिले शायद इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हुई होगी लेकिन इस भयंकर अकाल में जब पानी सारा नीचे चला गया, जब सतही जल, ऊपर पानी था नहीं, नीचे पानी था नहीं उसके बावजूद भी जिस गति से मैं समता हूं कि आप निश्चित रूप से अपने फर्ज को अदा नहीं कर रहे हैं।

दूसरी बात, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह चर्चा की गई कि स्कूलों और औषधालयों का किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं रखा क्या। मैं पूछना चाहता हूं हमारे सामने बैठने वाले माननीय सदस्यों को कि पिछले साल जो घोषणाएं की, गई जो स्कूल खोले गये, जो अस्पतालों की और डिस्पेन्सरीज की घोषणा की गई मैं पूछना चाहता हूं कि बजट प्रावधान आपने रखा था पिछली बार कितने सब सेन्टर खोले गये, कितने अस्पताल खोले, कितने पी. एच सी. के खोले औषधालयों की, + + + घोषणायें करते चले गये। कहीं पर स्कूल, कहीं पर औषधालय कि जो मिलेगा केवल राजनैतिक

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

आधार पर कि आप वोट देओ, मैं आपको स्कूल दूंगा, केवल राजनैतिक आधार पर कि आप वोट देओ, हमको जिताओ हम आपके यहां स्कूल खोलने, औषधालय खोलेंगे यह घोषणायें करते चले गये। मैं पूछना चाहता हूं ....

**श्री रामस्वरूप मीणा** : आपकी समझ की बात है तो आप पढ़कर सुना देओ।

**श्री परसादी लाल मीणा** : थोथी घोषणायें तो आपने कर दी, आपने किसानों से वायदा किया कि कर्जा माफ करेंगे, कर दिया क्या ? आपने। किन्तु परन्तु, अगर मगर कुछ नहीं है। आपका गांव में जाना मुश्किल हो जायेगा। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप मीणा** : माननीय सभापति महोदय, कोई कर्जा माफ नहीं किया भ्रष्टाचार बढ़ाया है। भ्रष्टाचार की रेट बढ़ गयी आपके राज्य में।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य बिराजें।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : मैं माननीय सदस्यों को चुनोति देता हूं कि मैं उनके साथ गांव में जाने के लिए तैयार हूं। यदि कोई किसान, यदि कोई गांव के लोग यदि नाराज हो कर हमको गालियां दे तो मैं आपको विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि हम सदन छोड़ कर चले जायेंगे नहीं तो आप तैयार रहिये। मैं गांव-गांव में जाकर आया हूं ....

**श्री रामस्वरूप मीणा** : सारे सदस्य बतला रहे हैं, हम सब लोग गांव से आये हैं। गांव में जा कर देखो आप ..

**श्री परसादी लाल मीणा** : आप चलें मेरे साथ। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप मीणा** : आप पैट्रोल पम्पों को देखिये, पैट्रोल पम्पों की क्या हालत हो रही है ? (व्यवधान)

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य व्यवधान न करें।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : ग्रामीण जनता को आपने जो पीड़ा पहुँचाई है वह दुखी है। आपने जो सहकारी समितियों के कर्जे, जिस तरह से सहकारी समितियों का महत्व खतम कर दिया और गांव के लोगों को मुर्गा बनाया है और भयंकर सर्दी में जिस तरह से उनके ऊपर पानी डाल डाल कर आपने वह किया है, आज गांव की जनता जानती है। मैं कहता हूं कि यदि आप गांव में चले गये तो आपकी क्या दशा होगी। मेरा दावा है कि सही सलामत यदि गांवों में से निकल कर आ गये तो ...

**श्री परसादी लाल मीणा** : कोई किसान आपको एक भी पैसा देने वाला नहीं है चाहे आप माफ करें या न करें। आपके अधिकारी गांव में जा नहीं सकते आपको एक भी पैसा नही मिलेगा। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य आसन को सम्बोधित करते हुए बोलें।

**एक माननीय सदस्य** : महावीर जी,

(एक माननीय सदस्य)

आप गांवों की हालत जाकर देखो। बीज नहीं है आपके राज में तबाही मची हुई है।

**श्री सभापती** : प्लीज आर्डर।

(व्यवधान)

**श्री परसादी लाल मीणा** : अगर 10 हजार से ऊपर कर्जा माफ नहीं किया तो एक भी किसान आपको पैसा नहीं देगा। कुछ नहीं मिलेगा आपको, आपके अधिकारियों को धक्का मिलेगा। रिकवरी होगी नहीं भला इसी में हैं कि कर्जा माफ कर दें आप।

**श्री रामस्वरुप मीणा** : पहले भी सरकार डीजल पैट्रोल ले गयी थी। डीजल पैट्रोल की हालत देखो क्या हो रही है?

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य आप बोलिये। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : आप जागरूक विधायक हैं तो आप ईमानदारी से सही बातें कहिये। अपनी आत्मा को आवाज से बोलिये आप।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** ; सभापति महोदय, कड़वी बात बहुत बुरी लगती है। यह अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं; हमारी प्रक्रिया और नियमों में भी प्रावधान है कि, जो पिछला काम किया है आप माननीय सभापति महोदय, वहां से बोल रहे थे और आप पूछ रहे थे जमीन के बारे में। मुझे खेद है और मैं पूछना चाहता हूं कि जो जिम्मेदारी आपकी थी

**श्री राजेन्द्र पारीक** : माननीय सदस्य अगर जमीन की जानकारी चाहते हैं तो दे दीजिये। वह जिम्मेदारी कितनी थी, क्या थी? जानकारी दीजिए आप।

**एक माननीय सदस्य** : जमीन की कोई भी जानकारी नहीं है हमसे पूछिये। आप दे सकते हैं गांवों की जानकारी, जमीन की नहीं दे सकते आप.......(व्यवधान)

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें और बजट के ऊपर बोलें। माननीय सदस्य आप इनको बोलने दीजिए।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रत्येक माननीय सदस्य इस सदन के प्रति जिम्मेदार है। आपने जो प्रयत्न किये हैं, जो आपकी सरकार ने काम किये हैं उसकी जिम्मेदारी से आप इन्कार नही कर सकते। उसका जवाब निश्चित रूप से आपको देना चाहिए। यह प्रोवीजन है, प्रावधान है हमारी प्रक्रिया और नियमों में। यदि आप चाहे तो मैं बता सकता हूं। अभी जो बात आपने की है कई माननीय सदस्य उसका जवाब हमेशा चाहते हैं। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आपके अभाव में या आपके किसी प्रभाव में आकर या आपके इस प्रकार हो हल्ला करने के कारण या इस प्रकार जवाब पूछने के कारण कोई कार्यवाही रुकेगी नहीं चाहे वह आई. ए. एस. अधिकारी हो...

**श्री परसादी लाल मीणा** : कर्जे माफी का काम आपने किया हैं, आपको भुगतना पड़ेगा। आपको माफ करना पड़ेगा नहीं तो एक भी किसान एक भी पैसा नहीं देगा।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य कृपया बीच में व्यवधान नहीं डालें।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य स्वयं जानते है और अपने भाषण में कहा है जितनी उनकी योजनायें हैं उन सारी योजनाओं में सरपंच, प्रधान और प्रमुख 95 प्रतिशत पैसा खा गये। अभी-अभी आप बोल रहे थे आप मुझे बताइये यह कौन थे?

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य एक दूसरे से प्रश्न नहीं पूछें।

**श्री परसादी लाल मीणा** : आप बजट के बारे में बोलिये ना, आप हमारी बात क्यों कहते हैं। (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : आप जानते हैं कि कार्यवाही करने में समय लगता है। आप धीरज रखिये, कार्यवाही होगी।

**श्री परसादी लाल मीणा** : हमको यह बता दिया माननीय सदस्य कि कुआ एक भी इन्च नही बना है। मुख्य मंत्री जी को कह दिया, लिखवा कर दिलवा दिया एक आदमी से कि एक भी इन्च कुआ नहीं बनाया और 22 हजार रुपये वसूल कर लिये। आपको भ्रष्टाचार विभाग तीन माह तक कुछ कार्यवाही नहीं कर सका हैं।

**श्री रामस्वरूप मीणा** : कार्यवाही कब होगी जब आप जाओगे उसके बाद कार्यवाही करोगे क्या?

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य आप बिराजियें। माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वह आसन की ओर मुखातिब होकर बोला करें, अपना वक्तव्य दें। एक-दूसरे से प्रश्न ना करें।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन आपसे कर रहा था कि मुझे पता है कि माननीय सदस्यों का क्या इरादा है? लेकिन कोई मुझे विचलित कर दे मै नहीं समझता। आप कितना भी इन्टरप्शन कर लें लेकिन मैं अपनी बात कहूंगा और जो आपके ऊपर जो बातें लागू है, जो आपने प्रयत्न किये हैं, आप हमारी धारणा यह है कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद भी हमारे प्रदेश का विकास क्यों रुका? मैं जानता हूं जो पूर्व में अध्यक्ष महोदय रह चुके हैं आज क्या व्यवस्था है। राजनैतिक आधार पर सड़कों का निर्माण, आप स्वयं सभापति महोदय सड़क मंत्री रहे हैं। हमने सैकड़ों ऐसी सड़कें स्वीकृत कर दी। इस सड़क पर 14 लाख रुपये, इस सड़क पर 5 लाख रुपये, इस सड़क पर 10 लाख रुपये और इस साल 50 हजार रुपये देंगे और वोट दोगे तो 50 हजार बढ़ा दिए जायेंगे।

यह व्यवस्था हमने समाप्त कर दी और हर तीसरे महीने बजट का और कौन-सी सड़कों में क्या काम हुआ है उसका प्रावधान किया गया है। हर तीसरे

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

महीने उसका आब्जर्वेशन किया जायेगा। निरीक्षण और परीक्षण किया जायगा। घटिया क्वालिटी की, आप जानते हैं, आपको पूरी जानकारी है, सभापति महोदय, कि डामर चोरी की आये दिन घटनायें होती थी लेकिन हमने कोटा में, जयपुर में, जगह-जगह पर डामर चोरी को रोका और उनको पकड़ा, यह किसने किया, इस सरकार ने किया और इतने अल्प समय में किया। आप जानते हैं कि टेण्डरों में कई प्रकार की शर्तें रखकर इस प्रकार का घपला और घोटाला किया जाता था। हमने इस बात की व्यवस्था की है कि वह अव्यवस्थाये रुके और हमने यह व्यवस्था की है कि बिना शर्त के टेण्डर स्वीकार किये जायेंगे। जो शर्तों के आधार पर टेण्डर मांगे गये थे उनको हमने निरस्त कर दिया। यदि किसी ने कहीं पर भ्रष्टाचार किया चाहे वह चीफ इन्जिनियर हो चाहे वह आई. ए. एस. हों, चाहे वह एक्स. ईएन. हो या एस. ई. हों इस प्रकार के सैकड़ों उदाहरण हैं। आप जानते हैं कि जिस प्रकार की राजनीति का वातावरण है कोई भी भाई-भतीजावाद, कोई भी रिश्तेदार किसी को भी ढूंढकर, वह कांग्रेसी है, न भाजपा के लोग हैं न वह जनता दल के लोग हैं, कांग्रेसी का कोई न कोई रिश्तेदार मैं जानता हूं......

**श्री रामनारायण वर्मा** : बूंदी में बिना काम कराये 75 हजार का पेमेण्ट कर दिया।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : मैं जानता हूं कि रामकिशोर जी मीणा हमारे मंत्री हैं और अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे वह उनके साले हैं। अब कोई भी जाकर कह सकता है कि यह तो मेरा साला है। साले-बहनोई भी रहेंगे, रिश्तेदारी भी रहेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, आपकी पार्टी का दस मिनट का समय दिया गया आप बीस मिनट से ज्यादा बोल चुके हैं।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : लेकिन बिना किसी दबाव में आकर, हमने कार्यवाही की है और हमारे मुख्यमंत्री जी हिमालय की तरह खड़े हैं.....

**श्री सभापति** : कृपया समाप्त करें।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : और जिस प्रकार का सदन में वायदा किया है, उसी पर हम कार्यवाही करेंगे।

**श्री सभापति** : कृपया समाप्त करें।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : भ्रष्टाचार को रोकेंगे।

**श्री रामनारायण वर्मा** : माननीय सदस्य हर किसी को जीजा-साला नहीं बताना है, जीजा-साले वाली बातें करते हो आप यहां सदन के अन्दर।

**श्री सभापति** : बीस मिनट हो गये हैं माननीय सदस्य।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

औद्योगिक नीति के बारे में। कांग्रेस सरकार की कभी यह हिम्मत नहीं हुई कि उन्होंने कभी औद्योगिक नीति बनाई हो। मैं पूछना हूं कि या तो 1978 में उद्योग नीति की घोषणा की गई है या 1990 में उद्योग नीति की घोषणा की जा रही है।

**श्री अनंग कुमार जैन** : इन्होंने तो भ्रष्टाचार उद्योग नीति बनाई।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि 80 और 90 के समय में, किसी प्रकार की उद्योग नीति की आपने कोई घोषणा की है? कोई साहस किया, किसी प्रकार लोगों को रोजगार मिले, प्रदेश में औद्योगीकरण हो, किसी प्रकार की चर्चा नहीं की गई। जो सारे प्रावधान हमने 78 में किये थे, सारी छूट और इन्सेन्टिव 78 में दिये थे, जनता पार्टी की सरकार ने,

**श्री सभापति** : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : वह आज समाप्त होने पर आये। आज वापिस जब 90 में हम आ रहे हैं, हम उद्योग नीति की घोषणा कर रहे हैं। नई उद्योग नीति के बारे में कुछ घोषणायें बजट में की हैं और इससे प्रदेश का बढ़ेगा। हमने बहुत सारी छूटें दी हैं, व्यावहारिक छूटें दी है। माननीय सभापति महोदय, आप जानते हैं कि 16 परसेन्ट से 7 परसेन्ट टेक्स करने के बाद भी, चार परसेन्ट से डेढ़ परसेन्ट टेक्स करने के बाद भी, दस परसेन्ट छूट को समाप्त करने के बाद भी यह कौनसा रहस्य है कि हमारी टेक्स रेवेन्यू बढ़ रही है, नोन-टेक्स रेवेन्यू बढ़ रही है। इसका कारण है हमारी इच्छा शक्ति, हमारी ईमानदारी, इससे हम प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं।

अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस विकास में रोड़े के रूप में, आप जानते हैं, आपके यहां इन्दिरा गांधी नहर बन रही है। आप भी जानते हैं कि बीकानेर और कई शहरों में इससे पानी आता है। यहां विकास उस नहर पर निर्भर है। आप जानते हैं कि वह 67 करोड़ रुपये की योजना थी, आज वह बढ़कर हजारों करोड़ रुपये हो गई है। इस पर एक हजार रुपया तो खर्च हो चुका है। आज वह पूरी नहीं हो रही है। 1.87 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की क्षमता हमने कर ली और केवल 15 हजार हैक्टेयर पर हम पानी दे रहे हैं। यह किसका दोष है। मैं पूछना चाहता हूं यह किसने दोष किया है। यह राज के खजाने के ऊपर लाखों और करोड़ों रुपयों का किसने डाला है। यह प्रदेश के विकास को किसने रोका है। जिनकी इसकी जिम्मेदारी दी गई थी, जिनको इसका आब्जर्वेशन करना था। इसको हर प्रकार से देखना था और नीतियों को आगे बढ़ाना था उसको किसने रोका।

मैं जानता हूं कि सड़क के एस. आर. प्रोग्राम के अन्तर्गत जहां सारे राजस्थान

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

का बजट साढ़े तीन करोड़ रुपये का होता है, एक जगह पर वह भी डिपार्टमेंटली नहीं होकर दूसरे डिपार्टमेंट में पैसा ले जाकर लगा दिया, केवल राजनीतिक आधार पर। अब राजनैतिक आधार पर कोई काम नहीं होंगे। सारे सन्तुलन आपने बिगाड़ दिये। एक जगह पर सड़कों और बांधों का निर्माण कर दिया है, दूसरी जगह सड़कों का निर्माण नहीं है। अब इस सन्तुलन को हम बनायेंगे, जहां पर सन्तुलन आपने बिगाड़ा है, जहां पर योजनायें आपके कारण पूरी नहीं हुई है।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य समाप्त करें।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, माननीय सभापति महोदय जो समय पर पूरा हुआ हो। आज आवश्यकता इस बात की है, कि लोगों की कड़ी मेहनत की कमाई, एक-एक पैसा टेक्स के रूप में प्रदेश की जनता से वसूल करते हैं वह सही समय पर पैसा काम में आये, सही योजना में पैसा लगे, उसके लिए हम उत्तरदायी हैं। यदि इस उत्तरदायित्व को टालने की किसी कोशिश की तो वह जनता किसी की भी नहीं है।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य समाप्त करें।

**श्री महावीरप्रसाद जैन** : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे मुख्य मंत्री जी जो के पक्के हैं जो संवेदनशील हैं, जो गरीब को गणेश मानकर चलते हैं, मैं चाहता हूं कि इस प्रदेश के एक-एक नये पैसे का वह हिसाब रखेंगे और अधिकारियों की जवाबदारी फिक्स करेंगे। आज आवश्यकता इस बात की है कि सारे अधिकारियों की जिम्मेदारी फिक्स करके समय पर योजनायें पूरी हो। यदि समय पर योजनायें पूरी होंगी तो मेरा पूरा विश्वास है कि प्रदेश का विकास बढ़ेगा और इसको कोई रोक नहीं सकता। जो आपने प्रदेश को रोका है, अवरुद्ध किया है। इस बजट से आपको लगता है और लगेगा कि इस बजट से प्रदेश का विकास होगा।

**श्री सभापति** : कृपया समाप्त करें।

**श्री महावीरप्रसाद जैन** : या तो 1978 में हमने गांव की चिन्ता की थी या 1990 में गरीब और गांव की चिन्ता की है। केवल भ्रष्टाचार को आपने बढावा दिया है उसको हम समाप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने परिश्रम पूर्वक और इतने सारे दबावों के बावजूद जनआकांक्षाओं के अनुरूप इस बजट को पेश किया है, इसके लिए प्रदेश की जनता और हम सब बहुत-बहुत आभारी हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति** : माननीय श्री अमीन खां।

**श्री अमीन खां (शिव)** : सभापति महोदय, सभी लोग कहते हैं कि किसानों के लिए हम तरस रहे हैं, दिमाग हमारा किसानों के ऊपर ही लगा रहे हैं, हम सारा खर्च जो कर रहे हैं, किसानों के लिए

(श्री अमीन खां)

ही कर रहे हैं और उधर बैठने वाले भी कहते हैं किसानों के लिए कर रहे हैं, इधर बैठने वाले भी कहते हैं कि किसान और ग्रामीणों के हिमायती हैं। सभापति महोदय, मेरा यह मानना है कि किसी भी जगह कमजोर और गरीब तबके को संभालने में जोर लगता है, सजल और ताकतवर लोगों से हर आदमी घबरा कर चलता है, यह मेरा मानना है। सभापति महोदय, वर्तमान सरकार ने यह कहा है कि 60 परसेन्ट बजट ग्रामीण और किसानों के लिए खर्च किया जायेगा। पीने के पानी का मसला जहां सबसे पहले मैं महसूस करता हूं, 80 परसेन्ट आबादी पीने के लिए 42 करोड़ रुपये रखे गये हैं और शहरों की 20 परसेन्ट आबादी के लिए 39 करोड़ रुपये रखे गये हैं। मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं। इसी से अन्दाजा लगा लीजिए कि ग्रामीण लोगों को 40 परसेन्ट मिला है। मेरा ऐसा मानना है कि 80 परसेन्ट आबादी को बहुत कम पैसा मिला है।

दूसरा सवाल रहा, पिछले 5 साल से लेकर दस सालों के लगातार पश्चिमी राजस्थान में दस-दस वर्षों से जो अकालग्रस्त गांव थे उन गांवों में, एक जिले में, 801 गांव थे गई और जून के महीनों के अन्दर पूर्व की सरकारों ने एक लाख से ऊपर लेबर लगाई थी। इस साल जो वर्कचार्ज के मजदूर और स्थाई तौर पर डी. डी. टी के जो वर्क चलते हैं प्लान के उन मजदूरों को जोड़कर बताया गया है कि लेबर यहां आती नहीं है। जिलाधीशों की रिपोर्ट है कि वहां से किसी ने पलायन नहीं किया। मैं मेरे ईमान और सच्चाई के तौर पर कहता हूं कि बाड़मेर के लोग हरियाणा स्टेट में गये हैं, गुजरात स्टेट में गये हैं, महाराष्ट्र स्टेट में गये हैं और राजस्थान के भी मकराना, भरतपुर, अलवर और सीकर, झुन्झुनू के इलाकों में गये हैं। वह लोग नौकरी वाले नहीं हैं, वह लोग व्यापार वाले नहीं हैं, उन लोगों का मात्र पेशा खरीफ की खेती और पशु पालन है। इसलिए बिल्कुल कोई काम नहीं खोला गया और उन गांवों के ऊपर अभी तक जहां किसान की खरीफ की फसल का दिन आया है उस फसल के दिनों में गुजरात से अभी लोग वापिस आ रहे हैं और गांवों में अभी तक ऋण वितरण की व्यवस्था आज तक सहकारी समितियों में करीब-करीब थी। क्योंकि लोग पिछले आश्वासनों के बाद में यह तय करके बैठे हैं कि जो आदमी वोट मांगेगा वह नोट अपने को देगा। अपन पैसे देने वाले नहीं हैं।

दूसरा सवाल रहा कर्ज को माफ करने का। जहां तक, मैं मेरे दिमाग से, गांव और ढाणी के लोगों के सहकारी समितियों के हिसाब से, मैं खुद को-आपरेटिव सोसायटी का अध्यक्ष हूं, उससे यह पता चलता है कि उन लोगों को फायदा है जिन लोगों ने फर्जी कर्जा उठाया, जानबूझकर अपनी ताकत और बलबूते पर अधिकारियों से नेताओं से, चाहे उधर की पार्टी के हों या हमारी पार्टी के जिनका प्रेशर था आज वह ऋण माफ 80 परसेन्ट उन लोगों का हो रहा है गरीब और शरीफ किसान का ऋण माफ यह कतई नहीं हो रहा।

(श्री अमीन खां)

जो सरसब्ज जिले हैं, जिन जिलों में दो फसल होती हैं, जिन जिलों में 60 प्रतिशत लोग सरकारी आफिसर नौकरी और बिजनेस से काम चलाते हैं, उन जिलों के बैंक डिफाल्टर हैं और यहां बाड़मेर एक ऐसा केन्द्रीय सहकारी बैंक है, जो राजस्थान में वसूली हमेशा पहले नम्बर पर रहा है। आज नत्थीसिंह जी आप हिसाब लगाकर देखिये, सबसे कम कर्जा माफी का उन लोगों को लाभ होगा जिन लोगों ने बैंकों को डिफाल्टर नहीं होने दिया। भविष्य में हमें यह शिक्षा मिली है हम लोग हमारे साथियों को और किसानों को यही कहेंगे कि सरकार से फायदा अपने को तभी मिल सकता है, जो पैसा लिया है, वह मत चुकाओ। जो पैसा शराफत से चुकायेंगे, उसको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है।

अगला सवाल, स्कूलों का, अगर मैं यह मानता हूं कि सरकार ने अच्छी शुरूआत की होती और हकीकत में किसी गरीब आदमी को ऊपर ऊपर उठाना है तो एक-सा ही अनुभव है, अपने सभी का पैसा देने का। आज मेरे बच्चे को कोई रहम करके पचास हजार रुपये दे, इससे वह अपना घर ऊपर नहीं उठा सकता, वह फालतू फंड में पैसा खर्च करेगा। असली परिवार गरीब और कमजोर और ग्रामीण तभी ऊपर उठेगा, जब उन लोगों के बच्चों को तालीम की सुविधा और प्राइमरी क्लास से लेकर बी. ए. तक की दें तो ये गरीबों के बच्चे ग्रेज्युएट बन सकेंगे और गरीब लोग कम्पीटीशन के एग्जाम में आकर बैठेंगे और उन गरीबों को एग्जाम का लाभ मिलेगा, नहीं तो आज की अपनी तालीमी व्यवस्था के अन्दर क्या जयपुर, आगरा, भरतपुर और इन शहरों में बड़े-बड़े आई. ए. एस. और आई. पी. एस. आफिसर और एम. एल. ए., एम.पी. और मिनिस्टरों के बच्चों के बराबर एक गांव में और ढाणी में रहने वाले गरीब जिनके पास छाछ और दस भेड़ों के गुजारे से जो घर चलाते हैं, उनका बच्चा इस कम्पीटीशन में बैठ सकता है ? कतई बैठ नहीं सकता है तो अध्यक्ष महोदय, ग्रामीणों की वकालत नहीं कर रहा हूं।

ऐसा एक आदमी जो उसको अपना फर्ज कहता है, ग्रामीणों का हिमायती कहता है, चौधरी कुम्भाराम था। जिसने इन बड़े-बड़े आफिसरों के सुझावों को ठुकराया था और गांव के आदमी का उसने हमेशा सपोर्ट किया था। आज तो हम राजनैतिक मंच से आते हैं किसी न किसी वजह से अपनी पार्टी और लीडरों की खुशामदी करो असत्य आश्वासन दो और आगे-पीछे चलो, राज लेना चाहिये। राज तो हमने भी 40 साल किया, आप आज कर रहे हो। मेरा यह मानना है कि जैसे पेन्शन वृद्धाओं को दी जाती है, वृद्धावस्था पेन्शन। जो पेन्शन आज दी जा रही है, उसका प्रोसीजर एक तमाशा है। आप देखो कि पचास बीघा जमीन जिसके खाते में है, उसका पेन्शन का फार्म नहीं भरेंगे।

मेरा यह सुझाव है, पेन्शन के बारे में। रेगिस्तानी इलाके में पचास बीघा की कोई वेल्यू नहीं है और पचास बीघा जमीन

(श्री अमीन खां)

वाले इलाके में मान लो पांच साल तक कोई बरसात नहीं हुई है। वहां एक घर ऐसा है जिसकी बूढ़ी और बूढ़े, जिसकी कोई औलाद नहीं है और वह 60 साल से ऊपर उम्र वाले क्या खायेंगे ? उनके घर में कोई नौकरी करने वाला नहीं है।

प्रोसीजर यह होना चाहिए कि उस परिवार में कोई सौकरी करने वाला है तो मत दो, उस परिवार में कोई दुकान वाला है तो मत दो, उस परिवार में कोई इंडस्ट्री में मजदूर भी कहीं परमानेन्ट लगा हुआ है तो पेन्शन मत दो। लेकिन कोई मजदूरी करने वाला नहीं है तो पचास बीघे की खातेदारी के ऊपर पेन्शन को मना करने पर उनको कोई खातेदारी की रोटी नहीं मिलती है। जैसे आज डबल क्रोष एरिया है। डबल क्रोष एरिया में पचास बीघा जलीन किसी के पास हो तो और कोई जमींदार अगर किसी भूमिहीन किसान को दे देता है तो उसे चौथे हिस्से का क्विंटल अनाज मिल जायेगा। उससे गरीब गुजारा नहीं कर सकता लेकिन रेगिस्तानी इलाके में कतई उनका गुजारा नहीं चलता है और ऐसे लोगों का प्रोसीजर खुला करना चाहिए। यह संवेदनशील सरकार का फर्ज बनता है कि उनकी इस तरह से एजेन्सी रोडे न अटकाये।

नम्बर सवाल दो, पिछले 80-85 तक मैं इस सदन का सदस्य रहा हूं और उस वक्त के विरोधी पक्ष के नेता महोदय और वर्तमान सरकार के नेता ने बहुत अच्छी बात कही थी। मुझे अभी तक याद है और मुझे फक्र था कि सरकार के नेता इस बात पर अमल करेंगे लेकिन इस बजट में इसका कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा था सीना पर गरीबों की हालत सीमा की सुरक्षा की दृष्टि से देखने के लिए सबसे पहले सरकार का, हुकूमत का फर्ज बनता है कि यह इन्दिरा गांधी कैनाल को बाड़मेर जिले के गडरा रोड़ तक हर सूरत में मिलाई जाये। चाहे ये सरकार की बजट व्यवस्था करे चाहे कैन्द्र सरकार करे। आज सागरमल गोपा ब्रान्च जो इस सीमावर्ती डेजर्ट इलाके में निकलती है उसके लिए बजट भाषण में मैंने पूरा पढ़ा है कोई पैसे की भी दिक्कत नहीं है और वह सीमा सुरक्षा की बात होएी। हकीकत में सभापति महोदय, मैं सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं यूं तो हम जहां से आते हैं तो हम महसूस करते हैं कि यहां दूर बैठने वाले लोग कहते हैं सीमा पर रहने वाले लोग अभी तस्करी करते हैं। उनके पास सोने की कमी नहीं है। चांदी की कमी नहीं है। सभी धनपति हैं।

सभापति महोदय, सारा अश्लील तत्त्व असामाजिक तत्त्व समाज में कोई एक आधा परसेण्ट होता है। लेकिन लाखों हजारों की तदाद में वहां गरीब आदमी ऐसे हैं, सीमा के पास रहने के नाते उनकी जो मुसीबतें हैं ऐसी दूर के रहने वालों पर मुसीबतें नहीं हैं। एक तो वहां पीने का पानी नहीं है। एक वहां नहर का कोई इन्तजाम नहीं है। एक कोई वहां इण्डस्ट्रीज नहीं। वहां कोई बिजली नहीं। वहां कोई अच्छी सड़कें नहीं है और तालीम के लिए गरीब बच्चों के लिए किसी किस्म की सरकार की तरफ

(श्री अमीन खां)

से कोई इन्तजाम नहीं है। सारे हिन्दुस्तान में सबसे शिक्षा के स्तर पर पिछड़ा हुआ राजस्थान माना गया है और राजस्थान में 1981 की जनगणना का आप हिसाब देखो तो सबसे पिछड़ा हुआ जिला बाड़मेर है। उस जिले में अभी तक सबसे ज्यादा अशिक्षित लोग हैं। इसलिए सरकार ग्रामीणों को पिछड़ों को अगर उठाना चाहती है तो मेरा निवेदन है कि बच्चों को चाहे ग्राम अन्त्योदय में कम से कम जो चयनित परिवार मानते हों उनके बच्चों की बी. ए. तक की तामील मुफ्त करनी चाहिए। नत्थी सिंह जी, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि वह अपनी भाषा में मंगन्यार कहते हैं। चाहे अपने राजपूतों ने, मुसलमानों ने जाटों ने गांवों के मंगन्यार को हमेशा कपड़ा भी दिया, रोटी भी खिलाई है। अपने घरों से और पैसे भी दिये हैं।

इन मंगन्यार परिवारों की हालत सबसे गई बीती है जिनको भीख के नाम पर अपने पैसे बांटते हैं वे परिवार ऊंचे नहीं उठ सकते हैं। उसका समाज में सुधार कतई नहीं हो सकता। समाज किसी का भी सुधरा है, उसकी नींव जड़ तामील है। जब तक इन बातों के लिये कोई इन्तजार नहीं करते तो समाज को सुधारने की बात अन्ततः अपने को भाषण देने जैसी होगी। किस ढंग से वोटों के टाइम कौन किस ढंग से जीते वह बातें चतुराई और होशियारी की है। इसी प्रकार एक बात में इसी मंगन्यार समाज के बारे में कहना चाहता हूं माननीय समाज कल्याण मंत्री से मेरासी मुसलमान समाज का एक डेपुटेशन मिला राजस्थान के समाज कल्याण की तरफ से जो सूची मिली है उसमें पिछड़ी जाति में मेरासी शब्द लिखा हुआ है। अब यह कहते हैं कि यह मेरासी मुसलमान है इसलिए इन मेरासी को हम पिछड़ी हुई जाति में नहीं मानते। नत्थीसिंह जी यू. पी. की सरकार ने मेरासी कोम को पिछड़ी जाति में मान लिया और उनको सुविधाएं भी मिल रही हैं। गुजरात की सरकार ने मान लिया है और उनको सुविधाएं दे रहे हैं।

केन्द्रीय सरकार उनको अपने अपने यहां केन्द्र शासित प्रदेशों में सुविधाएं दे रही है लेकिन राजस्थान सरकार एक ऐसी है जो कहती है मेरासी भले ही हो लेकिन आगे अगर मुसलमान धर्म को मानते हैं तो हम इसको पिछड़ा नहीं मानते हैं। यह न्याय की बात नहीं है। अपना देश धर्म निरपेक्ष है। मेरासी अपने को पिछड़ा मानते हैं तो उनको पिछड़ा मानकरके जो उनके बच्चों को पढ़ाई की सुविधाएं मिलनी चाहिए और यह मेरासी जाति क्या है। सदियों हम लोगों ने गुलामी की, इनकी औरतों ने दूसरों के घरों में बैठकर गाने गाये और उनके आदमियों ने घर में बैठकर गाने गाये। मैंने तो इनके परिवार आज तक देखे नहीं। शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स वाले भी मेहनत और मजदूरी और दूसरा धन्धा करते हैं और इनसे बहुत खुशहाल हैं। यह बहुत गुजरे हुये दीखते है यहां पर तो इनको एक पिछड़ी हुई जाति में जब एक सूची राजस्थान सरकार ने निकाली है उसमें कोई लिखा हुआ नहीं है

(श्री अमीन खां)

कि यह धर्म फलाने उस मेरासी में लिखा हुआ है। गुजरात की सरकार बाकायदा उनको फैसेलिटी दे रही है पिछड़ी जाति के नाम पर। यू. पी. की सरकार उनको पिछड़ी जाति मान करके फैसेलिटी दे रही है लेकिन अपनी सरकार के अधिकारी जो हैं इसके बारे में कह रहे हैं कि साहब यह मुसलमान है। यह एक मेरा निवेदन है यह एक गरीब और तबका है इनको सुविधा मिलनी चाहिए और अगर नहीं है तो नहीं मिलना चाहिए। पिछड़ापन और ग्रामीण लोगों को ऊपर उठाने के लिए सबसे बड़ा मेरा सुझाव है कि पीने के पानी की योजनाओं पर अगर शहरों में 39 करोड़ रुपया देते हैं तो गांव में कम से कम जब हम 60 परसेंट खर्च करना चाहते हैं तो 120 करोड़ रुपया देना चाहिए। जबकि 42 करोड़ रुपया ग्रामीण क्षेत्रों के लिये कम है।

पिछली सरकार ने इससे कुछ कम रखा है 30 करोड़ रुपया रखा है तो 12 करोड़ रुपया ज्यादा बढ़ाना आज पाइपों की रेट ज्यादा है, सीमेंट की रेट ज्यादा है पैट्रोल की रेट ज्यादा है, डीजल की रेट ज्यादा है, अधिकारियों के टी. ए. डी. ए. ज्यादा है गाड़ियों की मेन्टीनेंस ज्यादा है तो वह 12 करोड़ रुपया मेरे खयाल में उतने उतने काम में आयेंगे जो पिछली सरकार ने पिछले साल में 30 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा था, उससे ज्यादा बढ़ने वाला काम नहीं दिखता है। डी डी पी के जितने 11 जिले हैं राजस्थान में उनमें डी डी ए पी के तहत पशुओं के लिए विशेष तौर से जिला ग्रामीण अभिकरण की मार्फत ट्यूब वैल का इन्तजाम किया जाता था अब यह जिला ग्रामीण अभिकरण की मार्फत एक ट्यूब वैल भी नहीं खुदेगा, यह मना कर दिया गया है। यह डैजर्टडिस्ट्रिक्ट्स के साथ न्याय नहीं है। ग्रामीणों के साथ यह एक सौतेला व्यवहार है।

अब रहा सवाल सड़कों का, एक फुट भी सड़क नहीं बनी। पिछले कई सालों से 250 की आबादी के अनुसार राज्य सरकार ने नये रेवेन्यू गांव घोषित किये। हमारे इलाके में तो कई जगह ऐसा है कि 20 मील पर दूसरा रेवेन्यू गांव है। वहां 250–300 की जनसंख्या है। उन गांवों की भी विस्तार से योजना बनानी चाहिए पी. एच. ई. डी की और उस योजना के लिए मिनिमम नीड में राज्य सरकार पैसे का इन्तजाम करे और अगर राज्य सरकार के पास इतना फण्ड देना सम्भव नहीं हो भारत सरकार से ए. आर. पी. के तहत इन योजनाओं की तत्काल स्वीकृति लेनी चाहिये।

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

ताकि इन ग्रामीण लोगों को पीने के पानी का अवसर मिले।

अब रहा सवाल मेडिकल का मेडिकल की जितनी भी सुविधायें हैं। यह ईमानदारी की बात है कि जितने भी डाक्टर हैं, मैं यह की वह प्रक्रिया देख रहा हूं, पहले वाले मन्त्रियों के यहां भीड़ लगी हुई थी और अभी के मन्त्रियों के पास वह की वह भीड़ लगी हुई है। पहले तो हम लोगों को

(श्री अमीनखां)

डाक्टर ले जाते थे, अब इन लोगों को ले जाते हैं बाड़मेर में हम रुक जायेंगे, जैसलमेर में हम रुक जायेंगे ... ...

(व्यवधान)

**श्री सभापति** : व्यवधान नहीं।

**श्री अमीन खां** : जोधपुर में हम रुक जायेंगे, फलोदी में हम रुक जायेंगे हमको साहब सीटी में रखो, हमको फलाने कस्बे में रखो। आज गांवों में जितनी भी डिस्पेन्सरीज हैं, पी एच सी हैं उनमें कोई डाक्टर जाना कतई पसन्द नहीं करता है। कहीं पोस्ट सैक्शन नहीं है तो डेपुटेशन पर अपना आर्डर कराकरके शहरों और कस्बों में रहना चाहते हैं। यह गांवों के लोगों के साथ बहुत हरकत है गांव के लोगों के साथ ज्यादती है इसलिए इस सदन की मार्फत सरकार से गुजारिश है कि डाक्टरों के लिये कम से कम एक टाइम के लिए निर्देश हो कि जिस किसी डाक्टर का अपाईटमेंट होगा कम से कम दस साल एक गांव में सेवा देगा उसके बाद उसकी इच्छाओं की पूर्ति की जायेगी। अन्यथा डाक्टर शहरों में रहेंगे, गांवों में आज तक रहे हैं नहीं हैं और इस तरह से गांव के लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आखिर में सभापति महोदय, इतनी बात कह करके मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, न मेरी ज्यादा बोलने की आदत है, इन्दिरा गांधी नहर के बारे में कहना चाहूंगा। अगर मुख्य मन्त्रीजी देश का हित चाहते हैं, सीमावर्ती इलाके का हित चाहते हैं, जब तक केनाल नहीं जाएगी तब तक वहां की सुरक्षा पाइंट से भी मजबूत नहीं है, वहां के लोग खाने पीने की हालत में भी मजबूत नहीं रहेंगे और इस नहर को सागरमल मीणा, मोपा ब्रांच की गडरा रोड तक तत्काल पहुँचाने के लिए किसी भी ढंग से चाहे विदेशों से भी कर्जा लेकर के चाहे रिजर्व बैंक से फर्जी नोट छपवा करके लाई जाये तो कोई गुनाह नहीं है.......(व्यवधान)

नत्थी सिंह जी, इन्दिरा गांधी कैनाल पर जो भूमिहीन स्थानीय लोगों को जमीन अलाटमेंट का मामला है, गरीब के साथ जबरदस्त चोट है क्योंकि उसमें प्रोसीजर रखा है सन् 54 से आज तक वोटर लिस्ट लाओ और सन् 54 की लिस्ट लोगों ने ढुंढवाई है हैड क्वार्टर पर मिलती नहीं है। सन् 54 की वोटर लिस्ट सेक्रट्रेट वाले कहते हैं हमने उसको खारिज करके जला दी, मिलती नहीं। तो सन् 54 वाली बात से जो गरीब आदमी हैं वह महरूम रह जायेंगे और पंजाब के जो मालदार और होशियार लोग हैं इस जमीन को हड़प लेंगे और वहां के गरीब दो तीन सैक्रेट्रियेट और कलेक्ट्रेट के चक्कर लगाकर महरूम रह जायेंगे। इस लिये मेरी आपसे गुजारिश है....(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : 30 हजार लोग वहां पाकिस्तान से आ गये हैं।

**श्री सभापति** : एक माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें।

**श्री अमीन खां** : उसके लिये वह

(श्री अमीन खां) .

आर्मी बैठी है बी. एस. एफ. बैठी है हर तरह की एजेन्सी है 50 हजार आयेंगे तो वह रोकेंगे चाहें पाँच आयेंगे तो उनको वह रोकेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि डाकूमेंट ऐसा लिया जाये जो सरकार के दफ्तर में मिले। जैसे आज कोई कहे कि आप तो मैट्रिक का सर्टीफिकेट लाओ, फलाने स्कूल का तब हम मानेंगे, वह पढ़ा ही नहीं है तो मैट्रिक का सर्टीफिकेट कहां से लायेगा.... (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : + + +

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें।

**श्री अमीन खां** : या तो मैं बैठ जाऊं आप अपनी बात कह दो। दुखी की गत दुखी जानता है। देश का जब विभाजन हुआ सन् 1947 में, उसके बाद में कहो तो मैं स्टाम्प पर लिख देता हूं कि विभाजन के बाद आज तक पाकिस्तान का कोई आदमी इस भारत में आकर नहीं बसा है बल्कि यहां से माईग्रेट होकर गये हैं यह जो लोगों पर इल्जाम दिया जाता है, सिर्फ डराने के लिए है सिर्फ धमकाने के लिये....

**श्रीमदनलाल सैनी** : 65 की लड़ाई के बाद 67 में काफी संख्या में लोग यहां आये। विभाजन के समय पाकिस्तान चले गये थे....

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य आप बिराजें।

**श्रीअमीन खां** : उनके लिये आप सरकार से कहिये। सरकार के पास पूरे डाकूमेंट्स है सरकार में इतनी पोल नहीं होती ...

**श्री महावीर प्रसाद** : पाकिस्तानी सेना के लिए यहां पर खाने का इन्तजाम भी किया गया है उनको खाना दिया गया है, दस-दस साल के बालकों को अलाटमेंट किया गया है और वह आईडेंन्टीफाई हुए हैं। एक पटवारी को मारा गया है उसका मर्डर किया गया है। कहा गया है कि वह भारत का नागरिक नहीं है, पाकिस्तान का नागरिक है। और जब परेड करने के लिए पाकिस्तान बोर्डर पर पाकिस्तान सेना आई तो + + + खाने का इन्तजाम किया है। इसका मतलब उनको प्रोटेक्शन दिया गया है इससे इन्कार नहीं किया जा सकता और रिपोर्ट है ...

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य बिराजें।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : यह हमारी इन्टेलिजेन्स ने आईडेन्टीफाई किया है (व्यवधान)

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है।

**श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** : माननीय सभापति महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

**श्री अमीन खां** : यह सरकार का काम

---

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री अमीन खां)

है कोई भी बात के लिए कार्यवाही कर सकती है।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य बिराजें, पाइंट आफ आर्डर है।

**श्री चुन्नीलाल इंदलिया** : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का सवाल है। सभापति महोदय, कोई माननीय सदस्य भाषण दे रहे हों, और बहुत ही जिम्मेदार पार्टी के माननीय सदस्य कोई यदि आरोप लगायें कि आप भी ऐसे बोल रहे हों, पाकिस्तान बहुत घूमे हो। एक माइनेरिटी का सदस्य बोल रहा है और इस तरह से व्यवधान पैदा किया जा रहा है यह खेदजनक विषय है और आप रोकिये।

**श्री सभापति** : नोखा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पाइंट आफ आर्डर रेज किया है इस सम्बन्ध में मैं पहले ही कह चुका हूं कि माननीय सदस्य किसी दूसरे सदस्य से प्रश्न न करें। और बीच में व्यवधान न डालें।

**श्री चुन्नीलाल इंदलिया** : सभापति महोदय, आपने कहा बहुत अच्छा किया लेकिन इनके मुखियाओं को ट्रेनिंग दें। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : पार्टियों के मुख्य सचेतक देखें। (व्यवधान)

**श्री चुन्नीलाल इंदलिया** : सभापति महोदय, किसी माननीय सदस्य पर ...

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : सभापति महोदय, आन ए पाइंट आफ आर्डर....

**श्री सभापति** : एक साथ दो पाइन्ट आफ आर्डर नहीं उठाये जा सकते ऐसा नियमों में प्रावधान है, दो पाइन्ट आफ आर्डर नहीं हो सकते।

**श्री चुन्नीलाल इंदलिया** : मेरा अभी पूरा नहीं हुआ है।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, इस सदन को आर्डर में चलने दें।

**श्री चुन्नीलाल इंदलिया** : सभापति महोदय, यह बहुत ही खेदजनक बात है और आप उसको कार्यवाही से निकालें। (व्यवधान)

अगर किसी माननीय सदस्य को यह बात कहे कि पाकिस्तान में घूमते हो माईनोरिटी का मेम्बर है, मुसलमान है....

**श्री सभापति** : यह किसने कहा है....

**श्री चुन्नीलाल इंदलिया** : अगर नहीं है तो कार्यवाही उठाकर देखिये।...

**श्री सभापति** : आप बिराजिये, आसन पैरों पर है, बिराजें माननीय सदस्य। माननीय सदस्य आप बिराजें। (व्यवधान)

**श्री चुन्नीलाल इंदलिया** : नहीं अध्यक्ष महोदय, एक बात और है किसी माननीय सदस्य पर यह आरोप लगाना कि बहुत से मुसलमान ..

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है, मैं व्यवस्था दे रहा हूं, माननीय सदस्य बिराजें। नोखा से आने वाले.......

**श्री चुन्नीलाल इंदलिया** : सच्ची बात कहता हूं आपकी तरह से डरकर बात नहीं करता हूं। नेता माथे पर है लेकिन हमारी बात

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य ने जो एतराज उठाए हैं, चूंकि माननीय सदस्य बोल रहे हैं। इसमें सदन से, सदन की कार्यवाही से कोई असंसदीय बात नहीं कही है जो बोल रहे हैं, उसकी सफाई दे दो.... (व्यवधान)

**श्री चुन्नीलाल इंदलिया** : मानसिक सवाल है माननीय सदस्य का....

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य बोल रहे हैं, इसका खुलासा कर देंगे अपने वक्तव्य में।

**श्री चुन्नीलाल इंदलिया** : किसी माननीय सदस्य को यह कहना कि पाकिस्तान से लोग आए, हमने उनको खाना दिया वह अपमानजनक बात है।

**श्री सभापति** : आप बिराजिए, माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

**श्री अमीन खां** : सभापति महोदय, क्या किसी ने कहा, यह मैंने सुना नहीं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे चाहे कुछ भी समझे, लेकिन इस वक्त में राजस्थान विधान सभा का सदस्य हूं अगर ऐसा आपने सोच करके कहा है तो मुझे खेद है। आप अपनी इसमें फक्र समझते हो तो दस बार कहिये, लेकिन मैं यह गुजारिश करना चाहता हूं....(व्यवधान)

मेरा इतना ही कहना था, साहब। मेरा यह नम्र निवेदन है सभापति महोदय ... ....(व्यवधान)

**श्री सभापति** : आप माननीय सदस्य क्यों व्यवधान डाल रहे हैं?

**श्री अमीन खां** : मैं नम्र निवेदन करता हूं, एक बात कहना चाहता हूं, सुन लो, अमल नहीं करो तो आपकी सरकार है, मत करो। मेरा फर्ज इतना ही है। मेरा यह कहना है कि दुःखी की पीड़ा दुःखी ही जानता है। एक काश्तकार आदमी है, जैसलमेर का आदमी है, भेड़ें लेकर घूम रहा है करौली में और जो 12 महीने यहां रहा और उसका पटवारी आज वोटर लिस्ट में नाम देखता है तो नहीं है। मेरा नरथीसिंह जी से यह निवेदन है कि आप रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, गांव के निवासी हैं। मैंने यही बात कही थी कि सन् 54 की लिस्ट के आधार पर वहां के नागरिक तो मानते हैं और किसान नहीं हैं। तो मेरा एक जाति का ही सवाल नहीं है उसमें शिड्यूल कास्ट के लोग भी आते हैं, राजपूत भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, जाट भी आते हैं। मुझे हजारों आदमियों ने कहा कि साहब सन् 54 की लिस्ट कहां मिलेगी? मैंने कहा कि कलक्टर के पास मिलेगी। तो कलक्टर बता रहे हैं कि सन् 54 की लिस्टें हमारे यहां हैं नहीं तो सेक्रेट्रेट में आएं, इलेक्शन डिपार्टमेंट में आएं। इलेक्शन डिपार्टमेंट में डिप्टी सेक्रेट्री से मैं खुद मिला हूं। वे कहते हैं कि 54 की लिस्ट तो हमने नष्ट कर दी। तो मेरा निवेदन यह नहीं है कि मैं कहूं वैसा कर दो।

(श्री अमीन खां)

गवर्नमेंट एक फार्मूला ऐसा तैयार कर दे जिसमें यह तसल्ली हो जाय कि यह भारतीय नागरिक है और यह भूमिहीन हमारे यहां का किसान है, डाकूमेंट्स के लिए 100 तरीके निकल सकते हैं बाकी मैं यह नहीं कहता हूं कि मेरे कहने से या मेरे प्रमाणित करने पर आप यस करते चले जाओ लेकिन सरकार को संवेदनशीलता से यह सोचना पड़ेगा।

आज गरीब कोई दुकानदार या नौकरी वाला थोड़े ही है जिसका अटेंडेंस रजिस्टर है वहां जो आपको साबित करेगा। आज एक आदमी बाड़मेर, जैसलमेर का महाराष्ट्र में मजदूरी करता है तो दो साल मजदूरी करके गया दो साल के पीछे लिस्ट है तो उसका नाम नहीं होगा।

अब आप उसको मान लो कि आप यहां के हो ही नहीं, भूमिहीन ही नहीं हो। तो इस बारे में राशन कार्ड के ऊपर रखा जाय या पुलिस का थानेदार जो एक अच्छा जिम्मेदार पद है, रेवेन्यू में तहसीलदार एक अच्छा जिम्मेदार पद है, ग्राम पंचायत का सरपंच जनप्रतिनिधि में एक अच्छा पद है और पंचायत समिति का प्रधान है। इन लोगों की सारों की तस्दीक की जाय। इसके उपरान्त भी यदि कोई जांच में गलत निकल जाय तो इन लोगों के खिलाफ भी कार्यवाही की जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां के लोगों को यह भ्रम है कि जमीन में पैसा लेने वाले पंजाब के लोग पड़ौस में बहुत ज्यादा जमीन पर हावी होना चाहते हैं और वहां के भोले-भाले लोगों को महरूम रखकर एक मामूली गलती से लाभ नहीं उठा सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मेरा सरकार से इतना ही निवेदन है मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि पीने के पानी का मामला लो, सड़कों का मामला लो, मेडिकल का मामला लो, इन्दिरा गांधी नहर का मामला लो, कर्जा माफी का मामला लो, पेन्शन का मामला लो, कोई गांव के लिए ज्यादा चांदणा किया हुआ हो, यह मुझे तो नहीं दिखता है। बजट वो का वो है 10 करोड़ का घाटा है 10 करोड़ का कर है बजट में कोई ज्यादा अन्तर नहीं दिखता है।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य समाप्त करें।

**श्री अमीन खां** : घोड़ा, ऊंट, गधा, गाय यह एक पशुपालकों का एक फंके का धन्धा इसके ऊपर भी पांच गुना टैक्स किया यह जरूरी नहीं है, धन्यवाद।

**श्री सभापति** : धन्यवाद। माननीय श्री राजेन्द्र गहलोत। (अनुपस्थित)

माननीय श्री हेमराज मीणा।

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान का बजट माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वित्त मंत्री के रूप में प्रस्तुत किया है वह वास्तव में कल्याणकारी बजट है गरीबों का उत्थान करने वाला बजट है गांव का विकास करने वाला बजट है। माननीय मुख्य मंत्री जी गांवों से जुड़े हुए हैं, किसान के लड़के हैं किसान की समस्याओं को समझते हैं। इस

(श्री हेमराज मीणा)

बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ग्रामीण विकास की दृष्टि से यह बजट सदन के अन्दर प्रस्तुत किया है। 60 प्रतिशत से अधिक बजट का हिस्सा गांव की विकास की योजनाओं में उन्होंने खर्च किया है। यह पहला उदाहरण राजस्थान में उन्होंने प्रस्तुत किया है।

गांव के बारे में विचार करने वाली सरकार या तो ढाई साल के समय आई थी जिन्होंने गांव के विकास की योजनाओं में बजट खर्च किया, गांव के विकास के बारे में चिन्तन किया पुनः ये मुख्यमंत्री बने हैं जिन्होंने गांव की ओर दिशा मोड़ी है और गांव की बहुत सूझ-बूझ रखते हुए बजट प्रस्तुत किया है। गांव के विकास की दृष्टि से, किसानों के विकास की दृष्टि से, छोटे किसानों के विकास की दृष्टि से कुओं की बीमा योजना लागू की माननीय विपक्षी सदस्य बार-बार कह रहे थे कि किसानों को कोई फायदा नहीं होने वाला है, छोटे गरीब किसानों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। परन्तु मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि आज कुएं का अगर बीमा होता है वो काश्तकार जो 40-50 हजार रुपये लगाकर कुआ खुदवाता है, जब उसमें पानी नहीं निकलता है तो अपना सिर फोड़ता है, लोन उसके माथे हो जाता है यदि वो कर्जा लेकर खुदवाता है तो कर्जे से दब जाता है। ऐसी हालत किसान की हो जाती है।

आज यदि उस कुएं की बीमा की योजना माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषित की तो एक लाभकारी योजना होगी। उसी के साथ खेतों में नालियां बनाने की योजना पानी वेस्टेज होता है, पक्की नालियां बनाने की योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित की है उसके अन्दर भी अनुदान देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। दूसरा सामुदायिक ट्यूबवैल लगाने वाले किसान हैं उनको अनुदान दिया जाएगा ऐसी घोषणा भी उन्होंने की है। बार-बार माननीय विपक्षी सदस्य कह रहे थे कि किसानों के हित की बात नहीं है। क्या यह किसानों के हित की बात नहीं है? आज दिन तक भी ट्यूबवैल पर कभी अनुदान नहीं दिया गया है। बल्कि मैं तो यह कहना चाहूंगा कि जो प्राइवेट ट्यूबवैल लगाते हैं उन किसानों को भी अनुदान दिया जाना चाहिए और जो ऋण मुहैया नहीं होता है, बैंकों से ऋण मुहैया कराया जाय ताकि आम किसान को और अधिक राहतमिल सके। माननीय सभापति महोदय विपक्षी सदस्यों ने कहा कि पेंशन का केवल ढोंग रचा गया है लेकिन मैं उनको यह बता देना चाहता हूं कि जिस समय ढ़ाई साल जनता सरकार आई थी।

उस समय पहला कदम माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत ने उठाया था कि राजस्थान में पेंशन की योजना लागू की और आज सैकड़ों वृद्ध और महिलाओं को पेंशन मिल रही है। आज उन्हीं योजनाओं को आगे बढ़ाया है और पहले से बजट ज्यादा देकर गरीबों को और वृद्ध वृद्धाओं को लाभ इस बजट में दिया गया है।

माननीय सभापति महोदय, विपक्ष के सदस्यों ने स्कूल नहीं खुलने की बात भी उठाई है, चिकित्सालय नहीं खुलने की बात भी उन्होंने उठाई है लेकिन मैं मेरे विधान

(श्री हेमराज मीणा)

सभा क्षेत्र की बात कहना चाहूंगा । मेरे विधानसभा क्षेत्र में 3 सीनियर हायर सैकेण्डरी स्कूल हैं । उस समय माननीय सभापति महोदय स्वयं शिक्षामंत्री थे । आज वहां पर हालत यह है कि 35 का स्टाफ चाहिए लेकिन 12-13 का स्टाफ है । ऐसी जीर्ण-शीर्ण हालत में विद्यालय चल रहे हैं । तो मैं समझता हूं उसकी जीर्ण-शीर्ण हालत को ठीक करना बहुत आवश्यक है । मैं मेरे किशनगंज विधान सभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं । 60 प्रतिशत विद्यालयों के अभाव में ताले बन्द हैं । यह आपका ही कार्यालय था जिसकी आप स्वयं आलोचना कर रहे हैं । यह जो आलोचना कर रहे हैं इसका दण्ड, सभापति महोदय, माननीय विपक्ष के सदस्यों के ऊपर आकर पड़ता है ।

**एक माननीय सदस्य**: ताले खुलवा दो ।

**श्री हेमराज मीणा** : माननीय सभापति महोदय, शिक्षा की यह हालत है, कहीं अध्यापक है तो कहीं स्कूल नहीं है, तो टाट पट्टी नहीं है । ऐसी दयनीय हालत शिक्षा की बनी हुई है । माननीय शिक्षा मंत्री ने शिक्षा कर को हटाया है । उससे तो शिक्षा का उत्थान होगा ही, शिक्षा में उससे लाभ मिलेगा ही । साथ ही, मैं एक सुझाव देना चाहूंगा जो प्राइवेट शिक्षा है वह प्राइवेट शिक्षा एक तरह का बिजनेस हो गया है । माननीय मुख्य मंत्रीजी, उस प्राइवेट शिक्षा पर भी अंकुश लगायें क्योंकि वह एक तरह का शोषण का तरीका उन्होंने प्रारम्भ कर दिया है । उसी प्रकार की मेरे क्षेत्र में चिकित्सालयों की हालत है । आज चिकित्सालयों की यह हालत है, न तो बिल्डिंग है, न वहां पर स्टाफ है न वहां पर डाक्टर है । यहां तक कि एक-एक ग्राम पंचायत में दो-दो सब सैंटर सरकार ने खोल दिये हैं । आंख मीच कर केवल अपनी चुनावी घोषणा के अन्दर अपना वोट बंटोरने के लिये दो-दो सब सेन्टर खोल दिये लेकिन दोनों में ताले बन्द हैं । ऐसी हालत हमारे क्षेत्र में चिकित्सालयों की बनी हुई ।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, आप बजट भाषण बोलें, जो वर्तमान बजट है उस पर बोलें ।

**एक माननीय सदस्य** : क्षेत्र के बारे में बोल रहे हैं अपनी मांग सरकार को दो ।

**श्री हेमराज मीणा** : माननीय सभापति महोदय, मैं बजट पर ही बोल रहा हूं । क्योंकि आपने चिकित्सालय नहीं खोलने की बात पर आरोप लगाया था इसलिये चाहता हूं न तो नये चिकित्सालय, न नये स्कूल खुलने चाहिये जब तक वह अच्छे मेन्टेन नहीं हो जायं, तब तक उनमें स्टाफ नहीं रहने लगे, जबतक वह स्कूल व्यवस्थित न चलने लग जायं तब तक नये स्कूलों को क्रमोन्नत नहीं किया जाना चाहिये । (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : क्या गांव में स्कूल नहीं खुलने चाहिये ?

**श्री हेमराज मीणा** : आप बोलिये । सभापति महोदय, माननीय विपक्ष के सदस्यों को एक उदाहरण देकर बताना चाहूंगा ....

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, बिराजिये । आपके चीफ व्हिप कुछ कह रहे हैं ।

**सदन की कार्यवाही**

**विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि**

**श्री ओमप्रकाश गुप्ता** (मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे और बढाया जाय।

**श्री सभापति** : क्या सदन की सहमति है ? (स्वीकृत)

**सदन का समय एक घन्टे के लिए बढाया गया**

**परिवर्तित आय व्ययक पर सामान्य वाद विवाद**

**श्री हेमराज मीणा** : सभापति महोदय, नये स्कूल और नये चिकित्सालय नहीं खोलने पर माननीय विपक्ष के सदस्यों ने आपत्ति की है। मेरा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है, एक आदिवासी की क्या हालत है ? बेचारा अनपढ़ है, शिक्षा का अभाव है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर है उसके कारण उसकी क्या हालत है ? हर वर्ष बच्चे पैदा करता है। दस वर्ष में दस बच्चे पैदा कर देता है परन्तु उसको मालूम नहीं है, न बच्चे के चड्ढी है, न उसके चप्पल है, न शरीर पर बंनियान है, वही हालत आज हमारे स्कूल और चिकित्सालयों की हो रही है। माननीय विपक्ष के सदस्यों पर सह सारी जिम्मेदारी जाती है और बार-बार इस मामले को उठा रहे हैं।

( 5:55 सांय )

**श्री रामनारायण विश्नोई, सभापति, पदासीन**

सभापति महोदय, मैं चाहूंगा, इस बजट के अन्दर जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, किसानों के हित के लिये और और ग्रामीणों के हित के लिये की गई हैं। वह एक अविस्मरणीय और लाभकारी योजनाएं हैं, माननीय भैरोंसिह जी शेखावत ने जिस समय चुनाव में घोषणा की थी कर्ज माफी वाली बात, आज सबसे पहले उन्होंने बजट पेश करते हुए दस हजार के कर्जे माफ करने की बात से सम्पूर्ण राजस्थान में एक चोंकाने वाली और खुशी की लहर दौड़ी है। मैं विपक्ष के सदस्यों से एक बात कहना चाहूंगा। ज्यों ही बजट प्रस्तुत हुआ तो मैं एक गांव के अन्दर गया। उस गांव का नाम आप नोट कर लें, उस गांव का नाम है रानी बड़ौत। मैं उस गांव के अन्दर गया जाकर मैंने बजट की चर्चा की। जब बजट की चर्चा तो लोग कहने लगे, ऐसा किसानों का हितकारी और ग्रामों का विकास करने वाला बजट कभी नहीं आया। यह ग्राम वासियों के विचार हैं। जब मैंने बजट की चर्चा की तो 25 आदमी गांवों में घरों से निकले और बजट पेश हुआ था उस दिन का अखबार लाकर मुझे दिखाने लगे, अजी आपने जो घोषणाएं की हैं, हमने उस अखबार को ले रखा है। तो इतनी खुशी और यह हालत पूरे राजस्थान के अन्दर बनी हुई है। माननीय विपक्ष के सदस्य इस बात पर भी आपत्ति कर रहे थे, अब आपको यह मालुम नहीं है कि आप लोगों ने चुनाव के समय थोथी घोषणाएं की है और खजाना बिल्कुल खाली कर चुके हैं उसके कारण से मैं यह सोचता हूं, इस समय जो हमने दस हजार रुपये के कर्जे माफ करने की घोषणा की है वह पर्याप्त है।

(श्री हेमराज मीणा)

मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं। हम पांच साल तक रहेंगे। पांच साल तक जो हमने वायदा किया है, जो हमारा मैनीफेस्टो था भारतीय जनता पार्टी का चुनाव का, हम एक-एक वायदे को पूरा करेंगे। आप चाहते हैं तीन महीने में मैनीफेस्टो के अनुसार सारे वायदे पूरे हो जायें, यह बात कतई सम्भव नहीं है। इसलिये मैं माननीय विपक्षी सदस्यों को यह कहना चाहता हूं, आप बजट से संतुष्ट तो हैं, आप यह जानते हैं कि वह बजट बहुत बढ़िया है, कल्याणकारी है, किसानों का हितकारी है पर चूंकि आपको विरोध करना है, आपको खिलाफत करनी है क्योंकि आज विपक्ष में बैठे हैं इसलिए आप इस बात की चर्चा कर रहे हैं। इस इस कर्ज माफी वाली बात पर एक मेरा छोटा सा सुझाव माननीय मुख्य मंत्री जी को देना चाहूंगा।

मुख्य मंत्री जी जब विपक्ष के नेता थे, तो सुल्तानपुर के अन्दर एक सम्मेलन हुआ था भारतीय जनता पार्टी का उसमें पधारे थे। सुल्तानपुर के अन्दर कैचमेंट के जो कर्ज बकाया हैं, काश्तकारों के सिर पर भारी कर्ज चढ़े हुए हैं, लगातार कुर्सियों के, नोटिस उसके आ रहे हैं, मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि हमारी सरकार बनते ही कैचमेंट के कर्ज भी माफ किये जायेंगे। मैं तो मुख्य मंत्री जी को अपनी विनम्र भाषा में सुझाव देना चाहूंगा कि कैचमेंट के जो कर्ज हैं, कैचमेंट के कर्जों के लिये जो आपने वायदा किया है जनता के सामने, आप इस बात को अपने बजट के अन्दर सम्मिलित करें ताकि कैचमेंट के जो काश्तकार पीड़ित हैं उनको भी लाभ हो सके।

दूसरा, अपने कोटा के जो विधायक हैं, चिकित्सा मंत्री हैं, वह पहले भी चिकित्सा मंत्री रहे हैं, अभी भी चिकित्सा मंत्री हैं। उन्होंने कोटा के अन्दर यह घोषणा की थी कि कोटा के अन्दर मेडिकल कालेज खोला जायगा। आज वह 12 साल पुरानी घोषणा पुनः जीवित हो गई है। दस साल बाद फिर जीवित हुई है। कोटा में घोषणा उसकी हुई है। माननीय मुख्य मंत्री जी को मैं यह कहना चाहूंगा, हाड़ौती के विकास की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण बात है कि आप इस मेडिकल कालेज वाली बात को इस बजट में सम्मिलित करें ताकि कोटा और हाड़ौती का विकास हो सके। माननीय ललित किशोर जी मन्त्रिमण्डल के वरिष्ठ सदस्य हैं और वह यह घोषणा कर चुके हैं।

माननीय सभापति महोदय, हमारा जो बजट है, कल्याणकारी है, गांव का विकास करने वाला है, केवल मात्र विपक्ष के सदस्यों को विरोध करना है वह विरोध के नाम पर विरोध है। माननीय विपक्ष के सदस्यों ने एक बात पर और आपत्ति की है कि चप्पल और रेडीमेड के वस्त्रों पर बीस रुपये पर भी टैक्स लगा दिया। लेकिन मैं, सभापति महोदय, विपक्ष के सदस्यों से यह कहना चाहूंगा कि बीस रुपये और पच्चीस रुपये का फायदा उस गरीब को तो आज दिन तक हुआ नहीं है लेकिन उस

(श्री हेमराज मीणा)

व्यापारी को इतना फायदा हो रहा था वह टैक्स की चोरी कर रहा, आज उस टैक्स की चोरी रुकेगी। उसके कारण से राज्य सरकार को आय होगी जो राज्य की कल्याणकारी योजनाओं में लगेगी। उसके कारण से यह बात आवश्यक थी कि यह टैक्स की चोरी रुके और रुकने के कारण से, राज्य सरकार को आय हो।

माननीय सभापति महोदय, माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत ने जो बजट पेश किया है, कल्याणकारी है, गांवों का विकास करने वाला है। जो कुछ सुझाव मैंने दिये हैं वह सुझाव आप सम्मिलित करवायें, इतना ही मेरा निवेदन है। धन्यवाद। जय भारत।

**श्री सभापति** : माननीय श्री प्रेमसिंह दहिया।

**श्री प्रेमसिंह दहिया** ( भीनमाल ) : माननीय सभापति महोदय, यह 27 जून को मुख्य मंत्री जी ने वित्त मंत्री की हैसियत से जो बजट पेश किया है वह किसान विरोधी है, श्रमिक विरोधी है और गरीब की भावनाओं के अनुरूप नहीं है। इस बजट के अन्दर किसानों की जो समस्याएं हैं उसके अन्तर्गत यह जो रवन्ना शुल्क लगाया गया है यह चार गुणा ज्यादा लगा दिया है। उसके उपरांत भी प्रवेश शुल्क प्रति पशु दो रुपया लगाया गया है। यह पशु मेले जो भरते हैं उस समय कितनी परेशानी से उस पशु मेले को कामयाब बनाया जाता हैं यह पशुपालन मंत्रीजी खुद जानते होंगे। इस पशु मेले को भरने के अन्दर किसानों और पशुपालकों को बहुत मुश्किल से उस मेले के अन्दर लाया जाता है।

अगर यह इस तरह से प्रवेश शुल्क लगा है तो यह पशु मेला कामयाब नहीं होगा और इससे आय कितनी हो रही है, मात्र 60 लाख रुपये की आय के लिए यह पशु प्रवेश शुल्क लगाया गया है मेले के अन्दर। ये पशु मेले पर जो प्रवेश शुल्क लगाया गया है इसको वापस लिया जाना चाहिए। ये मुद्रा शुल्क के ऊपर, जिस तरह से सम्पत्ति के ऊपर जो रियायत दी गई है, परन्तु किसानों की, जो खेती की जमीन बिकती है, क्रय-विक्रय होती है इस इतना ज्यादा मुद्रा शुल्क है इसमें विशेष रियायत दी जानी चाहिए थी उसका कोई अलग से हवाला नहीं है। इस तरह से यह किसानों की भावना के अनुरूप बजट नहीं है।

इसमें पैरा नम्बर 153 में जीरा और ईसबगोल के ऊपर तीन प्रतिशत शुल्क था। ये कृषि मंत्री जी से मेरा पुनः निवेदन है कि ये जो तीन प्रतिशत शुल्क था उसकी जगह ढाई प्रतिशत किया है आधा प्रतिशत घटाया है आपने ये इससे पहले वाली सरकार ने 6 प्रतिशत शुल्क को 3 प्रतिशत शुल्क किया। इसी तरह से केन्द्रीय शुल्क का जो चार प्रतिशत था उसे दो प्रतिशत कर दिया। अभी जो पिछले समय में जिलाधीश की मीटिंग हुई थी और यहां से भी कोई प्रतिनिनि गये थे उस समय यह तय हुआ था कि राज्य सरकार का शुल्क

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

तो है तीन प्रतिशत, केन्द्र सरकार का शुल्क है दो प्रतिशत। ये, इतना मामूली एक प्रतिशत का फर्क होने से अपने सेल्सटेक्स का काफी नुकसान होता है। इस नुकसान के तहत ही यह तय किया था कि जितना केन्द्र का दो प्रतिशत शुल्क है तो राज्य सरकार भी इसका दो प्रतिशत शुल्क कर दे। परन्तु ढाई प्रतिशत शुल्क करने से ये जो कमी की गई है शुल्क में उससे राज्य सरकार को फायदा नहीं होना है।

मैंने पहले 295 के तहत यह एक मसला उठाया था उस समय मैंने, निवेदन किया था राज्य सरकार से कि हमारे यहां पर पांच, सात करोड़ रुपये या जीरे के अन्दर राज्य सरकार को टैक्स मिल सकता है इस बार जीरा कम होते हुए भी राज्य सरकार को एक करोड़ रुपये के टैक्स की हानि हुई है इसका मुख्य कारण यह है कि जो हमारे पास गुजरात की ऊंझा मण्डी है वहां जीरा और ईसबगोल की फसल चली जाती है। यहां से इसके लिए सर्वे भी किया गया था कि फसल वहां जाती हैं अपने यहां रहनी चाहिए। तो सबसे बड़ा उसमें सवाल यह उठता है कि उनको बैंक की सुविधा दी जानी चाहिए। जब तक बैंक में किसानों को और व्यापारियों को अपने फसल के अगेंस्ट में पैसा वापस नहीं मिलेगा। जब तक उसकी क्रय शक्ति नहीं होगी और क्रय शक्ति अगर व्यापारी की नहीं होगी तो ये फसल बाहर जायेगी।

अतः मेरा निवेदन है कि ये जो ढाई प्रतिशत कर दिया है जीरा और ईसबगोल के ऊपर, तीन प्रतिशत, इसको दो प्रतिशत कर दिया जाये केन्द्र के बराबर कर दिया जाये तो ये टैक्स इवेजन नहीं होगा और अपने यहां पर सरकार को इससे फायदा होगा। और साथ ही निवेदन है कि ये बैंक हैं, भीनमाल, जालौर, और मे जो जालौर की मण्डियां हैं जहां जीरा सबसे ज्यादा होता है. यहां अतिरिक्त मण्डी के अन्दर बैंक खोलने की व्यवस्था की जाये और उसमें किसानों को और व्यापारियों को फसल के अगेंस्ट में लोन दिये जाने की व्यवस्था की जाये।

ये जो कृषि के ऊपर व्यवस्थाओं के तहत बीमा योजना आपने कुओं पर की है यह बीमा योजना ट्यूबवैल पर भी होनी चाहिए। अगर किसान ट्यूबवैल खोदता है तो उस पर भी इस बीमा योजना को लागू किया जाना चाहिए। अभी तो कुओं पर जो बीमा योजना लागू की है उसका किसानों को फायदा होना नहीं है पानी इतना नीचा चला गया है कि हमारे यहां जो कुए खोदते हैं साढ़े छः सौ फुट नीचे पानी है कहां कुए खोदेंगे और अब उन पर कहां बीमा योजना लागू होगी। अगर सरकार चाहती है कि किसानों का फायदा किया जावे तो हमारे यहां पर चार-पांच नदियां ऐसी हैं जिस समय अतिवृष्टि होती है तो बहुत अच्छे-अच्छे फार्म और कुएं और खेत कटाव के अन्दर चले जाते हैं। जिन किसानों की जमीन कटाव के अन्दर चली जाती है उनको उसका काफी नुकसान होता है और काफी समय से होता आया है। आज जो नदियां सिर्फ दो सौ

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

मीटर चौड़ी थी वो आज पांच-पांच किलोमीटर चौड़ी हो गई। इस तरह इन नदियों के कटाव से इस देश को, देश की उपजाऊ जमीन को काफी नुकसान हो रहा है।

मेरा सरकार से अनुरोध है नदी के बैंक के ऊपर जो फार्म आए हुए हैं और उनको जो नुकसान होने वाला है किसान अगर चाहता है तो उसके ऊपर बीमा कराया जाये। जिससे अगर किसान को नुकसान होता है तो उसकी भरपाई हो सके। किसानों को कर्जा माफ करने के बारे में जो सरकार ने घोषणाएं की है यह एक अच्छी बात है परन्तु यह जो पैसा कर्जे का कहां से आया आपके पास। केन्द्र सरकार किसान को ये पैसा कहां से देगी। ये पैसा तो केन्द्र सरकार आते ही डीजल के ऊपर आते ही डीजल के ऊपर पेट्रोलियम के ऊपर जो उन्होंने शुल्क बढ़ा दिया उससे छोटे किसान को प्रति वर्ष तीन हजार से पांच हजार रुपये की उसके ऊपर ज्यादा देनदारी हो गई। बड़े किसानों को इसके लिए प्रति वर्ष दस हजार रुपये तक का अधिक बोझ हो गया।

एक तरफ तो आप दस हजार का कर्जा माफ करना चाहते हैं। 70 करोड़ से 14 लाख किसानों का और ऋणदाताओं का आप कर्जा माफ करेंगे तो एक किसान के ऊपर आप बारह सौ रुपये का कर्जा माफ कर रहे हैं कर्जा तो आप बारह सौ रुपये का माफ कर रहे हैं और प्रतिवर्ष डीजल के नाम पर आपने तीन हजार से लगाकर दस हजार तक किसानों से वसूल करना चालू कर दिया और इसके उपरान्त भी हमेशा सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक डीजल मिलेगा। संडे को डीजल नहीं मिलेगा। इनका मतलब है संडे को किसान खेती नहीं करेगा। आप तो प्रोडक्सन बढाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं। आप तो किसानों की अव्यवस्था हैं, अगर आपको पैट्रोल के ऊपर कोई व्यवस्था देनी हो तो आप डीजल को तो उसके लिए छोड़ें और जब फसल का समय हो उस समय तो आप इसके अन्दर इस समय को वापस बढाइये। इतवार के दिन जो आपने बन्द कर रखा है डीजल देना, उसको पुनः चालू कराया जाना चाहिए।

जो आपने कर्जा माफ किया है हमारे क्षेत्र के अन्दर ये कर्जा वसूल किया जा रहा है और किया गया है। 2 अक्टूबर, 1989 से पहले का जो कर्जा था किसानों से और जो वसूल कर लिया है। मेरा मंत्रीमण्डल के जो माननीय सदस्य हैं उनसे निवेदन है कि अगर उस पीरीयड का कर्जा वसूल कर लिया गया तो पुनः लौटाया जाना चाहिए। आज भी वो वसूल किया जा रहा है। मारवाड़ ग्रामीण बैंक वाले कलक्टर की सुनते हैं न सरकार की सुनते हैं वो कर्जा यों का यों वसूल कर रहे है। अब आपकी एक तरफ तो घोषणा यह है कि कर्जा माफ कर दिया जाना चाहिए। दूसरी तरफ वो कर्जा वसूल कर रहे हैं किसानों से। नये कर्जे दे नहीं रहे। कृपया कर्जा माफ करने की घोषणा के उपरान्त भी जो कर्जे वसूल किये गये हैं, वो वापस

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

किसानों को लौटाए जाने चाहिए। पैरा 41/3 में जो बताया गया है मृतक दिवालियों को कर्जे के अन्दर राहत दी जायेगी। मृतक है दिवालिये हैं राहत क्या दी जायेगी उनका तो पूरा कर्जा माफ होना चाहिये।

आप राहत के नाम पर गुमराह करना चाहते हैं उनको। इसलिए निवेदन है कि आप उनका कर्जा बिल्कुल माफ कर दें। इसी तरह से ये जो शिक्षा के क्षेत्र के अन्दर ये 46/1 के अन्दर मुख्य मंत्री जी ने जो बताया है कि 6 और 11 की आयु के 2.67 लाख और 11 और 14 वर्ष की आयु वर्ष के एक लाख, अतिरिक्त बालक बालिकाओं की पढ़ाई के लिए वापस स्कूलों के अन्दर प्रवेश दिया जायेगा।

यह तो सिर्फ आंकड़े हैं। अगर स्कूलों में इसी तरह प्रवेश दिया जाएगा तो एक-एक क्लास में आपको 35-55 विद्यार्थी पढ़ाने पड़ेंगे और एक स्कूल में 35 विद्यार्थी पढ़ाते हो तो एक अध्यापक और चाहिए। आप एक से दो अध्यापक करने जा रहे हैं, खुशी की बात है परन्तु अगर यह आंकड़ा सही है तो दो की जगह तीन अध्यापक करने पड़ेंगे। अगर यह सुविधा और बढ़ाना चाहते हैं तो तीन अध्यापक की व्यवस्था कीजिए।

इसी प्रकार से चिकित्सा में मुख्य मंत्री जी ने चिकित्सा कोष की स्थापना की है उसमें कितना पैसा आज। दिन तक आया है ? चिकित्सा कोष स्थापित करने से पैसा नहीं आएगा। इसमें दानदाता के साथ आपकी भावनाएं सही होनी चाहिएं। हमारे बागोड़ा में 15-20 लाख रुपए लगा दानदाता ने अस्पताल बनाया और उस पर असत्य मुकदमा लगाकर हथकड़ियां डाल कर पूरे गांव में घुमाया गया। दो दिन तक उसकी जमानत नहीं हुई। बहुत मुश्किल से उसकी जमानत हो पाई।

**श्री दिग्विजय सिंह** : वह हथकड़ियां दान देने से लगाई क्या ?

**श्री प्रेमसिंह दहिया** : मैं आपको पूरी डिटेल बता देता हूं। मुझे विशेष समय दे दीजिए। उस दानदाता ने 15-20 लाख रुपये लगा कर हास्पीटल बनाया उसमें डाक्टर और कम्पाउण्डर वगैरा हास्पीटल नहीं खोलते थे। अपने घर में इलाज करते थे। दानदाता हास्पीटल गया, हास्पीटल बन्द देखा। उसने सी. एम. एच. ओ. को जाकर रिपोर्ट की कि हास्पीटल नहीं खुल रहा है। उनकी किसी प्रकार से व्यवस्था करिये। सी. एम. एच. ओ. ने वहां से उनका अस्थाई स्थानान्तरण कर दिया। यह अस्थाई स्थानान्तरण होने से वहां का स्टाफ नाराज हो गया और दानदाता के ऊपर असत्य केस बनाया और केस भी क्या बनाया प्रिवेंशन आफ स्ट्रोसिटीज एक्ट के तहत मुकदमा बनाया उनके खिलाफ। हमारे डी. आई. जी. जब दौरे पर आये, उनके सामने यह मामला रखा गया। उन्होंने कहा कि दानदाता को इस तरह से गिरफ्तार कर लिया एक असत्य मुकदमे के

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

अन्दर एस. पी. ने उसकी जांच की और मुकदमा सही नहीं पाया गया और उस पर एफ. आर. लगाने के लिए सी. ओ. को कि आप मौके पर जाकर एफ. आर. लगाएंगे। आज दिन तक सी. ओ. उनके कागजों को लेकर दानदाता के पीछे घूम रहा है और अपनी सुविधा होगी तो एफ. आर. लगाएगा। इस प्रकार से दानदाता को हतोत्साहित करेंगे तो किस प्रकार का कोष बनेगा मुख्य मंत्रीजी का यह सोचने का विषय है।

पेयजल समस्या के बारे में जालौर जिले के अन्दर दो पंचायत समितियां हैं भीनमाल और सायला....

**श्री ओमप्रकाश गुप्ता** (सरकारी मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, यदि समय का ध्यान नहीं रखा गया तो बड़ा मुश्किल होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस दल का समय तो वैसे ही समाप्त हो गया है।

**श्री प्रेमसिंह दहिया** : हमारा समय समाप्त हो गया तो फिर आ जाएगा। आप तो अपनी फिक्र कीजिए। (व्यवधान)

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : सदन का समय दो घण्टे आपने बढ़ा दिया तो उसी के अनुपात में कांग्रेस वालों को समय दें।

**श्री ओमप्रकाश गुप्ता** : मैं सद्भावना से घड़ी के समय की ओर बता रहा हूं। आप अपने समय की पाबन्दी नहीं रखेंगे तो कैसे होगा।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : आपका कहना है कि कांग्रेस पार्टी का नियत समय था वह समाप्त हो गया है तो मेरा निवेदन है कि दो घण्टे का समय बढ़ाया है तो उस अनुपात में कांग्रेस का है।

**श्री ओमप्रकाश गुप्ता** : वह है साहब, लेकिन जब सब का टाइम फिक्स है तो समय की पाबन्दी रखें।

**श्री परसादीलाल मीणा** : महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं साहब, इसके लिए थोड़ा समय और बढ़ा दिया जाय।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, थोड़ा समय का ध्यान रखें।

**श्री प्रेमसिंह दहिया** : एक आप बीमा योजना पैरों पर लगा रहे हैं। हमारे यहां दो पंचायत समितियां हैं उनमें डार्क जोन घोषित कर दिया कि वहां बेरे खोदे नहीं जाये और डार्क जोन इसलिए घोषित किया कि नीचे पानी नहीं है। जो सर्वे होता है वह सिर्फ 350 फीट का होता है लेकिन 650 फीट पर भरपूर पानी है। अगर बीमा योजना लागू की जानी है तो जो जो डार्क जोन है उसको हटाया जाना चाहिए।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : घोषित कब हुआ है, अब हुआ है या पहले हो चुका था? आपके राज में?

**श्री प्रेमसिंह दहिया** : यह डार्क जोन सरकार ने नहीं किया। मैंने आपको बताया

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

कि 350 फीट तक का ही सर्वे करते हैं अन्डर ग्राउण्ड वाटर वोर्ड वाले पानी 650 फीट नीचे है और भरपूर पानी है। इसलिए डार्क जोन को वहां से हटाया जाना चाहिए।

एक वीडियो फिल्म पर टैक्स लगा दिया। गांव में मनोरंजन करने के साधन शादी करने के बाद सिर्फ, जो परिवार नियोजन पर अंकुश लगाना चाहते हैं तो मनोरंजन का साधन गांव में वीडियो और टी. वी. अब पहुँचे हैं। अगर विडियो और टी. वी. पर इस तरह का टैक्स लगाया गया तो एक तरफ तो आप परिवार नियोजन की तरफ ध्यान दे रहे हैं। यह आपके विशेषज्ञों की रिपोर्ट है। उसमें कहा गया है कि अगर गांव में मनोरंजन के साधन मिलते हैं तो परिवार नियोजन पर अंकुश लगेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि इसको मद्दे नजर रखते हुए वीडियो पर टैक्स नहीं लगाएं।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो चुका है।

**श्री प्रेमसिंह दहिया** : एक बात मुझे कहनी है माननीय उर्जा मंत्री जी से कि एक तरफ तो 1982 तक के जितने क-शन है वह दे दिये जांय आदेश से, न्तु पिछला जो फरवरी और मार्च का समय मिला उसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ इस विद्युत विभाग के अन्दर जिन्होंने पैसा दिया उनके कनेक्शन तो कर दिये गये 1982 से पहले के और जिन्होंने पैसा नहीं दिया उनकी फाईल खारिज कर दी गई। ईस आधार पर खारिज की गई कि आपको पहले की फिटिंग वहीं है और "एल" फार्म देने के बाद कहीं पर भी फिटिंग का रिवाज नहीं है। सिर्फ "एल" फार्म दिया जाता है। जिनको कनेक्शन देने थे उनको तो दे दिये और जिन्होंने पैसे नहीं दिये उनकी फाइलें खारिज कर दी गई। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

**श्री सभापति** : श्री बालचन्द्र आर्यवीर

**श्री बालचन्द्र आर्यवीर** (डग) : सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, वित्त मंत्री जी ने 1990–91 का बजट पेश किया उसका मैं स्वागत करता हूं, सभापति महोदय, यह जो बजट है, यह गरीबों का उत्थान करने वाला है, किसानों का उद्धार करने वाला है।

**एक माननीय सदस्य** : और व्यापारियों का?

**श्री बालचन्द आर्यवीर** : व्यापारियों का भी उद्धार करने वाला है। क्योंकि हमारे यहां किसी का भेदभाव नहीं चलता है। सब के साथ समान व्यवहार होता है, लेकिन आप तो पूंजीपतियों को ही प्रोत्साहन देने वाले हो। आप किसानों के हितकारी नहीं हो। आपकी सरकार में कोटा और जयपुर में 27 साम्प्रदायिक दंगे हुए। (व्यवधान)

और बम बने और बम बनाने वाले लोगों को प्रोत्साहन दिया, असामाजिक तत्वों को बचाया और भी सुनना चाहते हो? (व्यवधान)

**श्री रामनारायण वर्मा** : तभी तो कोटा में 10-10 वर्षों के छोरों को पकड़ रखा है और कोई रिपोर्ट नहीं है. कोई बात नहीं है। 12-12 साल के बच्चों को पकड़ रखा है बम बनाने की बात करते हो, इस सरकार ने तो नाबालिग बच्चों को पकड़ रखा हैं। (व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** : बम फेंकने वाले +++ पकड़े हैं। इन्होंने सत्यानाश कर दिया कोटा की धरती का (व्यवधान)

**श्री बालचन्द्र आर्यवीर** +++

**श्री रामस्वरुप मीणा** (टोडाभीम) : परिभाषा क्यों है हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की ? (व्यवधान)

**श्री सभापति** : बीच में टोका-टोकी न करें। माननीय सदस्य। (व्यवधान)

**श्री बालचन्द्र आर्यवीर** : बहुत अच्छी बात है स्वागत योग्य है लेकिन इसमें मेरा सुझाव है कि जो भी डिफाल्टर लोग है, बेइमान लोग हैं अधिकतर उसमें बेईमान लोगों का ही नाम होगा। तो मेरा सुझाव इस प्रकार है कि जो छोटे किसान हैं सीमान्त लघु कृषक हैं उनको भी लाभ देने के लिए आपने घोषणा की थी कि हर किसान का कर्जा माफ किया जाना चाहिए तो मेरा सुझाव है कि हर किसान का कर्जा माफ होगा तो सब किसानों को लाभ मिलेगा।

माननीय महोदय, जो ग्रामीण विकास की योजना है उसमें मेरा एक सुझाव है कि गांवों में जो योजनाएं चलाई जाती है वह पूरी तरह से लागू नहीं होती। क्योंकि उन पर ध्यान नहीं दिया जाता इसलिए वह गरीबों तक नहीं पहुँच पाती इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें पूरा ध्यान रख, कर के इसको लागू किया जाना चाहिये। माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार गांवों में आज देखा जाता है कि गांवों की और, विद्युतीकरण की ओर बड़ी उपेक्षा की जा रही है और उपेक्षा होने की वजह से मेरे क्षेत्र के गांव कुण्डबा, रोजाना, रवा हेड़ा और पारलिया, तारा पीपली, मक्सी रामपुरा, देवगढ़, सरवर, दुधालिया, डोबड़ा छान, गुड़ाड़ा झाला, और इस प्रकार इसके पास बड़ी-बड़ी नदियां है। चम्बल है, आरू नदी है, काली सिंध है, शिप्रा है जहां पर बड़े-बड़े जल भण्डार है, जल के श्रोत है। यदि इन गांवों को विद्युतिक्रित कर दिया जावे तो मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान और बीजली मंत्री महोदय का ध्यान, बिजली मंत्री महोदय यहां है नहीं उनका ध्यान इस और दिलाना चाहता हूं कि इन गांवों को यदि बिजली मंजूर कर दी जावे तो गांवों के किसानों को कफी लाभ होगा और वहां पर हजारों बीघा जमीन सिंचित होगी।

माननीय सभापति महोदय, झालावाड़ जिले में संतरे की खेती बहुत मात्रा में होती है, भवानी मण्डी में भी और इस प्रकार

---

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री बालचन्द्र आर्यवीर)

यह नागपुर के बाद दूसरा स्थान है। हे माननीय सभापति महोदय, यदि संतरे की खेती को वहां प्रोत्साहन दिया जावे और किसानों को मार्गदर्शन किया जावे और वहां पर यदि संतरे के जूस का कारखाना लगाया जावे तो हजारों मजदूरों को वहां मजदूरी मिल सकती है। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि वहां का सर्वे करवाया जावे और संतरे की खेती होती है। वहां के कारखाने को प्रोत्साहन दिया जावे किसानों की फसली बीमा की योजना जो सरकार ने अपने बजट में बताई नहीं है जबकि पहले कई बार और यह बात यहां उठ चुकी है तो मेरा सुझाव है कि किसानों की फसल का बीमा होना चाहिये । और यह जो जब भी माननीय मुख्य मंत्री जी जवाब देवें तो इसके लिए भी अपनी बात कहें कि किसानों का भसल का बीमा होना चाहिये। इसी प्रकार गांवों को सड़क से जोड़ने के लिए, पंचायतों को सड़कों से जोड़ने के लिए भी मेरा सुझाव है कि गांवों को यदि सड़कों से जोड़ा गया तो किसानों को इसमें अधिक से अधिक लाभ मिलेगा ग्रामीण अंचलों में अभी भी चिकित्सा की सुविधा नहीं होने वजह से ग्रामीण लोग गरीव लोग चिकित्सा के अभाव में ही मृत्यु के शिकार हो जाते हैं।

मेरा सुझाव यह है सरकार से कि गांव में चिकित्सा सुविधा अधिक से अधिक दी जाय, साथ ही गांव के लोगों को किसानों को इसका लाभ मिल सके। माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में केवल एक ही कालेज है भवानीमण्डी में। कई वर्षों से उसको गवर्नमेन्ट में करने करने की मांग की जा रही है मेरा निवेदन है मेरा सुझाव है कि यदि उसको गवर्नमेन्ट की व्यवस्था में ले लिया जावे तो गरीब छात्र जो कि उसमें पढ़ाई नहीं कर सकते क्योंकि फीस बहुत है इसलिए यदि गवर्नमेन्ट में, सरकार की व्यवस्था में इसको ले लिया जाय तो गरीब छात्र-छात्राओं को पढ़ने में सुविधा मिलेगी। यदि सरकार इस पर ध्यान देगी तो बड़ा अच्छा रहेगा। इसी प्रकार अभी जो कई माननीय सदस्यों ने बताया कि पिछली सरकार के समय स्कूल तो खोल दिये गये लेकिन वहां पर अध्यापकों की अभी भी व्यवस्था नहीं है। मेरे डग विधान सभा क्षेत्र में, डग कस्बे में पिछले चार वर्षों से गर्ल्स स्कूल में प्रधानाध्यापिका का पद रिक्त है। गणित और कई अन्य अध्यापक नहीं हैं। तो उस वजह से छात्र व छात्राओं का भविष्य अंधकार में है। मेरा निवेदन है कि पूरी जांच करवा के और पूरा सर्वे करवाके पूरे राज्य में झालावाड़ जिले में इस प्रकार के स्कूल जो कि अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों के अभाव से जीर्ण-शीर्ण पड़े हुए हैं उसमें तुरन्त लगाये जावे ताकि छात्र छत्राओं का भविष्य बन सके। सिंचाई योजना के अनुसार झालावाड़ जिले में कई बड़ी-बड़ी नदियां हैं लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं दिये जाने से सारा जो पानी बहकर निकल जाता है और कोई उपयोग नहीं होता है। यदि उनका सर्वे करवाया जावे, कालीसिंध नदी है, चम्बल नदी है, और कोई बड़े-बड़े जल के श्रोत हैं, यदि उनका सर्वे करवाकर बांध बंधवा कर पानी रोक करके और सिंचाई-हेतु लिफ्ट योजना

(श्री बालचन्द्र आर्यवीर)

बनाई जाय तो किसानों को लाभ होगा। माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार में भी अनुसूचित जाति के लोगों पर कई अत्याचार हुए हैं, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, उनकी बारातों पर हमले हुए हैं, तो मैं अपनी सरकार का भी ध्यान दिलाना चाहता हूं। कि अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर अधिक से अधिक उनकी सुरक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाये ... (व्यवधान)

यह आपकी सरकार में हुआ है। हमारी सरकार में तो उनकी सुरक्षा ही होगी, आप यह ध्यान रखें माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए भी इस प्रकार का बजट नियुक्त किया जाय जिससे कि उनकी सुरक्षा अधिक से अधिक हो सके। मैं अनुसूचित जाति के जो छात्रावास हैं, उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि उनके लिए बजट और हम सब कुछ कर देते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रावासों के लिए लेकिन वहां पर छात्र-छात्राओं को घटिया सामग्री दी जाती है, पूरी सामग्री नहीं दी जाती है, सारी ब्लेक कर दी जाती है तो माननीय सभापति, महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करता हूं कि इस प्रकार की कोई जिले में कमेटी बनाई जाय जिससे कि उनकी जांच हो सके और वह ठीक रूप से व्यवस्था चला सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार पिछली सरकार ने राज्य में कई औषधालय खोल दिए लेकिन और औषधालय में दवाइयां नहीं है। दवाओं के अभाव में और जो कुछ दवाइयां आती हैं वैधजी उनको ब्लेक कर देते हैं तो मैं सरकार से यह निवेदन और यह सुझाव देना चाहता हूं कि हर जिले में इस प्रकार की सतर्कता समितियां बनाई जाय जिससे कि उनका ध्यान रखा जाय और जनता को दवाइयां और औषमिल सके।

माननीय सभापति महोदय, अभी हैण्ड पम्प की बात हो रही थी। हैण्डपम्प झालावाड़ जिले में लगे हैं गांव-गांव में लगे लेकिन अभी बरसात हो चुकी है, अभी तक वो हैण्डपम्प चालू नहीं हुए हैं। तो फिर जनता के किस काम में आयेंगे वो, किस उपयोग में आयेंगे कि मेरा सुझाव इस प्रकार का है कि जिस समय गर्मी का समय हो उसी समय उनको चालू करवाया जाय। अभी तक वो चालू हुए। मेरा सुझाव यह है कि यह पुरानी सरकार का घोटाला , इसलिए मेरा सुझाव यह है कि जो हैण्डपम्प लगाये गये हैं उनको तुरन्त चालू करवाया जाय। माननीय सभापति महोदय, झालावाड़ जिले में पुलिस की भयकर बर्बरता के कारण लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। भयंकर चोरियां, डकैतियां और लोगों के ऊपर फर्जी केस बनाये जा रहे हैं।

वहां पर भी इस प्रकार की सतर्कता समिति बना करके लोगों के ऊपर जो फर्जी केस बनाये जा रहे हैं, उनको बचाया जावे। यह जो बजट गांव के विकास का, गरीबों के विकास का और किसानों के विकास का रखा है। मैं इसका स्वागत करता हूं

(श्री बालचन्द आर्यबीर)

और मैं तो इतना तक बताना चाहता हूं कि लक्ष्य तक पहुँचोगे बिना पथ में पथिक के विश्राम के साथ हमारी सरकार तो यह है आगे बढती ही जायेगी और इस बजट का मैं पुनः स्वागत करते हुए मैं इसका अभिनन्दन करता हूं। जय भारत,

**श्री मदन दिलावर (अटरू) :** माननीय सभापति महोदय, जो माननीय मुख्यमंत्रीजी ने परिवर्तित बजट पेश किया है उसका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। वह जो बजट है-गरीबों का समग्र उत्थान करने वाला है, किसानों का समग्र उत्थान करने वाला है। यह बजट गरीब की सर्वांगीण उन्नति करने वाला बजट है। मैं दो दिन के अवकाश में मेरे विधान सभा क्षेत्र मे घूम कर आया हूं। वहां लोग दीवाली मना रहे हैं, फुलझड़ियां चला रहे हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं और हर काश्तकार खुशियां मना रहा है कि कितना बढ़िया बजट है, इससे हमें राहत मिलेगी। एक गांव में तो मैं गया तो माननीय भैरोंसिहजी शेखावत को वहां के बच्चों ने प्रणाम भेजा है (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** आपकी समझ में नहीं आयेगी।

**श्री रामस्वरूप मीणा :** आप धोबी, कुम्हार से पूछ लें बात, वह भी तो गांव में ही रहते हैं।

**श्री ओमप्रकाश गुप्ता :** माननीय रामस्वरूपजी, आपके यहां कपड़े धोते होंगे, उनसे पूछा होगा आपने ?

**श्री रामस्वरूप मीणा :** हां।

**श्री मदन दिलावर :** कि बुजुर्ग नेता ने छोटे बच्चों को भी ज्योमेट्री बॉक्स और पेन्सिल कर में छूट देकर के हमारे लिए यह चीजें सस्ती बना दी है। अतः मैं माननीय भैरों सिहजी शेखावत से निवेदन करता हूं कि वह इन बच्चों का प्रणाम स्वीकार करें।

**श्री रामनारायण वर्मा :** वह मजदूरी मिली या नहीं मिली, आप कह रहे थे कि मेरे इलाके के लोगों को मजदूरी नहीं मिली।

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** आपको तो यहां भी क्लाइट ही नजर आ रहे हैं।

**श्री मदन दिलावर :** अपना राजस्थान पूर्व कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के कारण पिछड़ा रहा। कई जगह तो हर गांव में सड़क पहुँच गई है लेकिन कई जगह पर कोसों तक सड़क दिखाई नहीं देती। कई गांव के लोग तो मेरे से यह पूछते हैं जैसे मैं बता सकता हूं-किशनपुरा मसोल-दारान मेरे विधान सभा क्षेत्र का गांव है, वहां के लोग पूछ ते हैं-सड़क किस रंग की होती है, कैसी होती है, क्या ऊंची होती है या चपटी होती है ? यानि उन्होंने सड़क नहीं देखी सारे के सारे अभाव के साधन वहां भरे पड़े हैं। वहां के लोगों को किसी ने पूछा नहीं। लेकिन माननीय भैरों सिंह जी शेखावत की सरकार ने वहां सड़क देने का वायदा किया जो स्वागत योग्य है।

वार्षिक योजना का आकार प्रथम बार

(श्री मदन दिलावर)

956 करोड़ रुपये रखा गया है, यह पिछले वर्ष की योजना से 168 करोड़ रुपये अधिक है, वह स्वागत योग्य है, मैं इसका स्वागत करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री का अभिनन्दन करता हूं।

**श्री ईश्वर लाल सैनी** : माला ले आओ, पहना दो।

**श्री मदन दिलावर** : विद्युत आर्थिक विकास का मूलभूत आधार माननीय भैरों सिंहजी शेखावत ने माना है तथा इसको वार्षिक योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इससे गरीब लोगों के कुओं तक ढाणियों तक, और हर घर में बिजली पहुँचेगी, इससे गरीब का मन, जैसे किसान का मन खेत में लहराती हुई फसल को देख कर खुशी से झूम उठता है, उसी प्रकार से ढाणियों और गांवों में जो लोग बसते हैं, उन गरीब लोगों का मन झूम उठेगा, वह चमक-दमक देख कर आज तक वह सोचा करते थे कि बड़े-बड़े गांव और बड़े-बड़े शहरों में ही लाइट का उजाला दिखाई देता है परन्तु अब जो माननीय भैरों सिंहजी शेखावत ने घोषणा की है उससे ढाणी तक बल्ब का उजाला दिखाई देगा। यह भी स्वागत योग्य है।

**श्री रामस्वरुप मीणा** : दिखाई दे, तब स्वागत करना।

**श्री ईश्वर लाल सैनी** : इतने आप रहेंगे नहीं।

**श्री मदन दिलावर** : वहां की गरीब जनता सरकार को अब तक, जो उन्होंने अपनी भाषा में कहा मैं गांव गया तो, पागल सरकार मानकर चलती थी, माननीय भैरों सिंहजी ने विद्युत और सिंचाई योजना में सामन्जस्य बिठाया है तथा गरीब और किसान का केस फसल से लहलहा उठेगा क्योंकि राजस्थान में विद्युत परियोजना का तथा लिफ्ट सिंचाई, एनीकट बांध योजनाओं का जाल बिछाया जाएगा। इससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और मेरे किसान का मन, खेतों में खड़ी फसल को देखकर जिस प्रकार से लहलहा उठता है उसी प्रकार से उनका मन लहलहा उठेगा। पिछले वर्ष राजस्थान में वर्षा की कमी के कारण कृषि उत्पादन में कमी आयी थी उसको देखते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने ऐसे कार्यक्रम हाथ में लिये हैं जो वर्षा पर ज्यादा आधारित नहीं रहें जैसे—सामुदायिक ट्यूब वैल खोदना, पक्की नालियां बनाना आदि के लिए किसानों को अनुदान दिया जाना भी स्वागत योग्य है तथा उन्होंने जो कुओं, ट्यूब वैलों का …

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : सभापति महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर कोई माननीय सदस्य पढ़ कर भाषण नहीं दे सकता।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : पढ़ रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं … (व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** : यह मेरा बनाया हुआ है, पढ़ कर नहीं है, देख लीजिए जाकर।

**श्री ईश्वर लाल सैनी** : हम कह रहे हैं कि आपका बनाया हुआ नहीं है, पढ़ने की बात है, पढ़ कर बोल रहे हैं आप।

**श्री रामस्वरूप मीणा** : इसमें तो बोलने को गुंजाइश है, बोलते जाओ, वैसे ही बोल दो, क्या देखना करना है। बहुत कमियां हैं।

**श्री मदन दिलावर** : ट्यूब वैल के लिए जो बीमा योजना लागू की है वह स्वागत योग्य है। किसान बड़ी भारी दिक्कत उठाकर कुआ खोदता था और उसमें पानी नहीं निकलता था तथा जिंदगी भर वह उस कर्जे को चुकाते-चुकाते थक जाता था और उसके आने वाली पीढ़ी भी उस कर्ज के बोझ से दबी रहती थी परन्तु माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कुओं और नलकूपों का बीमा करके उसको राहत दी है। अब यह निश्चित होकर अपना कुआ और ट्यूब वैल खोदेगा।

मेरा सुझाव है कि जो भूजल विभाग काश्तकारों को कांग्रेस सरकार की नीतियों के कारण यानि नोट हड़पने और हजम करने के लिए जो योजना बनाई हुई थी, भूजल विभाग उनको सर्वे रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करवाता था और सर्वे रिपोर्ट भूजल विभाग उनको उपलब्ध नहीं करवाता था। जो बैंक से काश्तकारों को लोन नहीं मिलता था और लोन नहीं मिलता था तो वह अपने खेत में ट्यूब वैल नहीं खुदवा पाता था इसलिए मेरा सुझाव है कि सरकार से व माननीय भैरों सिंहजी से कि वह इसमें सम्मिलित करें कि वह प्रत्येक काश्तकार को, जो भूजल विभाग से अपनी रिपोर्ट मांगता है, उसको व्यक्तिगत रिपोर्ट दी जाय।

जो विद्युत कनेक्शन, कृषि कनेक्शन दिए हैं वह मेरे हिसाब से कम पड़ेंगे और मैं माननीय भैरों सिंहजी शेखावत से निवेदन करूंगा कि वह इनकी संख्या बढ़ायें ताकि अधिक से अधिक लोगों को कनेक्शन मिल सकें।

**श्री रामस्वरूप मीणा** : ऐसे कहो आप सही बात।

**श्री मदन दिलावर** : जिस प्रकार से हमने क्षेत्र में जाकर वायदा किया था कि दस हजार रुपये तक का कर्जा माफ कर देंगे। माननीय भैरोंसिंह ने उस कर्जे को माफ कर दिया है। इससे किसान प्रफुलित हो उठा है, खुश हो उठा है और वह दीवाली मना रहा है....

**श्री गोपालसिंह आहोर** : दीवालिया हो रहा है या दीवाली मना रहा है।

**श्री मदन दिलावर** : मेरा एक सुझाव और है कि कोटा में कृषि उपज मण्डी है, छोटी-छोटी मण्डियाँ और मेरे विधान-सभा क्षेत्र में भी है लेकिन कोटा में बड़ी कृषि उपज मण्डी होने के कारण अधिकतर काश्तकार जो अनाज का उत्पादन करते हैं उसको बेचने के लिए यहां आते हैं। कृषि उपज मण्डी की अधिकतर आय, जो काश्तकारों के द्वारा होती है वह कोटा को ही होती है उससे केवल लाडपुरा पंचायत समिति को ही लाभ मिलता है। मेरा इतना निवेदन है कि इसमें समान रूप से सभी काश्तकार क्षेत्र को डिस्ट्रीब्यूट किये जाकर सभी क्षेत्रों को समान रूप से लाभ पहुंचाये ताकि सभी क्षेत्रों में कृषि मण्डी

(श्री मदन दिलावर)

की मार्फत सड़कें बन सके। अटरु विधान सभा क्षेत्र में अभी एक भी उद्योग नहीं है, लगभग सौ किलोमीटर लम्बा-चौड़ा वह क्षेत्र है। इसलिए मैं माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत से निवेदन करूंगा, उद्योग मन्त्रीजी से तिवेदन करूंगा कि छोटे-छोटे उद्योग उस क्षेत्र में लगाकर वहां के बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलाया जाय। इतना ही निवेदन कर मैं मेरा भाषण समाप्त करता हूँ।

**श्री सभापतिः** माननीय श्री गोपीरामजी चौधरी (अनुपस्थित)

माननीय श्री प्रभुलाल जी पटेल :

**श्री प्रभुलाल पटेल** (सपोटरा) : माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्रीजी ने जो इस सत्र का बजट पेश किया है मैं उसका विरोध करता हूँ। विरोध के कारण है, इसलिए विरोध करता हूं। मैं खुद ही विरोध नहीं करता, गांव में रहने वाले सारे किसान, मजदूर, निम्न तबका विरोध कर रहा है और उनकी एक ही आवाज थी कि हमने जो यह नई सरकार बनाई है, समारे लिए कुछ नई सुविधा देगी, नये प्रोग्राम देगी, वह सारे अरमान उनके धूमिल हो चुके हैं और अपने आपको कोसने लगे हैं हैं कि हमने गलती कर दी कि दुबारा ऐसी सरकार को हमने बैठा दिया है।

माननीय सभापति महोदय, मजदूरों, किसानों के बारे में बजट में कोई प्रावधान नही रखा गया है। ग्रामों में सड़क, स्कूल, औषधालय जो कि आज के टाइम में विकास के मुख्य कारण हैं उनसे वंचित कर दिया गया है। एक ग्राम में रहने वाला किसान, मजदूर जितनी सुविधायें नहीं ले सकते। इसके अलावा शहर में रहने वालों के लिए हजारों उपाय हैं तो मजदूर, किसान का ध्यान रखना बहुत जरूरी था। माननीय सभापति महोदय, किसानों को बिजली के बारे में जो घोषणा की है वे भी व्यर्थ नाममात्र की हैं। इस सत्र में इन्होंने सिर्फ तीन हजार नये कुओं पर कनेक्शन रखे हैं, जो सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरा मात्र हैं। पूर्व से काफी ज्यादा डिमाण्ड नोटिस जमा हो चुके हैं। चूंकि इनकी पूर्ति वहां नहीं हो सकती है, नये कनेक्शन होने का नाममात्र है।

माननीय सभापति महोदय, जो कर्जा माफी की घोषणा की गयी है वह असत्य प्रपंच है। माननीय सभापति महोदय, दस हजार रुपये की कर्जा माफी की जो घोषणा की गई है, वह चुनावी घोषणा को पूरा करने का एक माहौल बनाया गया है, क्योंकि इसके चारों तरफ से कानून में इतना जकड़ दिया गया है जो एक किसान और मजदुर के बश की बात नहीं रही है कि आज उनका कर्जा माफ हो सके। यदि कर्जा माफ होगा तो किसी धनी आदमी का या किसी राजनीतिक या किसी वजनदार आदमी का होगा, उसका लाभ गरीबों को मिलने वाला नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, टैक्सेज के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आम गरीब की वस्तुओं पर टैक्स लगाया

(श्री प्रभुलाल पटेल)

गया है। बीस रुपये चप्पल और जो कपड़े छोटे-मोटे एक गरीब किसान खरीद सकता है और पहन सकता है, उन पर टैक्स लगाया गया है। बड़े आदमियों के हीरे, जवाहरात, पन्ना उनको टैक्स फ्री कर दिया गया है। यह गरीब के साथ में एक मजाक किया गया है। इसका जवाब जनता और गरीब ही देंगे।

माननीय सभापति महोदय, यह संवेदनशील सरकार जो अपने आपको संवेदनशील सरकार कहती है और माननीय हमारे राज्यपाल महोदय ने भी अपने अभिभाषण में कहा है कि इस प्रकार से दस्यु प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम बनाये जायेंगे ताकि इन क्षेत्रों में जन-जीवन सुरक्षित रह सकें और स्थानीय सम्भावनाओं के आधार पर तेजी से विकास हो सकें। पुलिस व्यवस्था में सुधार करना सरकार के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। सरकार का यह प्रयास होगा कि पुलिस और प्रशासन के हाथों में जनता की सामाजिक सुरक्षा व न्याय मिल सकें। सरकार सर्व धर्म सम्भव, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की भावना से जनहित के लिए कार्य करेगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा पद ही रहा हूं मालिक अभिभासण के लिए कह रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, मेरे सपोटरा, करौली और खण्डार के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि जो सौ दिन के अन्दर-अन्दर चार डकैतियां डल चुकी हैं और जिनका किसी को अता-पता नहीं है कौन ने डकैती डाली है कौन-कौन आदमी हैं और वे कहां रह रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, डाकुओं का साम्राज्यवाद छाया हुआ है। आम आदमी तीनों तहसीलों के डांग क्षेत्र में आसानी से आ-जा नहीं सकता है। कोई आदमी छुप-छुह कर जायेगा तो टेम-बेटेम जा सकता है। वहां जो कुछ चाहेंगे वो डाकुओं की सलाह से काम होगा। पुलिस वालों ने आतंक मचा रखा है। डाकुओं के नाम पर ग्रामीणों को पकड़ कर लाते हैं और थाने के अन्दर उनके ऊपर लठ बजाते हैं, गरीब किसानों के ऊपर और उनसे दो-दो तीन-तीन, पांच-पांच हजार रुपये लेकर के फिर उन्हें रिहा किया जाता है। जो चोरी करने वाले डकैत हैं वो आज तक नहीं पकड़े गये हैं। माननीय सभापति महोदय, ऐसी सरकार के लिए जो स्वतन्त्रता नहीं दे सकती। माननीय सभापति महोदय, मैं कोई विकास नहीं चाहता और उन क्षेत्रों में विकास की जरूरत नहीं है। वहां के रहने वालों को स्वतन्त्रता दी जाये। उनको रहने के लिए स्वतन्त्र किया जायें।

वहां से उन डाकुओं से उनको मुक्त किया जावें। यह मेरा सदन से करबद्ध निवेदन है इसको बड़े गौर से नोट किया जावें और उन गरीब किसानों की, गरीब मजदूरों की वहां उनकी सुरक्षा के लिए मजबूत से मजबूत, कठोर से कठोर इन्तजाम करके इन डकैतों को पकड़ा जावे या कहीं ऐसी कोई व्यवस्था की जायें कि जहां लोग-बाग आसानी से वहां अपने बाल-बच्चों को पाल सकें। माननीय सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में जहां डांग क्षेत्र का इलाका तीन दफा डकैती डल जाने के

(श्री प्रभुलाल पटेल)

बावजूद एक दफा भी वहां किसी डाकू को नहीं पकड़ा गया है। यह पुलिस प्रशासन की कमी है पता नहीं कि सरकार की कमी है। कौन लोग उनमें मिले हुये हैं पता नहीं कहां वे चोरी करते हैं, कहां जाते हैं ? इसके बारे में सरकार का बिलकुल ध्यान नहीं है। पुलिस अकर्मण्यता बरत रही है। ऐसी सरकार के लिए और ऐसी पुलिस के लिए नैतिक दायित्व है कि जो अपने क्षेत्र को सम्भाल नहीं सकें।

माननीय सभापति महोदय, किसके साथ यह घटना घट जाये इसके लिए कोई आदमी कह नहीं सकता है कि मेरी आज जिन्दगी रहेगी या नहीं रहेगी। माननीय सभापति महोदय मेरे लिए भी धमकी दी गयी। मैंने आज के करीब एक महीने पूर्व वहां पर निवेदन किया था कि मेरे क्षेत्र में एक डकैती डल गयी है, उसके लिए इन्तजाम किया जावें। वह बात उन डकैतों ने सुनी थी और मेरे लिए एक पत्र लिखकर भेजा है कि यदि आपने ऐसी हरकत की है तो आपके साथ वहीं काम होगा, जो हम कर रहे हैं तो इस बात को देखते हुए सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, आपसे यह निवेदन करना चाहते हैं कि वहां जाकर ऐसा इन्तजाम किया जावे जो वहां के लोग-बाग स्वतन्त्र रह सकें। जय हिन्द।

**श्री सभापति** : सदन की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 3 जुलाई, 1990 को म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 6.47 पर मंगलवार, दिनांक 3 जुलाई, 1990 को म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

## परिशिष्ट 1

### समयाभाव के कारण सदन में न लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

### पश्चिमी क्षेत्र में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का कार्यालय

106. श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) एवं श्री फूलचन्द गुर्जर (नीमकाथाना) : क्या खादी ग्रामोद्योग राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य की पश्चिमी क्षेत्र जो ज्यादातर अकाल की चपेट में रहता है, के निवासियों को खादी ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से अधिक से अधिक रोजगार देने के लिए क्या विशेष प्रयास किये जा रहे हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार की जानकारी में है कि पश्चिमी क्षेत्र हेतु खादी ग्रामोद्योग आयोग का एक क्षेत्रीय कार्यालय जो इस क्षेत्र की खादी ग्रामोद्योग की गतिविधियों को बढ़ाने में पूरी तरह कार्यरत रहा, को खुलवाने हेतु क्षेत्रीय जनता लम्बे समय से प्रयासरत है ? यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या प्रयास किये ? यदि नहीं, तो इस बारे में ढिलाई के क्या कारण रहे ?

(3) क्या यह भी सही है कि खादी ग्रामोद्योग की राजस्थान में कार्यरत संस्थाओं कच्ची ऊन खरीदने की बजाय व्यापारियों से कतर खरीद कर, ऊन सफाई हेतु इन संस्थाओं में कार्यरत हजारों गरीब महिला मजदूरों को बेरोजगार कर दिया है ?

#### उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। प्रयासों का सम्बन्ध भारत सरकार के खादी ग्रामोद्योग आयोग बम्बई से सम्बन्धित है।

(3) जी नहीं।

### राज्य खनिज विकास निगम का लेखा-जोखा

107. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना किन-किन उद्देश्यों को लेकर किस वर्ष में हुई एवं स्थापना से लेकर अब तक निगम की लाभ-हानि की क्या स्थिति है ?

(2) निगम की आर्थिक विफलताओं के लिए अब तक कितने अधिकारियों की जिम्मेवारी निर्धारित की गई एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(3) निगम के कार्य के सम्बन्ध में किन-किन अधिकारियों ने विदेश यात्राएं की, एवं इन यात्राओं में से प्रत्येक पर कितना धन व्यय किया गया ?

(4) उक्त यात्रायें निगम के विकास एवं उद्देश्य प्राप्ति में कितनी उपयोगी रही एवं क्या तकनीकी दक्षता प्राप्त की गई ?

## उत्तर

(1) राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना वर्ष 1979 में हुई। निगम के उद्देश्यों का विवरण सदन की पटल पर रख दिया गया है। तालिका नं. 1 (स्थापना से लेकर वर्ष 1988-89 तक निगम को 220.07 लाख रुपये का शुद्ध लाभ हुआ है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) निगम के कार्य के सन्दर्भ में निगम की स्थापना से लेकर अब तक जिन अधिकारियों द्वारा विदेश यात्रायें की गई तथा उन पर हुए व्यय का विवरण सदन की पटल पर रख दिया गया है। (तालिका नं.-2)

(4) उक्त यात्राओं से निगम को विकास के साथ-साथ निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति हुई :—

(1) टंगस्टन खनन और शुद्धिकरण के बारे में आधुनिकतम तकनीक जानकारी प्राप्त करना,

(2) राजस्थान के इमारती पत्थरों का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में प्रदर्शन और निर्यात को बढ़ावा देना,

(3) यूरोपियन देशों से आयातिक मशीनों द्वारा सहायक क्षेत्र के माध्यम से आधुनिक तकनीकों से संगमरमर खनन का आरम्भ करना.

(4) उदयपुर में सहायक क्षेत्र में इटेलियन तकनीक से एगलोमरेटेड मार्बल बनाने के 15 करोड़ रुपये की लागत का कारखाना लगवाना जिसमें इटली की एक फर्म द्वारा भी पूंजी लगाई गई है।

(5) टोगो सरकार द्वारा उनका व निगम को निम्न व मध्यम स्तर की रॉक फास्फेट से अधिक उन्नत ब्लेण्ड बनाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के परामर्शदाता की नियुक्ति की सहमति देना।

(6) बेलजियम की एक प्रमुख फर्म द्वारा ग्रेनाईट कीबल्स खरीदने की मेमेरेण्डम आफ अण्डरस्टेण्डिंग जारी करवाना, जिसके अन्तर्गत उनके प्रतिनिधि मण्डल सितम्बर-अक्टूबर में निगम का माल देखने आयेगा। इन विदेश यात्राओं की प्रमुख उपलब्धियां हैं।

**तालिका नं० 1**

राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना निम्न मुख्य उद्देश्यों के लिए की गई :—

1. राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम से खनिज दोहन सम्बन्धी अधिकार सुविधायें ग्रहण करना, जो कि उक्त निगम की विभिन्न इकाइयों पर खनिज दोहन करने के लिए राज्य सरकार से प्राप्त हुए थे तथा खनिज गतिविधियों से सम्बन्धित मशीनरी, साज-सामान, बिक्री योग्य खनिज एवं अन्य सम्पत्ति प्राप्त करना।

2. खनिज सम्पदा का दोहन करने के लिए लीज प्राप्त करना, अधिकार प्राप्त करना, खनिज युक्त जमीन खरीदना तथा उक्त सम्पत्ति से खनिजों का दोहन करना, विभिन्न प्रकार के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन करके उन्हें बिक्री योग्य बनाना।

3. स्वयं के या यह भागीदारी स्वामित्व में खनिज आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देना, स्थापित करना, विकास करना आदि।

4. खानों एवं खनिज आधारित उद्योगों के विकास के लिए तकनीकी सलाह देना, परीक्षणशालाओं की स्थापना कर सुविधाएं प्रदान करना, व्यवस्था एवं कार्य सम्बन्धी सलाह एवं सहायता देना, ऋण को स्वीकृत करना या कराना, पूंजी लगाना या लगवाना।

5. समस्त प्रकार के खनिजों का आयात निर्यात एवं क्रय विक्रय करना।

6. उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक अन्य कार्य करना।

**तालिका नं० 2**

निगम के अधिकारियों द्वारा की गई विदेश यात्राओं एवं व्यय का विवरण

| क्रमांक 1 | अधिकारी का नाम एवं पद 2 | वर्ष 3 | व्यय (रुपये) 4 | यात्रा का उद्देश्य 5 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री वी. एन ढ़ोंड़ियाल अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, खान सचिव। | 1982–83 | 28,683.00 | अन्तर्राष्ट्रीय टंगस्टन सिम्पोजियम में भाग लेना। वापसी में टंगस्टन शुद्धिकरण व डायमेन्शन स्टोन के बारे में वार्ता की। |
| 2. | श्री वी. एन. ढ़ोंड़ियाल अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, खान सचिव। | 1984–85 | 28,830.60 | तत्कालीन खनिज मंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य। |
| 3. | श्री आर. के. मूंदड़ा, मुख्य खनिज अभियन्ता | 1984–85 | 33,366.40 | तत्कालीन खनिज मंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य। |
| 4. | श्री के. विक्रम परियोजना प्रबन्धक | 1984–85 | 39,629.40 | तत्कालीन खनिज मंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य। |
| 5. | श्री आर. के. सक्सैना, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक | 1987–88 | 51,235.50 | तत्कालीन खनिज मंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य के रूप। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 6. | श्री आर. के. मूंदड़ा<br>मुख्य खनि. अभियन्ता | 1987–88 | 36,650.40 | तत्कालीन खनिज राज्य मंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य के रूप में। |
| 7. | श्री आर. के. सक्सैना<br>अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक | 1989–90 | 26,422.76 | टोगो सरकार के निमन्त्रण और व्यय पर वापसी पर ग्रेनाइट कोबल्स के निर्यात के लिए आयातकों से बातचीत। |
| 8. | श्री ओ. पी. शर्मा,<br>वाणिज्यिक प्रबन्धक, | 1989–90 | 20,662.00 | टोगो सरकार के निमन्त्रण और व्यय पर/वापसी पर ग्रेनाइट कोबल्स के निर्यात के लिए आयातकों से बातचीत। |

**महाविद्यालयों के अस्थायी व्याख्याता**

108. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या महाविद्यालय शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के राजकीय महाविद्यालयों में कुल कितने अस्थाई व्याख्याता कार्यरत हैं ? इसमें से 2 वर्ष या इससे अधिक समय से कार्यरत व्याख्याता कितने हैं ?

(2) क्या यह सही है कि कई विषयों के व्याख्याता 8–10 वर्ष से अस्थाई रूप में कार्यरत हैं ? यदि हां तो राज्य सरकार इनको स्थाई करने के क्या उपाय कर रही है ?

(3) व्याख्याताओं की अस्थाई नियुक्ति करने के कारण व नियम क्या हैं ? क्या ये नियम समय की कसौटी पर सही हैं ?

(4) क्या यह सही है कि विगत छः माह में कई बार अस्थाई व्याख्याताओं ने राज्य सरकार को ज्ञापन देकर अपनी इस पीडा से परिचित कराया है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इन ज्ञापनों पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) राज्य के राजकीय महाविद्यालयों में सत्रान्त 89–90 तक कुल 239 पूर्णतया अस्थायी व्याख्याता कार्यरत थे। उनमें से दो वर्ष या इससे अधिक समय से कार्यरत 141 व्याख्याता हैं।

(2) जी हां। व्याख्याताओं की नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित की हुई थी। किन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान देने के कारण इनकी शैक्षणिक योग्यताओं में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है। शैक्षणिक योग्यताओं का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है। जिस हेतु कार्यवाही चल रही है। शैक्षणिक योग्यताओं का निर्धारण होते ही इन अस्थाई व्याख्याताओं की नियमित नियुक्ति हेतु कार्यवाही होगी।

(3) व्याख्याताओं के रिक्त पदों पर अल्प समय के लिए नियुक्ति राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय (शाखा) नियम–1986 के नियम–29 के अन्तर्गत की जाती है। इस प्रकार की नियुक्ति की व्यवस्था छात्रों के हित में की गई है।

(4) जी हां शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित करने हेतु कार्यवाही की जा रही हैं।

**टौंक में केन्द्रीय बस स्टैण्ड**

109. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टौंक) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या टौंक जिला मुख्यालय पर पथ परिवहन निगम के सुविधायुक्त केन्द्रीय बस स्टेण्ड की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त व्यवस्था नहीं होने के कारण बसें सड़क के किनारे खड़ी रहती है जिससे यातायात अवरुद्ध रहता है ?

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

(3) क्या सरकार जनहित में उक्त स्टेण्ड की व्यवस्था अविलम्ब करवाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। अब तक उपयुक्त स्थान पर भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण निगम द्वारा नये बस स्टेन्ड की व्यवस्था नहीं की जा सकी है।

(2) जी हां।

(3) जी हां। उपयुक्त स्थान पर भूमि अनाप्ति के पश्चात् ही व्यवस्था कराया जाना संभव होगा।

**राजकीय जगन्नाथ बालिका माध्यमिक विद्यालय जसवन्तगढ़**

110. **श्री हरिश्चन्द्र कुमावत** (नावां) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजकीय जगन्नाथ बालिका माध्यमिक विद्यालय जसवन्तगढ़ (जिला नागौर) में प्रधानाध्यापिका का पद कब से रिक्त हैं तथा उसका क्या कारण है ?

(2) क्या उक्त विद्यालय के अध्यापक श्री इकबाल अहमद के विरुद्ध सेवा मामलों में अनियमितताओं की कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? विगत 10 वर्षों में वे कहां-कहां पद स्थापित रहे हैं।

उत्तर

(1) राजकीय जगन्नाथ बालिका माध्यमिक विद्यालय जसवन्तगढ़ जिला नागौर में प्रधानाध्यापिका का पद 3.3.86 से स्थानान्तरण के कारण रिक्त है।

(2) जी हां। श्री इकबाल अहमद के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की प्राथमिक जांच में उन्हें दोषी पाये जाने पर निलम्बित कर दिया गया है एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। गत 10 वर्षों में वे निम्न स्थानों पर रहे :—

1. रा. बा. मा. वि. मुण्डवा में।
2. बी. एड. प्रशिक्षण हेतु।
3. रा. बा. मा. वि., जसवन्तगढ़ में।

**शिक्षित बेरोजगारों को ऋण**

111. **श्री किशनाराम** (श्री डूंगरगढ़) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चूरू जिले में पिछले 5 वर्षों में कितने शिक्षित बेरोजगारों को ऋण दिये जा चुके हैं ? उनमें से शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगारों का प्रतिशत अलग-अलग क्या है ?

(2) क्या यह सही नहीं है कि इनमें शहरी शिक्षित बेरोजगारों का प्रतिशत ज्यादा है जबकि ग्रामीण शिक्षित बेरोजगारों से अधिक है ? यदि हां तो यह असमानता क्यों है ?

उत्तर

(1) चूरू जिले में पिछले 5 वर्षों में 1017 शिक्षित बेरोजगारों को ऋण वितरण किया जा चुका है। उनमें से शहरी क्षेत्र का 69 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र का 31 प्रतिशत है।

(उद्योग मंत्री)

(2) जी हाँ। 1 वर्ष 1989-90 को छोड़कर सभी वर्षों में शहरी क्षेत्र के लाभान्वित अभ्यार्थियों का प्रतिशत अधिक है शहरी क्षेत्रों में लाभान्वितों का प्रतिशत अधिक होने के मुख्य कारण शहरी क्षेत्र में अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होना, बैंकों की संख्या अधिक होना शिक्षित लोगों की संख्या अधिक होना व शिक्षण संस्थाओं का अधिक होना है।

तारांकित प्रश्न संख्या 112
**(स्थगित)**

**जिप्सम का उत्पादन**

113. **श्रीमती सूर्य कान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या खनिज राज्य मन्त्री यह बताने का कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम गत तीन वर्षों से राज्य में खनिज जिप्सम के उत्पादन में सबसे अग्रणी रहा है ?

(2) क्या निगम ने उक्त वर्षों में जिप्सम उत्पादन के स्तर को बनाये रखने के लिए नये क्षेत्रों की पहचान की है व उन क्षेत्रों के लिए आवेदन किया है ?

(3) यदि हाँ, तो सरकार ने कितना क्षेत्र निगम को आवंटित किया ? इनमें से कितना क्षेत्र बीकानेर संभाग का है ? यदि नहीं, तो किस कारण से इस सम्भाग में एक भी क्षेत्र का आवंटन निगम को नहीं किया गया ?

(4) क्या इन क्षेत्रों को आवंटित नहीं किए जाने से राज्य सरकार को राजस्व की आय नहीं हुई ?

उत्तर

(1) जी नहीं। निगम ने केवल वर्ष 1987-88 एवं 1988-89 में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किया है।

(2) जी हां। इन नये क्षेत्रों में जिप्सम भण्डार ज्ञात करने के लिए निगम ने पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये हैं।

(3) अब तक कोई क्षेत्र निगम को आवंटित नहीं किया है। कुल आवेदित क्षेत्रों में से बीकानेर संभाग में 2507 हैक्टर्स क्षेत्र आवेदित किये हैं। राज्य सरकार की नीति के अनुसार बीकानेर संभाग में कोई क्षेत्र उक्त निगम को स्वीकृत नहीं करने हैं। इस सम्भाग में केवल राजस्थान राज्य एवं खनिज निगम लि. को जिप्सम क्षेत्र स्वीकृत करने की नीति है।

(4) जी नहीं। जब तक इन क्षेत्रों का पूर्वेक्षण कर जिप्सम के भण्डार सिद्ध नहीं हो जाते तब तक लाभ हानि का आंकलन करना सम्भव नहीं है।

**अमरपुरा (डीडवाना) ग्राम में जी. एल. आर. का निर्माण**

114. **श्री मनोहर सिंह** (लाडनूं) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री मनोहर सिंह)

(1) क्या यह सही है कि तहसील डीडवाना के ग्राम अमरापुरा में जी. एल. आर. निर्माण की सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि स्वीकृति के पश्चात आज दिन तक इस गांव में जी. एल. आर. नहीं बनाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि जी. एल. आर. के बिना इस गांव को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है ?

(3) क्या सरकार विलम्ब एवं कार्य प्रमाद के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(4) ग्राम अमरापुरा में स्वीकृत शुदा जी. एल. आर. कब तक बनकर तैयार हो जाएगा ?

उत्तर

(1) ग्राम अमरापुरा में जी. एल. आर. के निर्माण की स्वीकृति नहीं दी गई है।

(2) ग्राम अमरापुरा, डीडवाना नगर से पाइप लाईन द्वारा जुड़ा हुआ है। ग्राम में स्थित लगभग 10,000 लीटर क्षमता के सार्वजनिक कुएं पर बने कोठे को प्रतिदिन दो बार भरा जाकर वितरण किये जाने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त ग्राम में एक सार्वजनिक नल भी लगा हुआ है।

(3) कार्यवाही अपेक्षित नहीं हैं।

(4) फिलहाल जी. एल. आर. स्वीकृत नहीं है फिर भी जी. एल. आर. का निर्माण धन की उपलब्धता के अनुसार किया जाना सम्भव होगा।

**कोलाना ग्राम–बांदीकुई में 132 के. वी. सब स्टेशन हेतु अवाप्त भूमि**

115. श्री रामकिशोर सैनी (बांदीकुई) :—क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या आप विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के कोलाना ग्राम से खसरा नं. 368 की 19 बीघा भूमि 132 के. वी. सब-ग्रीड स्टेशन के लिए अवाप्त की गई है ?

(2) क्या उक्त भूमि का खातेदारान को मुआवजा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) अब भूमि के खातेदारान को मुआवजा के रूप में कितनी राशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

(4) क्या सरकार सब-ग्रिड स्टेशग के उपभोग में आने वाली भूमि के अलावा मौके पर खाली पड़ी शेष खातेदारान की भूमि को वापिस लौटाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उक्त भूमि के 80 प्रतिशत मुआवजे के रूप में 1,17,57.9.98 रुपये का भुगतान राजस्थान राज्य विद्युत मंडल के चैकसंख्या 91344 दिनांक 3-12-1988 द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी, दोसा को

(ऊर्जा मंत्री)

जमा करा दिया गया है। शेष 20 प्रतिशत मुआवजा राशि भूमि अवाप्ति अधिकारी, दौसा द्वारा मांग/अवार्ड जारी किये जाने पर मण्डल द्वारा जमा करा दी जायेगी।

(3) विद्युत मंडल द्वारा 80% मुआवजा राशि का भुगतान भूमि अवाप्ति अधिकारी दौसा को जमा कर दिया गया है। खातेदारों को मुवावजे का वितरण भूमि अवाप्ति अधिकारी दौसा द्वारा किया जाना है।

(4) जी नहीं, 19 बीघा भूमि जो कि खसरा नं. 368 में से आवंटित की गई है भविष्य में ग्रिड सब स्टेशन के विस्तार एवं दूसरे ट्रांसफार्मर लगाने के काम आवेगी। अतः इसे वापिस करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

**उच्च प्राथमिक शिक्षा को पुनः शिक्षा विभाग के अधीन लेना**

116 **श्री अचला राम** (देसूरी),

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (टोंक) एवं

**श्री गुलाम मुस्तुफा खान** (नागौर) :- क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या उच्च प्राथमिक विद्यालयों को पंचायत राज के अधीन देने पर उक्त विद्यालयों की सुचारु रूप से व्यवस्था हो सकी है ?

(2) क्या राज्य सरकार शैक्षिक स्तर के सुधार हेतु उच्च प्राथमिक विद्यालयों को पुनः शिक्षा विभाग के अधीन लेने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) यदि हां, तो इसकी क्रियान्विति कब तक हो जायेगी ?

(4) क्या राज्य सरकार की जानकारी में आया है कि पंचायत के अधीन शिक्षण संस्थाओं के देने से शिक्षा के स्तर में गिरावट आयी है तथा इससे निजी शिक्षण संस्थाओं को बढ़ावा मिला है ? यदि हां, तो राज्य सरकार को तत्कालिक निर्णय लेने में क्या आपत्ति है ?

**उत्तर**

(1) पंचायत राज विभाग को उच्च प्राथमिक विद्यालय (ग्रामीण) दिनांक 8-11-88 को हस्तान्तरित किये गये। सत्र 1989-90 में अपर निदेशक, (ग्रामीण प्राथमिक शिक्षा) एवं जिला शिक्षा अधिकारी स्तर के 27 कार्यालयों का सृजन हुआ। इस परिप्रेक्ष्य में हस्तान्तरण का मूल्यांकन किया जा रहा है।

(2) यह प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) निर्णय गुणावगुण के आधार पर शीघ्र ही लिया जावेगा।

(शिक्षा मंत्री)

(4) विभिन्न स्रोतों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनका आंकलन किया जा रहा है। राज्य सरकार शीघ्र ही विचार कर उचित निर्णय लेगी।

**मैसर्स गुप्ता टैक्सटाइल्स को पाली औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड आवंटन**

117. **श्री जीतमल जैन (अलवर)** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि मैसर्स गुप्ता टैक्सटाइल्स को तत्कालीन राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम (वर्तमान में रीको) द्वारा पाली औद्योगिक क्षेत्र फेज 1 में 4000 वर्ग मीटर का भूखंड नं. ई-7 वर्ष 1976 में उद्योग प्रारम्भ करने हेतु 99 वर्ष की लीज पर आवंटित किया गया था ?

(2) यदि हां, तो क्या राजस्थान वित्त निगम ने उक्त फर्म को आवंटित भूखण्ड पर मकान एवं शैड के निर्माण हेतु ऋण स्वीकृत करने से पूर्ण भूखण्ड का उक्त लीज डीड प्राप्त कर लिया था ?

(3) क्या यह सही है कि मैसर्स शाह जयन्तीलाल प्रेमराज ने दि. 30-3-1984 को उक्त फर्म का नाम परिवर्तन करने का आवेदन किया था एवं दि. 31-3-1984 को आवेदन स्वीकार किया जाकर फर्म का नाम व साझेदारों के नामों में परिवर्तन कर दिया गया था ? यदि हां, तो कृपया आवेदन-पत्र एवं स्वीकृति पत्र की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त नाम परिवर्तन करने से पूर्व मेसर्स गुप्ता टैक्सटाईल की स्वीकृति एवं राजस्थाग वित्त निगम का अनापत्ति पत्र निगम द्वारा प्राप्त कर लिया गया था ? यदि हां, तो उक्त स्वीकृति पत्र एवं अनापत्ति पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। आवेदन पत्र एवं स्वीकृति पत्र की प्रतिलिपियां सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) जी नहीं। इसका आधार मैसर्स गुप्ता टैक्सटाइल्स एवं मैसर्स शाह जयन्तीलाल प्रेमराज के भागीदारों के बीच इस इकाई को बेचने हेतु हुआ एक इकरार था। इकरारनामे की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है। अनियमितता बरतने के विषय में पूर्व ही जांच के आदेश दे दिये गये हैं।

(आवेदन-पत्र एवं स्वीकृतिपत्र तथा इकरारनामे की प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई हैं)

**भाखड़ा एवं गंग कैनाल क्षेत्र में खुशहाली कर**

118. **श्री डूंगरराम पंवार** (टीबी) :- क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि भाखड़ा एवं

(श्री डूंगरराम पंवार)

गंग कैनाल सिंचाई परियोजना क्षेत्र में कृषकों से खुशहाली कर वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो कबसे ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त खुशहालीकर आरम्भ से अब तक लगातार वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त कर प्रत्येक किसान से कुल 165/-रु. प्रति बीघा ही वसूल करना था ? यदि हां, तो अब तक कितना वसूल हो चुका है व कितना वसूल करना बाकी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भाखड़ा सिंचाई परियोजना क्षेत्र में खुशहाली कर वर्ष 1959-60 से वसूल किया जा रहा है। गंग कैनाल क्षेत्र इससे मुक्त है।

(2) जी हां। क्योंकि निर्धारित शुल्क एक मुश्त राशि में नहीं चुकाया गया था, अतः किश्तों में वसूली की जा रही है।

(3) जी हां। वित्तीय वर्ष 1989-90 के अन्त तक 795.32 लाख रुपये वसूल हो चुके, तथा अब 1022.09 लाख रुपये और वसूल करना बाकी है। वर्षवार वसूली के आंकड़ों की तालिका संलग्न कर सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

| वर्ष | वसूल की गई राशि रु0 में |
|---|---|
| 59-60 | 1400 |
| 60-61 | 391486 |
| 61-62 | 335488 |
| 62-63 | 371600 |
| 63-64 | 1035491 |
| 64-65 | 568788 |
| 65-66 | 3224381 |
| 66-67 | 1601586 |
| 67-68 | 3063667 |
| 68-69 | 3653652 |
| 69-70 | 8004098 |
| 70-71 | 2706576 |
| 71-72 | 2853207 |
| 72-73 | 3028676 |

| वर्ष | वसूल की गई राशि रु0 में |
|---|---|
| 73-74 | 3522509 |
| 74-75 | 1428647 |
| योग : | 28587652 |

महा योग वसूल की गई राशि
कुल मांग खुशहाली कर

| | |
|---|---|
| 75-76 | 4402686 |
| 76-77 | 4602797 |
| 77-78 | 3190701 |
| 78-79 | 3167155 |
| 79-80 | 3266183 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 80-81 | 3252340 | 89-90 | 5349116 |
| 81-82 | 3191480 | | |
| 82-83 | 3376980 | | 150943893 |
| 83-84 | 3157953 | | |
| 84-85 | 3221558 | | |
| 85-86 | 3119313 | | 79531545 |
| 86-87 | 3445683 | | 181740782 |
| 87-88 | 2631437 | | |
| 88-89 | 1567511 | शेष राशि | 102209247 |

### खण्डार क्षेत्र के औषधालयों में दवाइयां

119. **श्री चुन्नीलाल** (खण्डार) :- क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वित्तीय वर्ष 1989-90 में विधान सभा क्षेत्र खण्डार के औषधालयों के लिये दवाइयों के मद में कितनी राशि का प्रावधान था तथा कितनी राशि की दवाइयां उपलब्ध कराई गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त औषधालयों में दवाइयों के अभाव के सन्दर्भ में सरकार भविष्य में क्या व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

**उत्तर**

(1) वांछित विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) औषधालयों में दवाइयों का अभाव न रहे इस हेतु राज्य सरकार रसायनशालाओं की निर्माण क्षमता में विस्तार और उनके आधुनीकरण की योजना रखती हैं। साथ ही प्रक्रिया को सरल कर पर्याप्त मात्रा में कच्ची औषधियां एवं घटक द्रव्य क्रय करने के लिए भी प्रयत्नशील हैं।

विधान सभा क्षेत्र खण्डार में संचालित विभागीय औषधालयों को वर्ष 1989-90 में स्वीकृत औषध बजट एवं वितरित की गयी औषधियों का विवरण :—

| क्र. सं. | नाम औषधालय | स्वीकृत औषध बजट | (राशि रुपयों में) वितरित औषधियां |
|---|---|---|---|
| 1 | पांचोलास | 8500 | 1258.30 |
| 2 | पलौदी | 2000 | 872.35 |
| 3 | बहरावंडाकलां | 6500 | 1258.30 |
| 4 | बहरावंडा खर्द | 5300 | 872.35 |
| 5 | गोठड़ा | 4300 | 1418.70 |
| 6 | गेहूंकलां | 2000 | 1418.70 |
| 7 | बालेर | 7500 | 1418.70 |
| 8 | तलावड़ा | 4700 | 1418.70 |
| 9 | गन्डावरा | 4100 | 872.30 |
| 10 | छान | 5300 | 1418.70 |
| 11 | भूरी पहाड़ी | 2000 | 14 8.70 |
| 12 | लहसोडा | 5700 | 1418.70 |
| 13 | कुरेडी | 3000 | 1418.70 |
| 14 | टापर | 5100 | 1249.55 |
| 15 | भगवतगढ़ | 6000 | 637.65 |
| 16 | शिवाड़ | 28500 | 3598.05 |
| 17 | पांवडेडा | 3900 | 1098.20 |
| 18 | सारसोप | 2000 | 1098.20 |
| 19 | कुश्तला | 4400 | 1098.20 |
| 20 | जोला | 3700 | 1098.20 |
| 21 | दौलतपुरा | 3000 | 964.55 |
| 22 | खण्डार | 5300 | 872.33 |
| 23 | खानपुर (वर्ष 88-89 में नवीन स्वीकृत) | 2000 | 1265.60 |

**नीम का थाना उपखण्ड के मिनीमेट लाइम स्टोन खानों में ब्लास्टिंग**

120. **श्री फूलचन्द गुर्जर** (नीम का थाना) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नीम का थाना उपखण्ड (सीकर) के लक्की मिनीमेट लाईम स्टोन खान में ब्लास्टिंग नियमों की पालना नहीं की जाती है जिससे झामावास ग्राम में अधिकतर मकान क्षतिग्रस्त होने व ग्रामवासियों की जान माल की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है ?

(2) यदि हां, तो उक्त अवैध ब्लास्टिंग खनन कार्य को तुरन्त रोकने हेतु सरकार क्या कार्यवाही करेगी।

(3) ब्लास्टिंग के बारे में क्या नियम/निर्देश प्रवृत्त हैं ? प्रति सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(2) यदि कोई ब्लास्टिंग सम्बन्धी अनियमितता पाई गई तो नियमानुसार पट्टाधारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध में खान सुरक्षा विभाग (भारत सरकार) को भी सूचित किया गया है।

(3) ब्लास्टिंग के बारे में मेटलीफेरस माइन्स रेग्यूलेशनस, 1961 के नियम 160–170 के अन्तर्गत आवश्यक निर्देश प्रवृत्त हैं जिनकी प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(निर्देशों की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

**कंवरसेन (लूणकरसर बीकानेर लिफ्ट नहर क्षेत्र के जलप्रदाय योजनायें**

121. **श्री मनीराम सियाग** (लूणकरणसर) :-क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कंवरसेन लूणकरणसर बीकानेर लिफ्ट नहर के साथ-साथ कितनी ग्रामीण जलप्रदाय हो चुकी व कितनी अधूरी पड़ी हैं ? क्या सरकार इन अधूरी योजनाओं को पूरा करने का इरादा रखती है ?

(2) उक्त पर अब तक कितना-कितना व्यय हो चुका है।

(3) उक्त योजना में कितनी-कितनी क्षमता की डिग्गियां बनाई गई। ? क्या सभी पर फिल्टर प्लान्ट की व्यवस्था है ? यदि नहीं तो क्यों ? लूणकरणसर, नाथवाणा, अर्जुनसर में अब भी जल संग्रह टैंक व साफ किये हुये पानी की व्यवस्था नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

(4) क्या उक्त लिफ्ट नहर के अन्तिम छोर पर बीकानेर को पानी देने की विचारार्थ जल प्रदाय योजना पिछले 10–12 साल से अधूरी पड़ी है ? इसे कब तक पूर्ण करवा दिया जाएगा।

(श्री मनीराम सियाग)

(5) उक्त योजना के भंडारन टैंक का निर्माण कार्य इतने वर्षों से चालू नहीं करवाये जाने के क्या कारण रहे ? क्या इसके अभाव में लिफ्ट नहर के सभी पम्पों को बराबर चलाने से अतिरिक्त खर्चा वहन करना पड़ता है ?

उत्तर

(1) कंवर सेन लूणकरणसर लिफ्ट नहर के साथ बनाई गई ग्रामीण योजनाओं का विवरण संलग्न प्रपत्र "अ" में दिया गया है।

(2) मई, 90 तक उक्त योजनाओं पर 472 लाख 97 हजार रुपये व्यय किये जा चुके हैं। विवरण संलग्न प्रपत्र "ब" में दर्शाया गया है।

(3) वांछित विवरण संलग्न प्रपत्र "ब" में दर्शाया गया है। सभी योजनाओं पर फिल्टर बनाये गये हैं। लूणकरणसर, नाथवाणा एवं अर्जुनसर (मिठडिया) में जल संग्रह टैंक एवं फिल्टर बने हुए हैं। परन्तु अर्जुनसर में फिल्टर की क्षमता कम होने के कारण आंशिक मात्रा में तथा नाथवाणा में 'फिल्टर मीडिया' उपलब्ध न होने के कारण पूर्ण मात्रा में बिना फिल्टर किया हुआ पानी वितरित किया जाता है। लूणकरणसर में पर्याप्त मात्रा में फिल्टर किया हुआ पानी दिया जा रहा है।

(4) उक्त लिफ्ट नहर के अन्तिम छोर पर बीकानेर नहर को 625 लाख लीटर प्रतिदिन जल 1990–91 तक उपलब्ध कराया जाना था जिसके विरुद्ध लगभग 22 लाख लीटर पेयजल प्राप्त कर वितरित किया जा रहा है। योजना पर लंबित रॉ वाटर टैंक शेष क्षमता के फिल्टर प्लान्ट एवं अन्य संबंधित कार्यों को आगामी वर्षों में धन उपलब्धि के अनुसार पूर्ण किया जावेगा।

(5) भंडारण टैंक योजना का कार्य समुचित धनराशि उपलब्ध न होने के कारण पूर्ण नहीं हो सका है। लिफ्ट नहर के पम्पों को चलाने पर अतिरिक्त व्यय नहीं हो रहा है।

(विवरण की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

**झाडोल तहसील गांव का**

**विद्युतिकरण**

122. **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया):– क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) तहसील झाडोल, जिला उदयपुर में गांवों का विद्युतीकृत करने की योजना कब-कब बनाई जाकर किन-किन गांवों को सम्मिलित किया गया। उनमें से किस-किस गांव में कब-कब विद्युतिकरण किया जाकर किस-किस किसानों को कुओं पर कब-कब कनेक्शन दिया गया ? किसान का नाम, पिता का नाम, आवेदन करने की दिनांक स्थान, पंचायत डिमांड नोटिस जारी करने की दिनांक, राशि जमा कराने की दिनांक, कनेक्शन की दिनांक सहित विगत पांच वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में

(श्री कुबेर सिंह)

उक्त तहसील के पूर्व बनाई गई उक्त योजनाओं के अन्तर्गत एक भी गांव विद्युतिंरण हेतु शेष नहीं है ? यदि हां तो अगली योजना क्यों नहीं बनाई गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि विभाग को उक्त तहसील के गांवों की विद्युतिकरण योजना बनाने हेतु कई पत्र जनप्रतिनिधियों द्वारा लिखे गये ? यदि हां, तो उन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई ? ऐसे पत्रों एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार नई योजना बनाने में कार्य शिथिलता के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर नई विद्युतिकरण योजना शीघ्र बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब एवं क्या ? नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) तहसील झाडोल, जिला उदयपुर में गांवों के विद्युतिकरण हेतु स्वीकृत योजनाओं का दिनांक एवं उनमें सम्मिलित किये गये गांवों की सूची परिशिष्ट "अ" में सदन के पटल पर रख दी गई है। गांव के विद्युतिकरण का दिनांक एवं उसमें दिनांक 31–3–1990 तक दिये गये कृषि कनेक्शन की संख्या भी उपरोक्त सूची में दर्शा दी गई है। प्रश्न में चाही गई अन्य सारी सूचनाये एकत्र करने में काफी धन व समय लगेगा।

(2) जी हां, । तहसील झाडोल के शेष 138 अस्वीकृत गांवों में विद्युतिकरण की योजना बनाने का प्रयास वर्ष 1989-90 से किया जा रहा है, किन्तु तकनीकी एवं अन्य कारणों से अब तक साध्य योजना नहीं बन पाई है।

(3) जी हां, । माननीय सदस्य द्वारा दिनांक 8-1-1990 को लिखा एक पत्र भूतपूर्व ऊर्जा मंत्री व इस ही दिनांक का दूसरा पत्र अध्यक्ष, विद्युत मण्डल को अस्वीकृत ग्रामों के विद्युतिकरण हेतु स्वीकृत कराये जाने के क्रम में प्राप्त हुआ था। जैसा कि उपरोक्त (2) में उल्लेख किया गया है, अस्वीकृत ग्रामों से विद्युतिकरण हेतु योजना बनाने का प्रयास वर्ष 1989–90 से ही जारी है।

(4) तहसील झाडोल के बचे हुये ग्रामों की विद्युतिकरण योजना बनाने में किसी प्रकार की कार्य शिथिलता नहीं रही है और न ही कोई अधिकारी इसके लिये दोषी है। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(209)

परिशिष्ट—अ

| क्रम सं. | योजना का नाम | स्वीकृती जारी करने की दिनांक वर्ष | क्र. सं. | योजना में स्वीकृत गांवों का नाम | कोड नं.1971 की जनगणना के अनुसार | गांव के विद्युतीकरण की दिनांक | 31-3-90 तक किये गये कृषि कनेक्शनों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | एम. एन. पी. (ट्राइबल) पंचायत समिति झाडोल | 77-78 | 1. | झाडोल | 20/13/69 | 18-9-79 | 34 |
| | | | 2. | गणेशपुर | 73 | 18-9-79 | 1 |
| | | | 3. | खोकर | 120 | 15-11-79 | 27 |
| | | | 4. | अखरदा | 72 | 30-10-79 | 9 |
| | | | 5 | मोदाना | 74 | 18-9-79 | 5 |
| | | | 6. | गोगला | 75 | 20-12-79 | 32 |
| | | | 7. | बदराना | 56 | " | 21 |
| | | | 8. | नया गांव | 115 | 19-12-79 | 16 |
| | | | 9. | मगवास | 119 | 18-12-79 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | एम.एन.पी. (ट्राइबल) पंचायत समिति फाडोल | 77–78 | 10. | दामाना | 118 | 27–12–79 | 3 |
| | | | 11. | जोठाना | 126 | 26–8–80 | — |
| | | | 12. | कोचला | 122 | 25–3–81 | 21 |
| | | | 13. | सुल्तान जी का खेड़ा | 121 | 21–3–81 | 15 |
| | | | 14. | दूदाकिया | 70 | 30–3–80 | 10 |
| | | | 15. | खाखरिया खेड़ा | 57 | 31–3–80 | 19 |
| | | | 16. | बेलानिया | 68 | 29–12–79 | 10 |
| | | | 17. | पीकालिया | 117 | 20–10–79 | 3 |
| | | | 18. | लूनियारा | 113 | 24–3–80 | — |
| | | | 19. | जटवाड़ा | 96 | 24–3–80 | 4 |
| | | | 20. | कोलवारी | 161 | 16–3–80 | 5 |
| | | | 21. | ग्रामोदा | 156 | 26–8–80 | 5 |
| | | | 22. | देपडावास | 158 | 30–3–80 | 1 |
| | | | 23. | बिछीवाड़ा | 193 | 7–1–80 | 72 |
| | | | 24. | रानीवाड़ा | 173 | 26–11–80 | — |
| | | | 25. | तमदार | 189 | 30–6–80 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | एम. एन. पी. (ट्राईवल) पंचायत समिति भाडोल | | | 26. पलासिया | 209 | 7–80 | 3 |
| | | | | 27. श्यामपुर कलां | 190 | ,, | — |
| | | | | 28. धीमरी | 134 | 26–3–81 | 3 |
| | | | | 29. बांसवाड़ी | 20/13/132 | 26–3–81 | 10 |
| | | | | 30. लूनावतों का खेड़ा | 149 | 24–3–81 | 3 |
| | | | | 31. बादाद | 148 | 29 3–81 | — |
| | | | | 32. कन्थारिया | 150 | 30–3–81 | 6 |
| | | | | 33. अघालिया | 151 | ,, | 2 |
| | | | | 34. खारडिया | 152 | 31–3–81 | 7 |
| | | | | 35. ब्राह्मणों का खोखाड़ा | 63 | 27–3–80 | 19 |
| | | | | 36. नामली | 59 | ,, | 8 |
| | | | | 37. भाडोल | 66 | 31–3–80 | 12 |
| | | | | 38. सालखेड़ा | 60 | 29–2–80 | 5 |
| | | | | 39. चागला | 65 | 29–3–80 | 10 |
| | | | | 40. गोराना | 64 | — | 39 |

Page No. 207



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | एम.एन.पी. (ट्राइबल) पंचायत समिति झाडोल | 77–78 | 41. | बीरो | 124 | 31–11–80 | 2 |
| | | | 42. | श्यौपुरा | 125 | 18–7–79 | 4 |
| | | | 43. | छत्तरपुरा | 133 | 27–3–81 | 3 |
| | | | 44. | गोडावाड़ा | 153 | 31–3–81 | 1 |
| | | | 45. | लीलावास | 71 | 18–9–79 | 5 |
| | | | 46. | लीखांगुढा | 76 | 19–12–79 | 4 |
| | | | 47. | बानपुरा | 116 | 15–11–79 | 1 |
| | | | 48. | भाकरा | 157 | 16–3–80 | 3 |
| | | | 49. | नयाखोला | 192 | 7/80 | 1 |
| | | | 50. | श्यामपुरा खुर्द | 191 | " | — |
| | | | 51. | सारना | 61 | 29–2–80 | 2 |
| | | | 52. | नादेला | 58 | [illegible] | 2 |
| | | | 53. | कीरत | 114 | 27–12–79 | 1 |
| | | | 54. | छाटरड़ी | 67 | 31–3–80 | 7 |
| | | | 55. | बाड़ी | 127 | 31–3–81 | 2 |

| 1 2 | 3 | 4 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. (एम.एन.पी ट्राइबल) पंचायत समिति झाडोल | | 56. कृपा चौकी | 123 | 25–3–81 | — |
| | | 57. सेमला | 154 | 31–3–91 | — |
| | | 58. टाडी बेरी | 155 | — | — |
| | | 59. खेराड़ | 171 | 30–3–80 | 2 |
| | | 60. घोड़ी नारी | 172 | ,, | — |
| 2. आर.एम.एन.पी. झाडोल कोड नं. 179112 | 83-84 (फरवरी, 84) | 1. पालिखा खेड़ा | 20/13/128 | 1/85 | 1 |
| | | 2. सैलाना | 131 | 2/85 | 2 |
| | | 3. सालादरी | 130 | 1/85 | 1 |
| | | 4. मकड़ा देव | 135 | 2/85 | 10 |
| | | 5. फालापाड़ा | 137 | ,, | 2 |
| | | 6 बुझा | 136 | 30–8–89 | — |
| | | 7. मानस | 145 | 1/85 | 6 |
| | | 8. धामनी | 144 | 31–3–86 | 1 |
| | | 9. मासींगपुर | 146 | 1/86 | 5 |
| | | 10. चौकड़ी | 143 | 2/85 | 1 |
| | | 11. जेकरा | 142 | 1/85 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2. ग्रा.र.एम.एन.पी. भाडोल कोड नं. 179112 | | 12. बागपुरा | 147 | ,, | 23 |
| | | | 13. रीछावड़ | 202 | 20-10-85 | 2 |
| | | | 14. गोरान | 196 | 1/85 | 13 |
| | | | 15. मादरी | 196 | 10/85 | 6 |
| | | | 16. गाडरियावास | 18 | 31-3-86 | — |
| | | | 17. देवास | 14 | 31-3-86 | 2 |
| | | | 18. बान्डबेल | 13 | 20-2-85 | 5 |
| | | | 19. अकेदार | 121 | 11/87 | — |
| | | | 20. छीचाल्या | 62 | 31-12-88 | — |
| | | | 21. चान्दवास | 19 | ,, | 3 |
| | | | 22. मालपुर | 20 | ,, | 1 |
| | | | 23. तलाई | 17 | ,, | — |
| | | | 24. दादावली | 11 | 1/88 | — |
| | | | 25. मुण्डावली | 15 | ,, | — |
| | | | 26. देवला | 16 | 30-8-89 | — |
| | | | 27. सालर | 10 | 30-1-90 | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | आर.एमएन.पी. झाडोल कोड नं. 179112 | 83–84 (फरवरी 84) | 28. | मोहम्मद फलासिया | 21 | 30–11–86 | 1 |
| | | | 29. | अमरपुरा | 55 | 10/86 | 1 |
| | | | 30. | झांझरकी पाल | 78 | 2–88 | — |
| | | | 31. | गोडावतों का पारा | 77 | 12–88 | — |
| | | | 32. | मेलानिया कलां | 111 | ,, | — |
| | | | 33. | मेलानिया खुर्द | 110 | 1/89 | — |
| | | | 34. | सरवाली | 109 | 12/88 | — |
| | | | 35. | ओरा | 90 | 31–3–86 | 2 |
| | | | 36. | सनीवाड़ा | 99 | 10/88 | 1 |
| | | | 37. | उबापान | 97 | 28–2–80 | — |
| | | | 38. | बरवाली | 112 | 2/88 | — |
| | | | 39. | खेड़ा | 100 | 12/88 | — |
| | | | 40. | करावलवाड़ी | 107 | 11/88 | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | आर.एम.एन.पी. भाडोल कोड नं. 179112 | 83–84 (फरवरी 84) | 41. | घोबाबाड़ा | 20/13/79 | 31 3–86 | 2 |
| | | | 42. | काकरमाता | 87 | 3/88 | — |
| | | | 43. | उपदेता | 54 | ,, | — |
| | | | 44. | कीतावातों का बास | 88 | 1/89 | — |
| | | | 45. | अम्बाबावी | 53 | 30–9–89 | — |
| | | | 46. | भावरिया | 43 | ,, | — |
| | | | 47. | कुन्डल | 42 | ,, | — |
| | | | 48. | नेताजी का बाड़ा | 22 | 30–8–89 | — |
| | | | 49. | कीतावतों का खेड़ा | 25 | 30–9–89 | — |
| | | | 50. | पीपलवाड़ा | 23 | 30–1–90 | — |
| | | | 51. | चौहानवास | 7 | 30–12–89 | — |
| | | | 52. | भूरा | 8 | ,, ,, | — |
| | | | 53. | चोखला वास | 9 | ,, ,, | — |

# Page No. 212



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2. आर.एम.एन.पी. झाडोल कोड नं. 179112 | 83–84(फरवरी) | | | | | |
| | | | 54. | देवड़ावास | 5 | 30–11–89 | — |
| | | | 55. | बाजावतो का खेड़ा | 3 | ,, ,, | — |
| | | | 56. | बेलवा उर्फ दारमिया | 107 | ,, ,, | — |
| | 3. एम.एन.पी (टी.) गोगुन्दा कोबड़ा (प.स- झाड़ोल) | 1977 78 | | | | | |
| | | | 1. | अटालिया | 20/13/6 | 25–10–82 | 4 |
| | | | 2. | ओगणा | 24 | ,, ,, | 19 |
| | | | | | | कुल योग : | 565 |

### परिवहन निगम का कोटा आगार

123. **श्री बृज राज मीणा** (दीगोद) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन के कोटा आगार में कुल कितनी बसों की आवश्यकता है तथा वर्तमान में कितनी बसें उपलब्ध है तथा कितनी बसें खराब हालत में हैं ?

(2) क्या यह सही है कि निगम ने डिप्टी जनरल मैनेजर के कार्यालय भवन को किराये पर ले रखा है ? यदि हां, तो कितने रुपये किराये पर ?

(3) क्या सरकार उक्त डिपो में बसों की अव्यवस्था, बसों का समय पर नहीं चलना, ओवर लोड चलना आदि में सुधार करने का विचार रखती है ?

#### उत्तर

(1) परिवहन निगम के कोटा आगार में कुल 76 बसों की आवश्यकता है, वर्तमान में कुल 77 बसें उपलब्ध हैं। इनमें से 29 बसें सात वर्ष से अधिक पुरानी होने के कारण संचालन में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है।

(2) जी हां। किराया पी. डब्ल्यू. डी. के असेसमेन्ट के अनुसार होगा अभी असेसमेन्ट नहीं हुआ है।

(3) जी हां। जैसे-जैसे नई बसें प्राप्त होंगी उनसे पुरानी को बदल दिया जायेगा।

### सपोटरा क्षेत्र के विद्यालय

124. **श्री प्रभूलाल** (सपोटरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में कितने हायर सैकण्डरी, सैकण्डरी स्कूल हैं ? इनमें प्रत्येक में कितने-कितने अध्यापकों के पद कब से रिक्त हैं और क्यों ?

(2) क्या राज्य सरकार इन पदों को भरने का इरादा रखती है ? यदि हां तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(3) उक्त क्षेत्र में उपरोक्त विद्यालयों के लिये क्या पर्याप्त भवन है ? यदि नहीं, तो किस-किस स्थान के विद्यालयों के भवन अपर्याप्त हैं या भवन ही नहीं हैं ?

(4) क्या राज्य सरकार ऐसे विद्यालयों के भवन बनाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों नहीं ?

#### उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में तीन सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा सोलह माध्यमिक विद्यालय हैं। रिक्त पदों की स्थिति संलग्न सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न हैं।

(2) जी हां। रिक्त पदों को शीघ्र भरने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) उपलब्ध सूचना के अनुसार सभी विद्यालयों के भवन हैं। तेरह विद्यालयों के भवन अपर्याप्त हैं। अपर्याप्त वाले विद्या-

(शिक्षा मंत्री)

लयों की सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न हैं।

(4) राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं यथा सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, विश्व खाद्य कार्यक्रम तथा नवें वित्त आयोग के अवार्ड के अन्तर्गत एवं जन सहयोग से विद्यालय भवनों का निर्माण कराया जाता है। जैसे जैसे उक्त योजनाओं एवं जन सहयोग से धन उपलब्ध होगा, विद्यालय भवनों का निर्माण करना होगा।

परिशिष्ठ "क"

### रिक्त पदों की सूची

| विद्यालय | रिक्त पद | | कब से रिक्त है |
|---|---|---|---|
| सपोटरा | व्याख्याता | | एक पद 12.12.88 एवं दो पद 1.5.90 से |
| नारौलीडांग | व्याख्याता | 2 | 20.3.90 एवं 25.4.90 |
| सैमदरा अस्थल | तृतीय श्रेणी | 2 | 1.2.89 |
| हाड़ौती | द्वितीय श्रेणी | 2 | 9.10.89 एवं 17.8.89 |
| | तृतीय श्रेणी | 1 | 13.2.90 |
| डाबर | द्वितीय श्रेणी | 1 | 17.5.90 |
| सुलेमपुर | द्वितीय श्रेणी | 1 | 31.3.90 |
| बालौती | द्वितीय श्रेणी | 1 | 17.9.89 |
| भाखरी | तृतीय श्रेणी | 1 | 1.1.90 |
| अहूदा | द्वितीय श्रेणी | 3 | 16.12.89 |
| सपोटरा (बालिका विद्यालय) | द्वितीय श्रेणी | 1 | अप्रेल, 90 से सेवा निवृति के कारण |
| मण्डरायल (बालिका विद्यालय) | द्वितीय श्रेणी | 3 | दिसम्बर, 89 नव सृजन पद |

परिशिष्ट "ख"

### सपोटरा विधान सभा क्षेत्र के अपर्याप्त विद्यालय भवनों की सूची

1/ राजकीय माध्यमिक विद्यालय, भाकरी।
2/ राजकीय माध्यमिक विद्यालय, करणपुर।
3/ राजकीय माध्यमिक विद्यालय, हाड़ौती।
4/ राजकीय माध्यमिक विद्यालय, चौड़ागांव
5/ राजकीय माध्यमिक विद्यालय, डाबरा।
6/ राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सलेमपुर।

7/ राजकीय माध्यमिक विद्यालय, खेड़ला।
8/ राजकीय माध्यमिक विद्यालय, रोधई।
9/ राजकीय माध्यमिक विद्यालय, अहूदा।
10/ राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सैमरदा अस्थल।
11/ राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, सपोटरा।
12/ राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, नारोलीडोंग।
13/ राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, मण्डरायल।

**ग्रोथ सेन्टर्स**

1.5. **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में ग्रोथ सेन्टर कहां-कहां स्वीकृत हुए हैं एवं राज्य सरकार ने किन-किन जिलों के बारे में अपनी अभिशंसायें भेजी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) ग्रोथ सेन्टर कब से प्रारम्भ कर दिये जायेंगे तथा इनमें क्या क्या सुविधाएं दी जानी प्रस्तावित हैं ?

(3) राज्य के कौन-कौन से जिले औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें। इन जिलों के औद्योगिक विकास हेतु सरकार की क्या योजना है ?

(4) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े माने जाने के क्या मापदण्ड निर्धारित हैं ?

(5) क्या यह सही है कि बाछवाल औद्योगिक क्षेत्र बीकानेर में 15 प्रतिशत अनुदान बंद कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(6) क्या यह भी सही है कि विभाग द्वारा समय-समय पर कई उद्योगों के लिये अनुदान राशि देने पर रोक लगा दी जाती है एवं बिक्री कर में दी गई छूट बीच में उठाये जाने से औद्योगिक विकास में रुकावट आई है ?

**उत्तर**

(1) राज्य सरकार द्वारा बीकानेर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, झालावाड़, आबूरोड़ (सरोही) अजमेर, एव अलवर में ग्रोथ सेन्टर स्थापित करने हेतु केन्द्र सरकार को यथा वांछित प्रस्ताव भेजे गये थे। राजस्थान में ग्रोथ सेन्टर बीकानेर, भीलवाड़ा, झालावाड़, आबूरोड़ (सिरोही) में स्वीकृत हुए हैं। तदोपरान्त राज्य सरकार ने धोलपुर जिले एवं बहरोड़ (अलवर) में भी ग्रोथ सेन्टर स्वीकृत करने हेतु अपनी अभिशंषा भेजी हैं।

(2) ग्रोथ सेन्टर लगभग 2 साल की अवधि में आरम्भ कर देने की सम्भावना है। ग्रोथ सेन्टर स्थापित करने के लिये आधारभूत सुविधाओं को मध्यनजर रखते हुये स्थल चयन का कार्य प्रगति पर है : ग्रोथ सेन्टर्स में सभी आधारभूत सुविधायें एवं सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे का भी सम्पूर्ण ध्यान रखा जायेगा।

(3) राज्य में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों एवं इन जिलों के औद्योगिक विकास हेतु योजना की सूची "क" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े माने जाने वाले जिलों हेतु केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के विवरण की सूची "ख" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(5) जी, हां, 30 सितम्बर 1988 तक बीकानेर जिले में स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाइयों राज्य विनियोजन अनुदान योजना के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त करने की हकदार थी किन्तु राज्य सरकार द्वारा इस योजना की अवधि 30.9.88 के

(उद्योग मन्त्री)

उपरान्त नहीं बढ़ाये जाने के कारण अब अनुदान सुविधा बन्द है ।

(6) भारत सरकार द्वारा दिनांक 30.9.88 के पश्चात् केन्द्रीय विनियोजन अनुदान योजना में वृद्धि नहीं करने के कारण राज्य सरकार द्वारा भी राज्य विनियोजन अनुदान योजना, जो केन्द्रीय विनियोजन अनुदान योजना की पूरक थी, में 30.9.88 के तश्चात् वृद्धि नहीं की गई। यह सही है कि उपलब्ध सुविधाओं को बीच में ही समाप्त कर देने से औद्योगिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता हैं इसको दृष्टिगत रखते हुये राज्य सरकार अनुदान योजना पुनः चालू करने करने पर विचार कर रही हैं। बिक्री कर में छूट सम्बन्धी बिक्री कर प्रोत्साहन योजना लगातार जारी है ।

**सूची – "क"**

**राज्य में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों के नाम—**

1. सिरोही
2. जैसलमेर
3. चूरू
4. बाड़मेर
5. अलवर
6. भीलवाड़ा
6. जोधपुर
8. नागौर
9. उदयपुर
10. बांसवाड़ा
11. डूंगरपुर
12 जालौर
13. झूंझनू
14. सीकर
15. झालावाड़
16. टौंक

इन जिलों में औद्योगिक विकास हेतु सावधि ऋण व्याज की रियायती दरों पर लागू है, इन जिलों में उद्यमियों का योगदान (प्रमोटर्स कन्ट्रीब्यूशन) भी अन्य जिलों की तुलना में कम है व बिक्री कर में छूट अधिक समय तक उपलब्ध है ।

**औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े माने जाने वाले जिलों हेतु केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड :—**

1. प्रमुख फसलों का प्रति व्यक्ति (ग्रामीण जन संख्या) उत्पादन मूल्य ।

2. प्रति 1000 श्रमिकों में गैर कृषि श्रमिकों की संख्या ।

3. प्रति व्यक्ति औद्यो गिक उत्पादन मूल्य (ग्रोस)

4. प्रति एक लाख की जनसंख्या में फैक्ट्री श्रमिकों की जनसंख्या ।

5. बिजली का प्रति व्यक्ति उपयोम ।

6. प्रति एक लाख की जनसंख्या के लिए उपलब्ध सड़कों की लम्बाई ।

**कंटालिया सिंचाई योजना**

126. **श्री लक्ष्मी लाल** (आसीन्द) :- क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील आसीन्द में कंटालिया सिंचाई योजना अधूरी पड़ी हुई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना हर अकाल राहत एवं अन्य योजनाओं से काफी राशि व्यय हो चुकी हैं ? यदि हां, तो कितनी राशि व्यय हो चुकी है ?

(3) अब इस योजना को प्लान में कब शामिल किया जाकर कब कितना कार्य किस वर्ष में कराया जायेगा।

**उत्तर**

(1) जी हां।

(2) इस योजना पर वर्ष 1982-83 में अकाल राहत के अन्तर्गत व वर्ष 1984-85 में एन. आर. ई. पी. के अन्तर्गत कार्य हुआ है, तथा कुल 16.13 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं। इस वर्ष जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 1.00 लाख रु. स्वीकृत हुए हैं तथा उसके अन्तर्गत कार्य करवाया जा रहा है।

3. प्लान मद में इस योजना के बकाया कार्य हेतु तखमीना 22.51 लाख रु. का विचाराधीन है। स्वीकृति जारी होने व बजट उपलब्ध होने हर कार्य को प्लान में लिया जा सकेगा।

**बाली क्षेत्र की वन भूमि में चारागाह**

127. **श्री अमृत लाल** (बाली) :— क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली भेड पालकों की कठिनाइयों को दृष्टि में क्या सरकार वनक्षेत्र की भूमि को चारागाह हेतु आरक्षित करने का विचार रखती है ?

(2) यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

## परिशिष्ट—2

### अतारांकित प्रश्न संख्या 132 की सूची

बाल विकास परियोजना कार्यालय, अजमेर के अधीन संचालित 80 विशेष पोषाहार केन्द्रों की सूची

| क्रमांक | नाम विशेष पोषाहार केन्द्र | क्रमांक | नाम विशेष पोषाहार केन्द्र |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 |

**ब्यावर (राजस्थान जन विकास परिषद)**

1. पंजाबी जी I (संजय नगर)
2. जमालपुरा गली नं. (1)
3. रैगरान मोहल्ला छोटा बास
4. भांबियान मोहल्ला (शाहपुरा)
5. रैगरान मोहल्ला (ओम नगर)
6. डिग्गी मोहल्ला चूनपच्चा गली
7. गोपालजी मोहल्ला—I
8. हरिजन बस्ती—I
9. जमालपुरा गली नं. (1)
10. फतहपुरिया मोहल्ला
11. रैगरान मोहल्ला
12. जामा मस्जिद
13. जटिया कोलोनी—I
14. मोतीपुरा बाड़िया (मसूदा रोड)
15. सांसी बस्ती (सुगन चन्द)
16. मेवाड़ी गेट, लोहार बस्ती
17. गोपाल जी मोहल्ला—II
18. कंजर बस्ती
19. जाटव मोहल्ला
20. हरिजन बस्ती—II
21. जटिया कोलोनी—II
22. खटीकान मोहल्ला
23. सांसी बस्ती (जयन्ती लाल)
24. जटिया कोलोनी (जमना)
25. मसूदा रोड
26. नवरंग लोहार बस्ती, छावनी
27. जाटव मोहल्ला
28. हरिजन बस्ती लीलावती
29. हरिजन बस्ती रामप्रसाद
30. महालक्ष्मी लेबर कोलोनी
31. जमालपुरा गली नं. 2
32. जमालपुरा गली नं. 6
33. जमालपुरा गली नं. 6
34. लेबर कोलोनी
35. एडवर्ड मिल कोलोनी

**नसीराबाद**

1. रसाला मंडी
2. छप्पर बंद मोहल्ला

| 1 | 2 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|

3. कोली मोहल्ला
4: सेवा मण्डी
5. काली माई मोहल्ला
6. गाड़ी मोहल्ला
7. कुम्हार मोहल्ला
8. सेवामण्डी—I
9. रैगर बस्ती
10. गोदाम मण्डी

**विजय नगर**

1. तारों का खेड़ा
2. राजनगर
3. भंवर बाड़ी
4. हरिजन बस्ती
5. राजनगर
6. रैगर मोहल्ला
7. भीलबस्ती—I
8. इन्द्र कोलोनी
9. भील बस्ती—II
10. इन्द्रा कोलोनी

**पुष्कर**

1. हरिजन बस्ती—I
2. नायक बस्ती
3. रैगर बस्ती—
4. रैगर बस्ती—I
5. हरिजन बस्ती—II
6. लुहार बस्ती—I
7. सांसी बस्ती

**केकड़ी**

1. काजीपुरा
2. सांसी बस्ती
3. भट्टा—I
4. भट्टा—II
5. कंजर बस्ती—II
6. सांसी बस्ती
7. हरिजन बस्ती
8. रेगरान मोहल्ला

**किशनगढ़**

1. रैगर बस्ती
2. सरस्वती बाल विद्या मन्दिर (गांधी नगर)
3. लुहार बस्ती (गांधी नगर)
4. गुमानसिंह दरबाजा (शहर)
5. देशवाली मोहल्ला (गांधी नगर)
6. खारी बेरी (गांधी नगर)
7. हरिजन मोहल्ला
8. रैगर बस्ती (देव डूंगरी)
9. कसाई मोहल्ला
10. रैगर बस्ती—I

कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, अजमेर

अजमेर शहर में परियोजना में चल रहे केन्द्रों के नाम निम्न प्रकार से है:—

**सेक्टर नम्बर 1**

1. दौराई
2. खानपुरा I
3. खानपुरा II
4. रामगंज (कंजर बस्ती)
5. रामगंज (कोली बस्ती)
6. गौतम नगर
7. भगवान गंज (साधूबस्ती)
8. अजयनगर
9. रामबाग
10. भगवानगंज (सांसी बस्ती)
11. भगवान गंज हरिजन बस्ती
12. ईसाई मोहल्ला
13. हजारी बाग
14. पहाड़गंज जनता कालोनी
15. पहाड़गंज गूजरबस्ती
16. पहाड़गंज खटीक बस्ती
17. पहाड़गंज जटिया कालोनी
18. आशागंज
19. चांद बावड़ी
20. शान्तिनगर बागड़ी बस्ती
21. सुखाड़िया नगर
22. ट्राम्बे स्टेशन I
23. ट्राम्बे स्टेशन II
24. शीशाखान I
25. शीशाखान II

**सेक्टर नम्बर—2**

26. कुम्हार पाड़ा
27. ईदगाह
28. उसरी गेट
29. पड़ाव
30. पन्नीग्राम चौक
31. गंज
32. कमेला
33. लोगियां I
34. लोगियां II
35. व्यायामशाला चांदी का कुआ
36. अन्द रकोट
37. बाबूगढ़ हिल
38. नागफणी छोटी
39. नागफणी बड़ी
40. बौराज रोड़
41. कोटड़ा
42. नौसर
43. आतेड़ा
44. क्रिश्चियन गंज
45. हरिनगर
46. जवाहर नगर
47. लोहाखान
48. भोपों का बाड़ा I
49. भोपों का बाड़ा II
50. पुलिस लाईन

**सेक्टर नम्बर—3**

51. पलटन बाजार
52. कुन्दन नगर
53. कालू की ढाणी
54. नाका मदार
55. मिस्त्री मोहल्ला गुलाब बाड़ी
56. धानाका बस्ती गुलाब बाड़ी
57. डोरी बस्ती
58. कल्याणीपुरा I
59. कल्याणीपुरा II

60. नयाघर
61. आनन्दपुरी
62. नागबाई
63. पापड़ी का बेरा
64. धोला भाटा
65. उदयगंज
66. प्रतापनगर भट्टा
67. अशोकनगर भट्टा
68. भजनगंज
69. भजगारगंज II
70. शृंगार चंवरी
71. लालूपुरा
72. बड़गांव
73. माखुपुरा
74. खाजपुरा
75. हटूण्डी

**सेक्टर नम्बर—4**

76. राजेन्द्रपुरा
77. पाल बीचला (सालंकी बस्ती I
78. पाल बीचला II (बैरवा बस्ती)
79. पाल बीचला III (हरिजनबस्ती)
80. पाल बीचला 4 (ईश्वर बस्ती)
81. तोपदड़ा सिन्धी बस्ती
82. तोपदड़ा मोची बस्ती
83. गुलाबशाह का तकिया
84. पीलेमियां का तकिया
85. मोड़िया भैरू
86. सुनारों की हवेली
87. उत्तमचन्द सुनारों का पाड़ा
88. नोनकरण का अहाता
89. बाबड़ी पाड़ा
90. राबड़िया I
91. राबड़िया II
92. गूरजर बस्ती I
93. गूजरधरती II
94. जादूघर I
95. जादूघर II
96. जादूघर III
97. नृसिंहपुरा
98. सुभाषनगर I
99. सुभाषनगर II
100. तबीजी

ह/–
बाल विकास परियोजना अधिकारी,
अजमेर

## परिशिष्ट–3

अतारांकित प्रश्न सं. 140 की सूची

माह मार्च, 90 के अन्त में जयपुर जिले के शेष अविद्युतीकृत ग्रामों की पंचायत समितिवार सूची

सूची–'अ'

| क्र. सं. ग्राम का नाम | कोड नं. | क्र. सं. ग्राम का नाम | कोड नं. |
|---|---|---|---|
| **पं. स. आमेर** | | 5. गोधरा | 49 |
| 1. नारदपुरा | 8/3/137 | 6. तामरी | 50 |
| 2. उदयपुरिया | 187 | 7. सवाई मानसिंहपुरा | 112 |
| 3. बीड़ जैसान्या | 202 | 8. चक मीरापुरा | 110 |
| 4. मैला बाग | 204 | 9. चक भाग | 118 |
| **पं. स. शाहपुरा** | | 10. मीरापुरा | 107 |
| 1. गोगनपुर उर्फ डांगावली | 8/2/80 | 11. खेड़ी सुवा | 106 |
| **पं. स. झोटवाड़ा** | | 12. भीरावारा | 8/4/150 |
| | | 13. हचुकडा | 165 |
| 1. सीतापुरा उर्फ रामोलाई | 8/5/48 | 14. हवसपुरा | 149 |
| | | 15. सेलावर | 166 |
| **पं. स. जमवा रामगढ़** | | 16. सिरोही खुर्द | 167 |
| 1. बीड कानरवास | 8/6/124 | 17. नाहन | 8/8/31 |
| **पं. स. बान्दीकुई** | | 18. उदयतुरिया | 30 |
| 1. चन्दनवास | 8/7/48 | 19. झाकोलर | 13 |
| 2. मोराडी चक नं. 3 | 96 | 20. बीजोलाव | 15 |
| 3. मोराडी चक नं. 2 | 97 | 21. पाँवलियां | 14/14 |
| 4. चकसोमारा | 98 | 22. बाढ़ मथुरादास | 129 |
| 5. मोराडी चक नं 1 | 99 | 23. भभाना | 8/8/10 |
| 6. बाडियाल कला | 136 | 24. शेखपुर | 8/4/160 |
| **प. सं. दूदू** | | 25. दीवड़ी | 163 |
| | | 26. सिनाला | 164 |
| 1. धाप्या | 8/8/42 | 27. सीतारामपुरा | 158 |
| 2. छापरवाड़ा | 58 | 28. जोवली | 157 |
| 3. साव छारपरवाडा | 57 | 29. डोडवाड़ा | 153 |
| 4. ईटाखेड़ी | 48 | 30. कलयान | 162 |

| क्र. सं. ग्राम का नाम | कोड नं |
|---|---|
| 31. हिरणी | 151 |
| 32. छापड़ी | 155 |
| 33. गोविन्दपुरा | 156 |
| 34. सरथला | 154 |
| 35. कोरसीना | 152 |
| 36. नीमली | 8/8/11 |
| 37. बोकरवास | 16 |
| 38. दान्तारा | 12 |
| 39. कीथेरा | 8/4/161 |
| 40. पीगोन | 8/8/18 |
| 41. जरवारा | 17 |
| 42. मोरडी कला | 9 |
| 43. मोरडी खुर्द | 8/4/159 |
| 44. खाजपुरा | 8/8,19 |
| 45. सुरी | 4 |
| 46. साली | 3 |
| 47. छिर | 2 |
| 48. गलहोटा | 1 |
| 49. नागल | 8/4/161 |
| **पंचायत समिति सांगानेर** | |
| 1. अजयरामपुरा | 8/9/26 |
| 2. श्रीरामपुरावास भोकरोटा | 60 |
| 3. गिरधरपुर चक नं. 1, 2, 3, 4, 5 | 98 |
| 4. गिरधरपुरा चक नं 6 | 91 |
| 5. चक शेरवाली | 99 |
| 6. चक मोखिकपुरा उर्फ मातासुला | 160 |
| 7. जाखन्दपुरा | 206 |
| 8. भारूनकलां | 152 |
| **पं. स. बस्सी** | |
| 1. चक दयालपुरा | 8/10/154 |
| 2. चक श्यामपुरा उर्फ हरपुरा | 87 |

| क्र. सं. ग्राम का नाम | कोड नं. |
|---|---|
| 3. चक माधोगढ़ | 185 |
| 4. धोली | 182 |
| 5. चक तुंगा | 194 |
| 6. बराई | 147 |
| 7. पेईपुरा | 148 |
| 8. चक पोरनी | 140 |
| 9. तिलोकपुरा | 58 |
| 10 अचलपुरा | 47 |
| 11 केसुपुरा | 43 |
| 12. गंगारामपुरा | 48 |
| 13. खजुरिया तिवाड़ियान | 93 |
| 14. बाढ़ महादेवपुरा | 94 |
| 15. ब्रहलपुरी | 96 |
| 16. खेडा मालुमपुरा | 98 |
| 17 बाड रामरखपुरा | 103 |
| 18 नागल करना | 104 |
| 19. शंकरपुरा | 100 |
| 20. छतरपुरा | 102 |
| 21. चैनपुरा | 107 |
| 22. श्यामपुरा उर्फ डेडपुरा | 89 |
| 23. पीपलबाड़ | 40 |
| 24. बिशनसिंहपुरा | 37 |
| 25. शलावारा | 36 |
| 26. बसेडी | 39 |
| 27. चान्दपुर | 125 |
| 28. छापरिया | 126 |
| 29. रूपपुरा | 115 |
| 30. रामसिंहपुरा | 114 |
| 31. मोरन्डी | 110 |
| 32. रतनपुरा | 128 |
| 33. कंवरपुरा | 123 |
| 34. कुन्दनपुरा | 118 |
| 35. चक नारदपुर | 119 |

| क्र.सं | ग्राम का नाम | कोड सं. |
|---|---|---|
| 36 | अक्षेपुरा | 199 |
| 37. | सावलियावाला | 205 |
| 38. | माधोवाला | 203 |
| 39. | अक्षेपुरा | 204 |
| 40. | टिडीवाला | 209 |
| 41. | चकदेवरी | 208 |
| 42. | चकलावण | 206 |
| 43. | रोजवाड़ी | 179 |
| 44. | किशनपुरा | 145 |
| 45. | तूंगा | 195 |
| | **पंचायत समिति दौसा** | |
| 1. | बाढ़ कोल्यावास | 8/11/196 |
| 2. | बाढ विडोरथा | 193 |
| 3. | गिरधरपुरा | 195 |
| 4. | बाढ गिरधरपुरा | 194 |
| 5. | बूंताली | 151 |
| 6. | हरपट्टी | 184 |
| 7. | चक देल्हावास | 185 |
| 8. | कंवरपुरा | 153 |
| 9 | किशनपुरावाडा | 183 |
| 10. | चक जगरामपुरा | 181 |
| 11. | खरावास | 190 |
| 12. | विडोरथा | 191 |
| 13. | किशनपुरा तापरिया | 187 |
| 14. | डेहलाबास | 186 |
| 15. | चक हरपट्टी | 187 |
| 16. | चक खानपुरा | 159 |
| 17. | वीर बनावण | 166 |
| 18. | पीपल्या चैनपुरा | 162 |
| 19. | हारासुती | 163 |
| 20. | गढ़ा कीरतवास | 164 |
| 21. | हरियाना | 169 |
| 22 | मुन्सालाई | 168 |
| 23. | सोदलिया भूतपुरा | 173 |
| 24. | रघुनाथपुरा | 115 |
| 25. | बाढ चन्दराना | 86 |
| 26 | चक रामपुरा | 94 |
| 27. | धरनवास | 98 |
| 28. | चक धरणवास | 100 |
| 29. | बाढ छानगाला | 43 |
| 30. | बनेटा | 56 |
| 31. | बाढ दौसा | 76 |
| 32 | चक जारोता | 77 |
| 33. | रामसिंहपुरा | 125 |
| 34. | चुचारियों का वास | 124 |
| 35. | बरदाखों | 239 |
| 36. | सुदर्शनपुरा | 46 |
| 37. | दाई | 47 |
| 38. | चक दादनका | 21 |
| 39. | चक भावीवाला | 12 |
| 40. | अखैपुरा | 29 |
| 41. | चक गोविन्दपुरा | 6 |
| 42. | भैयापुरा | 10 |
| 43. | हवीबवाला | 19 |
| 44. | कोलेश्वर कला | 18 |
| 45. | पुरबास | 179 |
| 46. | राजपुरा | 61 |
| 47. | गगा घाटा | 60 |
| 48. | जापडा | 36 |
| 49. | लोरवाडा | 37 |
| 50. | लोहापडी | 34 |
| 51. | खरन्डी | 133 |
| 52. | मारा | 62 |
| 53. | बेरावास | 141 |
| 54. | बाण्डी | 237 |

| क्र. संख्या ग्राम का नाम | कोड नं. | क्रम संख्या ग्राम का नाम | कोड नं. |
|---|---|---|---|
| 55. बसना | 144 | 17. गधोरा | 112 |
| 56. धानवास | 235 | 18. दवाखर | 111 |
| 57. खेडा तापरियान | 234 | 19. जगसहायपुरा | 131 |
| 58. बालावास | 230 | 20. बनेपुरा | 132 |
| 59. कालरी | 239 | 21, मोदर | 99 |
| 60. जौन | 212 | 22. नगर | 90 |
| 61. सार | 241 | 23. मुडिया खेढा | 97 |
| 62. गणेशपुरा | 119 | 24. सिगराय डूगर | 96 |
| 63. बागलाई | 123 | 25. कुन्डेरा डूंगर | 95 |
| 64. चक बागलाई | 127 | 26. महर खोहरा | 135 |
| | | 27. लखनपुरा | 136 |
| **पं. स., सिकराय** | | 28. सनवास. | 43 |
| 1, जहांगीरपुरा | 8/12/103 | 29. खेदला | 30 |
| 2. धाधग्याबास | 78 | 30. केलाई | 89 |
| 3. दोराडो | 71 | 31. यक गनीपुर | 90 |
| 4. कोटडा कला | 70 | 32. कुन्डेरा खुर्द | 91 |
| 5. कोरदा खुर्द | 69 | 33. रामेरा | 94 |
| 6. चेनपुरा | 125 | 34 हींगवा | 93 |
| 7. बेकट | 123 | 35. नयागांव | 33 |
| 8- गरहोली | 128 | 36. अस्टवाडा | 13 |
| 9. गेरोनी | 122 | 37. रायपुरा गुजर | 14 |
| 10. कालाखोह | 121 | 38. जोधपुरिया | 15 |
| 11. मोलाई | 178 | 39. दरजापुह 31 | 31 |
| 12. चक काला खो | 120 | 40. पाथी सालेसिंह | 29 |
| 13. जगरामपुरा पट्टी | 119 | 41. सुलतानपूरा | 26 |
| 13. जाध्या | 114 | 42. खिदारपुरा | 17 |
| 15. बाढ बैराबण्डा | 119 | 43. खुदा पहाडपुर | 25 |
| 16. नवारी | 43 | 44. सुरेर | 19 |

# Page No. 227



| क्रम संख्या ग्राम का नाम | कोड नं. | क्रम संख्या ग्राम का नाम | कोड नं. |
|---|---|---|---|
| **पंचायत समिति, फागी** | | 29. सुमेलिया | 84 |
| 1. टीकल नरूकान | 8/13/26 | 30. मोरडी | 85 |
| 2. जोधिन्दरा भोजपुरा | 22 | 31. बाढ मोरडी | 86 |
| 3. टीकल पुरोहितान | 29 | 32. लाखावास | 87 |
| 4. पिनाथ | 28 | 33. पारवान | 88 |
| 5. सालरस | 27 | 34. गोकुलपुरा | 89 |
| 6. करवा | 46 | 35. खण्डोज | 90 |
| 7. निहालपुरा उर्फ मिया का बड | 45 | 36. मदनपुरा | 92 |
| 8. हीरापुरा वास जीरोता | 44 | 37. कंवरपुरा | 93 |
| 9. ज्ञानकीनाथपुरा | 43 | 38. पावस खेडा | 108 |
| 10. चक गुलाबपुरा | 42 | 39. अजनेता | 109 |
| 11. मदनमोहनपुरा उर्फ कंटारिया | 16 | 40. धावलिया | 110 |
| 12. अमरपुरा | 23 | 41. चन्दमा खुर्द | 112 |
| 13. नवजकिशोरपुरा | 0 | 32. शंकरपुरा | 33 |
| 14. कुन्जबिहारीपुरा | 12 | 43. भैपुरा उर्फ भरतपुरा | 34 |
| 15. छरदारा | 6 | 44. रतनपुरा | 94 |
| 16. नन्दलालपुरा | 3 | 45. मोडप | 111 |
| 17 शेरपुरा | 4 | 46. हनोतिया खुर्द | 145 |
| 18. हिंगोनिया | 2 | 47. हनोतिया कलां | 146 |
| 19 सवाईजयसिंहपुरा | 5 | **पंचायतस समिति, चाकसू** | |
| 20. जगतशिरोमण्डीपुरा | 10 | 1. मानसर | 8/14/139 |
| 21. सांवल | 11 | 2 नन्दराजपुरा | 154 |
| 22. द्वारिकानाथपूरा | 91 | 3. मीरापुरा | 159 |
| 23. छापरी | 63 | 4. चक पुरारपुरा | 136 |
| 24. गणेशपुरा | 65 | 5. श्रीजयदेवपुरा | 143 |
| 25. घटयाली | 66 | 6. श्री वल्लभपुरा | 147 |
| 26. बचकरा | 80 | 7. देवगांव | 161 |
| 27. धवालिया | 71 | 8. अमीरानथनी उर्फ श्रीनिवासपुरा | 170 |
| 28. मोहनपुरा राजावतान | 83 | | |

| क्र. संख्या | ग्राम का नाम | कोड नं | क्र सं. | ग्राम का नाम | कोड नं |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. | लासनिया | 169 | 36. | नरोतमपुरा | 233 |
| 10. | श्री सहायपुरा | 163 | 37. | श्यामपुरा मय बाढ श्यामपुरा | 232 |
| 11. | खेडा मुकुन्दपुरा | 166 | 38. | बालमुकुन्दपुरा | 261 |
| 12 | लूना खुर्द | 167 | 39. | अजयराजपुरा उर्फ ढाबला कलां | 260 |
| 13 | चौप | 171 | 40. | बावनपुरा | 263 |
| 14 | चिमनपुरा मदू जामिनपुर, चैनपुरा | 234 | 41. | ठीकरियान गुजरान | 262 |
| 15 | कुशालपुरा | 235 | 42. | चक बावनपुरा | 264 |
| 16. | रूपनगर | 249 | 43. | ठीकरिया मीणा | 272 |
| 17. | रामचन्दपुरा | 237 | 44. | बाढ बावनपुरा | 256 |
| 18. | तालुकपुरा डूंगरी | 250 | 45. | बाढ फतेहपुरा | 257 |
| 19. | मीरापुरा | 251 | 46 | श्री सम्पतपुरा | 271 |
| 20. | रामनगर गढ़ | 248 | 47. | भीडक्याबास | 267 |
| 21. | विनोदी लाल पुरा | 247 | 48. | चक सम्पतपुरा | 270 |
| 32. | जगदीशपुरा | 238 | 49. | नन्दकिशोरपुरा | 268 |
| 73. | बाढ महाराजपुरा | 239 | 50. | बाण परजनदपुरा | 276 |
| 24 | महाराजपुरा | 240 | 51. | चक बाड बावतुरा | 273 |
| 25. | चक विनोदी लाल पुरा II | 241 | 52. | बाढ चौहान | 277 |
| 26 | यक विनोदी लाल पुरा I | 242 | 53. | धर्मपुरी | 269 |
| 27. | विमलपुरा | 253 | 54 | श्री रघुनाथपुरा | 275 |
| 28. | डेबला कलां | 246 | 55. | त्रिलोकीनाथपुरा | 274 |
| 29. | महाराजपुरा | 245 | 56. | द्वारकापुरी | 279 |
| 30. | ओरंगापुरा | 233 | 57. | खेजड़ी खुर्द | 278 |
| 31. | रघुनाथपुरा उर्फ नानो का बास | 244 | 58. | श्रीपुरा | 280 |
| 32. | मदनमोहनपुरा उर्फ थनी | 252 | 59. | गुजरहेड़ा | 281 |
| 33. | बाढ केशोपुरा | 259 | 60 | परमानन्दपुरा उर्फ मण्डालिया | 283 |
| 34. | बरकापाड़ा | 254 | 61 | जैतपुरा उर्फ कुशालपुरा | 227 |
| 35. | छापदा कलां | 253 | 62. | नरसिंहपुरा | 228 |

| क. सं. | ग्राम का नाम | कोड नं. |
|---|---|---|
| 63. | यादगारपुरा | 221 |
| 64. | बाढ यादगारपुरा | 222 |
| 65. | महाराजपुरा व्यासन | 226 |
| 66. | पृथ्वीपुरा | 225 |
| 67. | रलावटा | 223 |
| 68. | नांगलहार | 224 |
| 69. | कांकरिया | 266 |
| 70. | बिसनपुरा | 265 |
| 71. | कांकरा उर्फ रघुनाथपुरा | 192 |
| 72. | महादेवपुरा | 190 |
| 73. | जानकीदासपुरा | 191 |
| 74. | सांवलिया | 189 |
| 75. | आनन्पुरा | 197 |
| 76. | श्रीचन्दपुरा | 193 |
| 77. | अजमेरीपुरा | 195 |
| 78. | मालपुरा | 194 |
| 79. | जहरीपुरा उर्फ बसरा | 198 |
| 80. | मण्डालिया पैदा | 201 |
| 81. | मीकरबाड़ | 199 |
| 82. | गोविन्पुरा | 196 |
| 83. | सांपला | 202 |
| 84. | ताजपुरा | 203 |
| 85. | लखरखावदा | 204 |
| 86. | बदरीनाथपुरा | 203 |
| 87. | मोहम्मदपुरा | 206 |
| 88. | आशिकपुरा उर्फ चोरिया | 205 |
| 89. | केशुपुरा | 250 |

| क. सं. | गांव का नाम | कोड नं. |
|---|---|---|
| | **पंचायत समिति लालसोट** | |
| 1. | चक पातलवास | 8/15/92 |
| 2. | डूंगरी जगनेर (ढोली) | 89 |
| 3. | बाढ जगनेर | 90 |
| 4. | चक दुर्जनवास | 76 |
| 5. | कंवरपुरा | 11 |
| 6. | जीतपुरा | 33 |
| 7. | टिटियावास | 94 |
| 8. | चैनपुरा कला | 96 |
| 9. | मोहम्मदपुरा | 27 |
| 10. | सुल्तानपुरा | 67 |
| 11. | पालड़ी | 68 |
| 12. | बीलका | 28 |
| 13. | बाखोली | 25 |
| 14. | हमीरपुर | 106 |
| 15. | कंवरपुरा | 104 |
| 16. | बामनहेडी | 105 |
| 17. | डावर कलां | 103 |
| 18. | श्री गणेशपुरा | 107 |
| 19. | मोहेनेरी | 115 |
| 20. | बेलचा | 108 |
| 21. | सांत्यावास | 109 |
| 22. | चक चान्दपुर | 36 |
| 23. | चक चान्दपुर | 40 |
| 24. | लेमपुरी | 42 |
| 25. | कुंपडियान | 41 |

| क्र सं. | गांव का नाम | कोड नं. | क्र.सं. | गांव का नाम | कोड नं. |
|---|---|---|---|---|---|
| 26. | चुडियावास | 65 | 57. | रामसिरपुरा | 149 |
| 27. | रामपुर कला | 66 | 58. | नालावास | 150 |
| 28. | बाढ दुसान्दरी | 81 | 59. | गोकलपुरा | 151 |
| 29. | सांझापुरा | 67 | 60. | चक विजयपुरा | 195 |
| 30. | चक रामसर | 68 | 61. | पट्टी चिमनपुरा | 196 |
| 31. | लहरी का वास | 60 | 62. | गोदारिया | 194 |
| 32. | डोब | 59 | 63. | विजयपुरा | 193 |
| 33. | गोडावास | 57 | 64. | लोरवाडा | 191 |
| 34. | भोवतपुरा | 126 | 65. | करनपुर चक नं.1 | 199 |
| 35. | पूरावा उर्फ चारणवास | 127 | 66. | श्रीगोविन्दरपुरा | 198 |
| 36. | नवरंगपुरा | 112 | 67. | चिमनपुरा | 197 |
| 37. | वीगलवास | 136 | 68. | मोहम्बतपुरा | 208 |
| 38. | बाढ भोवतपुरा | 137 | 69. | श्री रघुनाथपुरा चक नं. 1, 2, 3, | 209 |
| 39. | बाड़ नायकवास चक | 138 | 70. | गोविन्दपुरा | 200 |
| 40. | सवाईमाधोपुर | 128 | 71 | श्रीमा | 201 |
| 41. | सुरजपुरा | 133 | 72. | बाढ श्रीमा | 202 |
| 42. | बलरामपुरा | 129 | 73. | मेडिया | 205 |
| 43. | बाढ फतेहपुरा | 111 | 74. | वराडी | 203 |
| 44. | चक लाल्यावास | 110 | 75. | बाढ मेडिया | 2[illegible]4 |
| 45. | कल्यासवा | 130 | 76. | श्रीरामपुरा | 206 |
| 46. | चक सवाईमाधोपुर | 131 | 77. | किराडी | 215 |
| 47. | बाढ कात्यावास | 132 | 78. | कूपवास | 1 |
| 48. | गंगाल्यावास | 134 | 79 | मानपुरा | 72 |
| 49. | डोबला खुर्द | 135 | 80. | भावता | 44 |
| 50. | बाढ जीता | 122 | 81. | दोलाई | 45 |
| 51. | बाढ उगरपुरा | 124 | 82. | धाटा | 46 |
| 52. | उगरपुरा | 125 | 83. | धोध | 47 |
| 53. | उदयपुरा | 139 | 84 | कूटक्या | 48 |
| 54. | बाढ उदयपुर | 140 | 85. | कठूमर | 49 |
| 55. | बाढ रतनपुरा | 141 | 86. | गानो | 150 |
| 56. | बाढ माजकवास | 146 | | | |

| क्र.सं. | गांव का नाम | कोड नं. | क्र.सं. | गांव का नाम | कोड नं. |
|---|---|---|---|---|---|
| 87. | अलीपुर | 61 | 105. | बाढ कल्याणपुरा | 239 |
| 88. | रामसिंहपुरा | 62 | 106. | कल्याणपुरा | 240 |
| 89. | चक अलीपुर | 63 | 107. | कानकोड | 241 |
| 90. | पालन्दा | 64 | 108. | बाढ कानकोड | 242 |
| 91. | हामावास | 43 | 109. | राजपुरा | 243 |
| 92. | बाढ 8।बरकलां | 101 | 110. | बाडा | 244 |
| 93. | डाबर खुर्द | 102 | 111. | बाढ बाडा | 245 |
| 94. | लाडपुरा | 171 | 112. | बिलोना खुर्द | 246 |
| 95. | उगरियावास | 172 | 113. | बाढ अचलपुरा | 247 |
| 96. | चक रघुनाथपुरा | 210 | 114. | अचलपुरा | 248 |
| 97. | सेलमावाद | 226 | 115. | दौसादा | 250 |
| 98. | मालावास | 228 | 116. | नेहरिया | 251 |
| 99. | चक मुकन्दपुरा | 230 | 117. | अलीपुरा | 252 |
| 100. | श्री सुखचैनपुरा | 231 | 118. | थानपुरा | 265 |
| 101. | रामपुरा खुर्द | 232 | 119. | हमीरपुरा | 266 |
| 102. | बम्बवास | 233 | 120. | महाराजपुरा | 268 |
| 103. | बलरामपुरा | 234 | 121. | रामसर | 273 |
| 104. | देवलदा | 238 | | | |

239



## परिशिष्ट—4

अतारांकित प्रश्न संख्या 152 की सूची

**कोटा जिले के एजेन्टों की सूची**

1. श्री करतार सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह
2. श्री मोहन सिंह पुत्र श्री इन्दर सिंह
3. श्री चान्दमल बोलिया पुत्र प्रेमचन्द बोलिया
4. श्री अशोक कुमार पटेल पुत्र पुरुषोत्तमदास पटेल
5. श्री पांचूलाल शर्मा पुत्र भंवरलाल शर्मा
6. श्री निर्मल कुमार जैसवाल पुत्र मांगीलाल जैसवाल
7. श्री राधेश्याम जेसवाल पुत्र श्री मदन लाल जैसवाल
8. श्री मांगीलाल जैसवाल पुत्र श्री शंकरलाल जैसवाल
9. श्री कुन्दनलाल शर्मा पुत्र पुरुषोत्तम दास शर्मा
10. श्री रामनारायण माथुर पुत्र श्री माधोलाल माथुर
11. श्री गुरूबक्ष सिंह पुत्र श्री जय सिंह
12. श्री अशोक कुमार जैन पुत्र श्री चांदमल जैन
13. श्री राजा सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह
14. श्री अमरीक सिंह पुत्र श्री तेजा सिंह
15. श्री अशोककुमार शर्मा पुत्र श्री पांचूलाल शर्मा
16. श्री बलवीर सिंह अरोड़ा पुत्र गोविन्दराम अरोड़ा
17. श्री चांदमल अरोड़ा पुत्र श्री जी. एल. अरोड़ा

## परिशिष्ट—5

अतारांकित प्रश्न संख्या 158 की सूची

प्रपत्र 'क'

| क्र. सं. | गांव का नाम | तहसील | कोड नं. | वर्तमान में घरेलू कनेक्शन | घरेलू कनेक्शनों हेतु शेष आवेदन पत्रों की सं. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | बासमीन | सिवाना | 36 | 48 | शून्य |
| 2. | राखी | ,, | 85 | 103 | ,, |
| 3. | सावरला | ,, | 70 | 66 | ,, |
| 4. | खंडप | ,, | 88 | 249 | ,, |
| 5. | कर्मावास | ,, | 34 | 216 | ,, |
| 6. | मजल | ,, | 81 | 178 | ,, |
| 7. | समदडी | ,, | 19 | 1080 | ,, |
| 8. | कुसिप | ,, | 11 | 92 | ,, |
| 9. | मोकलसर | ,, | 65 | 812 | ,, |
| 10. | सिवाना | ,, | 16 | 1855 | ,, |
| 11. | पादरू | ,, | 50 | 333 | ,, |
| 12. | सिन्धरी | गुढ़ामालानी | 243/262 | 459 | ,, |
| | | | | 5491 | |

(234)



## परिशिष्ट—6

अतारांकित प्रश्न संख्या 160 की सूची

**प्रपत्र–क**

जयपुर जिले में पेयजल संकट के तत्काल समाधान के लिए मार्च, 1990 से अब तक स्वीकृत हैण्डपम्प व अन्य योजनाओं का विवरण।

| क्र. सं. | नाम पंचायत समिति | स्वीकृत हैण्डपम्प (नये हैण्डपम्प तथा पुराने सूखे हैण्डपम्प को गहरा करवाना) | नलकूपों तथा डी. सी. बी. के निर्माण की स्वीकृति |
|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 3 | 4 |
| 1. | सांगानेर | 35 | 1 |
| 2. | चाकसू | 37 | 2 |
| 3. | फागी | 25 | 1 |
| 4. | दुदू | 64 | 5 |
| 5. | सांभरलेक | 19 | — |
| 6. | कोटपूतली | 27 | — |
| 7. | विराटनगर | 23 | [illegible] |
| 8. | शाहपुरा | 24 | [illegible] |
| 9. | ज. रामगढ़ | 48 | [illegible] |
| 10. | आमेर | 38 | — |
| 11. | गोविन्दगढ़ | 31 | — |
| 12. | झोटवाड़ा | 32 | — |
| 13. | दौसा | 40 | 2 |
| 14. | लालसोट | 33 | 2 |
| 15. | बस्सी | 37 | — |
| 16. | बसवा | 36 | 1 |
| 17. | सिकराय | 34 | — |
| | योग :— | 503 | 16 |

235

# शुद्धि-पत्र

| क्रम सं. | स्तम्भ संख्या | पंक्ति संख्या | अशुद्ध | शुद्ध |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 51 | फोलियो | अतारांकित | तारांकित प्रश्नोत्तर |
| 2. | 53 | 1 | (श्री ramनाराबण बैरवा) | (श्री रामनारायण बैरवा) |
| 3. | 55 | 11 | श्री गजेन्द्र राठोड़ | श्री राजेन्द्र राठोड़ |
| 4. | 65 | 2 | भूल्यांकन | मूल्यांकन |
| 5. | 71 | 1 | शिक्षा मंत्र | (शिक्षा मंत्री) |
| 6. | 91 | फोलियो | रांकित | अतारांकित |
| 7. | 99 | 9 | वांसबाड़ा | बांसवाड़ा |
| 8. | 108 | 7 | ( ) | (1) |
| 9. | 122 | फोलियो | 12 | 122 |
| 10. | 283 | फुटनोट | –जुलाई, 1990 | –2 जुलाई, 1990 |
| 11. | 331 | फोलियो | –2 जुलाई, 109 | –2 जुलाई, 1990 |